स्वराज की किरणें

अन्तरिम संसद में चौधरी रणबीर सिंह

चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

स्वराज की किरणें

अन्तरिम संसद में चौधरी रणबीर सिंह

(1950–52)

ग्रामीण भारत के प्रखर प्रहरी

इस पुस्तक में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह द्वारा अन्तरिम संसद (1950–52) में दिए गए भाषणों का संकलन है। अन्तरिम संसद, स्वतंत्रता आन्दोलन की वह भोर थी, जिसमें देश के नव-निर्माण की नींव रखी गई। पहली लोकसभा के निर्माण से पूर्व गठित इस अन्तरिम संसद की अपनी खास महत्ता थी। इसमें चौधरी रणबीर सिंह आम आदमी की आवाज बनकर उभरे। अन्तरिम संसद में भारत की समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए कारगर नीतियां बनाई गईं जिसमें चौधरी साहब का उल्लेखनीय योगदान रहा। उन्होंने अन्तरिम संसद में जो विचार, सुझाव और सवाल रखे, वे आधी भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित हुए। चौधरी साहब ने राष्ट्र के नव-निर्माण के बारे में अपना सशक्त नजरिया रखा, जिस पर स्वतंत्रता संग्राम की गहरी छाप दिखाई पड़ती है।

पढ़ें..

स्वराज की किरणें

अन्तरिम संसद में

चौधरी रणबीर सिंह

(1950–52)

ग्रामीण भारत के प्रखर प्रहरी

स्वराज की किरणें

अन्तरिम संसद में
चौधरी रणबीर सिंह
(1950–52)

ग्रामीण भारत के प्रखर प्रहरी

चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

© प्रकाशक

संस्करण : 2012

प्रकाशक
चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

मुद्रक :
विकास कम्प्यूटर एण्ड प्रिण्टर्स
नवीन शाहदरा, दिल्ली 110032

समर्पित
ग्रामीण भारत को।

विषय सूची

आमुख **10**
श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, (मुख्यमंत्री, हरियाणा)
दो शब्द **12**
प्रो आर.पी. हुड्डा, (कुलपति)
आभार **14**
प्रस्तावना हेतु **15**
ज्ञान सिंह

भाग–प्रथम : अन्तरिम लोकसभा (1950)

1. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा 39
2. सेना बिल 43
3. वर्ष 1949–50 के लिए अनुदान मांगें 48
4. बजट पर 54
5. बजट पर 57
6. संसद और विधानसभाओं हेतु चुनाव के लिए योग्यताएं 59
7. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 62
8. आवश्यक आपूर्ति पर 68
9. पूरक माँग पर 72
10. भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन प्रस्ताव) 74
11. संसद और राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनावी योग्यता प्रस्ताव 82
12. उपयोगी मवेशी संरक्षण विधेयक 84

13. वस्तुओं की कीमतें व आपूर्ति विधेयक 92
14. 1950–51 के लिए अनुपूरक अनुदान के लिए मांगे 98
15. लोगों का प्रतिनिधित्व विधेयक (क्रमांक. 2) 101

भाग–द्वितीय : अन्तरिम लोकसभा (1951

16. निवारण अवरोधन (संशोधन) विधेयक 111
17. विनियोग विधेयक 115
18. भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन प्रस्ताव) 117
19. भूमि अर्जन (सत्ता की निरंतरता) संशोधन विधेयक 122
20. आम बजट 125
21. आम बजट–मांग सूची 127
22. वित्त विधेयक 132
23. वित्त विधेयक 134
24. न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक 138
25. जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 143
26. भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक 145
27. राज्य वित्तीय निगम विधेयक 147
28. जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (क्रमांक. 2) 152
29. जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (क्रमांक. 2) 156
30. जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (क्रमांक. 2) 158
31. संविधान (प्रथम संशोधन) विधेयक 161
32. जन प्रतिनिधित्व ((क्रमांक. 2)) विधेयक 165
33. जन प्रतिनिधित्व ((क्रमांक. 2)) विधेयक 167
34. जन प्रतिनिधित्व ((क्रमांक. 2)) विधेयक 168
35. जन प्रतिनिधित्व ((क्रमांक. 2)) विधेयक 170
36. जन प्रतिनिधित्व ((क्रमांक. 2)) विधेयक 172
37. जन प्रतिनिधित्व ((क्रमांक. 2)) विधेयक 175
38. जन प्रतिनिधित्व ((क्रमांक. 2)) विधेयक 177
39. जन प्रतिनिधित्व ((क्रमांक. 2)) विधेयक 179
40. संविधान विधेयक (प्रथम संशोधन) 185

41. निर्यात के कपड़े पर पुर्नसंकल्प 189
42. पंजाब में संवैधानिक मशीनरी की उद्घोषणा पर संकल्प और पुर्न–उद्घोषणा 193
43. मुगफली, तिलहन और सब्जीयुक्त तेल का पुर्नसंकल्प 201
44. पंजाब राज्य विधायिका (प्रतिनिधिमण्डल शक्ति) विधेयक 205
45. सरकार के 'सी' श्रेणी राज्यों के विधेयक 210
46. औद्योगिक (विकास और नियन्त्रण) विधयेक 216
47. भारतीय कंपनियां (संशोधन) विधेयक 218
48. हिन्दू कोड 221
49. अखिल भारतीय सेवा विधेयक 233
50. पुर्न–पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव 237

भाग–तृतीय : अन्तरिम लोकसभा (1952)

51. वित्त विधेयक 243

चौधरी रणबीर सिंह : संक्षिप्त जीवन घटनाक्रम 250

सन्दर्भ सूचिका 252

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा
BHUPINDER SINGH HOODA

D.O. No. CMH-2012/---------
मुख्य मन्त्री, हरियाणा,
चण्डीगढ़
CHIEF MINISTER, HARYANA
CHANDIGARH

Dated : 17-01-2012

आमुख

भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन की विरासत बड़ी समृद्ध और विविध है, जिसने सामाजिक दायित्वों और राष्ट्र–निर्माण के मूल्यों के साथ देशभक्तों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया। स्वतंत्रता के लिए लम्बे और कठोर संघर्ष ने उनके चरित्र को सांचे में ढ़ाला और वर्ष 1947 में एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के बाद एक विभाजित राष्ट्र के तौर पर आने वाली समस्याओं का सामना करने जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए तैयार किया। चौधरी रणबीर सिंह जी ऐसे ही देशभक्त थे, जो एक साधारण किसान परिवार से सम्बन्ध रखते थे, परन्तु उनकी सामाजिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि बड़ी ही समृद्ध थी।

मुझे यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ इस महान स्वतंत्रता सेनानी द्वारा अंतरिम संसद में दिए गए भाषणों का संकलन प्रकाशित कर रही है। अंतरिम संसद ने व्यस्क मताधिकार के साथ 1952 में प्रथम लोकसभा में भारत के नए संविधान के तहत चुनाव होने से पहले 1950 से 1952 की शुरूआत तक संविधान सभा (विधायी) से विधायी कार्य किया था। संसदीय जीवन के लिए यह उनकी रचनात्मक अवधि थी। जुलाई, 1947 से 1949 के अंत तक संविधान सभा के अढ़ाई वर्षों ने चौधरी साहिब को भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका के लिए दीक्षित किया और उन्हें युवावस्था में ही साहस और विश्वास के साथ संसदीय कार्य–व्यवहार में अपनी दक्षता को निखारने का एक सुनहरा अवसर उपलब्ध करवाया। अंतरिम संसद चौधरी साहब के लिए उनके प्रिय कार्य के हित में एक यथार्थ लड़ाई का मैदान साबित हुई।

चौधरी रणबीर सिंह ने संविधान सभा और अंतरिम संसद में ऐसे मुद्दों में को उजागर करने में अहम् योगदान दिया, जोकि उस समय एक उभरते राष्ट्र के लिए अति महत्वपूर्ण थे। मैं जब भी इन दोनों सदनों में दिए गए उनके भाषणों को पढ़ता हूँ, तो उन समस्याओं,, जिनसे उस समय की ग्रामीण आबादी जूझ रही थी, पर उनकी पकड़ और स्पष्टता को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अंतरिम संसद में इन मुद्दों का उनका भावपूर्ण समर्थन निःसन्देह बड़ा ही अद्भुत था। जब वे 6 नवम्बर, 1948 को पहली बार संविधान सभा को सम्बोधित करने के लिए उठे और कहा कि, ''मैं एक ग्रामीण हूँ, एक किसान के घर में पला–बढ़ा हूँ। स्वाभाविक रूप से मैंने इसकी संस्कृति को आत्मसात् किया है। मैं इसे प्यार करता हूँ। इससे जुड़ी सभी समस्याएं मेरे दिला–दिमाग में रची–बसी हैं.....'' यह एक प्रकार से सच्चाई

थी। उनके भाषणों का वर्तमान संग्रह एक ऐसे कार्य के प्रति उनके समर्पण का सबूत है, जिसे वे संजोए हुए थे। प्रत्येक अवसर और प्रत्येक मुद्दे पर उनके पास शक्तिशाली तर्कों के सथ उनका ग्रामीण निमित था, चाहे यह अनिवार्य आपूर्ति का प्रश्न हो या मतदाता कानून।

उन्होंने 1 फरवरी, 2009 के रोहतक में पूर्ण संतुष्टि की अवस्था में सदा के लिए आंखें मूंद लीं। मुझे महसूस हुआ कि उनके निधन से उस समय के एक अध्याय का अंत हो गया। मैं महसूस करता हूँ कि वे ऐसी आखिरी शख्सियत थे, जिनके लिए महात्मा गांधी की अगुवाई में हमारे स्वतंत्रता संग्राम से अर्जित नैतिक मूल्यों का राजनीति में बड़ा महत्व था। वह पीढ़ी इतिहास के पन्नों में चली गई है, जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम का बेहतरीन प्रतिनिधित्व किया। अपने बचपन से ही मैं इस तथ्य का साक्षी रहा हूँ कि वे सबसे पहले अपने प्रियजनों के लिए एक महान शिक्षक थे, एक महान् पुरूष और स्नेही पिता थे। मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि चौधरी साहब बिना किसी लाग–लपेट के सच्चे लोकतंत्रवादी थे।

राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों के अतिरिक्त, चौधारी रणबीर सिंह आर्य समाज आन्दोलन द्वारा स्थापित मूल्यों से ओत–प्रोत थे और बाद में गांधी जी के नियमों पर अटल रहे, जोकि भारतीय राजनीति में एक महान् संत थे। चौधरी साहब एक ऐसी शख्सियत थे, जिन्होंने प्रत्येक सामाजिक मूल्य का पालन किया और लोगों को जिस बात का अनुसरण करने के लिए कहा, अपने निजी जीवन में कभी उसका उल्लंघन नहीं किया। वे इतने दयालु थे,, जितना कि कोई अपने से छोटे के प्रति हो सकता है, परन्तु अपने निश्चय के प्रति इतने दृढ़ थे, जितना कि राजनीति में किसी संत के लिए कोई कल्पना कर सकता है। वे जानते थे कि एक किसान की भांति अपने लक्ष्य पर कैसे आगे बढ़ा जाता है। सत्ता में होते हुए अपने प्रतिद्वद्वियों के प्रति बदले की भावना नहीं रखते थे। मैंने उन्हें मुश्किल समय और विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित होते और जीवन भर संजोए हुए सामाजिक मूल्यों की लक्ष्मण रेखा को पार करते हुए नहीं देखा।

अंतरिम संसद में परिचर्चाओं के दौरान, चौधरी रणबीर सिंह ने अपनी ऊर्जा के हर अंश को किसानों के उत्थान , आबादी के पिछड़े वर्गों समेत पद दलितों के कल्याण को समर्पित कर दिया। काश्तकार को बेदखल किए बिना खेतिहर को भूमि के लिए उनकी पुरजोर वकालत, किसान के कठोर परिश्रम को बचाने के लिए उसके लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए उनका जोरदार समर्थन हमेशा याद रखा जाएगा। वे एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र निर्माण के लिए नींव के तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के पक्षधर थे।

मुझे उम्मीद है कि उनके भाषणों की यह प्रस्तुति सही अर्थों में इस महान विभूति के मनोभावों से अवगत करवाने में सहायक होगी।

(भूपेन्द्र सिंह हुड्डा)

VICE-CHANCELLOR

MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY
ROHTAK-124 001, (HARYANA) INDIA

Off. : 01262-274327, 292431
Res. : 01262-274710
Fax : 01262-274133, 274640

प्रस्तावना

मुझे हार्दिक खुशी है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सैनानी, प्रतिष्ठित गांधीवादी, भारत के सात संवैधानिक संस्थानों को सुशोभित करने वाले चौ० रणबीर सिंह के भाषणों का संकलन विश्वविद्यालय का चौ० रणबीर सिंह ओपपीठ प्रकाशित करने जा रहा है ।

चौ० रणबीर सिंह ने भारत के अंतरिम संसद में विभिन्न विषयों पर बेजोड़ भाषण दिए । उनके भाषणों में ग्रामीण भारत की आत्मा बसती है । किसानों, मज़दूरों, समाज के हाशिए पर जीवन बसर करने वाले जन-मानस की पुरजोर आवाज बनकर चौ० रणबीर सिंह ने इन वर्गों के हितों का ख्याल रखा । मन व कर्म से महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी चौ. रणबीर सिंह 'वैष्णव जन तो तैंने कहिए जो पीर पराई जाने रे' की भावना को मुखरित करते रहे । उनके भाषणों से जन कल्याण की उनकी तत्परता प्रकट होती है ।

ऐसे तपस्वी नेता का जीवन एवं व्यक्तित्व आज के युवा वर्ग के लिए अत्यन्त प्रेरणादायी है । साथ ही, इन भाषणों के अध्ययन से भारत की स्वतंत्रता उपरांत राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक चरित्र्य का भी परिचय मिलता है । वास्तव में यह संकलन पाठकों को उस समय के इतिहास से साक्षात्कार करवाएगी ।

मुझे केवल उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि यह प्रकाशन सदा एक ऐतिहासिक दस्तावेज का कार्य करेगी ।

(आर.पी. हुड्डा)

आभार

अन्तरिम संसद में महान स्वतंत्रता सेनानी माननीय चौधरी रणबीर सिंह के भाषणों के हिन्दी संकलन को सुधी पाठकों एवं शोधकर्त्ताओं के हाथों तक पहुँचाने का यह एक अच्छा प्रयास है।

हमारे आग्रह पर इस संस्करण के लिए 'आमुख' भेजने पर हम हरियाणा के मुख्यमन्त्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा एवं 'दो शब्द' लिखने के लिए कुलपति डा.आर.पी. हुड्डा का तहेदिल से आभारी हैं।

इस बहुपयोगी संकलन के तैयार करने में पीठ में मेरे सहयोगी राजेश कुमार 'कश्यप' व धर्मबीर हुड्डा की महत्ती भूमिका रही है। श्री स्नेह कुमार व श्री सुरेन्द्र सिंह की सहायता से हम सब अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। इनके प्रति पीठ धन्यवादी है।

अध्यक्ष
शोध–पीठ

प्रस्तावना हेतु

अन्तरिम ससंद में
ग्रामीण भारत की रणभेरी/गूंज

भारत का स्वतन्त्रता आन्दोलन विलक्षण प्रतिभाओं के उभार का समय रहा है, जब आन्दोलन की तपस ने यहां विशिष्ट जीवनमूल्यों की सृष्टि की थी। यह कालावधि इसके इतिहास का एक अलग अध्याय बनता है। इन विभूतियों में एक, हरियाणा से, चौधरी रणबीर सिंह रहे हैं। अपने जीवनकाल में वे निष्ठा व लगन के धनी और जनजीवन से जुड़े राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन की विरासत को निभाया। वे ग्रामीण भारत के सशक्त प्रवक्ता बन कर उभरे। यह वह समय था जब देश अपने नये अध्याय को खोल रहा था और चारों ओर आशा के वातावरण में भविष्य की रूपरेखा खींची जा रही थी। ऐसे उपयुक्त समय में चौधरी साहिब ने ग्रामीण भारत की जोरदार पैरवी की थी। वे दूसरों से हट कर खेती–किसानी में देश का भविष्य देख रहे थे।

संविधान सभा में ही नहीं, उसके बाद अस्तित्व में आई देश की अन्तरिम संसद तथा पहली व दूसरी लोकसभाओं में भी वंचितों व बेदखल लोगों – किसानों, मजदूरों, पिछड़े लोगों के हित में उनकी आवाज गूंजी। वे अन्तरिम संसद में वस्तुतः ग्रामीण भारत के पैरोकार बन कर उभरे, जो प्रस्तुत इस प्रकाशन की विषयवस्तु है।

महान स्वतन्त्रता सेनानी एवं प्रखर देशभक्त चौधरी रणबीर सिंह पहली फरवरी, 2009 को अपनी कर्मभूमि से कूच कर गए और इसके साथ ही यह अहसास गहरा गया कि अपने युग के इस अन्तिम सिपाही के साथ उस काल का एक अध्याय ही बंद हो गया – वह अध्याय जो एक विशिष्ट जीवनमूल्यों से उत्प्रेरित सिद्धान्तों की पालना का युग था। चौघरी रणबीर सिंह के निधन से उस युग की समाप्ति पर एक गहरी शून्यता की अनुभूति छा गई। वे उस टोली के अन्तिम झण्डाबरबार सिपाही थे जिन्हें देख–परख कर नयी पीढी को स्वतन्त्रता आन्दोलन की विशिष्टता का अलग ही अहसास होता था। यूं तो हरियाणा में भी दूसरी अनेक विभूतियां इस दौर में उभरी, किन्तु चौधरी रणबीर सिंह उस युग की उस धारा के अन्तिम प्रतिनिधि, अन्तिम प्रहरी थे जो उन जीवनमूल्यों एवं सिद्धान्तों को अन्तिम सांस तक प्राथमिक मान कर जिए।

चौधरी रणबीर सिंहं साधारण व्यक्ति थे; हरियाणा के साधारण ग्रामीण परिवेश सें आए, साधारण बन कर रहे। यह उनका बडप्पन था। किन्तु, असाधारण बन कर गए। यह उनकी करामात थी और, कहें तो, उपलब्धि भी। इसे याद किया जाता रहेगा। जनसाधारण से लेकर देश के उच्चपदस्थ नेता व राजनेता ने उनके कर्मयोगी होने की कहानी को याद किया। देश की स्वतन्त्रता के प्रति उनकी गजब निष्ठा थी। उनके निवास पर अथवा कार्यालय में 'अपनों' के अतिरिक्त धुरंधर विपक्ष के नेताओं का निरन्तर आना–जाना लगा रहता था। चौध ारी सहिब ने कभी किसी से बैर–भाव नहीं रखा। उनका नजरिया आत्मीय एवं व्यापक बना रहा। जिसकी जैसी सम्भव सहायता को तत्पर रहते। लेकिन कभी गलत बात की हिमायत भी नहीं करते और सच के लिए अड़ना भी जानते थे। स्वतन्त्रता सेनानियो के प्रति उनका लगाव विशिष्ट था।

II

देश अब स्वतन्त्र है। किन्तु, एक साझा दर्द बार–बार सालता हैः अपार सम्भावनाओं के इस देश को गुलामी की एक पीड़ादायक अवधि से गुजरना पड़ा। यह सब सहना न होता तो प्रबल सम्भावना बनती है कि यहां की कहानी एकदम अलग होती। इतिहास की इस विडम्बना के चलते भारत लम्बे समय तक दासता का शिकार रहा। एक चालाक व्यापारी ने इस देश की मौलिक शराफत का लाभ लेकर उसे ठग लिया था; उसकी साजिशों, उसकी करतूतों से यह कराहता रहा! अपनी डगर पर, अपनी कुव्वत से भारत आगे बढता इससे पहले ही उसे बौना बनाने की साजिशें हुईं। वह एक लुटेरी सभ्यता का शिकार हो गया! कह सकते हैं कि उसकी काया पर निपट पराये धब्बों ने उसे बदरंग ही कर डाला था।

लेकिन, यह भी इतिहास की सीख है कि आजादी यानी अपने जीवन तथा अपने घर को अपने हाथ चलाने संवारने का हक इंसान का अपना है; यह मनुष्य के मनुष्य रहने की शर्त है। यह उसकी फितरत का अभिन्न अंग है। बहुत दिन गुलामी उसे बर्दाश्त नहीं। ब्रिटिश शासनकाल की दासता ने भारत के सामान्य विकास को अवरुद्ध ही नहीं किया, उसकी तहजीब, यहां के जीवनमूल्य एवं जीवनशैली को पराये रंग से बदरंग कर डाला था। वह अपनी सम्भावित ऊंचाईयों को लम्बे समय तक छूने से रह गया। फिर एक लम्बी और कठिन आजादी की जंग चली। तब देश–प्रदेश ने फिर से अंगडाई लेना आरम्भ किया है। इस युद्ध ने देश को तपाया और अब वह कुंदन बनने को बेकरार है। यह ऐसा युद्ध था जिसने एक पूरी पीढी को अपने हाथों घड़ा। इनमें एक चौधरी रणबीर सिंह थे जो विलक्षण प्रतिभा पा गए और अदम्य साहस के योद्धा साबित हुए। इस संघर्ष में अन्याय के विरुद्ध और इंसाफ के लिए लडाई के योद्धाओं का एक सिलसिला है जिस पर

कोई कौम नाज से सिर ऊंचा कर सकती है। इनमें एक हरियाणा की माटी के दमकते सितारे चौधरी रणबीर सिंह थे।

मान्यता है कि इतिहास मनुष्य को घड़ता है। प्रक्रति के गतिक्रम अथवा समय का बहाव सामान्यतः मनुष्य के मनोभाव व आचरण को आकार देता है। इस गतिक्रम की एक व्यापक सीमा रेखा रहती है जिसे लांघ कर छलांग सम्भव नहीं। किन्तु, व्यक्ति इतिहास का दास नहीं है; सचेतन प्रयास हो तो इतिहास को रंगता है, अनेक बार इतिहास की रचना भी करता है। कुछ अचरज नहीं कि चौधरी रणबीर सिंह साधारण से असाधारण बने। निश्चित ही, अपने समय की ज्वलंत प्रवृतियों की वे देन बने, यह उनका तप था। उन्होंने अपने समय के इतिहास को भरसक रंगा, यह उनकी निष्ठा व लगन थी, इसमें दो मत नहीं हो सकते हैं। यह उनकी कर्मठता का परिणाम है। संक्षेप में कहें: उनके संघर्ष का इतिहास सीखने–सिखाने की क्षमता का धनी है। चौधरी रणबीर सिंह को अपने पिता चौधरी मातू राम के कुल–इतिहास को लेकर आगे बढने का अवसर मिला जब उन्होंने उन गुणों व जीवन मूल्यों को संजोकर अपने जमाने में नया औचित्य प्रदान किया तथा सार्थक बनाया। इन मूल्यों को सार्थकता देने वाला यह अध्याय उनके निधन के साथ बंद हो गया।

स्वतन्त्रता आन्दोलन का यह कर्मठ सिपाही सामान्य से हट कर था। आमजन के प्रति अटूट निष्ठा, कर्तव्य के प्रति गहरी लगन और निष्कपट स्वभाव ने उन्हें असाधारण बनाया। अपनी सात्विक जीवनशैली, दूसरों के दर्द में सदा साझीदार रहने वाले इस व्यक्तित्व को एक सहज, सरल आचरण से सराबोर, सादगी व बेबाक अभिव्यक्ति तथा वैचारिक स्पष्टता ने महामानव के दर्जे पर ला बैठाया था। जिंदगी भर सिद्धान्त व मूल्यों के प्रति सदा संवेदनशील रहे। वृति से वे संत थे। बुरा सोचना, बुरा करना उनके बस में नहीं था। ग्रामीण भारत का दर्द उन्हें आन्दोलित करता रहता था। संविधान सभा से लेकर अन्तरिम संसद, संसद यानी लोकसभा व राज्य सभा में इस दर्द के मुखर वक्ता

बने। पंजाब व हरियाणा विधान सभा में बतौर मन्त्री अथाव सदस्य सदा ग्रामीण भारत के वे सजग प्रहरी थे। जब अवसर मिला, सरकार में रह कर उसके लिए निडर काम किया। हरियाणा की धरती को उन्होंने अपनी काया से, अपनी सोच से, जितना बन पाया, गरिमामय किया है और कांग्रेस की राजनीति में अपने तपस्वी चरित्र से कर्मठ स्वभाव की मिसाल बन गए। सिद्धान्तों को त्याग कर पद पाने से सदा परहेज किया और उन जीवनमूल्यों के प्रति सदा मिसाल बने रहे जिनसे तप वे एक दिन आन्दोलन में निखरे थे।

चौधरी रणबीर सिंह हम और आप जैसे सामान्य घर–परिवार के लाडले थे। उन्हें अपने इस परिवेश, अपनी इस विरासत पर गर्व था। वे ''सोने की चम्मच मुंह में लेकर जन्मे'' किसी बिगड़ैल परिवार की औलाद नहीं थे जिन्हें धन और शौहरत रास्ते में पड़ी मिल जाती हैं। वे सच में धरती पुत्र थे और जीवनभर लगन से अपनी धरती से जुड़े रहे। उनका जैसा जीवन चरित्र बना, स्वयं की लगन और तपस्या का अद्‌भुत परिणाम था। वे सादगी की प्रतिमूर्ति थे और राजनीति हो अथवा कृषिकर्म पूरी ईमानदारी से इन्हें निभाया और सिर ऊंचा करके जिए! राजनीति में छलकपट, धोखेबाजी अथवा धड़ेबंदी से मुक्त रह कर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। बेहिचक कहा जा सकता है कि आज की चालू परिभाषा से अलग वे राजनेता ही नहीं, राजनीतिज्ञ (Statesman) के दर्जे पर जा पहुंचे थे। किन्तु, राजनीति उनके मानवीय मूल्यों पर हावी नहीं हो सकी। वे एक अच्छे इंसान बने रहे और अपनी शराफत के कायल बना कर गए।

चौधरी रणबीर सिंह जिस घर में जन्मे वह अपने समय का उल्लेखनीय सामाजिक व राजनीतिक कुल था। एक सामान्य किसान परिवार। लेकिन, यह असाधारण परिवार था जो अपने आर्य समाजी संस्कारों को संजो कर चलता रहा! उनके पिता ख्याती प्राप्त आर्य समाजी नेता थे। उनकी माता, श्रीमती मामकौर अत्यन्त सुशील एवं कर्तव्यपरायण महिला थीं। घर–परिवार का वातावरण धार्मिक, सामाजिक

व समय की राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र था। चौधरी साहिब की यात्रा सामान्य किसान परिवार के सामाजिक व राजनीतिक होने की है। अपने परिवेश के प्रति संवेदनशीलता ने उनके पिताश्री चौधरी मातू राम को एक बुलंदी छूने को अग्रसर किया। ऐसे पिता के घर आजादी की जंग के इस रणबांकुरे का जन्म रोहतक जिला के प्रमुख गांव सांघी में 26 नवम्बर, 1914 को हुआ। घर–परिवार का माहौल आर्य समाज की मान्यताओं और स्वदेशी आकांक्षाओं से सराबोर संघर्ष का था। पिता से प्राप्त ऐसी उच्च सामाजिक मूल्यों पर टिकी धरोहर को भरपूर समृद्ध करते हुए अपना संघर्ष जारी रखा। उनकी ऐसी समृद्ध जीवन गाथा निश्चित ही आने वाली पीढियों के लिए राह रोशन करती रहेगी।

चौधरी साहब चार भाई–बहनों में तीसरी संतान थे। इनके पिता चौधरी मातू राम जी की सामाजिक एवं शैक्षणिक सेवाएं बड़ी उल्लेखनीय रहीं। उन्होंने शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में जो अमूल्य योगदान दिया, उसे अब तक याद किया जाता है। उन्होंने अपने समाज में व्याप्त कमजोरियों को दूर करने के लिए अथक परिश्रम किया। 7 मार्च 1911 को तत्कालीन रोहतक के बरोणा में हुई ऐतिहासिक महापंचायत को आयोजित करने में भरापूरा हाथ बंटाया और इसके 28 निर्णयों को लागू करने में जान लगा दी। इसी क्रम में रोहतक के एंग्लो संस्कृत जाट स्कूल की स्थापना में वे अग्रणी रहे। निःसन्देह वे इस क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीयता के एक अग्रदूत थे। उनके ला. लाजपतराय, अपने समय के ख्याती प्राप्त इंकलाबी सरदार अजीत सिंह (अमर शहीद सरदार भगतसिंह के चाचा), बाबू मुरलीधर, स्वामी श्रद्धानन्द, आदि पुरानी पीढी के अनेक राष्ट्रीय नेताओं से घनिष्ठ सम्बन्ध थे। संभवतः चौधरी मातूराम उत्तरी भारत के ऐसे पहले राजनेता थे जो अपने भाई ड़ा. रामजी लाल के साथ मिल कर कांग्रेस संगठन और उसके संदेश को गाँव–देहात में लेकर गए। वे प्रारम्भिक दौर में रोहतक जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान रहे। कांग्रेस

के कर्मठ सिपाही के रूप में उनकी राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण गतिविधियों ने ब्रिटिश सरकार के कान खड़े कर दिये। परिणामस्वरूप, सरकार ने बतौर सज़ा 1907 में उनसे जैलदारी का पद छीन लिया। केवल इतना ही नहीं, पंजाब सरकार के इरादे तो उन्हें देश–निर्वासित करने तक के भी थे, लेकिन वे पूरे नहीं हो पाए। इन सब बातों की परवाह किए बिना वे आगे बढते ही चले गए।

चौधरी मातू राम महात्मा गांधी के परम भक्त थे। रोलेट एक्ट विरोधी मुहीम तथा असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में उन्होंने असाधारण योगदान दिया। 16 फरवरी 1921 को गाँधी जी की रोहतक में आयोजित ऐतिहासिक सभा की अध्यक्षता चौ. मातू राम ने ही की थी जिसमें अखबारी समाचार के अनुसार 25 हजार से भी अधिक लोगों ने भागीदारी की थी। सभा को संबोधित करते हुए महात्मा गाँधी ने चौधरी मातू राम के व्यक्तित्व एवं कार्यों की तथा बनने वाली पहली 'राष्ट्रीय' संस्था 'जाट राष्ट्रीय स्कूल' की भूरी–भूरी प्रशंसा की।

चौधरी मातू राम की प्रतिष्ठा और कार्यों को देखते हुए कांग्रेस (स्वराज पार्टी) ने उन्हें 1923 में रोहतक से पंजाब विधान परिषद के चुनावों में खड़ा किया। चुनाव में तो उनके प्रतिद्वंद्वी समय की सरकार से मदद और गलत तरीके अपना कर जीत गए, किन्तु हाई कोर्ट ने चौधरी साहब की अर्जी पर गलत तरीके अपनाने के आरोप में फैसला चौधरी मातू राम के हक में दिया।

ऐसे माहौल में बालक रणबीर सिंह को 'राष्ट्रप्रेम', 'राष्ट्रभक्ति', विरासत में मिली। बाल्यकाल से परिवार में वातावरण नयी चेतना और संघर्ष का था। उन्हें अपने पिताश्री के अनेक मित्र व सहयोगी, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानन्द, भगत फूल सिंह जैसे अनेक महान देशभक्तों का आशीर्वाद नसीब हुआ। देशभक्ति, समाजसेवा, त्याग एवं बलिदान वाले पारिवारिक वातावरण ने इन को बचपन से ही जनसेवा के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा अपने

गाँव सांघी के सरकारी स्कूल में हुई। भक्त फूल सिंह जी के आग्रह पर वर्ष 1924 में बालक रणबीर सिंह को भैंसवाल गुरूकुल में दाखिल करवा दिया गया।

बाद में आर्यसमाज के अन्य मित्रों की सलाह पर छात्र रणबीर सिंह को उच्च शिक्षा हेतु रोहतक के वैश्य हाई स्कूल में दाखिल कर दिया गया। उन दिनों यह स्कूल पूरी तरह से राष्ट्रीय रंग में रंगा हुआ था। आगे चलकर उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज, रोहतक से वर्ष 1935 में एफ.एस.सी. की परीक्षा पास की और उसके दो साल बाद वर्ष 1937 में दिल्ली के रामजस कॉलेज से बी.ए. डिग्री हासिल की। ऐसे में उनकी परवरिश हुई और यह वातावरण था जिसने उनके मन–मस्तिष्क को ढालने का काम किया। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत पारिवारिक एवं स्कूली वातावरण ने बालक रणबीर सिंह के अन्दर देश के लिए मर–मिटने के जज्बे को संवारने की भूमिका निभाई।

चौधरी रणबीर सिंह के सामने स्नातक शिक्षा समाप्त होते ही एक निर्णायक प्रश्न खड़ा था। अब वे क्या करें? सरकारी नौकरी, खेतीबाड़ी, व्यापार या वकालत? उस समय के हालात ऐसे थे जिनमें उनके लिए शान और शौहरत हासिल करने वाले अनेक अवसर खुले थे। वे किस क्षेत्र में जाएं, यह वैचारिक अन्तर्द्वन्द्व सामने था। राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव अन्य सब पर भारी पड़ा और निर्णय हुआ कि आगे वे केवल देश की आजादी के लिए संघर्ष में शामिल हो कर अपना सामाजिक दायित्व निभायेंगे; उनके लिए पहले आजादी और फिर अन्य कोई बात महत्वपूर्ण रहेगी। स्पष्ट था कि उनके इस निर्णय पर पिताश्री चौधरी मातूराम को बेहद सन्तोष का अनुभव हुआ। इसके पश्चात् उन्होंने दिन–रात एक करके देश को आजाद करवाने की धुन में अपना सुख, ऐश्वर्य, आनंद, अभिलाषाएं आदि सर्वस्व न्यौछावर कर दिया तथा 1940 के दशक से राष्ट्रीय कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज करा दी थी।

वर्ष 1941 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह का कार्यक्रम आया तो चौधरी रणबीर सिंह के लिए सक्रियता से इस आन्दोलन में कूदने का अवसर आ गया था। वृद्ध एवं अस्वस्थ पिता ने बड़े गर्व के साथ बेटे को सजग रह कर काम करने की सलाह भी दी।

स्वतंत्रता आन्दोलन में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चौधरी रणबीर सिंह पहली बार 5 अप्रैल 1941 को जेल गए जहां उन्हें अंग्रेजी सरकार के दमनमूलक व्यवहार से साक्षात्कार हुआ। यह अपनी किस्म का उनका पहला अनुभव था जिसने उनके अन्दर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ने के संकल्प को और भी तीव्र करने का काम किया। वे कई गुना ताकत से आन्दोलन में जुट गए। पंजाब सरकार के आदेश से मई 1941 में अन्य कैदियों के साथ चौधरी साहिब को भी जेल से छोड़ दिया गया। परन्तु, कांग्रेस दल के आदेश आ पहुंचे कि 'जो जेल से रिहा कर दिए गए हैं, वे दोबारा सत्याग्रह करें'। उन्होने तुरन्त आदेशों का पालन किया और वे फिर से जेल पहुंच गए।

इस बार उनके लिए जेल का अनुभव पहले से कहीं अधिक कठोर था। उन्होंने ठीक एक सत्याग्रही की तरह जेल की यातनाओं को खुशी–खुशी सहन किया। इस बार वे 24 सितम्बर 1941 को जेल से रिहा हुए। इसी बीचं उनके पिताश्री चौधरी मातू राम का साया सिर से उठ गया। 14 जुलाई 1942 के दिन चौधरी मातू राम जी का निधन हो गया। इसपर उनकी वेदना का अनुमान इस टिप्पणी से बखूबी होता है। उन्होंने कहाः

''मेरी हालत ऐसी हो गई, मानो मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। बहुत गहरा घाव लगा था।''

अत्यन्त पीड़ा की इस घड़ी में चौधरी रणबीर सिंह ने सत्याग्रही के अपने धर्म का पहले जैसी तत्परता के साथ निर्वाह किया। उस समय देशभर में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा गूंज रहा था। अपने

निजी व पारिवारिक दुःख की घड़ी में भी अपने पिताश्री से मिली सीख के अनुसार, आन्दोलन के मैदान में डट का खड़े हो गए!

भारत छोड़ो आन्दोलन में शिरकत

भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में आरम्भ हुआ। दूसरा महायुद्ध जारी था। उस समय चौधरी रणबीर सिंह ने ब्रिटिश शासन के 'युद्ध प्रयासों की जमकर भर्त्सना की'। परिणामस्वरूप, सितम्बर 1942 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन स्थानीय जेलों में रखा और फिर उन्हें मुल्तान जेल (अब पाकिस्तान) में भेज दिया गया। जेल के कठिन वातावरण में उनको आंखों का भंयकर रोग लग गया। कुछ अन्य व्याधियों ने आ घेरा। परिणामस्वरूप, वे निरन्तर दुर्बल होते चले गए। उनका वजन गिरने लगा। उनकी बिगड़ती स्थिति को भांपते हुए सरकार ने अप्रैल, 1943 में चौधरी रणबीर सिंह को लाहौर जेल में स्थानांतरित कर दिया। यहां वातावरण कुछ ठीक था। साथ ही यहां इलाज व्यवस्था भी बेहतर थी। उनकी सेहत में सुधार आया और वे धीरे– धीरे मौत के मुंह से बाहर निकल आए। 24 जुलाई, 1944 को पंजाब सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया।

आन्दोलन में चौधरी रणबीर सिंह की जेल यात्राएं एक तरह से उनकी नियति सी बन गई। भारत छोड़ो आन्दोलन में जेल से रिहा होने के बाद जैसे ही वे अपने गाँव पहुंचे तो रोहतक पुलिस नजरबंदी तोड़ने वाले पुराने केस के सिलसिले में गिरफ्तार करने आ धमकी। सरकार उन्हें एक खतरनाक कार्यकर्त्ता मानती थी। पुलिस को चकमा देने में भी कामयाब हो गए थे। लेकिन, इसी बीच दल का आदेश आ गया कि जो लोग अहिंसा में विश्वास रखते हैं और फरार हैं वे 9 अगस्त, 1944 को अपने आप को पेश कर दें। चौधरी साहिब ने बिना किसी हिचक एक बार फिर गिरफ्तारी दे दी। इस बार वे 14 फरवरी 1945 तक जेल में रहे। जब वे जेल से रिहा हुए तो सरकार ने उन्हें तत्काल नजरबंदी की बेड़ियों में जकड़ने का हुक्म सुना दिया। इस नये

हुक्म के तहत उन्हें गाँव छोड़ कर बाहर जाने की पूर्णतः मनाही थी। युवा सत्याग्रही चौधरी रणबीर सिंह पर नजरबंदी जैसी पाबंदी का भला क्या प्रभाव पड़ता। वे अपने काम में लगे रहे।

उन दिनों पंजाब विधान सभा के लिए झज्जर का उप–चुनाव हो रहा था। पाबंदी की कोई परवाह किए बिना वे कांग्रेस के प्रत्याशी की मदद में झज्जर पहुंच गए। प्रशासन को तुरंत इसकी खबर लग गई और पुलिस उन के पीछे दौड़ पड़ी। उन्होने तबतक पुलिस को खूब छकाया जब तक उनका काम पूरा नहीं हो गया। चुनाव के बाद उन्होने स्वयं को पुलिस के समक्ष पेश कर दिया। पुलिस ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एक वर्ष सख्त कैद की सजा भुगतने के बाद वे 18 दिसम्बर 1945 को जेल से रिहा हुए।

कांग्रेस के इस वीर युवा सत्याग्रही ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुल साढ़े तीन वर्ष की कठोर कैद और दो वर्ष की नजरबंदी को भुगता। उन्होने रोहतक, हिसार, अम्बाला, मुल्तान, फिरोजपुर, सियालकोट, लाहोर (बोर्स्टल और केन्द्रीय) जेलों में बेहद कठिन यातनाएं हंसकर और पूरी शान व स्वाभिमान के साथ सहन कीं।

स्वतंत्र भारत में उनका सफरनामा

15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन की पराधीनता से मुक्त हो गया। देश ने आजादी की सांस ली। जश्न मना। चौधरी रणबीर सिंह भी खुश थे। उनके अपने शब्दों में,

'मन की मुराद पूरी तो हुई, लेकिन कुछ कसर रह गई। देश के टुकड़े हो गए। पंजाब भी बंट गया। बंटवारे के फौरन बाद जो हुआ उससे मन और भी खिन्न हुआ। कई बार जान जोखिम में डाल कर

स्थिति को संभालने की कोशिश की, पर नतीजा तसल्लीबख्स नहीं रहा।'

देश के बंटवारे के बाद दंगे भड़क उठे थे। चौधरी रणबीर सिंह ने एक बार फिर दिन–रात शांति और सद्भावना का वातावरण बनाने में अपनी भूमिका अदा की। रोहतक और आस–पास के क्षेत्रों में उन्होने असंख्य निर्दोष लोगों की जान व माल की रक्षा की। रोहतक में स्थिति कुछ संभली तो वे मेवात (गुड़गांव) में पहुंच गए। वहां भी आग फैली हुई थी। गांधी जी सद्भावना मिशन पर रोहतक एवं मेवात पहुंचे। इसके बाद बेघर लोगों को बसाने की विकट समस्या देश के सामने थी। नित नयी समस्याओं से निपटने में भी चौधरी साहिब ने भरपूर प्रयास किए। विस्थापित लोगों की समस्याओं के निराकरण में उन्होंने स्वयं को लगा दिया। वे बीमार भी पड़ गए, लेकिन कोई परवाह नहीं की।

राष्ट्र के प्रति अटूट एवं अनुपम सेवाओं तथा कुर्बानियों के मद्देनजर, 10 जुलाई 1947 को चौधरी साहब उस समय के पंजाब (हरियाणा सहित) से भारत की संविधान सभा के लिए चुन लिए गए। 14 जुलाई को सभासद के तौर पद शपथ ली और जुट गए नयी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने के काम में। संविधान निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

चौधरी साहब सन् 1950 से 1952 तक भारत की अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे। वर्ष 1952 में स्वतन्त्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ। गाँव–देहात, गरीब, मजदूर, किसानों के हितों की पैरवी करते–करते चौधरी रणबीर सिंह कांग्रेस पार्टी के सदस्यों में अपना एक अहम स्थान स्थापित कर चुके थे। देहात में भी उनके कद का कोई अन्य नेता उस समय नजर नहीं आता था। परिणामस्वरूप, रोहतक लोकसभा सीट के लिए उन्हें कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया गया। अपने अटूट संघर्ष, आम जनमानस के प्रति सच्चे लगाव और राष्ट्र उत्थान में उनकी

उल्लेखनीय आस्था आदि के चलते वे भारी मतों से जीत गए। लोक सभा में पहुंचने के बाद भी उन्होने बदस्तूर देहात की समस्याओं और दबे–कुचले व वंचितों की आवाज को सदन में गुंजाये रखा। प्रथम लोक सभा की पारी में चौधरी रणबीर सिंह के खाते में रोहतक–गोहाना रेल मार्ग, खरखौदा हाई स्कूल, बसन्तपुर, बहुजमालपुर प्राथमिक स्कूल, गाँधी स्मारक स्कूल, गौरड़ आदि अनेक विशेष सामाजिक उपलब्धियां दर्ज हुईं।

वर्ष 1957 में दूसरे आम चुनाव हुए। ग्रामीणों के हितैषी प्रतिष्ठित हो चुके चौधरी रणबीर सिंह को कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर उसी लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। वे लगातार दूसरी बार लोकसभा में विजयी होकर पहुंचे। उनके प्रयत्नों से रोहतक मैडिकल कालेज (अब विश्वविद्यालय) जैसी अनुपम सौगातें समाज को मिलीं और आम लोगों की जमकर पैरवी की।

सन् 1962 में पंजाब विधान सभा के चुनाव हुए। आपने कलानौर हलके से पंजाब विधान सभा के लिए चुनाव लड़ा और अच्छे मतों से जीते। पंजाब मंत्रिमंडल में बिजली तथा सिंचाई महकमों के काबीना–स्तर के मंत्री बने। इन दिनों की उन की सब से बड़ी उपलब्धि है भाखड़ा बांध के निर्माण कार्य को पूरा कराना था। मृत्यु से एक दिन पूर्व (8 जनवरी 1945) को चौ. छोटू राम ने राजा बिलासपुर से पंजाब सरकार के लिए, अपने आखरी हस्ताक्षर से, वह भू–भाग लिया था, जिसपर यहां के दूसरे महान सपूत, चौ. रणबीर सिंह ने भाखड़ा बांध का निर्माण कराया, जिसे 22 अक्टूबर 1963 के दिन राष्ट्र को अर्पित किया गया।

आपके कार्यकाल में ही पोंग बांध और ब्यास–सतलुज लिंक का निर्माण कार्य भी शुरू हुआ, जिस से हरियाणा को भाखड़ा से ब्यास का पानी मिलने में सहायता मिली। इसी दौरान, पंजाब और यू.पी. के बीच हुआ यमुना के पानी के बंटवारे के समझौते में भी आपने बड़ी दूरदर्शिता से हरियाणा के हितों की रक्षा की। किशाऊ और रेणुका योजनाओं की

रूप–रेखा, जिनकी मंजूरी भारत सरकार ने हाल ही में दी है, और गुड़गाँव नहर योजना आप के समय में मंजूर हुए।

'हरियाणा के गठन में विशेष योग

संविधान सभा में 18 नवम्बर, 1948 को चौधरी रणबीर सिंह ने हरियाणा को अलग राज्य गठित करने का प्रश्न उठाया और कहाः

'सच यह है कि अगर हरियाणा प्रान्त बनता, जैसे अंग्रेजों के समय में भी जिस समय गोलमेज (राउन्ड टेबुल) कान्फ्रेंस का समय था, उस समय कारवेट स्कीम के मुताबिक एक नया प्रान्त बनाने की योजना थी। उस समय भी इस प्रान्त का कोई बड़ा नेता न था। इसलिये उस स्कीम को टारपीडो कर दिया गया।'

एक समय पर अलग हरियाणा के गठन का सवाल खड़ा हो गया। चौधरी साहब ने इस अवसर को गम्भीरता से लिया। जब हरियाणा की मांग जोर पकड़ने लगी तो आप ने इसके औचित्य से केन्द्र तथा स्थानीय नेतृत्व को पूरी तरह अवगत किया। पंजाब मन्त्रीमण्डल का सदस्य रहते हुए अलग गठन के समय आपने हरियाणा के हितों की भरपूर वकालत की। अबोहर–फाजिल्का के हिन्दी भाषी क्षेत्र को पंजाब को देने का आप ने मन्त्री रहते हुए विरोध किया। शाह हदबंदी आयोग के समक्ष इस सवाल पर डट कर वकालत की।

चौधरी रणबीर सिंह जैसे महान लोगों के अमूल्य योगदान से 1 नवम्बर, 1966 को हरियाणा प्रदेश अस्तित्व में आया। अलग राज्य बनने के बाद, पंजाब विधान सभा में जितने भी हरियाणा क्षेत्र के विधायक थे उनसे हरियाणा विधान सभा बना दी गई थी। उन्हीं विधायकों में से हरियाणा का पहला मंत्रीमंडल बना। चौधरी साहब फिर काबीना मंत्री बने। 1967 में चुनाव हुए तो उन्हें किलोई क्षेत्र से

नामित कर दिया गया। थोड़े दिन बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। 1968 में फिर चुनाव हुए। उन्होंने एकबार फिर भारी मतों से विजय हासिल की।

केन्द्रीय नेतृत्व के कहने पर आप 4 अप्रैल 1972 को राज्य सभा में पहुंच गए। वहां, पूर्ववत, गरीब, गाँव और हरियाणा राज्य की खूब जोरदार वकालत की। इन दिनों आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्य रहे और कांग्रेस संसदीय दल (राज्य सभा) के उप–नेता भी चुन लिए गए।

हरियाणा में उन दिनों कांग्रेस संगठन में कमजोरी आ गई थी। उसे चुस्त–दुरूस्त बनाने हेतु आपको प्रदेश कांग्रेस का 1977 से 1980 तक अध्यक्ष बनाया गया। 1978 में जब राज्य सभा की सदस्यता की अवधि समाप्त हुई, तो आपने एक दिन अचानक सक्रिय राजनीति से सन्यास लेने की बात कह डाली। अलग राज्य बन जाने के बाद हरियाणा की स्थिति में जिस तरह का वातावरण खड़ा हुआ उसमें एक ओर समग्र विकास के लिए लोगों में आकांक्षा ने जन्म लिया, दूसरी ओर राजनीतिक क्षेत्र में संकीर्णता, स्वार्थ–भावना और 'आयाराम–गयाराम', 'जात–पात' एवं 'धड़ेबंदी' का भयंकर जाल फैलता चला गया। वे सच्चे राजनीतिज्ञ थे। इससे उनका चालू राजनीति से मन ऊब गया और वे सामाजिक गतिविधियों में अधिक रुचि लेने लगे। उनका कहना थाः

'राजनीति के अतिरिक्त और भी तो बहुत–से क्षेत्र हैं जहां मेरी जरूरत है। राजनीति में बहुत रह लिए, अब यहाँ भी कुछ करना चाहिए।'

चौधरी साहिब पहले से ही हरिजन सेवक संघ, पिछड़ा वर्ग संघ, भारत कृषक समाज, आदि संगठनों से जुड़े हुए थे। सक्रिय राजनीति की वजह से इन्हें पूरा समय नहीं दे पाते थे। कांग्रेस संगठन की

जिम्मेदारी के बाद, अब आपने इन संस्थाओं को खूब समय दिया। इसके इलावा, स्वतंत्रता सेनानियों की स्थिति की तरफ भी ध्यान दिया। आप के अपने शब्दों में,

'वे (स्वतंत्रता सेनानी) अब बूढ़े हो चले थे। उनकी उपेक्षा भी हो रही थी'।

श्री शीलभद्र याजी और प्रो. एन.जी. रंगा के साथ मिलकर उन्होंने स्वतन्त्रता सेनानियों को समय देना आरम्भ किया और उनकी समस्याओं के निराकरण पर ध्यान लगाया। श्रीमती इन्दिरा गांधी से उनके लिए, 1972 में, पेंशन मंजूर कराई। 1980 में इसको स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन का नया रूप दिया।

III

ग्रामीण भारत की आवाज

संविधान सभा में

आजादी की पूर्व संध्या पर देश के भावी चित्र को तैयार करने, आगामी चुनौतियों से जूझने का संकल्प तथा विकास की दिशा तय करने के लिए संविधान सभा बैठी। इसमें अपने–अपने क्षेत्र के एक से बढ़ कर एक दिग्गज जुटे। बहस हुई। गरमागरमी भी हुई। परिस्थिति में यह स्वाभाविक था। स्वतन्त्रता आन्दोलन का यह योद्धा संविधान सभा में पहुंचा तो उम्र मात्र 33 वर्ष थी। पंजाब विधान सभा ने उन्हें 10 जुलाई 1947 को चुना। 14 जुलाई को उन्होंने संविधान सभा में बतौर सदस्य शपथ ली। चौधरी रणबीर सिंह देश की भावी तस्वीर घड़ने वाली देश की इस सर्वोच्च सभा में 6 नवम्बर 1948 को पहली बार बोलने के लिए खड़े हुए तो अपने दिल की कसक को बयान करने से नहीं चूके।

चौधरी रणबीर सिंह जब संविधान सभा के लिए चुने गए तब उनकी उम्र मात्र 33 वर्ष ही थी। किन्तु, वे स्वतन्त्रता आन्दोलन की तपस से हो कर गुजरे थे। उनकी वैचारिक परिपक्वता परवान चढने लगी थी। उनका मन वंचितों के साथ खड़ा था। उन्होंने इसमें राष्ट्रभाषा हिन्दी विवाद, देहात की समस्याएं, आरक्षण का मुद्दा और किसानों पर लगे भारी टैक्स आदि को शामिल करते हुए अपने अनूठे ढ़ंग से सुझाव रखे। दृष्टि उनकी राष्ट्र की थी, दिल देहात के साथ जुड़ा था। देश की संविधान सभा में वे उस समय के संयुक्त पंजाब प्रान्त से चुने गए थे; उसके प्रतिनिधि थे। तब भी उन्हें हरयाणवी होने का गर्व था और चाहते थे कि हरियाणा का अस्तित्व कायम हो और दिल्ली उसके साथ जुड़े। संविधान सभा में उन्हें अपने व्यक्तित्व को साधने, संवारने का जब अवसर मिला तो खुलखेले। संविधान सभासद के तौर पर यह पहला भाषण उनकी इन संवेदनाओं का, उनकी चिंताओं का प्रतीक बना। 6 नवम्बर, 1948 के दिन चौधरी साहिब जब संविधान सभा में पहली बार बोलने के लिए खड़े हुए, उस समय पूरी सभा दो तरह के मतों में विभाजित हो चुकी थी। विधिमंत्री ने प्रस्तावित संविधान का मसविदा 4 नवम्बर को विचार के लिए पेश किया। उनका दृष्टिकोण देश में एक केन्द्रिकृत शासन–व्यवस्था का था जिसमें गांव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। उलट, इसे त्याज्य माना गया। इसका सदन में तीव्र विरोध उठ खड़ा हुआ। स्थिति यह बन गई थी कि वक्ता को दोनों ओर से उठे सवालों पर अपनी बात कहना आवश्यक हो गया। सदन में मसविदे पर विधिमन्त्री द्वारा पेश नजरिये के उलट, स्वतन्त्रता आन्दोलन की चेतना एक अकेन्द्रिकृत शासन व्यवस्था की थी। गांधी जी ने इसे 7 लाख ''गांव गणराज्यों के महासंघ'' का नाम दिया था। मसविदे पर चर्चा में मामला पश्चिम की औद्योगिक प्रणाली व देशज ग्रामीण प्रणाली के बीच उठ गया था और भारी तकरार हुई। ऐसे में, चौधरी रणबीर सिंह ने अपना नजरिया बयान किया कि वे कहां खड़े हैं। उन्होंने साहस के साथ अपना पक्ष चुना और ग्रामीण भारत के साथ अपनी आत्मा को जोड़ कर बात रखी। तर्क

सीधा और सपाट था। इसमें पूर्वाग्रह से हट कर भावी व्यवस्था पर अपने पक्ष का तर्क था –स्वाभाविक और सच्चा।

देश–प्रदेश की भावी तस्वीर को वे जिस रंग में देखना चाहते थे उसका अहसास उक्त भाषण के इन शब्दों में गुंथ सा गया थाः

'' मैं एक देहाती हूं, किसान के घर में पला हूं और परवरिश पाया हूं। कुदरती तौर पर उसका संस्कार मेरे ऊपर है और उसका मोह एवं उसकी सारी समस्यायें आज मेरे दिमाग में हैं''।

उन्होने देश–प्रदेश तथा देहात की विभिन्न समस्याओं, किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों आदि हर तबके की वास्तविक स्थिति से न केवल परिचित करवाया, अपितु उनके समाधान हेतु सुझाव भी संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावित किए। अपने क्षेत्र व अपने लोगों की पैरवी की, हर संबोधन में देहात का मर्म और गरीब व मजदूर लोगों का दर्द बखूबी उस पटल पर रक्षा। एक तरह से वे आम जनमानस की आवाज बन गए थे। संविधान सभा में अपने पहले ही भाषण में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त कहा गयाः

''मेरा यह नम्र निवेदन है कि उस रिजोल्यूशन को पूरे तरीके से माना जाय, बल्कि उसका विस्तार इस तरह कर दिया जायः

"In discharge the primary duty of the State to provide adequate food, water and clothing to the nationals and improve their standard of living the State shall endeavour:-

(a) as soon as possible to undertake the execution of irrigation and hydro-electric projects by harnessing rivers and construction of dams and adopt means of increasing production of food and fodder.

(b) to preserve, project and improve the useful breeds of cattle and ban the slaughter of useful cattle, specially milch and draught cattle and the young stocks."

जब भी अवसर रहता चौधरी रणबीर सिंह अपने देश, अपने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की व्यथा बयान करते और न्याय की गुहार लगाने से नहीं चूकते। वे कहतेः

''मैं सोचता हूं कि देश के निर्माण में गांवों को उनका वाजिब हिस्सा मिलना चाहिए और हर एक चीज के अन्दर देहात का प्रभुत्व होना चाहिए''।

संविधान सभा में एक समय बोलते हुए उन्होंने कहाः

''...दरअसल यदि संरक्षण मिलना है और मिलना ही चाहिए, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो कि पिछड़े हुए हैं...जो श्रम करने वाली जातियां हैं, किसान और मजदूर, उनके लिए हम संरक्षण रखें। ....अगर हरेक इंसान श्रम करके खाएगा, तो यह देश के लिए सबसे अच्छी बात होगी।'' इस तरह उन्होंने मेहनत से अर्जित जीविका के पक्ष में अपना बेबाक मत दिया।

एक दूसरे अवसर पर बोलते हुए कहते हैं, जिससे उनकी सोच का अनुमान लगता हैः

'हमें अपने ध्येय को हासिल करने में मीन्स (साधन) का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। साधन का असर ध्येय पर अवश्य पड़ता है।'' गांधी जी जब 'end justifies means' यानी 'लक्ष्य प्राप्ति साधन की प्रकृति को वैधता देती है' जैसे घोर अनैतिक आचरण व राजनीति में अवसरवादिता के दर्शन की जड़ पर चोट कर रहे थे और

कहते थे कि गलत साधन कभी सही लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं, चौधरी रणबीर सिंह ने भी इस प्रश्न पर शुद्ध राजनीति के पक्ष में अपना मत दिया। उन्होंने आगे कहाः

संविधान सभा में उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया जिसका विषय खेती–किसानी से जुड़ा था। कहते हैंः

'सभापति महोदय, जिस हालत में अब अनुच्छेद 34 खड़ा है और डाक्टर अम्बेडकर साहब ने नागप्पा जी का जो सुझाव माना है उससे भी एक वर्ग और बाकी रह जाता है जिसके आर्थिक हित सुरक्षित नहीं होते, और वह वर्ग भूपतियों (लैंडलार्ड्स) का नहीं है, क्योंकि उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बल्कि वह पंजाब के किसान (पीज़ेंट प्रोपराइटर्स) का वर्ग है जो न तो किसी का शोषण करता है और न किसी से लुटना चाहता है। किसान के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक हम उसके उत्पाद (प्रोड्यूस) की कोई इकानमिक प्राइस मुकर्रर नहीं करेंगे तब तक उसके साथ बड़ा भारी अन्याय होता रहेगा। आज स्टेट की ड्यूटी लॉ एण्ड आर्डर को कायम रखना ही नहीं है, बल्कि आर्थिक उलझनों को सुलझाना भी है और यह खेती करने वालों के लिये आज एक बड़ी भारी समस्या है।'

उन्होंने शक्ति के विकेन्द्रीकरण की बात कही और गाँव और शहर के फर्क को बताते हुए, ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण का पक्ष रखा। बात संविधान सभा तक नहीं रही। अन्तरिम संसद में भी ग्रामीण भारत के जुझारू प्रवक्ता बन कर सामने आते हैं। पहली फरवरी 1950 को इस सदन की पहली बैठक में ही उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बुनियादी सवाल उठायाः

'एक बात मैं जरूर महसूस करता हूँ। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण मे कृषि मजदूर और अन्य श्रमिकों का जिक्र तो किया। लेकिन, देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, किसान। उसके पास

अपनी जमीन है। वह जमीन का मालिक है, जो न किसी को लूटता है और न किसी से लुटना चाहता है। उसका यहां कोई जिक्र नही किया है।' यहां जो मूल सवाल उठा वह हैः

'देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है किसान.....जो जमीन का मालिक है वह न किसी को लूटता है और न किसी से लुटना चाहता है'

फिर वे याद दिलाते है कि मैंने अपने संशोधन में भी ध्यान दिलाया है और जिसको कहना मैं जरूरी समझता हूँ। पिछले दिनों भाखड़ा बांध के बारे में पंजाब सरकार के अधिकारी और मंत्री यहां पर आये थे और उन्होंने अपना यह विचार प्रकट किया था कि अगर उनको 14 करोड़ रूपया नहीं दिया गया तो बांध–निर्माण का कार्य ठीक तरह से तरक्की नहीं कर सकेगा और उसको वह उतनी तेजी से नहीं बना सकेंगे, जितनी तेजी से उसको बनाना चाहते हैं। उस रूपये को न देने की वजह यह बताई गई है कि इससे मुद्रास्फीती बढ़ जायेगी। मैं कहता हूं कि अगर, इससे मुद्रास्फीती बढ़ेगी तो भी आपकी समस्या का हल होगा। क्योंकि, भाखड़ा बांध जल्दी बनेगा तो पानी भी जल्दी आएगा। उसकी वजह से आपके अनाज की कमी दूर होगी और अनाज की समस्या हल हो जायेगी। अनाज की समस्या हल हो जाने पर आपके पास 133 या 140 करोड़ रूपया सालाना बच जायेगा, जिसको आप दूसरे उद्योगों को बढ़ाने में लगा सकेंगे।

सांसदों की कुछ शैक्षिक योग्यता तय करने का सुझाव जब 4 अप्रैल 1950 को चर्चा में आया तो उन्होंने इसके गैर–जनतान्त्रिक चरित्र एवं ग्रामीण आबादी पर इसके दूरगामी प्रभाव को समझते हुए इसका विरोध किया और बहस में बोलते हुए कहा कि :

'शैक्षिक योग्यता को लिखने और पढ़ने तक सीमित करने से कोई लाभ नहीं होगा। फिर, इससे अधिक की मांग को जैसा कहें कि मैट्रिक पास की सीमा हो तो मैं कहूँगा कि बहुत लोग हैं और हमारे

प्रान्त में तो 10 या 15 साल तक मुख्यमन्त्री रहे हैं जो न मैट्रिक पास थे और न वे कभी स्कूल या कॉलिज ही गए। मैं इस बारे में सर सिकदर हयात खां का नाम ले सकता हूँ। दूसरे प्रान्तों में भी मैंने ऐसे मुख्यमन्त्री देखें हैं जो न कानूनी अथवा डॉक्टरी विद्या में गेजुएट थे, किन्तु उन्होंने देश का शासन अच्छे ढ़ंग से चलाया, जो शायद कोई स्नातक भी न चला सके। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो कानून के स्नातक हैं, ऐसे भी जो कॉलिज के प्रोफेसर हैं, किन्तु अच्छे सांसद साबित नहीं हुए। ऐसे लोग भी हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। विचार की मौलिकता का जहां तक प्रश्न है, मैं कबीर की मिसाल दे सकता हूँ, जो समूचे देश में प्रख्यात हैं। मेरे मित्र श्री हुसैन इमाम जानना चाहते थे कि अनपढ़ आदमी ने देश को क्या दिया है? मैं सदन से कहना चाहता हूँ कि अनपढ़ लोगों ने देश को बहुत कुछ समृद्ध किया है।'

इस सदन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के प्रश्न पर बहस में भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने ग्रामीणवासियों से हो रहे अन्याय पर ध्यान लगाया और न्याय हेतु पुरजोर पैरवी की। उन्होंने कहाः

'मेरी दिलचस्पी इस पर नहीं है कि सन्दर्भ माननीय मुंशी का है अथवा माननीय मेहताब का। किन्तु इस धारा के अधीन एक व्यक्ति यदि कपड़ा दबाकर रखता है तो उसे तीन साल और दूसरा यदि अपना ही अनाज, जिसे अपने ही खेत में कड़ी मेहनत व खर्च करके पैदा किया है, अपने पास रखता है तो उसे 7 साल की सजा मिलेगी। जो कपड़े का व्यापार करता है, लाखों कमाता है। उसके पास बंगला कोठी है, कार है और दूसरी सहूलियतें हैं। जबकि कड़ी मेहनत के बाद कठिनाई से गुजारा करने के लिए किसान है। मैं माननीय मन्त्री से कहूंगा कि इस पर विचार करें कि इसका उत्पादकों पर कुल प्रभाव क्या होगा? मैं उन्हें बिल्कुल मुक्त करने की बात नहीं कहता। मैं उसके साथ न्याय करने की बात कहता हूँ। एक किसान को साल में कम से कम 72 मन चने की जरूरत होती है, जिससे उसके परिवार व दुधारू अथवा सूखे पशुओं का काम चल सके। अभी वह केवल 25 मन अपने पास रख सकता है, जिसके कारण मेरे जिले में और आपके

जिले में 75 प्रतिशत किसानों को सात साल के लिए जेल में भेजा जा सकता है। यह बहुत बड़ी समस्या है। केवल मेरे जिले में ही इस अधिनियम के तहत 18000 मामले दर्ज हुए हैं। मैं कल से ही जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे प्रान्त में विशेषकर किसानों से सम्बंधित इस अधिनियम की वस्तुगत क्या स्थिति है? पिछले दिनों जब मैं जिला में गया था तो मुझे बताया गया कि चना पैदा करने वाले अनेक किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका देशी चना जब्त कर लिया गया।'

जो बात चौधरी रणबीर सिंह ने 21 नवम्बर, 1950 को कही वह एक तरह से समय के बहाव में भविष्यवाणी ही साबित हुई। उन्होंने कहाः

'मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, यह कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। लेकिन, एक बात कहे बगैर, नहीं रह सकता कि इस सदन के अन्दर जो अपने आप को बड़े भारी अर्थशास्त्री कहते हैं, मेरे विचार से इस देश के लिए वे अर्थ विशेषज्ञ नहीं हैं। वे ऐसे देशों के लिए विशेषज्ञ हो सकते हैं, जिनके आर्थिक जीवन में कारखानों का बड़ा स्थान हो। लेकिन, ऐसे देश में, जिसमें खेती का बड़ा प्रभुत्व हो, वे बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ कि इस देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो अपने आपको यहां आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं, वे दरअसल कारखानेदार देशों के लिये ही आर्थिक विशेषज्ञ हो सकते हैं। वे खेती करने वाले देशों के लिए विशेषज्ञ नहीं हैं।

उन्होंने इस सदन के अन्तिम सत्र में भी कुछ इस तरह के प्रश्न उठाए और कहा कि इससे देश के विकास पर आंच आयेगी। पांच मार्च 1952 की बैठक में बोलते हुए उन्होंने कुछ बेबाक बातें कहीं। जैसे :

'हमारे कुछ भाई एक बात के बारे में बहस करते हैं कि अनाज इतना महंगा हो गया है। इससे इन्डेक्स नम्बर इतने प्वाइंट हो गया। लेकिन, मैं उन्हें बतलाना चाहता हूँ कि वह एक साल का ही समय लें। आपने पिछले साल गुड़ का भाव 21 रूपये मन रखा था नियन्त्रण में। लेकिन आज गुड़ के भाव की क्या हालत है? वह आज छह या सात रूपये मन बिक रहा है। कुछ अन्दाजा लगाईये, एक तरफ आप मानकों की गिनती करते हैं और मानकों की गिनती के ऊपर देश के अन्दर आर्थिक क्रान्ति की बातें करते हैं। दूसरी तरफ, आप गुड़ वालों को देखिये। आखिर वह भी तो आप ही के देशवासी हैं।.... उनकी बिक्री की दर एकदम से 21 से 6 रूपया मन आ जाय, यह कोई बात है? जब गुड कुछ मंहगा था तब आपने पूरी ताकत लगाई, पिछले साल कोल्हुओं पर लाइसेन्स आपने लगाया और आपने गुड़ को सस्ता करने के लिये तरह तरह की तरकीबें इस्तेमाल कीं। मैं खाद्य मंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि आपने क्या अधिकार किये हैं जिससे गुड़ का भाव कहीं तो जाकर टिके। अगर आप इसके लिये कुछ नहीं करते हैं तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप खाद्य मंत्री हैं या उद्योग मंत्री हैं? ... जो कानून बनाया जाता है वह देहात के लिए एक तरह का होता है और शहर वालों के लिए दूसरी तरह का होता है।'

अन्तरिम संसद की कार्यवाही से स्पष्ट होता है कि इस सदन में भी चौधरी साहिब ने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित रखा और चाहा कि देश की खेती–किसानी के प्रति नीतियों में बदलाव आए। मात्र कहने तक वे सीमित नहीं रहे। उन्होंने संविधान सभा में इस बारे एक प्रस्ताव भी पेश किया, जो ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें उनके व्यक्तित्व की झलक मिलती है। बाद में, जब उन्हें पंजाब व हरियाणा में बतौर मन्त्री जिम्मेदारी मिली पूरी तनदेही से इस दिशा में अपनी भरी–पूरी क्षमता दिखाई।

प्रस्तुत प्रकाशन उस समय के सवालों को समझने में सहायता करेगा, यह उम्मीद है।

अन्तरिम संसद

बुधवार, 1 फरवरी, 1950 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 1 फरवरी, सन् 1950 को प्रातःकाल 10 बजे माननीय डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा

चौधरी रणबीर सिंह : राष्ट्रपति महोदय ने जो भाषण दिया है, उसका समर्थन करते हुए, मैं अपनी खुशी जाहिर किये बगैर नहीं रह सकता कि राष्ट्रपति जी ने हिन्दी को अपने भाषण में प्रथम स्थान दिया है। उससे हिन्दी को देश में बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में अनाज की कमी और अनाज की पैदावार को बढ़ाने का जिक्र किया है, उसके सम्बन्ध में, मैं हिन्द सरकार के कृषि मंत्री महोदय और इस हाऊस को ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अनाज की कमी के बारे में श्री आर.के. सिधवा या कपूर साहिब ने जिस तरह से कहा, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ,
उनका कहना है कि देश के अन्दर अनाज की कमी नहीं है। अगर देश के अन्दर अनाज की कमी न होती तो हर साल जो 130 करोड़ रूपये

**संसदीय बहस, पुस्तक संख्या 1, भाग 2, 1 फरवरी, 1950, पृष्ठ 73–76*

का अनाज बाहर से आता है, वह कहां चला जाता है। अनाज ऐसी चीज नहीं है, जिसको हमेशा के लिये दबा कर रखा जाये। मैं समझता हूँ कि अनाज एक साल दबाया जा सकता है और बहुत से अनाज तो ऐसे हैं जो छह महीने के बाद ही खराब होने शुरू हो जाते हैं। मैं सिधवा साहब का ध्यान इस तरफ दिलाता हूं। मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने असली चीज पर ध्यान नहीं दिया है।

श्री सिधवा : आपने सांख्यिकी अध्ययन किया है?

चौधरी रणबीर सिंह : मैं उनकी तरह सांख्यिकी का अध्ययन तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं देहात का रहने वाला हूँ। लेकिन, यह जरूर जानता हूँ कि अनाज को एक साल के बाद, कोई भी आदमी अच्छी तरह से नहीं रख सकता, चाहे वह व्यापारी हो या किसान।

अगर मान लिया जाये कि अनाज दो तीन साल तक दबाकर रखा जा सकता है। फिर, अब तो अनाज बाहर से मंगाते–मंगाते छह–सात साल गुजर गये हैं । कोई बताये तो सही कि आखिर वह अनाज कब तक छिपाया जा सकता था? उसको अब तक बाजार में आ जाना चाहिये था। अगर, नहीं आया है तो यह साफ जाहिर करता है कि देश के अन्दर अनाज की कमी है।

एक बात और है कि कुछ भाई ऐसा समझते हैं कि खेती के ऊपर आम अर्थशास्त्र विज्ञान के जो नियम हैं, वह लागू नहीं होते। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लोग जब किसी चीज की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी कीमत को ज्यादा बढ़ाते हैं, लेकिन अनाज के मामले में, इससे उलटा किया जा रहा है।

एक और चीज की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैंने अपने संशोधन में भी इस चीज का जिक्र किया है कि एग्रीकल्चरल फ़ायनैन्स कारपोरेशन (कृषि वित्त निगम) कायम की जाये जो किसानों को तर्कसंगत ब्याज पर कर्ज दे।

जो लोग राजनीति में कुछ महत्व रखते हैं, उनमें से हर एक ने अनाज की पैदावार बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया और कुछ बातें कहीं। लेकिन, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सक्रियात्मक रूप से पैदावार बढ़ाने के लिये यह जरूरी नहीं था कि कृषि वित्त निगम यहां पर बनाई जाती? अगर, कोई काश्तकार नई जमीन को तोड़ना चाहे या खेती के अन्दर कोई सुधार करना चाहे या नये औजार खरीदना चाहे और उसको पूंजी की भी जरूरत हो तो वह 12, 13 और 14 रूपये सैंकड़े से कम पर कर्ज हासिल नहीं कर सकता है। तो, क्या सरकार यह समझती है कि वह एक तरफ पैदावार की कीमत घटाये और दूसरी तरफ उसको रूपया हासिल करने की सहूलियत भी न दे? तब भला पैदावार कैसे बढ़ सकती है? पैदावार उसी वक्त बढ़ सकती है, जब उसको पूंजी हासिल करने की सहूलियत दी जाये और उसको पैदावार का अधिक मूल्य मिले।

दूसरी बात, जिसकी तरफ मैंने अपने संशोधन में भी ध्यान दिलाया है और जिसको कहना मैं जरूरी समझता हूँ। पिछले दिनों भाखड़ा बांध के बारे में पंजाब सरकार के अधिकारी और मंत्री यहां पर आये थे और उन्होंने अपना यह विचार प्रकट किया था कि अगर उनको 14 करोड़ रूपया नहीं दिया गया तो बांध–निर्माण का कार्य ठीक तरह से तरक्की नहीं कर सकेगा और उसको वह उतनी तेजी से नहीं बना सकेंगे, जितनी तेजी से उसको बनाना चाहते हैं। उस रूपये को न देने की वजह यह बताई गई है कि इससे मुद्रास्फीती बढ़ जायेगी। मैं कहता हूँ कि अगर, इससे मुद्रास्फीती बढ़ेगी तो भी आपकी समस्या का हल होगा। क्योंकि, भाखड़ा बांध जल्दी बनेगा तो पानी भी जल्दी आएगा। उसकी वजह से आपके अनाज की कमी दूर होगी और अनाज की समस्या हल हो जायेगी। अनाज की समस्या हल हो जाने पर आपके पास 133 या 140 करोड़ रूपया सालाना बच जायेगा, जिसको आप दूसरे उद्योगों को बढ़ाने में लगा सकेंगे।

एक और बात, जिसे मैं महसूस करता हूँ, वह नयी जमीनों को तोड़ने का सवाल है। कई सरकारों ने तो अब ऐसे नियम और

कानून भी बना दिये हैं कि जो बंजर जमीनें हैं और जिनको सरकार ने किसी आदमी को पट्टे पर दे दिया है और अगर काश्त नहीं की जाती है तो वह उनसे वापस लेकर सरकार उन आदमियों को दे देगी जो काश्त करने की जिम्मेदारी लेंगे। यह काम केवल यहीं तक रह गया है और व्यवहारिक रूप से उसका कोई असर नहीं पड़ा है। यू. पी. और पंजाब के बारे में, मैं अच्छी तरह से कह सकता हूँ कि बहुत–सी ऐसी जमीनें परती पड़ी हुई हैं, जिनके काफी बड़े भाग को विकसित किया जा सकता है। बशर्ते कि जो विकसित करना चाहते हैं, उनको मदद दी जाये और उनको उन जमीनों का पट्टा या लीज दे दी जाये।

अन्य बहुत बातें हैं, लेकिन उन सबको आपके सामने नहीं ला सकता। एक बात मैं जरूर महसूस करता हूँ। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण मे कृषि मजदूर और अन्य श्रमिकों का जिक्र किया। लेकिन, देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, किसान। उसके पास अपनी जमीन है। वह जमीन का मालिक है, जो न किसी को लूटता है और न किसी से लुटना चाहता है। उसका यहां कोई जिक्र नही किया है। क्या हमारी सरकार समझती है कि उसकी हालत संतोषजनक है ? मैं इसके प्रति आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि देहात के अन्दर किसानों के लिये न कोई स्कूल है, न कोई अस्पताल है और न उसके लिए सड़कें ही हैं। यहां पर (शहरों में) मोटर के लिये अलग सड़क है, बाईसाईकिल चलाने के लिए अलहदा सड़कें हैं और पैदल चलने के लिये अलग पगडंडियां हैं। लेकिन, देहात में आप जाएंगे तो पच्चीस–पच्चीस मील तक आपको कोई सड़क दिखाई नहीं देगी। राष्ट्रपति जी ने जो भाषण दिया उससे मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन, मैं खुले तौरपर कहे बिना नहीं रह सकता हूँ कि काश्तकारों को बढ़ौतरी देने के लिए उसमें जो कमी रह गई है, उसे मैं जरूर महसूस करता हूँ।

अन्तरिम संसद

मंगलवार, 7 फरवरी, 1950 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 7 फरवरी, सन् 1950 को प्रातःकाल 10 बजे हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

सेना बिल

चौधरी रणबीर सिंह : फौज के विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं आज इस बात को महसूस करता हूँ कि वह वक्त तो नहीं रहा, जब हम फौज में लड़ने वाले यह समझा करते थे कि देश के दो हिस्से हैं। एक उन लोगों का, जो वीर जातियों से है और दूसरा उन लोगों का, जोकि गैर वीर जातियों के लोग हैं। लेकिन, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि अगर आप आज भी फौज के सिपाहियों की गिनती करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फौज में वही लोग सिपाही हैं, जिनको अंग्रेजी राज के वक्त में मार्शल कौम कहा जाता था। अभी मेरे आदरणीय दोस्त लाला अचिन्तराम जी ने जात–पांत का, अर्थात् जाट पल्टन या डोगरा पल्टन के बारे में जिक्र किया। मैं उन आदमियों में से हूँ जिनके बहुत सारे रिश्तेदार सिपाहियों से लेकर कर्नल तक आज (सेना में) मौजूद हैं। मेरा लाला जी और लाला जी जैसे दूसरे

**संसदीय बहस, पुस्तक संख्या 1, भाग 2, 7 फरवरी, 1950, पृष्ठ 301–304*

सज्जनों से भी सम्बन्ध रहा है और मेरे दिमाग में जात–पांत के लिए कोई जगह भी नहीं हैं। लेकिन, मैंने उन फौजी भाइयों से बातचीत की है। वे यह महसूस करते हैं कि अगर जाट पल्टन या सिख पल्टन या डोगरा पल्टन का नाम हटा दिया गया तो इससे फौज के कौशल में कमी होगी। वे इसका सबसे बड़ा कारण यही बताते हैं कि जिस वक्त लड़ाई होती है तो मैदान में जाट पल्टन जाती है, सिख पल्टन जाती है और डोगरा पल्टन जाती है तो उनमें आपस में एक तरह की होड़ का माद्दा पैदा हो जाता है। मराठा समझते हैं कि हम इस मोर्चे को जीतें, जाट समझते हैं कि हम जीतें। मैं आज इस सदन को आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि हमारे इलाके में 6 जाट पल्टन वालों ने जिस पहली लड़ाई में फ्रांस में बहादुरी दिखाई थी, उसको याद करके आज भी हमारी जाट फौज के आदमी जोश से भर उठते हैं। उनके दिल के अन्दर वही भावना पैदा होती है जोकि आज एक देश सिपाही के अन्दर राष्ट्रपिता की जयकार लगाते हुए पैदा होती है। मैं आज उस बात को तो कह भी नहीं सकता। मैं खुद भी मानता हूँ कि अब मार्शल और नानमार्शल का वक्त नहीं रहा। हिन्दुस्तान सबका है और देश के अन्दर सबको अपनी जिम्मेदारी सम्भालनी है। लेकिन, एक बात कहे बगैर मैं नहीं रह सकता कि जहां तक फौज के सिपाही का संबंध है, वह उन आदमियों में से है जो लड़ने वाले हैं। जहां तक कमीशन का ताल्लुक है तो जैसा सिविल दफ्तरों में होता था कि अच्छा लिखा देखा जाता है और अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले की आवश्यकता होती है। बदकिस्मती से फौज के अन्दर भी आज छांटने के लिये इस किस्म की आवश्यकता मान ली गई है। इस सिलसिले में मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि फौज के अफसर के लिये यह कोई जरूरी नहीं है कि वह अच्छा लिखने वाला हो, अच्छी अंग्रेजी बोलता हो। फौज में अफसरों के लिये जरूरत है तो यह कि उसका दिल मजबूत हो और जब मौत उसके सामने नाचती हो तो उसे देखकर डर के मारे भागे नहीं, बल्कि आगे बढ़े और देश के नाम को ऊंचा करे। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो लोग सिपाही रहे हैं, उन भाईयों में से जो अफसर बने हैं, वे ज्यादा

दिल गुर्दा रखते हैं और हिम्मत के साथ लड़े हैं। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई गलत समझे। मैं किसी जात–पात के आधार पर नहीं बल्कि, मैं समझता हूँ कि फौज की कार्यकुशलता तभी बढ़ेगी जब आप किसी को अफसर बनाते हैं या कमीशन देना चाहते हों। भले ही उस आदमी को सीधे कमीशन दें, लेकिन, कुछ समय के लिये वह सिपाही अवश्य रहे। अंग्रेजों के वक्त में यह था कि केवल अंग्रेजों के लिये ही अफसरों में जगह थी। वे समझते थे कि उनका यह पैदाइशी हक है कि वह फौज के अफसर बनें। दूसरे वे थे, जिन्हें वीर जातियां कहते हैं। उनकी किस्मत में यह था कि वह 17 रूपये या 18 रूपये के सिपाही भर्ती हों। आज तो यह सबका देश है, एक–सा हिस्सा है। इसलिये मैं यह जरूरी समझता हूँ कि कमीशन देने के वक्त इस बात का खासतौर पर ध्यान रखा जाय कि कमीशन देने से पहले उसको मजबूर किया जाये कि वह पहले दो साल तक सिपाही रहे। परिवहन विधेयक में भी तजुर्बे का जिक्र था। फौज के लिए भी मैं समझता हूं कि फौजी कमीशन के अफसरों के लिये तजुर्बेकार आदमी ही लिये जायें। बिना इसके, अगर आदमी लिये जाते हैं तो न उनको आम सिपाही के दिमाग का अन्दाजा लगाने का वक्त मिलता है और न ही उसमें वह लोग विश्वास रखते हैं। जब कोई एकदम से लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है तो इसका नतीजा यह होता है कि वह सिपाही की मानसिकता नहीं समझ सकता। इसलिये, मैं यह जरूरी समझता हूँ कि जहां हमारी हकूमत को यह अधिकार हो कि वह जिसे चाहे कमीशन दे। कमीशन देने के सिलसिले में इस किस्म के कायदे कानून बनाये जायें कि जो भी कमीशन लें, वे कमीशन लेने से पहले सिपाही भर्ती हों। पहले तो आम तौर पर यह था कि भारतियों में से जो सूबेदार मेजर होता था या रिसालदार मेजर होता था, उन्हीं को मौका मिलता था कि वह कप्तान बने और लेफ्टीनेंट बने। लेकिन, आज तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं पूरी जानकारी से कह सकता हूँ कि मेरे साथ पढ़े हुए कुछ भाई लेफ्टीनेंट भर्ती हो गये। जो बेचारे सिपाही भर्ती हुए और जिन्हें वायसराय कमीशन मिला और जमादार बन गये। लेकिन, वे कभी

लेफ्टीनेंट नहीं बन सके। जो लेफ्टीनेंट बने, वे कर्नल बन गए। उन्हें यह इसीलिये मौका मिला कि किसी अफसर ने उनकी पीठ पर थपकी दी, चाहे उनमें कार्य कुशलता थी या नहीं। इसलिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सिविल में भी तरक्की का आम तरीका है कि जो आदमी पहले भर्ती हुआ, वही दर्जा–ब–दर्जा तरक्की करता है। इसी तरह, आर्मी के अन्दर भी जो आदमी लेफ्टीनेन्ट बने वह पहले जमादार बने या दूसरा अफसर बने, वह शुरू में सिपाही भर्ती हो।

एक और चीज की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वह रियासती फौज के बारे में है। कुछ भाईयों का विचार है कि रियासती फौज अच्छी फौज नहीं है। लेकिन, तजुर्बे से यह साबित होता है कि रियासती फौज जब हमारी फौज के साथ लड़ने के लिये गई तो हुशियारी में उतना तो नहीं, लेकिन काफी हद तक उनका मुकाबला किया। इसलिये मैं नहीं समझता कि जब उनका एकीकरण हो तो जो उनके पदाधिकारी हैं और जो उनके रैन्क हैं, उनको उस रैन्क में न रखा जाये। एकीकरण के वक्त हर आदमी को जो नालायक नहीं हैं, जो ज्यादा उम्र का नहीं है, उनका आर्मी के अन्दर एकीकरण किया जाए, और उनको रैंक देते वक्त उनके रैन्क का ख्याल किया जाय। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि रैन्क का ख्याल रखने से कार्य कुशलता में कमी आती हो तो भी रैन्क का ख्याल रखा जाए। कुशलता का ख्याल रखते हुए उसके रैंक का ख्याल जितना हो सकता हो, रखा जाय।

जहां तक कोर्ट मार्शल का ताल्लुक है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब यहां पर अंग्रेजी राज्य था तो बहुत सारे भाई जिनके दिमाग पर कांग्रेस के प्रचार से असर हुआ और फौज के अन्दर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं, जो एक राष्ट्रवादी कहता है तो सिर्फ इतने कसूर पर, उनमें कोई कमी बाहरी नहीं थी, बहादुरी से वह लड़ते थे और लड़कर दिखाया। लेकिन, चूंकि उनके अन्दर राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो गई और अंग्रेज उस भावना को बर्दास्त नहीं कर सकते थे। इसलिये, उन्हें फौज से निकाल दिया गया। उन्हीं में से जो बड़ा

हिस्सा है, उसे हमारे देश का हर एक बच्चा जानता है, जिसे आई.एन.ए. कहते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी किसी आर्मी से कम नहीं थी। लेकिन उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया गया, जितना अच्छा बर्ताव उनके साथ किया जाना चाहिये था। आई.एन.ए. के अलावा भी बहुत से आदमी हैं.....

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य को अहसास होगा कि इस मुद्दे पर सभा से पहले उनकी टिप्पणियां अप्रांसगिक हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं आपकी रूलिंग के प्रति सिर झुकाता हूँ। इस सिलसिले में, मैं आपको हवाला दिखा सकता हूँ जहां बिल में दर्ज है। कोर्ट मार्शल में ये सारी चीजें आती हैं।

मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत सारे फौजियों के ऊपर जुल्म होता रहा है, आगे ध्यान रखा जाय कि उन पर जुल्म न होने पाये। दूसरे, यह कि जिन भाइयों के ऊपर जुल्म हुआ है, उनकी किसी ढ़ंग से, थोड़ी बहुत सुनवाई की जाए। यह पेन्शन के रूप में या किसी दूसरे रूप में की जा सकती है। इतना कहते हुए मैं इस बिल का चुनाव कमेटी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

अन्तरिम संसद

सोमवार, 27 मार्च, 1950 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 27 मार्च, सन् 1950 को हुई। प्रातःकाल 11 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

वर्ष 1949–50 के लिए अनुदान माँगें

चौधरी रणबीर सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने जो मांग की है कि भारतीय गन्ना समिति को अनुदान न दिया जाय उससे मैं सहमत नहीं हो सकता। उन्होंने इसकी वजह यह बताई कि उस संस्था के पास पहले ही रूपया ज्यादा है। मेरे लायक दोस्त प्रोफेसर रंगा और डाक्टर देशमुख ने कमेटी के काम करने के सिलसिले में और उसके सामने रूकावट खड़ी करने के सिलसिले में कुछ बातें कही हैं। मैं समझता हूँ कि इसका कारण कोई दूसरा ही है, जिसके बारे में इन दो दोस्तों ने रोशनी नहीं डाली है। इसका कारण यह मालूम होता है कि जिससे संस्था में रूपया बहुत इकट्ठा हो गया है कि जितनी भी वस्तुओं की समिति हैं अगर आप उनका विधान पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि यह शोध कमेटी नहीं है, बल्कि किसी व्यापार की दृष्टि से बनाई गई है।

**संसदीय बहस, पुस्तक संख्या 1, भाग 2, 27 मार्च, 1950, पृष्ठ 2216–2219*

आप गन्ना कमेटी को ले लीजिये या दूसरी वस्तु कमेटी को ले लीजिये। उसके अन्दर आपको व्यापार का ब्याज का स्वार्थ इज्यादा मिलेगा। कारखाने वालों के प्रतिनिधि ज्यादा मिलेंगे। जो लोग उसमें सुधार करना चाहते हैं, या जो लोग उस रूपये को किसी अनुसंधान में लगाना चाहते हैं, उसकी आवाज को वहां पर उठने नहीं देते। यदि आप चाहते हैं कि यह रूपया इकट्ठा न हो और यह रूपया सुधार और अनुसंधान के कामों में इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि पैदावार बढ़े तो इसके लिये यह आवश्यक है कि इन कमोडिटीज की समितियों में किसानों का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया जाय। इसके अलावा कारखाने वालों या दूसरों के प्रतिनिधि सिर्फ एक–एक या दो–दो ही काफी समझे जाएं। अगर ऐसा किया गया तो जो उपाध्यक्ष महोदय ने रूपया इकट्ठा होने की आपत्ति की है, वह दूर हो जायेगी। अगर इसमें किसानों का बहुमत हो जायेगा तो वह वित्तमंत्री को मजबूर कर देंगे कि वे उसके मुताबिक चलें।

मैं प्रोफसर रंगा की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कृषि मंत्रालय नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि कृषि मंत्रालय को एक वकील के तौरपर उसके लिए खड़ा रहना चाहिए। इस तरह से उनकी कठिनाई को दूर किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय को सिर्फ तरफदारी और एक वकील की तरह इसमें केवल सलाह देनी चाहिये।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अन्दरूनी शोध समिति के बारे में जिक्र किया है। इसके लिए मैं उनके साथ सहमत हूँ। मैं इस बारे में सदन के सामने कुछ बातें कहना चाहता हूँ। एक असिस्टेंट इंजीनियर श्रीमान कश्यप हैं। उन्होंने एक किताब निकाली है, जिसमें माननीय कृषि मंत्री का फोटो भी है। उस फोटो के अन्दर दिखलाया गया है कि मंत्री साहब वहां पर खड़े हैं और एक कुंआ तैयार किया जा रहा है। उसने यह दावा किया है कि यह कुंआ 18 और 24 घंटों के अन्दर तैयार किया जा सकता है। वे यह भी दावा करते हैं कि जो यह बात कही जाती है कि हमारे देश के अन्दर रिसाव/चोआ नहीं मिलता और हम अपने देश के अन्दर कुएं जल्दी नहीं बना सकते हैं। वे इन सब बातों

को झूठा साबित करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि अगर इन सब बातों को कोई झूठा साबित कर दे तो मुझे जेल भेज दिया जाय। मैं इस बारे में नहीं कह सकता हूँ कि यह बात कहां तक सत्य है। उस किताब में यह भी शिकायत की गई है कि अवर सचिव की वजह से कुओं की योजना को रोक दिया गया। उन्होंने यह मांग की है कि उस अफसर के ऊपर कोई कार्यवाही की जाए, जिसने देश को इतना नुकसान पहुंचाया है। उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो एक लाख 32 हजार रूपया अमेरिकन कपास मंगाने पर आर्थिक सहायता दी जा रही है, उसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह हमारे देश की बदकिस्मती है कि हमारे देश के जो अर्थशास्त्री या जो इस तरह से सोचते हैं कि देश के कृषि उत्पाद की कीमत घटा कर पैदावार बढ़ाई जा सकती है। मैं शास्त्र विज्ञान और दूसरे विज्ञान के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ । बुर्जवा आर्थिक विज्ञान जिसे कहते हैं, उसके हिसाब से भी जिस किसी चीज की पैदावार बढ़ानी हो तो उसके लिए जरूरी होता है कि उसकी कीमत बढ़ाई जाए। यहां उससे उलटा है। जो चीज जिस कीमत पर अमेरिका के किसान पैदा नहीं कर सकते, जिस चीज को मिश्र के अन्दर, जहां लाखों रूपये कपास के सुधार के लिये खर्च होते हैं, वह जिस कीमत पर पैदा नहीं कर सकते हैं, उस कीमत पर पैदा करने की हिन्दुस्तान के रहने वाले किसानों से उम्मीद की जाती है। यह आशा की जाती है कि वह उससे भी कम कीमत पर पैदा कर सकेंगे और उसकी पैदावार बढ़ा सकेंगे। हमें देखना चाहिये कि इस विचार को अपने दिमाग में रखते हुए हम कब तक हिन्दुस्तान की पैदावार को बढ़ा सकेंगें। अगर आप वास्तव में यह चाहते हैं कि आपको अमरीकन कपास को सहायता न करनी पड़े तो इसके लिये बेहद जरूरी है कि कृषि उत्पाद के लिये न्यूनतम कीमत तय की जाएं। बोयडोर जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बतलाया कि अमेरिका के अन्दर खेती की चीजों को तभी बढ़ाया जा सका, जब

अमरीकन सरकार ने यह जिम्मेदारी ली कि अगर उनका भाव निर्धारित भावों से कम रहा तो सरकार निर्धारित भाव पर खरीदेगी। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि कपास के लिये आपको ज्यादा रूपया अनुदान के तौर पर, दूसरे देशों से आई हुई कपास पर न देना पड़े तो आप कपास का आर्थिक मूल्य निर्धारित करें। कुछ भाईयों का ऐसा भी विचार है कि किसान बिलकुल भोलाभाला है और जो रूपये की कीमत है उसे उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि वह पूरा बोलने वाला अभी नहीं हुआ है और तकरीबन पशु की तरह बेजुबान सा है, परन्तु इसके बावजूद आज उसे इतनी समझ जरूर आ गई है कि जिस चीज में उसको कोई फायदा है, वह जरूर अधिक पैदा करता है। इसके लिये मैं एक ही मिसाल देना चाहता हूँ। गन्ने का जब भाव ज्यादा था तो लोग ज्यादा पैदा करते थे। जब दो साल पहले गुड़ का भाव गिरा तो लोगों ने गन्ने की पैदावार बहुत कम कर दी और अब, जब चीनी का पैसा उन्हें अच्छा मिला और गन्ने की भी कीमत कम नहीं की गई तो काफी ज्यादा संख्या में इस साल किसान गन्ना बो रहे हैं।

इसके अलावा मुझे कृषि शोध संस्थान के बारे में कहना है। इस सिलसिले में मेरी प्रार्थना है। वहां मैं भी गया, प्रोफेसर रंगा भी हमारे साथ थे और दूसरे साथी, कुछ किसान भाई हमारे साथ थे। हम कृषि शोध संस्थान में गये। वहां के बड़े अधिकारी, जो डाक्टर थे, उन्होंने बतलाया कि वहां क्या शोध किया गया है। अगर इन शोधों का अन्दाजा लगाया जाए तो हिन्दुस्तान में हम काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन, अगर सही मायनों में देखें कि इसका नतीजा तकरीबन आपको नहीं में ही मिलेगा। इसका कारण यही है कि उस शोध को किसानों के खेत तक नहीं पहुंचाया गया है। अमरीका जैसे देश के अन्दर, जहां किसान पढ़े लिखे हैं, वहां एक्सटेंशन सर्विसेज (विस्तार सेवा) आज जारी है, वहां सरकार की तरफ से बड़े–बड़े खेत हैं, उसके अन्दर वह प्रयोग करके दिखलाते हैं। लोगों को वहां बुलाते हैं और उनको यह दिखलाते हैं कि

कौन से बीज के बोने से पैदावार बढ़ेगी। लेकिन, हमारा देश तो ऐसा देश है, जिसके किसान बिल्कुल सोलह आने नहीं तो रूपये में पन्द्रह आने अनपढ़ जरूर हैं। जो रेडियो की बातों को भी बहुत हद तक समझ नहीं सकते हैं। बात असल यह है कि इसकी तरफ ध्यान भी कम दिया जाता है और कभी उसका ख्याल भी आता है तो ऐसे आदमी काम करने के लिए लगा दिये जाते हैं, जिनका वहां के लोगों से कोई वास्ता नहीं है। आज सुबह का जिक्र है, दिल्ली के अन्दर एक योजना चल रही है, वह जो आदमी.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सारे क्षेत्र को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें खुद को सीमित रखना होगा, वह हमारे सामने है। उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सामान्य कृषि अनुसंधान के सवाल पर जाने की आवश्यकता नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : वहां की यह एक मांग है।

''भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए कृषि उत्पादन पर उपकर की शुद्ध आय का भुगतान''

मैं अभी जो बातें कह रहा था वह मैं शोध की दृष्टि से कह रहा था। हमें इस माँग का कोई फायदा नहीं हो सकता जबकि शोध को खेत में न पहुंचाया जाय। इसी सिलसिले में जो कुछ मैंने देखा है, वह कह रहा था और मैं समझता हूं कि आप मुझसे सहमत होंगे।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस बिन्दु पर पर्याप्त बात की है।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं आपकी रूलिंग के प्रति सिर झुकाता हूँ। मैं कह रहा था कि इसके लिये जरूरी है कि जहां पर आप जो चीज चलाना चाहते हैं, वहां ऐसे आदमियों के जरिये चलाना चाहिये जो उनसे जानकारी रखते हों और उनसे उनका वास्ता हो। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं कोई क्षेत्रीयता की या दूसरी बात करूं। मैं इसके लिये ज्यादा नहीं कहना चाहता। एक सुझाव अपना रखना चाहता हूँ कि भारतीय कृषि अनुसंधान से जो नतीजा हासिल किया जाता है, वह किसानों तक पहुंचाने के लिए काम हो, मैं जरूरी समझता हूँ कि इसके साथ कोई गैर सरकारी निकाय जोड़ी जाय और उसके द्वारा जो (शोध का) नतीजा हासिल किया जाता है, उसको सही तौर पर देश के कोने–कोने में पहुंचा कर इसका प्रचार किया जाए।

अन्तरिम संसद

मंगलवार, 29 मार्च, 1950 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 29 मार्च, सन् 1950 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

बजट पर

चौधरी रणबीर सिंह :.....मैं इस बात से सहमत हूँ कि आज सरकार लोगों की है, उनके द्वारा ही बनाई गई है। महोदय, जमीन से प्राप्त राजस्व को मालिया नहीं माना जा सकता है। यदि जमीन से प्राप्त राजस्व को आय–कर प्रणाली से मिलाकर देखेंगे, तब मेरे से सहमत होंगे कि इन दो कर प्रणालियों में गैर–बराबरी है। जब एक बीघा जमीन का मालिक कुछ उत्पादन करता है या नहीं भी करता है या किसी अन्य की जमीन को बोता है, उसे कर देना पड़ता है। जो हो, मैं उद्योगपतियों या मध्यम वर्ग के लोगों को रियायतें देने की बात से सहमत नहीं हो सकता हूँ कि यह न्योयोचित कदम है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने जमीन पर राजस्व को घटाने के लिये प्रान्तीय सरकारों को मदद दी है? मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि पंजाब की प्रान्तीय सरकार को नहरी पानी पर आबियाना बढ़ाने के लिए मजबूर

**(संसदीय विवाद खण्ड 1, भाग 11, 29 मार्च, 1950, पृष्ठ 2300–2301)*

किया गया है। कोई कह सकता है कि यह सेवा का रेट बढ़ाया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह तर्क बिल्कुल गलत है, क्योंकि पंजाब में हमने नहरों की लागत से कई गुणा अधिक यह सेवा कर पहले ही दे दिया है। अतः आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह चार्ज किसी विशेष सेवा के लिया जा रहा है या लागत पर ब्याज है। आप इस सवाल को एक किनारे करने को लालायित हो सकते हैं। किन्तु जमीन पर राजस्व के प्रश्न पर यही बात नहीं कह सकते हैं। जब तक आपके पास इतने पर्याप्त साधन न जुट जाएं कि सबको बराबर के स्तर पर कर लगाए, तब तक इस स्तर के कर को नहीं घटाना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर : माननीय सदस्य एक या दो मिनट और बोल सकते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : क्या कल अपनी बात जारी रखने की मुझे इजाजत मिल सकेगी?

डिप्टी स्पीकर : सदन तीन या चार मिनट अधिक बैठ लेगा। सदन माननीय सदस्य को सुनने के लिए बेताब है।

चौधरी रणबीर सिंह : मेरे मित्र माननीय वित्तमन्त्री ने उद्योगपतियों को अनेक सहूलियतें दी हैं। उद्योग वित्त निगम बनाने की बात है, किन्तु मेरे मित्र ने कृषि वित्त निगम बनाने के प्रश्न पर कुछ कहने से परहेज किया है। कहा जाता है कि यह विषय प्रान्तीय सरकारों के क्षेत्र में आता है। मैं इतना बता सकता हूँ कि कृषि उपज की कीमत का प्रश्न केन्द्र के क्षेत्र में आता है। मेरे माननीय मित्र ने आज देश के किसानों को इतना भरोसा भी नहीं दिया है कि सरकार उनकी उपज को कुछ भी हो जाए, न्यूनतम आर्थिक कीमत पर खरीदने को तैयार है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव, श्री बौपड़ ओर यहां आये तो मैंने उनसे बात की थी। उनका कहना था कि अमेरीका में जब तक सरकार आगे नहीं आई और किसानों को भरोसा नहीं दिलाया कि उनकी उपज को एक खास न्यूनतम आर्थिक कीमत पर खरीदने की जिम्मेदारी लेती है, वहां कृषि उत्पादन को बढ़ा नहीं सके।

बीते दिन मैंने मेरे मित्र श्री जयरामदास जी को बताया कि पंजाब व पूर्वी पंजाब राज्य (पेप्सू) में लाखों मन चना पड़ा सड़ रहा है। मैंने उनसे निवेदन किया कि पंजाब और पेप्सू सरकारों पर इस अनाज को खरीदने के लिए दबाव डालें। उन्होंने बताया कि यह जिम्मेदारी वे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास इस अनाज को रखने की जगह नहीं है। मैं अपने माननीय दोस्त को बताना चाहता हूँ कि इस अनाज को रखने की जगह आज दे दी जाए तो कुछ दिन रखने के बाद इसे मुनाफे पर बेचा जा सकता है। कुछ मित्र कह सकते हैं कि यह धन किसानों के पास चला जायेगा, लेकिन, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं कीमतों के ढ़ांचे पर एक अन्य बिन्दु उठा सकता हूँ? आप जयपुर में गेहूँ की कीमत को देखें, जहां इसका न्यूनतम मूल्य 10 रूपये रखा गया है, जबकि उस क्षेत्र में नहरी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और बम्बई में यह 17 रूपये है, जहां कुछ सिंचाई की सुविधा है। त्रुटि हो तो मुझे ठीक कर दीजिए, क्योंकि मैं याददास्त से बोल रहा हूँ। कीमतों यह अन्तर लम्बे समय में कोई लाभ नहीं देगा और न इससे कृषक सन्तुष्ट होंगे। समय आ गया है, मेरे मित्र, जब आप और मैं उनके सामने जायेंगे। यही किसान होगा और उसका वर्ग जो सदस्यों को इस सदन में भेजने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि आप अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो उसकी बात आपको सुननी होगी और हमें हालात को समझने के लिए इतना बुद्धिमान होना होगा। मैं कह सकता हूँ कि किसान बहुत पढ़ा–लिखा नहीं है। लेकिन, वह अपने हित देखेंगे तो वह आपको बख्सेगा नहीं।

(सदन 30 मार्च, 1950, बुधवार पौने ग्यारह बजे तक के लिए उठ गया।)

अन्तरिम संसद

वीरवार, 30 मार्च, 1950 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 30 मार्च, सन् 1950 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

बजट पर

चौधरी रणबीर सिंह : मैं प्रो. शाह द्वारा पेश संशोधन का इसलिए विरोध नहीं कर रहा हूँ कि मैं विवाहित नहीं हूँ। मैं एक विवाहित व्यक्ति हूँ, जिसकी पांच संतान हैं और एक संयुक्त हिन्दू परिवार से हूँ। मैं इसका इसलिए विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि यह सब करना उचित नहीं है। क्योंकि, भारत में ऐसी कर प्रणाली है, जिससे लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या प्रभावित होती है। मेरा अभिप्राय जमीन पर मालिए से है। इस प्रणाली से एक पैसा भी टैक्स से नहीं बचता है। कोई जमीन से कुछ पैदा कर रहा है या नहीं, उससे उसे कुछ मिल रहा है या नहीं, वह राज्य को कुछ टैक्स देने को बाध्य है। सही है कि यह प्रान्तीय कर है। किन्तु, यह भी देश में एक कर है। एक भी पैसा इस टैक्स से मुक्त न हो, मैं समझता हूँ, यह वाजिब नहीं कि बच्चों

**(संसदीय वाद–विवाद खण्ड 1, भाग 11, 30 मार्च, 1950, पृष्ठ 2312)*

अथवा बीवियों के आधार पर किसी को टैक्स से मुक्त कर दिया जाए। मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूँ और इस संशोधन का विरोध करता हूँ।

अन्तरिम संसद

मंगलवार, 4 अप्रैल, 1950 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 4 अप्रैल, सन् 1950 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

संसद और विधान सभाओं हेतु चुनाव के लिए योग्यताएं

चौधरी रणबीर सिंह (पंजाब) : मैंने प्रस्ताव पर और श्री कामथ के संशोधन पर बार–बार विचार किया है तथा इस प्रस्ताव का विरोध करना तय किया है। विरोध करने का कारण यह नहीं है कि मैं किन्ही योग्यताओं को नहीं चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ और मेरा मानना है कि एक सदस्य के लिए आवश्यक योग्यता देश की सेवा होना चाहिए। इस सदन का सदस्य होने से पहले देश और उन लोगों की किसी रूप में सेवा करनी चाहिए, जिनका प्रतिनिधित्व वह करना चाहता है। किन्तु दिक्कत तब होती है, जब ऐसी सेवा को टैस्ट किया जाए और कैसे जाना जाए कि उसने सेवा की है या नहीं? क्या तय करने का अधिकार अदालत को दें कि किसी ने देश सेवा के लिए या लोगों की सेवा में कुछ किया है या नहीं? मैं नहीं समझता कि ऐसा करना ठीक होगा।

**संसदीय वाद–विवाद खण्ड 1, भाग 11, 4 अप्रैल, 1950, पृष्ठ 2546–2547)*

फिर, शैक्षिक योग्यताओं के बारे में यहां अनेक सदस्यों ने कहा है कि वे ग्रेजुएट होने की योग्यता को नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जो यहां सदस्य बनकर आयें, उन्हें लिखना–पढ़ना आना चाहिए। जहां तक लिखने–पढ़ने की बात है, मैं कह सकता हूँ कि यहां आने के बाद कोई भी (सदस्य) पांच दिन के अन्दर हिन्दी आसानी से सीख सकता है।

सेठ गोविन्द दास : किन्तु आप तो इसे भूल रहे हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : नहीं। मैं इसे नहीं भूल रहा हूँ। न मैं इसे भूल सकता हूँ। यह मेरी राष्ट्रभाषा है।

मैं कह रहा था कि शैक्षिक योग्यता को लिखने और पढ़ने तक सीमित करने से कोई लाभ नहीं होगा। फिर, इससे अधिक की मांग को जैसा कहें कि मैट्रिक पास की सीमा हो तो मैं कहूँगा कि बहुत लोग हैं और हमारे प्रान्त में तो 10 या 15 साल तक मुख्यमन्त्री रहे हैं जो न मैट्रिक पास थे और न वे कभी स्कूल या कॉलिज ही गए। मैं इस बारे में सर सिकदर हयात खां का नाम ले सकता हूँ। दूसरे प्रान्तों में भी मैंने ऐसे मुख्यमन्त्री देखें हैं जो न कानूनी अथवा डॉक्टरी विधा में गेजुएट थे। मैंने ऐसे मित्रों को भी देखा है, जिन्होंने न ज्ञानी का कोर्स पास किया, न ऐसी किसी दूसरी परीक्षा पास की है, किन्तु उन्होंने देश का शासन अच्छे ढ़ंग से चलाया, जो शायद कोई स्नातक भी न चला सके। अतः प्रश्न उठता है कि एक सांसद होने के लिए कैसी योग्यता चाहिए? संसद के लिए ऐसे आदमी की आवश्यकता है जो प्रशासनिक क्षमता रखता हो, बुद्धि रखता हो, मामले को जल्द समझता हो और अभिव्यक्ति की काबलियत रखता हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो कानून के स्नातक हैं, ऐसे भी जो कॉलिज के प्रोफेसर हैं, किन्तु अच्छे सांसद साबित नहीं हुए। ऐसे लोग भी हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। आप हिटलर की मिसाल ले सकते हैं। हिटलर की विचारधारा से कोई असहमत हो सकता है। किन्तु, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि उसने अपने देश को थोड़े समय में ऊंचाई पर पहुंचाया, जो कोई स्नातक शायद इतने थोड़े समय में नहीं ले जा सके। विचार की मौलिकता का जहां तक प्रश्न है, मैं कबीर की मिसाल दे सकता हूँ, जो समूचे देश में प्रख्यात हैं। मेरे मित्र श्री हुसैन इमाम जानना चाहते थे कि अनपढ़ आदमी ने देश को क्या दिया है? मैं सदन से कहना चाहता हूँ कि अनपढ़ लोगों ने देश को बहुत कुछ समृद्ध किया है।

अन्तरिम संसद

बुधवार, 2 अगस्त, 1950 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 2 अगस्त, सन् 1950 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर

चौधरी रणबीर सिंह (पंजाब) : मेरे मित्र त्रिमुला राव द्वारा पेश राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने उद्‌बोधन में अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की उत्सुकता और उसकी चिन्ता का उल्लेख किया है। इस सन्दर्भ में, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ, जिनका परोक्ष–अपरोक्ष रूप में अनाज उत्पादन बढ़ाने के प्रश्न से ताल्लुक है। सबसे पहले मैं देश में प्रचलित भूमि पर मालिकाना हकूक को लूंगा। आज भील देश में 1947 से पहले की तरह यह प्रणाली त्रुटिपूर्ण है। राजस्थान में जागीरदारी और पंजाब में जमींदारा प्रणाली आज भी जारी हैं। आज भी पंजाब, राजस्थान और पटियाला यूनियन में मुजाहरे, जिनके पास काश्त के साधन हैं और जो खेती करना चाहते हैं, उन्हें जमीनों से

**(संसदीय वाद–विवाद खण्ड 1, भाग 11, 2 अगस्त, 1950, पृठ 151–156)*

बेदखल किया जाता है। मैं केन्द्रीय मन्त्री माननीय श्री मुंशी की दिक्कतों को समझता हूँ। वे सर्वशक्ति सम्पन्न नहीं हैं। वे सीमाओं के चलते काम कर रहे हैं, जिन्हें संविधान ने बांधा है। किन्तु मैं जानता हूँ कि वे भारी रसूख रखते हैं और केन्द्र सरकार पर दबाव बना सकते हैं और केन्द्र प्रान्तीय सरकारों पर दबाव बना सकती है। इस सन्दर्भ में, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि मामला चाहे भूमि सुधार का हो या अनज की सरकारी खरीद का, नीति एक जैसी होनी चाहिए। जब तक यह समान नहीं होगी, इससे देश के दूसरे भागों में प्रतिक्रिया होगी और एक प्रान्त की नीति का असर दूसरे प्रान्त की नीतियों पर प्रभाव डालेगा।

इसी कड़ी में, मैं जमींदारा प्रथा की समाप्ति के बारे में कहना चाहूंगा। यह अच्छे कदम हैं। किन्तु, जब पंजाब, पटियाला यूनियन और राजस्थान में भी इन पर काम नहीं होता, तो इसका उन क्षेत्रों में असर पड़ेगा, जहां ये बिल अभी बकाया पड़े हैं। इससे अविश्वास का वातावरण बनता है। हालांकि मुजहारों से भारी हिस्सा लिया जाता है और उनका बेहिसाब शोषण होता है। फिर, उनको काश्त के लिए भूमि तो मिल जाती थी। अब स्थिति बदल गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि बहुत सी भूमि पर पहले काश्त होती थी, लेकिन अब बेकार पड़ी है। हमारे केन्द्रीय मन्त्री ट्रैक्टर मंगवाने में करोड़ों रूपये खर्च कर रहे हैं, ताकि नयी जमीनों को काश्त में लाया जा सके। किन्तु, जिस भूमि पर पहले काश्त होती थी, अब बेकार पड़ी है। मैं अपने माननीय मित्र से निवेदन करूंगा कि वे अपना रूतबा प्रयोग करें और देखें कि पंजाब, पटियाला यूनियन व राजस्थान में मुजाहरों को बेदखल न किया जाए।

महोदय, अब मैं अनाज की सरकारी खरीद पर कुछ कहूंगा। इस पर मेरा निजी मत है कि डी–कन्ट्रोल हो। लेकिन, मैं जानता हूँ कि कन्ट्रोल ऐसी बुराई है जिससे फिलहाल हम बच नहीं सकते हैं। यदि हम कन्ट्रोल से न बच सकें तो हमें अनाज की सरकारी खरीद करनी चाहिए। प्रश्न उठता है कि इस खरीद का सबसे बेहतर तरीका क्या हो? मैं कहना चाहता हूँ कि उसका अभिप्राय किसानों को विशेष लाभ देना नहीं है। न मेरा यह मतलब है कि अनाज को उनके पास छोड़ दें। बल्कि, अधिक अनाज की खरीद हो और कम खर्च पर हो। इस सम्बन्ध में, जैसा

तीरूमल राव कमेटी ने सुझाया है, मैं भी सलाह दूंगा कि पंजाब के सिस्टम का पूरे देश में प्रयोग हो। पंजाब में सरकार किसानों के पास नहीं जाती है, स्वयं किसान मंडियों में आकर अनाज बेचते हैं। उन्होंने ऐसी स्थिति तैयार कर दी है कि किसान को समझ आ गई है कि सरकार से अधिक कीमत उन्हें कोई दूसरा नहीं देगा।

मैंने इस बारे में अपना सुझाव पेश कर दिया है। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जिले में स्थिति यह है कि किसान गेहूँ मण्डी में ले जाते हैं। लेकिन, उसे खरीदने वाला कोई नहीं है और वे इसे अपने घरों को वापस ले जाते हैं या कम कीमत पर व्यापारियों को बेचते हैं। मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार हो या प्रान्तीय सरकार मार्केट को कन्ट्रोल करने में सफल नहीं हुई हैं। या फिर, वह व्यापारियों पर अपना दबदबा नहीं बना पाई हैं। वह अपने अधिकारों का गलत तरीके से प्रयोग कर रही हैं। वे प्रयास कर रही हैं कि सरकारी खरीद व्यापक पैमाने पर हो। किन्तु, काम ऐसे कर रही है कि परिणाम उल्ट हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एकमुश्त नीति अपनाई जाए और वह पंजाब की नीति हो।

चने के बारे में मैंने कल पार्टी मीटिंग में श्री मुंशी से बात.....

स्पीकर : माननीय सदस्य, पार्टी मीटिंग का यहां जिक्र न करें।

चौधरी रणबीर सिंह : चने के सम्बंध में मैं श्री मुंशी से सहमत हूँ, जिन्होंने अनेक जगह कहा है कि इन पाबंदियों के साथ चने को नहीं खरीद सकते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री आर. के. सिधवा अक्सर कहते हैं कि लोग अनाज की जमाखोरी करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि केवल चना ही जमा करके रखा जा सकता है या इसे कुछ साल रखा जा सकता है। किसी किसान अथवा व्यक्ति के लिये गेहूँ या चावल एक या डेढ़ साल से अधिक जमा करके रखना लाभकारी नहीं है, क्योंकि इससे जमा करने वाले को हानि होगी और कोई जमाखोर हानि उठाना नहीं चाहेगा। यह केवल चना है, जिसे जमा करके रखा जा सकता है और इस पर हमारा कन्ट्रोल नहीं है। मैं एक मिसाल दे सकता हूँ।

यदि चने को चारे (भूसा) के साथ मिलाकर रख दिया जाए तो इसे जमा किया जा सकता है। इसलिए चने की समस्या से निपटने का एक ही तरीका है कि इसके लाने ले जाने से पाबंदियां हटा ली जाएं और पूरी तरह डी–कन्ट्रोल कर दिया जाए।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं कन्ट्रोल के हक में नहीं हूँ। जैसा मैंने पहले कहा मैं डी–कन्ट्रोल चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहां कुछ लोग हैं जो अनाज पर कन्ट्रोल को रखना चाहते हैं। इस नीति की एक विरासत है। आप सीमेन्ट को डी–कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री कपूर ने अभी कहा कि उपयुक्त मात्रा में सीमेन्ट उपलब्ध है या इसका उत्पादन काफी हो जाएगा। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। मैं जानता हूँ कि स्थिति कैसी है। आज भी ग्रामीण सीमेन्ट प्राप्त नहीं कर सकते हैं

श्री जे. आर. कपूर : कन्ट्रोल के कारण।

चौधरी रणबीर सिंह : नहीं। मैं सहमत नहीं हँ कि कन्ट्रोल के कारण उन्हें सीमेन्ट नहीं मिलता। यदि कन्ट्रोल हटा दिया जाए तो कीमतें चढ़ जाएंगी। यही हाल लोहे और कोयले का है। हमें उन सभी चीजों पर कन्ट्रोल रखना आवश्यक है। हमें उन सभी चीजों पर कन्ट्रोल रखना होगा, जिन्हें वे प्रयोग करते हैं।

अनाज उगाओ अभियान के एक अन्य पहलू पर मुझे एक सुझाव देना है, जो केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के बारे में है। मैंने अक्सर लाल कुंआ रेल स्टेशन को पार किया है। उस स्टेशन के पास महीनों से भारी ट्रैक्टर काम के मौसम में भी बिना उपयोग खड़े हैं। महीनों पहले ये ट्रैक्टर अपने–अपने गन्तव्य तक पहुंच गए थे। किन्तु, उन किसानों तक नहीं पहुंचे, जहां उन्हें काम करना था। एक दिन मैं गाड़ी से सफर कर रहा था, जिसमें केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के दो अधिकारी भी थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। एक कह रहा था कि उसे ऐसे स्थान पर लगाया जा रहा है, जहां एक विशेष ट्रैक्टर का अनुभव चाहिए और वह अनुभव उसे नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सरकार ने भारी खर्च उठाया

है और मैं कह नहीं सकता कि यह रकम उसी परिणाम तक पहुंचेगी, जहां ठीक तरीके से प्रबन्धन करने पर यह परिणाम देती। आज प्रश्न अवधि में अनेक सदस्यों ने जानना चाहा कि एक ट्रैक्टर की प्रति घंटा कितनी क्षमता है और कितना काम वह प्रति घंटा करता है? मैं एक निजी अनुभव का हवाला देना चाहता हूँ। मैं यू. पी. में बेकार कृषि भूमि को विकसित कर रहा हूँ। हमने यू. पी. के ट्रैक्टर संगठन से मदद के लिए निवेदन किया, जिसके लिए आवश्यक रकम भी जमा कर दी गई। ट्रैक्टर लेकर आदमी एक साल बाद आया, किन्तु, ट्रैक्टर को मेरे फार्म पर छोड़कर वापस चला गया, क्योंकि, उसने अलग से रकम की मांग की जो उसे नहीं मिली।

श्री भारती (मद्रास) : अलग से रकम अपने लिए?

चौधरी रणबीर सिंह : ड्राईवर के लिए।

श्री श्यामनन्दन सहाय (बिहार) : आपने केवल ट्रैक्टर के लिए रकम दी थी।

स्पीकर : शांत रहिए, शांत रहिए। इन्हें बोलने दें।

चौधरी रणबीर सिंह : ऐसी बहुत खराब मिसालें हैं। इन हालात में, ये परिणाम नहीं आ रहे, जिन्हें आना चाहिए।

एक अन्य बिन्दु है और यह कृषि उपज की कीमत के स्तर से जुड़ा है। उपज की कीमत का स्तर घटता–बढ़ता रहता हैं मुझे बताया गया कि यू. पी. में खाडसारी 40 रूपये प्रति मन पर बिक रही है। जबकि बम्बई में यह भाव 90 रूपये का है और कलकत्ता में 70 रूपये प्रति मन गुड़ का मामला लें। उत्पादन के मौसम में गुड़ 18 से 22 रूपये प्रति मन बिकता है। अब वही गुड़ 40 रूपये प्रति मन बिक रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब हम मंडी को नियन्त्रित नहीं कर सकते हैं, तब हम किसान से उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि वह अपनी उपज जमा रखे,

जब वह इसे रखने की क्षमता पा चुका है? यदि आप चाहते हैं कि पूरी उपज मंडी में पहुंचे तो यह अति आवश्यक है कि इसके अनुरूप सहायक स्थिति बनाएं। इसके लिए पूरा साल और हर जगह कृषि उपज के दाम स्थिर रहे। यदि यह स्थिति बनती है तो मुझे भरोसा है कि बड़ा काम होगा।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे से अधिक उपयोगी सुझाव अन्ये अनेक सदस्य दे सकते हैं।

अन्तरिम संसद

बुधवार, 9 अगस्त, 1950 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 9 अगस्त, सन् 1950 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

आवश्यक आपूर्ति पर

चौधरी रणबीर सिंह : मैं ऐसे जिले से हूँ, जहां समस्या गेहूँ प्राप्त करने की नहीं है, बल्कि देशी गेहूँ की है। किसान मण्डी में जाता है, किन्तु गेहूँ बेच नहीं पाता है। एक दूसरा पहलू है, जिसे महोदय आपने भी कल उठाया था। केवल मेरे जिले में ही इस अधिनियम के तहत 18000 मामले दर्ज हुए हैं। मैं कल से ही जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे प्रान्त में विशेषकर किसानों से सम्बंधित इस अधिनियम की वस्तुगत क्या स्थिति है? पिछले दिनों जब मैं जिला में गया था तो मुझे बताया गया कि चना पैदा करने वाले अनेक किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका देशी चना जब्त कर लिया गया। इस विशेष बिल के बारे में कल ही मैं माननीय श्री मुंशी से चर्चा कर रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि पंजाब में इस खास किस्म के चने को 25 मन तथा कुल

**(संसदीय वाद–विवाद खण्ड 1, भाग 11, 9 अगस्त, 1950, पृष्ठ 653–654)*

अनाज 100 मन (को अपने पास) रख सकते हैं किसान कड़ी मेहनत के बाद चना पैदा करते हैं। चना उसकी जरूरत है। इसलिए उस पर विशेष रियायत बरती जानी चाहिए। बैल, भैंसों को उसे चना खिलाना पड़ता है।

सभापति : माननीय मन्त्री ने बिल पेश करते हुए बताया था कि यह उत्पादकों पर लागू नहीं होता।

चौधरी रणबीर सिंह : इस पर माननीय मन्त्री ने मुझ कल बताया कि पंजाब में....

श्री के. एम. मुंशी : सदन से बाहर हुई चर्चा का यहां जिक्र करने का मैं विरोध करता हूँ।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे मतदाताओं पर इस कार्यवाही का कुल क्या असर होने वाला है और इसलिए यह माननीय मन्त्री से यह जानने का मेरा अधिकार है कि मैं सदन से बाहर अथवा अन्दर हुई बातचीत का हवाला दे सकता हूँ।

मैं कह रहा था कि माननीय मंत्री ने स्वयं मुझे बताया कि एक कृषक या उत्पादक को 25 मन चना अपने पास रखने का अधिकार है। मैं इस सदन की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि मेरे जिला में क्या स्थिति है? लोग गैर–जरूरी अनाज अपने पास रखने में दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन जितना अनाज उन्हें चाहिए, उसे रखना चाहते हैं। महोदय, आप भी उसी क्षेत्र से हैं। चना ऐसा अनाज है, जिसके बिना हमारे क्षेत्र में गुजारा नहीं है, जहां यदाकदा अकाल पड़ते रहते हैं।

मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि माननीय मन्त्री उत्पादकों/किसानों में विश्वास पैदा नहीं कर पाये हैं कि चने की फसल खराब हो जाने की सूरत में एक साल के बाद उन्हें चना उपलब्ध हो सकेगा। तब, क्या परिणाम होगा? एक किसान को साल में कम से कम 72 मन चने की जरूरत होती है, जिससे उसके परिवार व दुधारू अथवा सूखे पशुओं का काम चल सके। अभी वह केवल 25 मन अपने पास

रख सकता है, जिसके कारण मेरे जिले में और आपके जिले में 75 प्रतिशत किसानों को सात साल के लिए जेल में भेजा जा सकता है। यह बहुत बड़ी समस्या है। हमारी भी और आपकी भी। महोदय, यहां अनेक लोग हैं, जो इस पर अविश्वास की निगाह से देखते हैं।

सभापति : मुझे सन्देह है कि मेरे अथवा अपने प्रान्त का हवाला देने से चेयर का ध्यान इस बात पर पलटा नहीं जा सकता है। इस बारे में माननीय मन्त्री का सन्दर्भ बेवजह है। यह मान तय करना केन्द्र का नहीं, प्रान्तीय सरकार का दायित्व है।

चौधरी रणबीर सिंह : इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि यह शक्ति केन्द्र सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को दी है, जिसे सरकार संशोधित कर सकती है या पंजाब सरकार को इस मात्रा को संशोधित करने के लिए कह सकती है।

सभापति : खेद है कि चर्चा का यह बिन्दु नहीं है। हमारा धारा 7 से और नियमों के अधीन निर्धारित मात्रा से सम्बन्धित है।

चौधरी रणबीर सिंह : मेरा निवेदन है कि यह धारा 7 हमारे लोगों को प्रभावित करेगी और उन्हें 7 साल की जेल काटने की सजा भुगतनी होगी और उनकी संख्या 75 प्रतिशत किसानों की होगी।

श्री नजीरूद्दीन : सब आपके मतदाता हैं?

चौधरी रणबीर सिंह : मेरी दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि वे किसके मतदाता हैं। किन्तु, इस मामले पर गम्भीर विचार होना चाहिए। यह सन्दर्भहीन या गैर जरूरी नहीं है। इस सदन से बाहर प्रश्न का जवाब देना कठिन होगा। हमारे पक्ष में बहुत लोग हैं, जो सोचते हैं कि यह सदन केवल कुछ खास लोगों के हित में दिलचस्पी रखता है और वे इस तरह मानकर चल रह हैं कि मानों दूसरे खास वर्ग का अस्तित्व ही नहीं

है। यह भेदभाव है। एक व्यक्ति यदि कपड़े का जखीरा दबाकर रखता है तो उसकी सजा तीन साल है, जबकि एक व्यक्ति यदि अपना ही अनाज रखता है तो उसकी 7 साल की सजा दी जा सकती है। तकनीकी आधार पर आप कह सकते हैं कि यह सन्दर्भ रहित है। किन्तु, मेरी दिलचस्पी इस पर नहीं है कि सन्दर्भ माननीय मुंशी का है अथवा माननीय मेहताब का। किन्तु इस धारा के अधीन एक व्यक्ति यदि कपड़ा दबाकर रखता है तो उसे तीन साल और दूसरा यदि अपना ही अनाज, जिसे अपने ही खेत में कड़ी मेहनत व खर्च करके पैदा किया है, अपने पास रखता है तो उसे 7 साल की सजा मिलेगी। जो कपड़े का व्यापार करता है, लाखों कमाता है। उसके पास बंगला कोठी है, कार है और दूसरी सहूलियतें हैं। जबकि कड़ी मेहनत के बाद कठिनाई से गुजारा करने के लिए किसान है। मैं माननीय मन्त्री से कहूंगा कि इस पर विचार करें कि इसका उत्पादकों पर कुल प्रभाव क्या होगा? मैं उन्हें बिल्कुल मुक्त करने की बात नहीं कहता। मैं उसके साथ न्याय करने की बात कहता हूँ।

अन्तरिम संसद

सोमवार, 14 अगस्त, 1950 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 14 अगस्त, सन् 1950 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

पूरक मांग पर

चौधरी रणबीर सिंह (पंजाब) : ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 4000 डाकघर खोलने की योजना पेश करने पर मैं माननीय मन्त्री का तहेदिल से धन्यवाद करता हूँ। हमें खुशी है कि कम से कम एक मन्त्री तो हैं, जिन्होंने समय की आवश्यकता को पहचाना है।

(डिप्टी स्पीकर ने आसन ग्रहण किया)

हालांकि इस आवश्यकता को देर से पहचाना, किन्तु मैं प्रसन्न हूँ कि कम से कम यह जान लिया गया है कि सदन को कुछ ही महीनों में चुनाव के लिए जाना है और हमारे में से हरेक को उस गाँव निवासी के पास जाना है, जो हमसे पूछेगा कि, ''इस अवधि में आप लोग हमारे लिए क्या करते रहे?'' उस समय हालांकि संतोष के लिए बहुत कम होगा, कम से कम हम कह सकेंगे कि गाँवों के लिए 4000 डाकघर खोलने का काम हुआ है।

**(संसदीय वाद–विवाद खण्ड 1, भाग 11, 14 अगस्त, 1950, पृष्ठ 1090–1091)*

मैं कहे बिना नहीं रह सकता हूँ कि गाँवों के लिए कुछ तो करने का प्रयास किया गया है, फिर भी शहरों के प्रति उनका प्रेम उसी तरह खड़ा है। जबकि शहरों में आज भी बहुत डाकघर हैं। मन्त्री महोदय 300 डाकघर शहरों में और खोलना चाहते हैं। किन्तु, मैं जानना चाहता हूँ कि इन शहरी क्षेत्रों के लिए 300 डाकघरों पर कितना धन खर्च किया जाएगा और गाँवों के लिए इन 4000 डाकघरों पर कितना खर्च होगा?

मैं इस प्रस्ताव को पेश करने और गाँवों को इस तुच्छ सी तसल्ली देने पर फिर से बधाई देना चाहता हूँ।

अन्तरिम संसद

मंगलवार, 21 नवम्बर, 1950 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 21 नवम्बर,, 1950 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन प्रस्ताव)

चौधरी रणबीर सिंह : उपवाचस्पति महोदय, मैं अर्थ शास्त्री नहीं हूं, यह कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। लेकिन, एक बात कहे बगैर, मैं नहीं रह सकता कि इस सदन के अन्दर जो अपने आप को बड़े भारी अर्थ शास्त्री कहते हैं, मेरे विचार में इस देश के लिए वे अर्थ विशेषज्ञ नहीं हैं। वे ऐसे देशों के लिए विशेषज्ञ हो सकते हैं, जिनके आर्थिक जीवन में कारखानों का बड़ा स्थान हो। लेकिन, ऐसे देश में, जिसमें खेती का बड़ा प्रभुत्व हो, वे बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ कि इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो अपने आपको यहां आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं, वे दरअसल कारखानेदार देशों के लिये ही आर्थिक विशेषज्ञ हो सकते हैं। वे खेती करने वाले देशों के लिए विशेषज्ञ नहीं हैं। मैं आपके इस मत से 16 आना सहमत हूँ कि अब समय आ गया है कि

**संसदीय बहस, पुस्तक संख्या 1, भाग 2, 21 नवम्बर, 1950, पृष्ठ 390–400*

रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि आज देश के अन्दर जो हालात हैं, उसमें सिवाय इसके और कोई उपाय नहीं है, जिससे कि यहां के आर्थिक जीवन में सुधार हो सके।

इसके बाद, मैं आपके सामने नम्रता के साथ देहाती रूपया फैलाव के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूँ। आज रूपये के बाजार में यह हालत है कि अगर एक काश्तकार किसी बैंक के पास जाता है, चाहे उसकी अपनी खेती की दुनिया में आर्थिक अवस्था अच्छी हो, परन्तु उसे आसानी से रूपया नहीं मिल सकता। यह बात और है कि कोई आदमी रियायत के तौरपर उसे बगैर ब्याज के रूपया दे दे। परन्तु, रूपये के बाजार में उसे 18 और 20 फीसदी (सूद) से कम में रूपया नहीं मिलता। आप जानते हैं कि आज रूपये के बाजार में मशीनरी पर रूपया बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर कोई आदमी खेती करने वाला है और उसके पास एक ट्रैक्टर है। यदि वह उसको जमानत में देना चाहता है तो भी उसको 18 फीसदी (सूद) से कम पर रूपया नहीं मिल सकता।

इसके अलावा, मैं यह समझता हूं कि आज आर्थिक तौरपर हमारा देश ऐसी जगह पर पहुंच गया है कि आप औद्योगिक वित्त निगम और दूसरे निगम बनाकर देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। मुझे कारखानेदारों से बड़ी हमदर्दी है और दूसरे भाईयों से भी, खास तौर से उन भाइयों से जो पंजाब से और बंगाल से (यहां) आये हैं और जिनके पुनर्वास के लिये इस सरकार ने एक अलहदा वित्त निगम की जरूरत महसूस की है। लेकिन, काश्तकार के लिये, जोकि इस देश की रीढ़ की हड्डी है और जिस ताकत के ऊपर आगे एक साल बाद यह हाऊस बनने वाला है, कुछ करना जरूरी है। उन लोगों के दृष्टिकोण से भी जो कि रिजर्व बैंक या दूसरे बैंक के अन्दर है, आज जरूरी है कि ग्रामीण कर्ज के लिये ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिये। आपने जो यह संशोधन रखा है कि नौ महीने से एक साल की अवधि बढ़ा दी जाय, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यह तो आपका सस्ती मशहूरी हासिल करने का तरीका है आगे यह बहुत

ज्यादा कारगर नहीं हो सकेगा। अगर, आप इस देश को आर्थिक तौरपर अड़चनों से निकालना चाहते हैं तो आपको आर्थिक दुनिया में भी क्रान्ति करनी होगी। आप बैंक वालों से बात करेंगे तो वह यह कहेंगे कि काश्तकारों को रूपया देने में सुरक्षा नहीं है। मैं उनसे कहता हूं कि यह तो वैसा ही है जैसा कि हमारे देहात में एक कहावत मशहूर है :

ठाड्डा मारै रोण दे ना!
चाकी खोस ले, पीसण दे ना!!

इसका मतलब यह है कि जिसके हाथ में ताकत है, वह बुरे आदमी को तो बुरा कहता ही है, भले आदमी को भी बुरा कह सकता है। इस देश के तकरीबन सभी आदमियों को जो अखबार पढ़ते हैं, पता है। रोजाना हम यह खबरें पढ़ते हैं कि फलां व्यवसायी या कारखानेदार का दिवाला निकल गया। लेकिन, हमने आज तक यह खबर नहीं पढ़ी कि कोई काश्तकार, चाहे उसके पास एक ही बीघा जमीन हो, दिवालिया हो गया हो और उसके पास वसूली के लिये कुछ भी हो, चाहे नहीं हो। पंजाब के सिवा, जहां कुछ दिनों तक ऐसे आदमियों के हाथ में ताकत आई थी, जो देहात की समस्याओं को समझते थे। दूसरे किसी प्रान्त में आप चले जाइये, कोई भी काश्तकार चाहे उसके पास एक टुकड़ा (जमीन) ही क्यों न हो, तो वह भी अपने को दिवालिया कह कर (वसूली से) बचाना नहीं चाहता और न ही बच सकता है। जबकि, कारखानेदार और व्यवसायी लाखों रूपया अपने पल्ले रखकर भी अपने को दिवालिया करार दे सकते हैं और देते हैं। यह इसलिये है कि ताकत उनके हाथ में है। मुझे आज यह कहने में शर्म नहीं है कि इस देश में जिनके हाथ में ताकत है, उनका काश्तकारों के साथ सीधा संबंध नहीं है। यही वजह है कि वह ऐसी बात कह सकते हैं कि दूसरे आदमियों के दिवालिया होने की कोई गुंजाईश नहीं है, जबकि काश्तकार के दिवालिया हो जाने की सभी गुंजाइशें हैं। काश्तकार से तो आप मालगुजारी के तौरपर आसानी से वसूल कर सकते हैं और रोजाना करते ही हैं। आपको पता ही है कि तकावी (फसल कर्ज) कितने अच्छे ढ़ंग से या बुरे ढ़ंग से वसूल होती है।

उसके पास फसल अच्छी है या नहीं, उसे तकावी (कर्ज) एकदम देना पड़ता है। वह अपनी जमीन बेच कर दे या घर बेचकर दे, उसे यह देना पड़ता है। ऐसा आदमी जिसकी आप के पास इतनी बड़ी सिक्युरिटी है, जिससे आप इतनी आसानी से वसूल कर सकते हैं, उसको भी आप रूपया उसकी जरूरत के लिए ही नहीं बल्कि, आज अपने देश की जरूरत के लिए भी नहीं देना चाहते हैं। उसको रूपया न देने से न आप देश की आर्थिक आपत्ति से रक्षा कर सकते हैं और न उनकी ही रक्षा कर सकते हैं। अगर वास्तव में आप इस देश को आर्थिक उलझन से निकालना चाहते हैं तो आप देख लीजियेगा कि आपके पटसन के कारखाने या कपड़े के कारखाने जिनके एक्सपोर्ट पर आप डालर कमाते हैं, वह चल नहीं सकते। देश की तरक्की नहीं हो सकती, जबतक कि उसमें काफी कपास, जूट और अन्न पैदा न हो। ऐसी हालत में, आपको यह मानना होगा कि आप की आर्थिक अवस्था में अगर जरूरत है तो ग्रामीण कर्ज की जरूरत है और दूसरे कर्ज की इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है। मैं तो यह भी कहूंगा कि और दूसरे कर्ज के लिये तो आपके अलावा और भी बहुतेरे हैं। इस देश के अन्दर हजारों लाखों और अखबारों वाले ऐसे हैं, जो उनकी परवाह करते हैं। लेकिन जिसकी परवाह आपको करनी चाहिये और जिसकी परवाह करने वाले इस देश में बहुत ही चन्द आदमी हैं, और जिसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है, उसकी आर्थिक आवश्यकता की परवाह आपको करनी चाहिये।

अब मैं इस सिलसिले में रचनात्मक ढ़ंग से एक दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपके रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र सहकारी बैंक को भेजा कि अगर वे इस शर्त को मानें कि, मुझे इस समय ठीक प्रतिशत की याद नहीं है, वे तीन प्रतिशत या कुछ और पर रूपया लें और चार या पांच प्रतिशत पर वास्तविक किसान को या जमींदार को या काश्तकार को दे दें तो उनको रूपया मिल सकता है, वरना नहीं। लेकिन, इसका नतीजा क्या है? आप जानते हैं कि हर कहीं चाहे वह सहकारी बैंक हो, या अनुसूचित बैंक हो या दूसरे बैंक हों, हर एक बैंक में जो हिस्सेदार हैं, उनका एक अपना अलहदा ब्याज,

देश का ब्याज हरगिज नहीं होता। उसका नतीजा जो हुआ वह मुझसे ज्यादा आपको पता है। मैं तो चाहूंगा कि आप जब अपना भाषण दें तो यह बतायें कि आपने जो परिपत्र भेजा है, उसके तहत कितना रूपया काश्तकारों तक पहुंचा है और क्या यह बात सत्य नहीं है कि रूपया इस लिये नहीं पहुंचा कि लोग लेने वाले नहीं थे, या लोगों की जरूरत नहीं है या देश को जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे सत्य यह है कि सहकारी बैंक या दूसरे बैंक, यह कहते हैं कि साहब इस पैसे को वसूल करने की समस्या कौन ले। यह समस्या हमारे जिम्मे है और हमें एक या दो प्रतिशत दिया गया है, उससे हम अपना खर्चा भी आर्थिक तौरपर पूरा नहीं कर सकते। ऐसी दशा में आपकी आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए मैं तो आपसे यह नम्र निवेदन करूंगा कि या तो आप इसको बिल्कुल सरकारी ढ़ंग पर चलाएं या दूसरे बैंक वालों को मजबूर कर दें कि वह जो मुनाफा और ढ़ंग से कमाते हैं वह नहीं कमा सकते, जब तक कि वह इतना पैसा इस हिसाब से ग्रामीण कर्ज के लिए न दें। आप जब तक इस किस्म का सख्त आदेश, आप इसे सख्त कह सकते हैं, मैं तो इसको नरम से नरम समझता हूँ, जब तक यह आदेश आप नहीं देंगे तब तक काम नहीं चल सकेगा। आप कह सकते हैं कि अगर एक आदमी ट्रैक्टर खरीदे तो 5 फीसदी ब्याज पर बैंक रूपया देने को तैयार हो। लेकिन, मैं कहूंगा कि उनको कोई भी रूपया देने वाला नहीं है। जमीन उनके पास एक एकड़ है या दो एकड़ है, उनको कोई पैसा पहुंचाना है तो आपको ही इसके लिए खुद सोचना होगा।

तकावी लोन है, वह काफी बदनाम हो चुका है। किसी एक हिस्से की ही बात मैं नहीं कहता, लेकिन तकरीबन सारे देश में यह बदनाम हो चुका है। क्योंकि, जब उसको दिया जाता है तो एक तरफ उसको लेने का इतना पेचीदा ढ़ंग है कि उसको लेना फायदेमन्द नहीं है। काश्तकार के लिए (इससे बेहतर) यह फायदेमन्द है कि वह 25 फीसदी ब्याज पर दूसरे आदमी से कर्ज ले ले। लेकिन, यह फसल–कर्ज न ले। दूसरे, जब यह वापिस लिया जाता है तो उस वक्त वह इतने कठिन ढ़ंग से लिया जाता है कि शायद एक साहूकार जो 25 फीसदी

का ब्याज लेता है, वह शायद काश्तकार से डर सकता है या काश्तकार उसकी मिन्नत कर सकता है, समाजत कर सकता है, खुशामद कर सकता है और किसी न किसी तरह उसको मना सकता है। लेकिन, चूंकि सरकार का फसल–कर्ज होता है और सरकार सामने होती नहीं, किसान को यह भी पता नहीं कि किस आदमी तक पहुंचना चाहिये। एक सिपाही (वसूली के लिए) जाता है और कहता है कि उसे तो हुक्म है और ऐसा काम करना है। अगर वह ऐसा न करे तो उसकी नौकरी चली जायेगी। तो वह रद्द कैसे करे। वह कह देता है कि या तो वह उसके ऊपर रहम कर ले। इसलिए मैं मजबूर हूँ। किसी दूसरे अफसर के पास जाओ। वह दूसरा अफसर भी यही कहता है। मैं समझता हूँ कि यह फसल–कर्ज सारे देश में बदनाम है। आज फसल–कर्ज लेने वाला ऐसा कोई नहीं है, जिसको दूसरे ढ़ंग से रूपया मिल सकता है। अगर, आप सही तौरपर यह चाहते हैं कि फसल–कर्ज से लोग फायदा उठावें तो उसके लिये जरूरी है कि आप यह शर्त लगा दें कि पटवारी लाजिमी तौरपर उस आदमी को प्रमाण–पत्र दें कि उसने शर्त पूरी कर दी है या नहीं। अगर पटवारी प्रमाण–पत्र नहीं दे तो उसकी नौकरी छीन लें और उस तस्दीक पर रूपया दे दें। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तब तो फसल–कर्ज से लोग पूरा फायदा उठा सकते हैं। दूसरे, जब आप वसूल करें तो इस इलाके, प्रान्त या स्टेट, पैदावार की हालत को देखकर वसूल किया जाये और नरम से नरम तरीके से वसूल किया जाये।

अब मैं एक और बात आपसे कहना चाहता था। मैं यह बात अधिक खाद्यान्न उत्पादन में भी कहना चाहता था। लेकिन, मेरी बदकिस्मती है कि उसके लिए मुझे समय नहीं मिला। अधिक खाद्यान्न उत्पादन में जो तरक्की नहीं हो रही है, उसमें कृषि कर्ज का न मिलना सबसे बड़ा कारण है। उपवाचस्पति महोदय, आप शायद मेरी तरफ इसलिए देख रहे हों कि मैं जल्दी खत्म करूं या आप यह समझते हैं कि मैं विषय के क्षेत्र से बाहर जा रहा हूँ। लेकिन, मैं बात को इसके अन्दर ले आऊंगा, अगर आप थोड़ा सा सब्र करेंगे।

मैं कह रहा था कि अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए जब तक कृषि कर्ज नहीं मिलेगा, तब तक वह काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। यह अच्छा है कि इस समय हमारे कृषि उपमंत्री महोदय बैठे हैं और उनको भी पता होगा कि यहां सैंकड़ों नहीं, हजारों एकड़ ऐसी जमीन है, जिसके लिए आप बड़े ट्रैक्टर लाये हैं, उनसे आपने जोता और वह जुती हुई रह गयी, क्योंकि उसको हैरो करने के लिए जो ट्रैक्टर चाहियें वह आपके पास नहीं है। आपके पास जो ट्रैक्टर हैं, उनसे वह हैरो नहीं हो सकती। उसको हैरो करने के लिए मध्यम (दर्जे के) ट्रैक्टर चाहियें और केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के पास वह ट्रैक्टर न होने से यह मुमकिन नहीं कि वह हैरो कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को अप्राप्य भाषण को प्रस्तुत करने की इजाजत देते हुए डरता हूं। वे यहां उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने के अभियान के लिए ग्रामीण वित्त जरूरी है, लेकिन इससे आगे जाना और भारी व हल्के ट्रैक्टरों के बारे में कहना, मुझे लगता है कि यह इस मुद्दे के लिए सार्थक है।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं यह सब ग्रामीण वित्त के विषय में कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अधिक खाद्यान्न उत्पादन को तरक्की नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास सरकारी तौरपर ऐसे भारी ट्रैक्टर नहीं हैं और किसानों को पैसा नहीं मिलता। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वह कहीं से कर्ज लेकर 25 या 30 हजार रूपया ले लें और ट्रैक्टर ले आवें और उसको हैरो करें। चूंकि इसके बारे में आपका एक खास मत है, इसलिये मैं अपने आपको उस तरफ अधिक नहीं ले जाना चाहता। लेकिन, इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि देश में पैदावार बढ़े और देश की आर्थिक व्यवस्था जिसके लिये रिजर्व बैंक है, वह सुधरे तो उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप कृषि कर्ज को एक ऐसे ढ़ंग से बढ़ावें कि उसमें जो सुरक्षा का पेचीदा ढ़ंग है, वह न रहे। उसकी सबसे अच्छी तरकीब तो यही

है कि बजाय इसके कि आप देहात में उन साहूकारों की और जिनकी पहले ही से बुरी आदत है, उनको आप अपना खास एजेन्ट बनाए। हर एक गांव में ऐसा इन्तजाम करें कि वहां बहु–उद्देश्यी सहयोगी समितियां बनें।

मैं यह भी समझता हूं कि इससे आपके ऊपर ज्यादा (आर्थिक) बोझ पड़ने वाला नहीं है। मैं मैसूर गया, वहां के कृषि मंत्री ने बतलाया कि किस तरीके से देहातों के अन्दर कृषि–कर्ज को देने वाले हैं और यह भी बतलाया कि राज्य पर उसका कम से कम बोझ पड़ेगा। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि अगर आप दूसरे मंत्रालयों की सहायता लें तो आप आसानी से कृषि–कर्ज को बगैर किसी पैसे के खर्च के बढ़ा सकते हैं। उसकी आसान तरकीब यह है कि देश के अन्दर बहुत ऐसी चीजें हैं, जिन पर नियन्त्रण है, आप बहु–उद्देश्यी सहकारी समिति हर एक गांव में स्थापित कर लें और उनके द्वारा आप इन चीजों अर्थात कपड़ा, चीनी और तेल इत्यादि की सप्लाई करने को दें, वह आपके लिये देहात में बैंकों का काम देंगे, जैसे मैंने पहले कहा था। इस रास्ते में एक ही रोड़ा है कि जो बड़े–बड़े सदस्य और अफसर हैं और जो दूसरे भाई हैं, वह सब के सब या तो उनके भाई, भतीजे या रिश्तेदार हैं या उन्हीं लोगों में से हैं, जो उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन, मैं एक बार फिर सावधान कर देना चाहता हूं कि यह सवाल सिर्फ लाख या करोड़ का सवाल नहीं, बल्कि सारे देश का सवाल है। आप अगर कुछ वर्षों के अन्दर इस देश की आर्थिक अवस्था को ठीक न कर पाये तो इस देश में किसी भी सरकार का टिकना बड़ा मुश्किल हो जायेगा।

चूंकि हमारे लायक दोस्त श्री सत्यनारायण सिंह मेरी तरफ कड़ी नजर से देख रहे हैं। इसलिए, मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए अन्त में नम्र निवेदन करता हूं कि आप सस्ती लोकप्रियता के साधन इस्तेमाल करने चले हैं, उन्हें छोड़ दें और सही मायनों में देश की उन्नति करें, काश्तकार को ऊंचा उठायें और उसके द्वारा अपने देश को खुशहाल बनायें।

अन्तरिम संसद

वीरवार, 23 नवम्बर, 1950 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 23 नवम्बर, सन् 1950 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

संसद और राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनावी योग्यता प्रस्ताव

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब इस प्रस्ताव पर विचार हुआ, तब मैं यह बता रहा था कि यह जरूरी नहीं है कि विद्या की बड़ी–बड़ी उपाधियां लेने वाला संसद के या सभा के सदस्य के काम में अवश्य ही कामयाब हो। बल्कि, इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिन्दुस्तान में कई ऐसे महानुभाव, जैसे प्रताप, रणजीत सिंह और अकबर जैसे पैदा हुए, जिनके पास न कोई बड़ी उपाधियां थीं और न वे कोई पढ़े–लिखे ही थे। लेकिन, वे बहुत ही कामयाब प्रशासक साबित हुए। इसके अलावा जब के.टी. शाह साहब अपने प्रस्ताव को पेश कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि इस हाउस में बजट आदि पास होते हैं। मैं कहता हूं कि इस सदन में सरकार ने जब बजट पेश किया है तो उस बजट में हाउस कब और कितनी कमी कर सका है

**संसदीय बहस, पुस्तक संख्या 1, भाग 2, 23 नवम्बर, 1950, पृष्ठ 478–480*

या इस सदन की देखभाल कितनी कामयाब हो रही है, यह किसी से छुपी बात नहीं है। इसके अलावा, दूसरी बात यह भी है कि आपकी जितनी शैक्षिक योग्यताएं हैं, मेरा मतलब उपाधियों से है, उनमें सिवाय बी. काम. और एम.काम. के कोई उपाधि ऐसी नहीं है कि जिससे वित्त के विषय को बहुत अच्छे ढ़ंग से समझने में मदद मिलती हो। मैं पहले तो यह मानता हूँ कि किसी योग्यता आवश्यकता नहीं है। वैसे यह ठीक है कि जन सेवा की योग्यता के सदस्य के लिए जरूरत है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी ने जनता की सेवा की है या नहीं। यह बात किसी न्यायाधीश के ऊपर या किसी जज के ऊपर फैसला करने के लिये छोड़ा जा सके। अगर इसका कोई जज होता है तो सिर्फ वही लोग हो सकते हैं जिनको कि चुनाव करना है। इसके अतिरिक्त योग्यता कोई पक्की और हमेशा के लिए नहीं होती है। जो योग्यता पहले ठीक समझी जाती थी, यह जरूरी नहीं कि आज भी ठीक हो। मैं समझता हूं कि इसके लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अगर, सदन यह समझता है कि सदस्यों के लिए कोई योग्यता होनी ही चाहिये तो आज देश की जो आर्थिक दशा है, उसको देखते हुए अगर आप यह योग्यता रख दें तो इससे देश को भी बड़ा लाभ होगा, और वह योग्यता यह हो कि जो कोई जब तक कम से कम पांच या सात या दस एकड़ नई जमीन को न आबाद करे, उसको काश्त में न लाए, वह सदस्य नहीं बन सकता। अगर आपने ऐसी कोई योग्यता रखी तो देश का भी भला होगा और कम से कम जो आज देश की जो आर्थिक हालत है, उससे देश आजाद हो जाएगा।

मैं अब अपनी पहली बातों को दोहराकर सदन का समय नहीं लेना चाहता। मेरे और बहुत से साथी हैं जो मुझसे ज्यादा अच्छे और प्रभावी तरीके से इस का विरोध करेंगे। इसलिए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

अन्तरिम संसद

मंगलवार, 12 दिसम्बर, 1950 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 12 दिसम्बर, 1950 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

उपयोगी मवेशी संरक्षण विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। अभी डिप्टी मिनिस्टर साहब ने हमें बताया कि वह एक बहुत बड़ा बिल लाने वाले हैं, जिसका यह एक छोटा सा हिस्सा होगा, इसलिये, बाबू जी को चाहिये कि वह इस बिल को वापिस ले लें। जब बाबू जी बोल रहे थे तो बीच में मैनें भी यह सुझाव रखा था कि जिस समय आप उस बिल को लायेंगे तब यह बिल जो बाबू जी का है, रद्द किया जा सकता है। मुझे तो इस बिल को आज पास करने में कोई मुसीबत नजर नहीं आती। इस बिल के पास होने के खिलाफ उनका जो तर्क है, वह कोई अपील करने वाला तर्क नहीं मालूम होता है।

दूसरी बात यह है कि हमें और कुछ समय दीजिये। जिस समय यह अनुच्छेद पास हुआ है, मेरा विचार है कि कम से कम अभी

**संसदीय बहस, पुस्तक संख्या 1, भाग 2, 12 दिसम्बर, 1950, पृठ 1628–1638*

दो साल होने वाले हैं। जब से हमारा विधान लागू हुआ है, उसको भी इस 26 जनवरी को एक साल होने वाला है। यह वह चीज है जो हमारे देश के कोई एक लाख आदमियों के लिए नहीं है, जैसा कि हम बहुत सारे कायदे कानूनों में देखते है।, हमारे मंत्री महोदय, जिनका मैं यहां पूरा नाम नहीं लेना चाहता, सवेरे कहते थे कि अगर वनस्पति बन्द कर दिया गया तो दिल्ली वालों का क्या बनेगा? यह महज कुछ शहरियों के दृष्टिकोण से नहीं पेश किया गया है। बल्कि, यह बिल तो देश के 90 फीसदी आदमियों के फायदे की बात सोच कर रखा गया है। यह तो ऐसा कानून है, जिसमें सरकार एक धेला, पाई भी खर्च नहीं करती होगी। अगर पैसा खर्च करने वाली बात होती, तो सोचना भी था। बाबूजी हमारे एक बड़े होशियार वकील हैं। वे बड़ी होशियारी से बहुत अच्छा प्रस्ताव बनाकर सामने लाये हैं। मैं चाहूंगा कि चार करोड़ और 12 करोड़ रूपये का बहाना लेकर इस कानून को न टाला जाए। मन्त्री महोदय को पता है कि भारतवर्ष में एक नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों आदमी ऐसे हैं, जिनकी यह प्रबल भावना है कि हर एक जानवर का कत्ल होना बन्द हो। लेकिन, ऐसा आज मैं भी नहीं चाहता। स्वयं बाबू जी ने भी ऐसा इस बिल से नहीं चाहा। चाहने की बात तो दूर रही, यह समझ कर कि शायद यह आज मुमकिन न हो, इसलिये उन्होंने यह फैसला मवेशी का लिया। बाबू जी बोल रहे थे कि माननीय डा. देशमुख साहब के साथ उनके प्रान्त में गया हूं और डाक्टर साहब ने जो टिप्पणी की है, उसका भी एक कारण है। बाबू जी, जो इस बिल को ला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनके भी दिमाग में इसका एक खास कारण है, जिसने उनको मजबूर किया है कि इस किस्म का कानून (प्रस्ताव) सामने लायें। यह कारण मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। इसकी तरफ बाबू जी ने भी इशारा किया था। यह बात दुरूस्त है कि उनके सोचने के ढ़ंग में और हमारे सोचने के ढ़ंग में फर्क है। जिस तरह से वे कई दफा हल सोचते हैं, मैं उसके बिल्कुल विरोध में हूँ। यह ठीक है कि इस विधेयक के नीचे वह चीज नहीं आती है। लेकिन, यह

एक रहनुमाई होगी, दूसरे प्रान्तों के लिये। अगर, दूसरे राज्य भी केन्द्र का पालन करेंगे और ऐसे कायदे कानून बनाएंगे, तो इस चीज का हल हो जाता है। उस चीज को हल करने के लिये अप्रोक्ष तरीके से उन्होंने कोशिश की है। आप जानते हैं कि राज्य में जो कायदे–कानून हैं या जो दूसरे राज्य वाले विषय हैं, उनके बारे में यह सदन सक्षम नहीं है। इसलिये, बाबू जी जानते थे कि अगर उसको बढ़ा कर रखना चाहेंगे तो उसे यह कहकर उस कायदे–कानून के प्रस्ताव को उड़ा दिया जाएगा कि सदन इस पर गौर नहीं कर सकता। मैं कारण बता रहा था। कारण यह है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि हमारी वह भैंसें, जो दस, दस और पन्द्रह और बीस, बीस सेर दूध देती है और जो पक्का एक सेर ही नहीं बल्कि सवा सेर पक्का घी देने वाली भैंसे हैं, वह हजारों की तादाद में हमारे प्रान्त से बम्बई और कलकत्ता में ले जाई जाती हैं, मद्रास में भी जाती हैं। जहां तक उनके वहां जाने की बात है, मेरा और बाबूजी के विचारों में विरोध है। मैं समझता हूं कि उन्हें आने देना चाहिये। वह भी जाने देने के, मैं जानता हूं कि विरोध में नहीं हैं। लेकिन, चूंकि वह समझते हैं कि वहां उनकी जिन्दगी एक साल में ही खत्म हो जाती है, उनका विचार है कि आज की जैसी हालत है, जैसे आज कायदे कानून हैं, उन कायदों और कानूनों के होते हुए यही मुमकिन है, और यही आसान होगा कि पंजाब सरकार कोई पाबन्दी या बैन लगा दे कि वह जानवर उधर न जायें। इससे हम अच्छी–अच्छी नस्ल, जो हिन्दुस्तान के पशुओं की हैं, वह बचा सकेंगे। इस बात में मेरा उनका हमेशा से विरोध रहा है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी गलती है। अगर, हम सिर्फ इसलिए बंगाल को या मद्रास को या बम्बई को अपने जानवर देना बन्द कर दें कि वह कोई ऐसा कानून या ऐसा तरीका नहीं बना सकते, जिससे ऐसे जानवरों की रक्षा हो सके, जिन्होंने एक साल के अन्दर दस और पन्द्रह सेर दूध रोजाना दिया हो, ऐसे दूध देने वाले पशुओं की अगर रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि वे अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते हैं।

इसलिए, वह ऐसा कानून बना दें कि जिससे उपयोगी पशु मरने बन्द हो सकें। इसलिए, मैं इसका जोर से समर्थन करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यह कायदा–कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता है। लेकिन, जैसा मैंने पहले बतलाया है कि यह दूसरे सूबों के लिये रहनुमाई होगी और वह इस बात पर मजबूर होंगे कि इस कानून को अपने सूबों के अन्दर भी बना लें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे अच्छे–अच्छे पशु और हमारे वे जानवर जो घी, दूध पैदा करते हैं और लोगों में शक्ति प्रदान करते हैं, उसका हमारे सारे देश वाले फायदा उठायें। उसका हमारे देशवासी, कलकत्ते वाले, या मद्रास वाले या बम्बई वाले तभी फायदा उठा सकते हैं, जब वे यह मान लें कि उन पशुओं को नहीं मारा जायेगा और उन पशुओं को मारने नहीं दिया जायेगा। जैसे कि माननीय डाक्टर देशमुख साहब ने आपत्ति की थी, मुझे पता है, मैं उनके साथ रहा, मैंने देखा है कि उनके वहां ऐसे ऐसे बैल होते हैं, जो मुश्किल से दो मन वजन भी नहीं ले जा सकते। उसके उलट हमारे यहां के बैल मजे में 35 मन और 40 मन बोझे की गाड़ियां जो मैंने डाक्टर साहब को दिखाईं, ले जाते हैं। डाक्टर साहब को मालूम है कि हरियाणा के बैल 40 और 45 मन बोझे की गाड़ियां खींचकर ले जाते हैं और वहां गाय भैंस दस–दस और पन्द्रह सेर दूध देती है। बकरी के बारे में, जैसे कि पहले बाबू जी ने जिक्र किया था और मैं आपसे सच कहता हूं कि हमारे इलाके में ऐसी ऐसी बकरियां हैं जो माननीय डाक्टर देशमुख साहब के इलाके की दो भैंसों का (दूध देने में) मुकाबला कर सकती हैं। डाक्टर साहब के यहां गाय और भैंस मुश्किल से दो सेर दूध देने वाली होती हैं। हमारे यहां काफी ऐसी बकरियां मिल सकती हैं जो चार सेर तक दूध देती हैं; बिल्कुल सही बात मैं आपसे कहता हूँ। मैं आपको यह बतला रहा था कि डाक्टर साहब ने जो टिप्पणी की हैं, उसमें कोई दूसरी भावना नहीं है। उनके ऐसा सोचने का कारण जो बना, वह दूसरा है और बाबू जी का जो कारण है, वह बिल्कुल दूसरा है। बाबू जी के दिमाग में वही हरियाणा के पशु हैं और डाक्टर साहब के दिमाग में सी.पी. के पशु हैं।

अगर बाबूजी को फैसला देने के लिये कह दिया जाये तो शायद ठाकुरदास जी भी मध्य प्रदेश के पशुओं को बेकार पशुओं के अन्दर रखें जो मांस खाने वाले हैं, उनको मांस मिलता ही जायेगा। एक और बात मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि जो भाई मांस खाते है और जो यह समझते हैं कि अगर हमने एक तरफ अनाज कम पैदा किया और दूसरी तरफ पशुओं का मारना बंद कर दिया तो खुराक कहां से पूरी होगी तो, मैं उनको एक रास्ता सुझाता हूँ। सरकार तो इसको प्रभावी सुझा सकती है कि कुछ दिन के लिये इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही खाद्य के तौरपर डंगर का मारना बन्द कर दिया जाये तो इससे देश का भला जरूर होगा। अगर, एक साल के लिये खाद्य कानून बनाकर कह दिया जाये कि मांस खाने वाले सिर्फ जंगली पशुओं के अलावा और किसी का मांस नहीं खा सकते हैं तो इससे देश की समस्या का बहुत कुछ हल हो जायेगा। यहां बड़े–बड़े मगरमच्छ है, बन्दर हैं, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने एक रोज फरमाया था कि इतने बन्दर हैं, जितने यहां पर बूढ़े हैं। सवाल यह है कि हम अपने बूढ़ों को रखें या बन्दरों को रखें। मैं तो कहता हूं कि जो मांस खाने वाले हैं, वह इन चीजों की तरफ ध्यान दें। एक साल के लिए हमारे पशुओं को भूल जाइये, तो शायद उनको हम कुछ सुधार सकें। आप वारधा जाइये, वहां उन्होंने सुधार किया है, कुछ दिन हुये मैं नासिक गया। वहां नासिक एक गौशाला देखी। उस गौशाला के अन्दर हमारी गाय ले जाकर खराब नहीं बताई, बल्कि, उस इलाके की गाय जो डाक्टर साहब के इलाके की थी, जो सेर डेढ़ सेर दूध देती है, सुधार की है।

डा. देशमुख : यह हमारी गायों की बड़ी बदनामी है।

चौधरी रणबीर सिंह : मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मैं किसी प्रान्त की गायों की बदनामी करूं। मैं कोई अपने प्रान्त की गायों का

प्रचार करने के लिए इस मंच को इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन, बदकिस्मती से मैंने जो तथ्य दिए हैं, वह भी इसलिए बतलाने के लिए मजबूर हुआ क्योंकि डाक्टर साहब ने एक खास किस्म की टिप्पणी की थी।

मैं यह बतला रहा था कि अगर मांस खाने वाले दूसरी तरफ ध्यान दें तो इस देश का भला हो सकता है। नासिक की गोशाला वालों न थोड़ा–थोड़ा दूध देने वाले पशुओं का सुधार किया उसी तरह से वह पशु जिनको हम आज बेकार समझते हैं, शायद वह बेकार न रहें।

दूसरी बात यह कि मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूँ कि अब खेती करने वालों पर अपने मसौदा कानून से और टैक्स लगाने जा रहे हैं। यह मैं जानता हूं और जैसा कि उन्होंने इशारा भी किया कि आठ आने पशु की बिक्री पर कर लगा दिया जाये। आखिरकार, वह कहां से और किनसे लिया जायेगा? वह कर हमसे ही लिया जायेगा। उनसे नहीं, जिनको इसका फायदा होने वाला है, यानी दूध की पैदावार बढ़ने का फायदा होने वाला है। वह भी बगैर उनकी लात खाये हुए, बगैर मेहनत किए हुए, बगैर गाय की सेवा किए हुए, बगैर उसको चारा खिलाए। जो दूध पीने वाले हैं, उनसे इसके लिए कुछ नहीं लिया जाने वाला है। उन्हीं आदमियों पर, जिन्होंने गायों को पाला है, जो रात दिन उनके लिए मेहनत करते हैं, उन्हीं पर यह आठ आना पड़ने वाला है। मैं तो कहता हूं कि आप इस आठ आने को दूर रखिये और जो आपके हाथ में है, आपकी सरकार के हाथ में है, सरकार से मतलब केन्द्रीय सरकार नहीं, बल्कि यू.पी. सरकार के पास गौशाला स्थान के पास एक फार्म है, उसका जो फालतू चारा है, उस चारे को वहां से कोई मोल लेकर लाने वाला नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि देश के अन्दर चारा फालतू हो गया है। दिल्ली में चारा किसी भाव भी नहीं मिलता है। कारण यह है कि चारे को वहां से यहां पहुंचाने के लिए रेल नहीं मिलती है। बल्कि, वह चारा किसी खास आदमी का नहीं है, बल्कि वह सरकार का है और उससे फायदा यू.

पी. सरकार को मिलेगा। वह दिल्ली तक अपने चारे को नहीं ला सकती है। इसमें आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। मगर, यह आप कर नहीं सकते हैं। आप ऐसी कुछ बात कर लें तो मैं समझता हूँ कि आप पशु सुधार का काम काफी कर लेंगे। आप कमेटियां इतनी बड़ी बड़ी बनाने चले हैं, मैं अपनी बात नहीं कहता, देश के बहुत से लोग उनके अन्दर विश्वास नहीं करते। आपका गोरक्षा का जो ढ़ंग है, उस पर लोगों को बहुत ज्यादा ऐतबार नहीं है। हो सकता है कि इस बिल के पास होने के खिलाफ इस वक्त कुछ लोग आवाज उठायें। अगर, आप इसको मान लें कि इसका कोई विरोध नहीं होगा, तो भी मैं समझता हूँ कि आप बाबू जी का मासूम विधेयक मान लें तो इससे कोई हर्ज होने वाला नहीं है। हां, इससे आपके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। आज दो महत्वपूर्ण बिलों को आपने टाल दिया है। एक तो वनस्पति का था, जो टेढ़े तरीके से गायों की नस्ल को बढ़ाने का काम करने वाला था। उसको आपने दूसरे तरीके से कह कर कुछ दिनों के लिये उठाकर रख दिया। इसी तरह, दूसरा कानून भी यह कहकर कि हम दूसरा कानून लाना चाहते हैं, आपने रोकने की कोशिश की। मैं नहीं समझता कि आप इस तरह देशवासियों का विश्वास अपनी तरफ ज्यादा खीचेंगे। बल्कि, कुछ लोगों को तो पहले से ही शक है कि यह सदन और जितनी इस की प्रतिष्ठा है, उसके हिसाब से कोई अच्छा कायदा बनाएंगे। जनता में इस तरह का कोई भाव नहीं हैं। उनके अन्दर यही भावना है कि साहब यहां पर एक ही भावना आम तौरपर रखी जाती है कि शहरों का लाभ ही देश का लाभ होता है। उनको ही इसका फायदा और नुकसान उठाने का हक नहीं है, यह भावना पहले ही लोगों के अन्दर है। अगर आप उसको ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो बेशक इस मासूम कानून को आप ठुकरा दीजिये। चाहे यह कह कर ठुकरा दीजिये कि आप दूसरा कानून लाने वाले हैं। मुझे पता है, मैं भी आपकी स्टैन्डिंग कमेटी का सदस्य हूं। कई महीने पहले यह मसौदा हमारे सामने आया। आज तक आपने कोई घोषणा उसके बारे

में नहीं की। अगर आप चाहते कि इस विधेयक को टाला जाये तो आपके लिये यह अक्लमंदी थी कि अब से पहले उसका सम्मन आप दे देते। यह आपके लिये बहुत मुश्किल नहीं था। अभी जैसे नजीरउद्दीन साहब का हवाला दिया, मैं आपसे कहता हूं कि नजीरउद्दीन जैसे बहुत से दोस्त हैं। उन्हें सरकार चालीस रूपया रोजाना देती है तो इसलिये कि अगर सरकार के कायदे कानून में कोई कमी रह जाती है तो उसको पूरा किया जाये। अगर आप यह समझते हैं कि यह सदन इसलिये हैं कि कुछ आदमियों को बैठा दिया जाये और जो कायदे कानून का मसौदा आप पेश करें, उन्हें सुधार करने का मौका न मिले तो आपका यह सोचना ठीक नहीं हैं। अगर आपको इस कायदे कानून को विरोध करना था तो उसकी दूसरी तरकीब थी आप अपने बिल का नोटिस दे देते और उसमें जो संशोधन होना था वह बाद में होता रहता। मेरी समझ में नहीं आता कि वजीर साहब को किस बात का डर था, वह किस बात को सोचते थे कि आज तक किसी कायदे कानून का नोटिस नहीं दिया। मैं तो यह समझता हूं कि आपसे जो गलती हुई है, उस गलती को धोने की तरकीब यही है कि आज बाबू जी के कायदे का प्रस्ताव है उसको मन्जूर कर लें और सब लोग इसको मदद करें और इसे पास कर दें।

अन्तरिम संसद

सोमवार, 18 दिसम्बर, 1950 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 18 दिसम्बर, 1950 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

वस्तुओं की कीमतें व आपूर्ति विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, जैसा मेरे लायक दोस्त त्यागी जी ने कहा कि वह कंट्रोल के खिलाफ हैं। उसी तरह मैं भी शुरू में ही यह साफ कह देना चाहता हूं कि कंट्रोल के तो मैं भी खिलाफ हूँ। लेकिन, जहां तक इस कायदे का ताल्लुक है, मैं यह समझता हूँ कि जो पहले हमने कानून पास किया था अस्थायी आवश्यक आपूर्ति अधिनियम 1946, यह उसकी विरासत है और यह उसी का परिणाम है। आप कोई कार्यवाही करते हैं और उसके परिणाम से बचना चाहें तो ऐसा हो नहीं सकता है। हां, मुझे कुछ ऐसा मालूम होता है कि इसमें आपने जो चीजें रखी हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए और आवश्यक आपूर्ति अधिनियम के अन्दर जितनी भी चीजें आती हैं, उनको रखने जो दृष्टिकोण है, वह ठीक नहीं है। उससे मुझे आपत्ति है। मुझे ऐसा मालूम देता है कि सरकार के विचार से यदि कोई आदमी

**संसदीय बहस, पुस्तक संख्या 1, भाग 2, 18 दिसम्बर, 1950, पृष्ठ 1893–1900*

संरक्षण के लायक है तो वह सिर्फ शहर के थोड़े से उपभोक्ता हैं, वहीं है। इसके अलावा किसी आदमी को किसी चीज के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आगे चलकर अपने माननीय मंत्री जी को बतलाऊंगा कि मैं समझता हूँ, आज की आर्थिक दशा के हिसाब से बहुत जरूरी था कि वह इसमें वे चीजें शामिल कर लेते, जो उनको बहुत पहले शामिल कर लेनी चाहिये थीं। लेकिन, आज भी उनका इस बिल के अन्दर नाम निशान तक नहीं है। मैं अपने आपको और दूसरी चीजों की तरफ नहीं ले जाना चाहता। लेकिन, जितना भी मैं इस सिलसिले में कहूंगा वह, इसलिये कि जो मैंने अपना दृष्टिकोण आपके सामने रखा है, उसके द्वारा आपको समझा सकूं और आपको सहमत कर सकूं। इसलिये, मुझे कुछ ज्यादा बातें कहनी पडेंगी। मैं शुरू से ही सभापति महोदय से प्रार्थना करता हूं कि यदि उनको मेरे कथन के सम्बन्ध में प्रासंगिक या अप्रासंगिक का फैसला देना पड़े तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दें। जो कुछ मैंने कहा वह इसलिये कि हम आज ऐसी आर्थिक दशा में हैं, जिस पर हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। अभी मेरे लायक दोस्त उपाध्याय जी ने जो कुछ कहा उसे मैंने उनका दृष्टिकोण समझा है। वह यह है कि सिर्फ खाद्य की जो चीजें हैं, उनके ऊपर कंट्रोल जरूरी है। दूसरी चीजों पर कंट्रोल होने से उनको आपत्ति है। मैं समझता हूँ कि उनका यह दृष्टिकोण गलत है। आज जो आर्थिक दृष्टिकोण होना चाहिए, यह उसके बिल्कुल विपरीत है। आज हालत यह है कि हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को तब तक नहीं सुधार सकते, जब तक हम अपने खेतों की पैदावार को न बढ़ायें। खेत की पैदावार आप तब तक बढ़ा नहीं सकते, जब तक आप की सारी अर्थव्यवस्था नियन्त्रण में हो या न हो। या तो आप विनियन्त्रित कीजिये, जिससे कीमतें अपने आप तय होती रहेंगी और अगर आप कंट्रोल जरूरी समझते हैं तो यह न सोचिये कि फूड का कंट्रोल करना तो ठीक है और उससे आगे जाने से आपत्तिजनक बात होगी। मैं समझता हूँ कि यह दृष्टिकोण सही नहीं है। यह व्यापारिक अर्थव्यवस्था का नियम है कि अगर आप आपूर्ति बढ़ाना चाहते हैं और

ज्यादा उत्पादन कराना चाहते हैं, तो सीमान्त उत्पादन की लागत मूल्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिये, जब आप चीज की कीमत तय करें। जो उपाध्याय जी ने कहा है मैं उससे बिल्कुल विपरीत ढ़ंग से सोचता हूँ। मैं आपसे यह प्रार्थना पहले ही कर चुका हूँ कि मैं विनियन्त्रण के हक में हूँ। लेकिन, अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यह बात चलने वाली नही है कि खाद्य का तो नियन्त्रण हो और बाकी चीजों का विनियन्त्रण रहे। इस न्यायकारी सरकार के लिए यह बात ठीक नहीं है। आपने इस सूची में जिन चीजों को रखा है, उससे तो यही जाहिर होता है कि केवल कुछ आदमियों के दृष्टिकोण का ख्याल किया गया है। आप देखिये कि बाइसाईकिल है। यह आम तौरपर मध्यम वर्ग के आदमियों की जरूरत की चीज है। बिजली बल्ब हैं, वह भी मिडिल क्लास के आदमियों की जरूरत की चीज है। कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, प्रशिक्षण सामग्री और कच्चा रबर। यह बिल्कुल इंडस्ट्री के लिए है। प्रशिक्षण सामग्री वगैरह को आपने रखा, यह अच्छा है। क्योंकि यह कुटीर उद्योग के लिए भी जरूरी चीज हैं। कुछ बड़े उद्योगों की भी जरूरत की चीजें हैं। लेकिन, मैं समझता हूँ कि आपने जो नम्बर 7 रखा है, वह बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। जो कंट्रोल करें, वह एक सेक्शन के लिए नहीं होना चाहिये। अगर हम इसके लिए मजबूर हुए हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित रखें तो हमको उन सब परिणामों को ध्यान में रखना चाहिये जो इसकी वजह से हो सकते हैं। आपने पहले विधेयक में खाद्य विधेयक पर तो नियन्त्रण किया, लेकिन पैदावार बढ़ाने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं रखी जिससे कि पैदा करने वाले भी समझ सकें कि यह कानून उनके फायदे के लिए बनाया गया है। मिसाल के लिए, आप ट्रेक्टर्ज को ही लीजिये। जिस वक्त अवमूल्यन हुआ तो ट्रेक्टर जो दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र से आते थे। उनका दाम 40 प्रतिशत बढ़ गया। लेकिन, जो ट्रेक्टर नरम मुद्रा क्षेत्र से आते थे, उनको उसी दाम पर बिकना चाहिये था। लेकिन, आज वह भी तकरीबन 40 प्रतिशत ज्यादा दाम पर बिक रहे हैं। दूसरी चीज डीजल तेल के छोटे–छोटे इंजन और कुंओ में लगाने की बिजली

की मोटर हैं। आज उन पर कोई नियन्त्रण नहीं है। मैं समझता हूं कि उनको इस सूची के अन्दर लाना चाहिये था। अगर आप बिल्कुल विनियन्त्रण करना चाहते हैं तो दूसरी बात है। लेकिन, अगर आप नियन्त्रित अर्थव्यवस्था रखना चाहते हैं तो यह कानून आपको अपने सामने रखना चाहिये कि उन चीजों पर भी नियन्त्रण किया जाये जोकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए जरूरी हैं और दूसरा सिद्धान्त यह कि जो भी आप करें वह व्यावहारिक हो। हमें ऐसी चीजों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जैसाकि अभी गुड़ का कंट्रोल किया गया था और जिससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। मेरी प्रार्थना यह है कि अगर आप नियन्त्रित करना चाहते हैं तो नियन्त्रित बेशक कीजिये जैसा कि कपड़े पर हुआ कि पहले नियन्त्रित हुआ। फिर विनियन्त्रित हुआ, फिर नियन्त्रित हुआ और फिर विनियन्त्रित हुआ। यह अदल–बदल बहुत अच्छी चीज नहीं है। जो नीति आप बनायें उसको दृढ़ता से चलायें। आज त्यागी जी ने बतलाया कि मंत्री साहब ने कहा था कि वह इस नियन्त्रण को मधुरतापूर्वक और सुरक्षित चलाना चाहते हैं । मैं जोड़ना चाहता हूँ, कि आप इसको सम्पन्न कर दृढ़ता से चलाइये। स्वीटली और सेफली चलाने की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जरूरत इसको दृढ़ता से चलाने की है। जो नीति आप बनायें उसको आये दिन न बदलिए। मैं यह जानता हूं कि जनतंत्र की यह विरासत है कि कोई सरकार किसी चीज को ज्यादा दिन तक नहीं रख सकती। उसका दृष्टिकोण प्रेस और दूसरी चीजों से प्रभावित होता रहता है। जो मुख्य हित हैं, वह अपनी आवाज उठाते हैं और सरकार को प्रभावित करते हैं। मैं समझता हूं कि जनतंत्र में यह असर होना जरूरी होता है। लेकिल, आप इस असर को कम से कम होने दीजिये। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि आपको इसके अन्दर कृषि औजार को जोड़ना चाहिये। शायद माननीय मंत्री साहब इसके लिए कह दें कि इस पर छोटा मोटा नियन्त्रण है। मिसाल के तौरपर लोहे पर नियन्त्रण है। जो आदमी कारखाने में औजार बनाता है उसको तो लोहा नियन्त्रित कीमत पर

मिल जाता है और लोहा कारखाने तक तो नियन्त्रण के हिसाब से पहुंच जाता है। लेकिन, उसके आगे क्या होता है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पंजाब में भी इसके बारे में किस्सा छिड़ा था। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि नियन्त्रण की जो भलाई या बुराई है, आप यह न समझें कि शहर के आदमी ही उपभोक्ता हैं, देहात के अन्दर भी आपकी चीजों के उपभोक्ता बसते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर किसी को संरक्षण देने की आवश्कता है तो यह वही लोग हैं। न उनके पास कोई प्रेस है और न उनके पास कोई ऐसा संगठन है, जो उनकी आवश्यकता के संबंध में आवाज उठा सके। इसलिये संरक्षण की आवश्यकता उन लोगों को ही है। मैं समझता हूं कि उन लोगों को संरक्षण देने से आप उनकी ही भलाई करें। परन्तु, इससे आपके दृष्टिकोण को भी लाभ होगा कि ज्यादा चीजें पैदा हों। क्योंकि वह चीजें तभी पैदा हो सकती हैं, जब आप उनकी समस्याओं को अच्छे ढ़ंग से हल करें। जहां तक नियन्त्रण का वास्ता है मैं तो चाहूंगा कि इस सूची के अन्दर आप ट्रेक्टर और उसके कल–पूर्ज को बढ़ायें, कृषि औजार को बढ़ायें, नल बढ़ायें और छोटे–छोटे विद्युत इंजन बढ़ायें जोकि कुओं से पानी उठाने के लिए इस्तेमाल होते हैं।

मैं अब ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता। एक बात और आखिर में कहना चाहता हूँ। मेरे विद्वान दोस्त त्यागी जी ने तीन साल का जिक्र किया है। यह भी मुझे अच्छी तरह से याद है कि त्यागी जी ने जिस वक्त यह आवश्यक आपूर्ति विधेयक का संशोधन हो रहा था, उस वक्त अवधि 7 साल की जा रही थी तो विरोध किया था। उनका वही दृष्टिकोण हो तो मैं उसको समझ सकता हूँ। किन्तु, मैं समझता हूं कि यह तीन साल और सात साल की हद है, यह भेदभाव नहीं होना चाहिये। अगर आपको सात साल रखना है तो सबके लिये रखिये। लेकिन एक कपड़े का बड़ा भारी व्यापारी हो उसके लिये तीन ही साल हो और अनाज किसी के पास 5 मन या जो मात्रा निर्धारित है, उससे दुगुने से कुछ ज्यादा मिल जाये तो सात साल रख दें तो, यह भेदभाव नहीं होना चाहिये। एक बात यह भी है कि वह बड़े आदमी होते हैं, तो आपके कानून के लिये कई बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाते हैं, जिससे कि आपका कानून उन पर असर न डाल सके। लेकिन, वह अनाज वाले तो बेचारे गरीब आदमी हैं। उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने लिये कोई राहत पा सकें। उनके लिये कोई संरक्षण की जगह है तो यही सदन है। आखिर में मुझे इतना ही आपसे कहना है। मेरी तो इच्छा है कि उस सात साल को आप घटा दीजिये, लेकिन अगर घटाते नहीं हैं तो कम से कम भेदभाव तो नहीं रहना चाहिये।

अन्तरिम संसद

बुधवार, 20 दिसम्बर, 1950 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 20 दिसम्बर, सन् 1950 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

1950–51 के लिए अनुपूरक अनुदान के लिए मांग

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, पिछली बार माननीय मंत्री साहब ने बड़ा भरोसा दिलाया था कि देहात के अन्दर नये डाकखाने खोले जायेंगे। इसलिये, मैं डाकखर्च संयुक्त कार्यालायों की लागत सहित की माँग के अन्दर उनसे जानना चाहता हूं कि देहात के अन्दर कितने डाकखाने खोले गये और उनमें से कितने कार्यालयों में डाक बचत बैंक जोड़े गए। डाक बचत बैंक की बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ। बल्कि, हिन्दुस्तान के बहुत सारे अर्थशास्त्री और इस सभा के बहुत से दोस्तों का विचार है कि पैसा देहात में चला गया है और उस पैसे को रचनात्मक काम में लगाने के लिए आज इस बात की आवश्यकता है कि देहातों में डाक बचत बैंक खोले जायें। इसीलिये, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस साल में कितने डाक बचत बैंक

** संसदीय बहस, पुस्तक संख्या 1, भाग 2, 20 दिसम्बर, 1950, पृष्ठ 2114–2116*

उन्होंने देहात में खोले और कितने डाकखाने देहात के अन्दर खोले गये।

अभी मेरे लायक दोस्त श्री भट्टाचार्य ने आकस्मिक डाक कार्यालय के बारे में कहा। मैं इस बारे में उनके विरूद्ध हूँ। क्योंकि यह शहर के डाकखाने देहात के दम पर चल रहे हैं, जिनकी आवाज बहुत कम है। इसलिए देहात के डाकखानों के परिश्रम का सवाल नहीं होना चाहिये। अभी उनको खुले कितने दिन हुए हैं। यह अन्दाजा लगाना कि एक साल के अन्दर उनसे कितनी आमदनी हुई है, यह गलत चीज है। आपको उनके ऊपर काफी पैसा लगाना चाहिये। देहात के भाई और उनके रिश्तेदार ऐसे हैं कि शायद उनको पता भी नहीं है कि उनके यहां डाकखाना खुल गया है। इसीलिये, वह पोस्ट आफिस ज्यादा आमदनी नहीं दे रहे हैं। अभी यह सोचने और देखने का समय आ गया है कि उनमें से कितने बन्द किये जायें और कितने खुले रहें। मैं इसके विरूद्ध हूँ। मेल की सवारी के तहत में जो पैसा बढ़ाया गया है, या बढ़ाने की जो मांग की गई है, उसके अन्दर मैं जानना चाहता हूं कि कितना रूपया डाक को हवाई जहाज से भेजने के लिए चाहिये। आप कहते हैं कि तीस लाख रूपया हवाई जहाज से डाक भेजने के लिए चाहिये। हवाई जहाज के अन्दर डाक भेजने वाले पर फालतू पैसा नहीं लगता है। जितने में मामूली डाक से लिफाफा जाता है, उतने में ही हवाई जहाज से जाता है। आप अन्दाजा कीजिये कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि अश्रमिक डाक कार्यालयों को बन्द कर दिया जाये और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि आपकी डाक हवाई जहाज से जाये। आपका इस तरह का विशेषक उपचार आखिर कब तक चलता रहेगा। यह आप खुद सोचें। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो सुझाव दिया है वह विचार करने लायक नहीं है। आपने जैसा वायदा किया था, उससे देश को आपसे बहुत आशा हो गई थी। मुझे बड़ा दुःख हुआ, जब पीछे किसी सवाल के जवाब में माननीय मंत्री साहब ने बताया कि पैसे की कमी की वजह से वह उस स्कीम को पूरे तौर पर लागू नहीं कर सकेंगे। मैं तो चाहूंगा कि आप इस सदन से और रूपया मांग

लीजिये और जो वायदा आपने किया है, उसको पूरा कीजिये। देहात के लोग एक बार आपकी आवाज सुनकर आशा बांध लेते हैं और अब उस आशा को निराशा में तबदील करना आपके लिए बहुत श्रेयस्कर नहीं होगा।

अन्तरिम संसद

शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 1950 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 22 दिसम्बर, 1950 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

लोगों का प्रतिनिधित्व विधेयक (नं. 2)

पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्षीय स्थान पर विराजमान।

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले बहु–सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में अपने विचार प्रकट करूंगा। इसमें अनुसूचित जाति को या अनुसूचित जनजाति को जो संरक्षण दिया गया है, वह मैं समझता हूँ कि यह उन्हें सजा दी गई है। अभी, मेरे लायक दोस्त प्रो. रंगा ने कहा कि हल्का छोटे से छोटा हो। लेकिन, आप अन्दाजा लगायें, संसद के हल्के का और अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य निर्वाचित होने हैं, उसे कम से कम आठ लाख, या साढ़े सात लाख मतदाताओं का सामना करना होगा। जिसका अर्थ यह हुआ कि पन्द्रह लाख या चौदह लाख की आबादी का कम से कम उसे सामना करना

**संसदीय बहस, पुस्तक संख्या 1, भाग 2, 22 दिसम्बर, 1950, पृष्ठ 2301–2311*

होगा। चौदह लाख आबादी की तो मेरे ख्याल में शायद हमारे देश के अन्दर कई एक राज्य ही होंगी। दूसरे अर्थों में, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के आदमी हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि उन्हें हमारे संविधान में संरक्षण दिया है। लेकिन, मैं कहूंगा कि उनको हमने सजा दी है। अगर, हम उन्हें संरक्षण देना चाहते हैं तो उसका ढ़ंग या तो यह है कि आपको संविधान में कुछ तबदीली करनी होगी और अगर संविधान में आप तबदीली नहीं करना चाहते तो बिल्कुल एक आसान तरीका है और उसे आप कर सकते हैं। वह यह है कि जितने हल्के हैं, मान लीजिये किसी एक राज्य में 120 या 121 हल्के हैं, उसमें से आप 20 या 21 हल्के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संरक्षित कर दें।

उनके लिए हल्के संरक्षित कर दीजिये। इसके अन्दर सिर्फ एक आपत्ति हो सकती है और वह यह है कि रिजर्व के अन्दर जो जनरल वोटर्स आते हैं, वह यह आपत्ति करें कि हमारे कोई प्रतिनिधि नहीं हैं, इसके जवाब में मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उनके भी प्रतिनिधि हर निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर नहीं होंगे।

श्री जे. आर. कपूर : सबके होंगे।

चौधरी रणबीर सिंह : उसी शक्ल में गैर अनुसूचित जनजाति का और अनुसूचित जाति का भी प्रतिनिधि हो सकता है। अगर आप यह समझें कि एक अनुसूचित जाति या अनुसूचति जनजाति का ही आदमी प्रतिनिधि हो सकता है, या एक गैर अनुसूचित जनजाति का, या अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि वही ठीक है। हर एक हल्के का अनुसूचित जाति के लिये कोई प्रतिनिधि नहीं है। जिस तरीके से एक गैर अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि बन सकता है, तो उसी तरीके से अनुसूचित जाति का आदमी क्यों नहीं गैर अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि बन सके। अगर ऐसा हो सके तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे यह कि अगर आप उसमें आपत्ति महसूस करते हैं तो यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमें कुछ समय और मिल गया है। हम संविधान में कुछ ऐसे बदलाव कर दें, जैसे 120 सीट, उनमें से 20 सीट हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये संरक्षित कर दें और राज्य को आप 100 हल्कों में बाट दें और उनमें से किसी 20 हल्कों में जहां पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की ज्यादा से ज्यादा आबादी हो, वहां से एक के बजाय दो प्रतिनिधि् चुनकर आयें, एक सामान्य जाति के और एक अनुसूचित जाति के। मैं मानता हूँ कि अगर हम ऐसा करेंगे, तो संविधान में तबदीली करने की आवश्यकता होगी। मैं समझता हूँ कि यह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग जिनके पास साधन सबसे कम हैं और जिनकी शिक्षा भी कम है और जिनका नाम भी बहुत कम मशहूर है, उनके लिये ऐसा करना आवश्यक है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि या तो उसमें जिस तरह से मैंने पहले सुझाव दिया, उसे किया जाय या दूसरे सुझाव को माना जाये और अगर यह दोनों न किये जायें तो फिर तीसरा मेरा एक सुझाव यह है कि जिन शहरों के अन्दर 25–25 लाख, और पांच लाख, दो–दो लाख और तीन–चार लाख की आबादी है, उसको लिया जाये। जहां हो सके अनुसूचित जातियों का जितना आरक्षण हो, वह शहरों में कर दिया जाय। क्योंकि उस निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर जिसकी आबादी तीन लाख होगी, तीन आदमी राज्य विधानसभाओं में भेजे जायेंगे। तीन लाख की आबादी वाली निर्वाचन क्षेत्र का जो आदमी होगा, उसके हल्के का दायरा तीन, चार या पांच मील का होगा। उसका खर्च मामूली सा होगा। लेकिन, अगर वह देहात का हल्का है जोकि चालीस–चालीस और अस्सी–अस्सी मील तक के हल्के हैं और अगर उन्हें दूसरे हल्के से जोड़ दिया जायेगा तो उसमें ज्यादा खर्च होगा। इसलिए, मैं समझता हूं कि यह दोनों चीजें न मानी जायें तो कम से कम यह

ध्यान रखा जाये कि जिन हल्कों को आरक्षित किया जाये उन्हें ज्यादा से ज्यादा शहरों में रखा जाये।

इसके बाद मैं समझता हूँ, जैसा कि माननीय मंत्री साहब ने भी विधेयक को पेश करते हुए हदबन्दी का जिक्र किया, मैं भी उसका सन्दर्भ देना चाहता हूँ। हदबन्दी के बारे में जो कुछ आदेश जारी हुआ है, उससे पंजाब से जो आपत्ति आ रही है, उसका जिक्र मैं दो मिनट में करना चाहता हूँ। हर एक राज्य के अन्दर हर एक निर्वाचन क्षेत्र की क्या जनसंख्या है, यानी किस जनसंख्या के आधार पर वह हल्काबन्दी करेगा, उसका इस तरह से फार्मूला है :

"For the purposes of the election referred to in paragraph 3 and the delimitation of constituencies therefore, the population of any area within a State to be included in a constituency shall unless in the case of any particular area or class of areas the President otherwise directs, be determined by multiplying the number of voters entered in the provisional electoral roll of that area by the total population of that area by the total population of that State as determined under paragraph 4, and then by dividing the product by the total number of voters entered in the provisional electoral rolls for the whole State."

इस फार्मूले के तहत पंजाब से जो आपत्ति आई है, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मतदाता सूची बनी और जो पहले और दूसरे मतदाता सूची बनी, उनके अन्दर इतना फर्क आया कि तीन जिलों में एक–एक हल्का कम हो गया और तीन जिलों में एक–एक हल्का बढ़ गया। जहां तक सरकार की स्थिति का संबंध है, मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन, पंजाब सरकार की तरफ से इस किस्म का नोट आया कि जो मतदाताओं का इन्दराज हुआ है, वह किसी हद तक ठीक नहीं माना जा सकता। इस फार्मूले के कारण पंजाब के

अन्दर यह हालत पैदा हो गई है, भले ही और सूबों के अन्दर यह फार्मूला कामयाब हो गया हो। वह पंजाब के लिये ठीक नहीं है। वह इसलिये कि आप वहां के मतदाता पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। कोई आदमी यह भी कह सकता है कि कुछ जिले अंतरिम होंगे। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि डबल एन्ट्री हो गई है। गवर्नमेन्ट का नोट आया कि 80–90 फीसदी आदमी जो उधर से आये हैं, उनकी दोहरी प्रविष्टि का इमकान हो सकता है। मेरा कहना है कि इसको जांच करना आसान काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर वास्तव में वह अंतरिम हो जायें तो भी वो जांच नहीं होंगे। जहां तक मतदान का सवाल है, वह असर करने वाली चीज नहीं है। मगर, चूंकि जिलेवार निर्वाचन क्षेत्र के कोटे का है, उस पर जरूर असर पड़ेगा। आदेश के अन्दर यह लिखा हुआ है कि :

"Unless the President otherwise directs".

पंजाब के अन्दर यह जरूरत पैदा हो गई है कि मंत्री महोदय प्रेजीडेण्ट साहब से प्रार्थना करें कि वह पंजाब के लिए हल्काबन्दी करने में वही फार्मूला लगायें जो राज्यों की आबादी के लिये लगाया गया है। यह बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। वह इससे ज्यादा ठीक ढ़ंग का होगा। उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पंजाब को दो श्रेणियों में बंटवारा किया जा सकता है। एक अम्बाला श्रेणी और एक जालन्धर श्रेणी। इससे यह होगा कि अम्बाला श्रेणी को कम से कम 4–5 सीटें ज्यादा मिलेंगी। मगर, गलत अन्दाजा होने की वजह से उसको 4–5 सीटें कम मिलेंगी। मैं समझता हूं कि 4–5 सीटों का एक इलाके से निकलना, या कहीं ज्यादा बढ़ना साधारण सी बात नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री साहब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वह इस पर कार्रवाई करें और जैसा ठीक समझें उसकी सिफारिश राष्ट्रपति को करें।

इसके चुनाव का जो तरीका है, उसके अन्दर खर्च का जिक्र आता है। उसके बारे में भी मैं समझता हूँ कि वह हल्के हैं जिनके

पोलिंग बूथ का ऐरिया, जैसे दिल्ली है, कलकत्ता है, बम्बई वगैरह है, उनका एक मील या पांच मील होगा। दूसरी तरफ, वह हल्के हैं, जिनकी आबादी बहुत थोड़ी है, जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह। उनके लिए भी वही अन्दाजा खर्च का रखा गया है, जो शहरी मतदाताओं का है। यह ठीक है कि अगर वहां पर खर्च की सीमा ज्यादा बढ़ाते हैं तो गरीब आदमियों के चुनाव में कामयाब होने की आशा को आप कम करते हैं। लेकिन, एक बात जरूर है कि जिस हल्के में पन्द्रह लाख की आबादी के देहात रखेंगे तो उसके अन्दर जो आदमी खर्च करेगा, उसको दूसरों के मुकाबले में ज्यादा खर्च करना होगा। मैं समझता हूं कि जितना आप ज्यादा खर्चे की सीमा बढ़ाएंगे, उतना ही गरीबों के अधिकार कम हो जायेंगे। लेकिन, यह देखना जरूरी है कि खर्च के बारे में सबके साथ बराबर का बर्ताव हो।

आगे आपने जो कारण लिखे हैं, जिससे चुनाव को अवैध घोषित कर सकते हैं, उसके बारे में मैं एक मजाकिया मिसाल देना चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि साफ व निष्पक्ष चुनाव हों। एक आदमी जो हारा वह काफी होशियार था। उसने आपके कायदे–कानून को अच्छी तरह से समझा। वह अपने किसी आदमी की मदद से 100 या 200 झूठे वोट अपने विरोधी उम्मीदवार को दिलवा देता है। चूंकि, वह उसके अपने आदमी हैं, उनसे किसी कोर्ट के अन्दर यह बयान दिलवा देता है कि फलां उम्मीदवार ने या फलां उम्मीदवार के फलां एजेन्ट ने फलां आदमी को वोट दिलाये। हालांकि चुनाव में जहां तक कामयाब होने वाले उम्मीदवार का सवाल है, वह ईमानदार है। लेकिन, उसके विरोधी की बदनीयती की वजह से कोई न्यायाधीश उसके चुनाव को अवैध करार दे सकता है। मैं यह चाहूंगा कि जहां आप और चीजों पर विचार करें, इसके बारे में भी सोचें कि इसको आप रोक सकते हैं या नहीं। वरना जो आदमी हारने वाला है, वह अगर चालाक है तो उसके लिये कोई मुश्किल नहीं होगा कि वह चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को न्यायाधीकरण में हरा दे।

चुनाव की गोपनीयकता के बारे में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि, जैसे पंडितजी ने दूसरी तरह का विचार रखा कि मतदान प्रतिनिधि या दूसरे किसी आदमी को पता नहीं होना चाहिये, या मतदान प्रतिनिधि के वहां हाजिर रहने के खिलाफ आवाज उठाई, मैं उसके बिल्कुल विरूद्ध हूँ। या तो आप चुनाव के लिये रंगीन ढ़ोल रखें या आप मतदान प्रतिनिधि को इजाजत दें कि वह वहां जायें, वरना चुनाव अफसरों की मेहरबानी का नतीजा होगा। अगर, आप चाहते हैं कि चुनाव की सच्चाई को मार दें, अगर आप चाहते हैं कि चुनाव अफसरो की राय का हो, वही उसके मालिक हों और अफसर ही सब कुछ हों तो बात दूसरी है। अगर आप यही चाहते हों कि मतदान प्रतिनिधि अफसर के पास न रहें तो, कम से कम आप ढ़ोल रंग दें, जिसमें अनपढ़ आदमी भी समझें और उनको पता हो कि किसको वोट देना है।

प्रोफेसर रंगा की तरह मैं भी इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि यह विचार ठीक नहीं है कि एक मतदान केन्द्र के लिए एक ही प्रतिनिधि रखा जाए। कई बार ऐसी मजबूरी हो जाती है कि मतदान प्रतिनिधि बदलना पड़ता है।

इसके अलावा मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान केन्द्र बनाइए। ऐसी कोशिश कीजिये कि अगर किसी देहात में कम से कम ढ़ाई सौ वोट हों तो वहां एक मतदान केन्द्र जरूर होना चाहिये। मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि हर एक गांव में जहां दस झोंपड़ियां हों, वहां भी एक मतदान केन्द्र बनाया जाये। अगर ऐसा हो तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। मगर, मैं जानता हूँ कि यह व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं होगा। शायद यह कह कर कि ढ़ाई सौ तो बहुत छोटी संख्या है। शायद, वहां पोलिंग स्टेशन बनाये जायेंगे, जहां एक हजार वोट हों। लेकिन, मैं चाहता हूँ कि आप ढ़ाई सौ या इससे कम की कोई सीमा तय करें कि जहां इतने मतदाता हों, वहां एक मतदान केन्द्र जरूर होना चाहिये या कोई एक मील या

डेढ़ मील की सीमा में हर एक आदमी के लिए मतदान केन्द्र होगा। मतदाता को वोट देने के लिए बहुत दूर न जाना पड़े, ऐसा मैं चाहता हूं।

आपने जो सवारी की मनाही रखी है, उसके बारे में भी एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपने यह रहने दिया कि मतदाता अपनी सवारी में आ सकता है तो इस तरह से जो चीज आपने एक हाथ से दी वह दूसरे हाथ से छीन ली। क्योंकि, अगर यह चीज रहेगी तो कोई भी उम्मीदवार जो खुद सवारी का इन्तजाम करेगा, मतदाता से कहलवा सकता है कि फलां–फलां वोटर जो सवारी में आये हैं, वह अपने पैसे से आये हैं।

श्री सोनावने : महोदय, आदेश के एक बिन्दु पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वह यह है कि हम बहस बंद होने पर 6 बजे जाते हैं, कोई भी सदस्य दस मिनट से ज्यादा देता है, इसका मतलब होगा कि माननीय सदस्य इनकार कर रहा है, जो बातचीत में भाग लेने के लिए उत्सुक है।

चौधरी रणबीर सिंह : कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, महोदय।

अध्यक्षम महोदय : यह सच है कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन, सभी बराबर हैं। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे संक्षेप में अपनी बात रखें, क्योंकि कई अन्य सदस्य भी इस बहस में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : माननीय, मैं जितना सम्भव होगा, संक्षेप में कहूंगा। चुनावी बैठक के बारे में माननीय मंत्री साहब ने कहा है कि जिस दिन चुनाव हो, उससे पहली रात को बैठक नहीं होने देनी चाहिये। मैं यह समझता हूँ कि यह व्यवहारिक सोच नहीं है। बहुत से

ऐसे इलाके हैं जहां आप चनाव से चार दिन पहले नहीं पहुंच सकते हैं। अक्सर चुनाव से पहली रात ही को बैठक आम तौरपर होती है। कल्पना कीजिये कि आज चुनाव होने वाला है तो उससे पहली रात ही को मीटिंग हो सकती है। क्योंकि इलाके बहुत बड़े होंगे। इसलिये ऐसी बैठक जरूरी होगी। इसलिये, जो पाबन्दी लगाई है, वह ठीक नहीं है। यह हटा देनी चाहिये।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं आखिर में सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूँ कि सेवाओं की तरह से ठेकेदारों को भी उसी श्रेणी में रखना चाहिये। जो लोग सरकार के ठेकेदार (कन्ट्रेक्टर) लेते हैं, उनको सेवाओं के साथ–साथ जरूर रखिये। लेकिन, ऐसा न हो कि यह चीज पेचीदा हो जाये। इसमें कहीं वे लोग भी न आ जायें जो रेडियो पर बोलते हैं, क्योंकि उनको भी अनुबन्ध लिखना पड़ता है। कहीं ऐसा न हो कि रेडियो पर बोलने की वजह से आप सदस्यता से भी हाथ धो बैठें।

1951

अन्तरिम संसद

वीरवार, 15 फरवरी, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 15 फरवरी, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

निवारण अवरोधन (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : मैं संशोधन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं यह समझता हूँ कि आज अगर हमें जरूरत है कि इस कानून की अवधि को एक साल के लिए और बढ़ा दिया जाये, तो उसका एक कारण यह भी है कि जो भाई अभी जेलों के अन्दर हैं, जिन्होंने विध्वसंक गतिविधियों में हिस्सा लेने का इरादा किया या लिया, उनकी इस तरह की गतिविधियों को रोकना आज भी जरूरी है। बल्कि, उससे भी ज्यादा आज हमारे देश में जो कालाबाजारी करते हैं या मुनाफाखोरी करते हैं, इस वर्ग से देश को आज अधिक खतरा है, ऐसा मेरा अपना विचार है, हो सकता है, बहुत से भाई मुझसे इस बात से सहमत हों, उनको नजरबन्द करना ज्यादा जरूरी है—यह तथ्य है कि जितना हमारे देश को कालाबाजारी करने वालों से खतरा है, उतना शायद देश में किसी दूसरे आदमी से खतरा नहीं है। इस देश

**संसदीय बहस, पुस्तक संख्या 8, भाग 2, 15 फरवरी, 1950, पृष्ठ 2965–2968*

में जो लोग विध्वसंक गतिविधियां करते हैं, या लोगों को उसके लिए उकसाते हैं, वह कालाबाजारी की अपेक्षा फिर भी मेरे नजरिये से (हालांकि वह भी एक भयंकर अपराध है) एक छोटा कारण है, क्योंकि उनको उकसाने में कालाबाजारी का होना एक बहुत बड़ा कारण है, इससे कोई आदमी इंकार नहीं कर सकता है।

जहां तक कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ आम कानून इस्तेमाल करने का सवाल है, वह इतना आसान नहीं है। क्योंकि, हमारा जो कानून है, वह इतना पेचीदा है और वकीलों की हाजिरी में वह इतना नाकारा बन जाता है कि आदमी कितना ही कसूर करे, वकील लोग अदालत में जाकर उसे बेकसूर साबित करने की कोशिश करते हैं। यह देखा गया है कि बहुत बार वे ऐसा साबित करने में कामयाब भी हो जाते हैं। इस तरह अपराधी लोग रिहा हो जाते हैं और उन्हें कोई दंड नहीं मिल पाता। यह बात इस सदन के सदस्यों से छिपी हुई नहीं है।

ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर (पंजाब) : क्या इस कानून के अधीन पिछले वर्ष कोई कालाबाजारी करने वाला गिरफ्तार किया गया है?

चौधरी रणबीर सिंह : आप कल यहां हाजिर नहीं थे, जब हमारे माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया था कि इस कानून के अधीन 100 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था। मेरा अपना विचार है कि वह सौ आदमी जो पकड़े गये, उनका नंबर बहुत थोड़ा है। इस बात को मैं जानता हूँ कि कालाबाजारी करने वालों पर सरकार ने बहुत सारे केस चलाए होंगे। इसकी तुलना में विनाशक गतिविधियां करने वालों के खिलाफ शायद उतने केस न चलाये गये हों। लेकिन, उन्होंने आज हिन्दुस्तान के अन्दर एक अफरा–तफरी फैलाई हुई है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। वह इस सदन से छिपी हुई नहीं है। पिछले साल

का जिक्र है, जब बड़े–बड़े कारखाने वाले सरकार के पास आये और उन्होंने यह कहा कि खांड हमारे पास फालतू है, इसे विदेश भेजने की इजाजत दीजिये। लेकिन, उसके दो ही महीने के अन्दर क्या देखते हैं कि हमारे देश के अन्दर खांड का बहुत अभाव फैल गया और मुम्बई जैसे शहरों के अन्दर खांड का अभाव आने की वजह से दुकानें लूट ली गईं। ऐसी घटनाएं पेश आईं। यह सिर्फ खांड का ही सवाल नहीं है। बल्कि, करीब–करीब यही हाल दूसरी चीजों का भी है। इस सदन के बहुत से सदस्य हैं, जो यह चाहते हैं कि नियन्त्रण न रहे। अगर सदन यह फैसला करने पर तुल भी जाये तो, इस कानून के अलावा ऐसे आदमी जो आपूर्ति के काम के बीच में दखलअंदाजी करेंगे, उन लोगों को काबू में करने के लिए इसके अलावा कोई कानून और कायदा हमारे पास नहीं रहेगा। यदि, धारा पास हो गयी और अगर सरकार इस बात के लिए राजी भी हो जाये कि नियन्त्रण के कानून को उठा कर रख दें, तो भी, सरकार के पास यह कानून उन आदमियों का इन्तजाम करने के लिए होगा जो समाज के अन्दर सिर्फ अपना ध्येय मुनाफाखोरी का ही रखते हैं, समाज की सेवा का नहीं। हमारे एक लायक दोस्त ने कहा कि कालाबाजारी करने वालों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। यह ठीक है। उसे रद्द करने का कानून है। लेकिन, लाइसेंस के देने और न देने के कायदे बड़े होशियारी से बनाये गये हैं। हो सकता है कि जो आदमी कालाबाजारी करता है, वह उन कायदे–कानूनों की सीमा के अन्दर हेराफेरी करता है और उस तरह उसका लाइसेंस रद्द नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इन कानून–कायदों की आड़ में जो फायदा उठाता है, वह मामूली नहीं होता। बल्कि, हजारों और लाखों की संख्या में फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को अगर जेल में नजरबन्द भी होना पड़े, तो भी मैं समझता हूं कि उनके मुनाफे के मुकाबिले में यह सजा शायद सस्ती ही साबित होगी, मंहगी नहीं। इसलिये, सभापति महोदय, मेरा विचार है कि अगर आज नजरबन्द करने की जरूरत है तो, उन आदमियों के लिए जरूरत है, जो कालाबाजारी करते हैं। आज हमारे देश के अन्दर अनाज का

अकाल है। अकाल इसलिये नहीं है कि हमारे किसान भाई अनाज कम पैदा करते हैं। बल्कि, इसलिये है कि जो आदमी अनाज का व्यापार करते हैं, वे अनाज को जमा करते हैं। जिस समय किसान के पास से आता है, उस वक्त दस रूपये मन और ग्यारह रूपये मन बिकता है। लेकिन, वही अनाज, वही मक्की जो यू.पी. के और पंजाब के किसानों से दस रूपये मन ली गयी, वही बाजार में जनता को 22 रूपये में बेची जाती है। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह चीज हमारे समाज और देश के लिए कितनी खतरनाक है? आज ऐसी हालत में जबकि लोगों को अनाज नहीं मिलता, उसका नतीजा कितना उल्टा होता है। कालाबाजारी करने वालों के पास बड़े–बड़े अखबार हैं, दूसरी बड़ी–बड़ी चीजें हैं, उनके पास रूपया भी काफी होता है। वे यह प्रचार करते हैं कि अनाज सारा किसानों के घर में दबा पड़ा है और ये लोग बेचारे किसानों पर कानून की तलवार को चलवाने की कोशिश करते हैं, इसमें जरा भी शक नहीं है कि मौजूदा कानून इस चीज को रोकने में काफी नहीं है। इसलिये, मेरा यह अनुरोध है कि बिल के इस संशोधन को फेंक दिया जाये।

अन्तरिम संसद

शुक्रवार, 23 फरवरी, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 23 फरवरी, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

विनियोग विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : जहां तक केन्द्रीय प्रशासनिक क्षेत्र का संबंध है, उसके अन्दर जो इन्तजाम है, वह बहुत उच्च स्तरीय है। दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में उसमें जितनी भी बढ़ोतरी की मांग जब भी आये, उसमें मेरा मंत्री महोदय से कहना है कि वह उसके ऊपर खास तौर से ध्यान रखें। मैं आपका ध्यान मांग नम्बर 88 की तरफ दिलाता हूँ, जोकि बिलासपुर के लिये है। उसके अन्दर गिरदावर, कानूनगो, कुछ पटवारी और दूसरे क्लर्क वगैरह के वेतनों के लिये अट्ठारह हजार रूपया मांगा गया है। वह अट्ठारह हजार रूपया भाखड़ा बांध के नाम से मांगा है। भाखड़ा बांध का अगर कोई काम होता है, और उसका खर्च बढ़ता है तो भाखड़ा बांध के खाते में जाना चाहिये था। बिलासपुर के खाते में भाखड़ा बांध का खर्च कैसे आया और किस तरह बढ़ा यह मेरी समझ में नहीं आया। मेरे विचार में बात ऐसी है कि

**संसदीय बहस, पुस्तक संख्या 8, भाग 2, 23 फरवरी, 1951, पृष्ठ 3420–3421*

शायद मुआवजा वगैरह देने के सिलसिले में जमीन की माप के नाम से यह रकम मांगी गई होगी। जिस काम को वहां का मौजूदा कर्मचारी कर सकता था। यह सोचकर कि भाखड़ा बांध एक बड़ा भारी बांध है। कुछ को नौकरी मिल जाएगी, कुछ गिरदावर बढ़ जाएंगे और लोगों की तरक्की हो जायेगी। शायद यह इसके खाते से मांगी गई है। इसके लिये अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिये और सोच समझ कर भर्ती की जाये। आप केन्द्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के किसी भी काम का मुकाबला किसी प्रान्त या राज्य से करें तो देखेंगे कि ऐसे क्षेत्रों के महकमों में जो संख्या है, हालांकि वह शायद राज्य के किसी तहसील के बराबर हैं या कई जगहों में जिलों के बराबर हैं, लेकिन जहां तक उनके खर्चे का सवाल है, वह एक प्रान्त के बराबर का खर्च होगा। इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय प्रशासनिक क्षेत्र का जो भी खर्च बढ़ाया जाये, उसको अच्छी तरह से जांच करके करना चाहिये।

अन्तरिम संसद

शुक्रवार, 23 फरवरी, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 23 फरवरी, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) प्रस्ताव

चौधरी रणबीर सिंह : मैं आरम्भ में माननीय मंत्री महोदय का शुक्रिया अदा किये बगैर नहीं रह सकता कि उन्होंने चयन समिति के अन्दर मेरे जैसे साथियों की, जो वित्त का विशेषज्ञ नहीं थे, बातों को काफी ध्यान से सुना और हमको देश के वित्त में जो भी मुश्किलें हैं उनको रखते हुए समझाने की कोशिश की। यह भी कहे बगैर नहीं रह सकता कि उन्होंने प्रयास किया कि खेती के बारे में रूपये की मांग को जरूरी समझते हुए जिस हद तक वह जा सकते थे, वहां तक उन्होंने जाने की कोशिश की। लेकिन, इतना कहते हुए मैं यह कहे बगैर भी नहीं रह सकता कि रिजर्व बैंक कानून में जो टूकड़ों में थोड़ा बहुत सुधार या संशोधन हम करने जा रहे हैं, उससे देश का काम चलने वाला नहीं है। हम अपने विचारों में क्रान्ति लाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, जिस वक्त यह बिल चयन समिति में भेजा गया था, उस समय भी मैंने सदन के सामने अपने विचारों को प्रकट

**संसदीय बहस, पुस्तक संख्या 8, भाग 2, 23 फरवरी, 1951, पृष्ठ 3442–3449*

करने की कोशिश की थी। मैं यह समझता हूँ कि मेरे लायक दोस्त बर्मन साहब ने कहा, कि एक चाय पैदा करने का सवाल नहीं है। यह ठीक है कि उनकी जो मांग है, खेती की दूसरी पैदावारों के मुकाबले में सुरक्षा के नाते शायद सबसे अच्छी है। लेकिन, आज हम जिस दशा में हैं और जिस दशा में हमारा देश है, उसके अन्दर कुछ जोखिम उठाये बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। मेरा तो विचार यह है और मैं इस बात को मानता हूँ कि यह जोखिम की दशा जो है, यह भी शायद किसी दूसरे ढ़ंग में सोचने वाले भाईयों के कारण है। वरना, खेती के अन्दर जो जोखिम है, वह अन्यों के मुकाबले में कम से कम है। जो काश्तकार हैं, उसके पास जितनी जमीन है, उस जमीन की कीमत भी तय करने की सरकार ने एक आसान तरकीब निकाली है। उसको कम से कम जितनी कीमत दी गई है, मानकर अगर कर्ज दिया जाये तो बहुत सीमा तक देश में कृषि की उन्नति हो सकती है। केवल चाय की पैदावार बढ़ाने में ही नहीं बल्कि, देश की आर्थिक दशा है, उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है, जब तक हमारे देश की सारी खेती की पैदावार को न बढ़ाया जाये। हमारे देश के बहुत से भाई ऐसे हैं जो शायद खेती को उद्योग नहीं मानते हैं। लेकिन, अगर इसको एक उद्योग न भी मानें तो भी मैं कहता हूँ कि खेती को छोड़कर जो उद्योग है, उनकी अगर आप तरक्की करना चाहें तो उसके लिये भी यह जरूरी है कि खेती के लिये ज्यादा से ज्यादा रूपया देने का जो संशोधन है, उसे हम मंजूर करें। इसी नजरिये से मैंने भी अपना संशोधन दिया है।

मेरे दोस्त बर्मन साहब ने खड़ी फसल पर कर्ज देने की मांग की है। उनके विचार में शायद बहुत ज्यादा है, चाय की फसल है। लेकिन, अगर देश की उन्नति करनी है तो उसके अन्दर दूसरी फसलें पैदा करना उतना ही जरूरी है, जितना कि चाय। अभी मेरे लायक दोस्त ने बतलाया कि चाय कितना डालर कमाती है। लेकिन, आज डालर की जरूरत किस चीज के लिये है? डालर की जरूरत है, अनाज के लिये। अगर हम अनाज अपने यहां पैदा कर लें तो, जितनी

आज डालर की मांग है, शायद उतनी न रहे। यह ठीक है कि हमें मशीन वगैरह खरीदने के लिये डालर चाहियें। लेकिन, उसके मुकाबले में अगर हम खेती की पैदावार, जैसे तिलहन वगैरह की पैदावार, बढ़ा सकें या पटसन वगैरह की पैदावार हम बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी डालर की मांग पूरी हो जायेगी।

जहां तक 12 महीने से 15 महीने की अवधि बढाने का संबंध है, मैं फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कम से कम 12 से 15 या 9 से 15 महीने की मांग मान ली। इससे काम नहीं चल सकता है। क्योंकि, हिन्दुस्तान के अन्दर बहुत से ऐसे हिस्से हैं, जहां भूमि बन्धक बैंक नहीं हैं। भूमि बन्धक बैंक आज खेती में तरक्की करने के लिये ज्यादा रूपया कर्ज देते हैं। वैसी संस्थायें देश में बड़े प्रदेशों के अन्दर ही हैं और दूसरे प्रदेशों में उनका स्थापित करना आसान भी नहीं है। ऐसी हालत में जैसी की आज हमारे देश की हालत है, यहां पर भण्डार गृह भी नहीं हैं। हमारी बड़ी इच्छा है कि हम देश के अन्दर लगभग हर एक जिले में भण्डार गृह बनवा सकें। लेकिन, आज जैसी हमारी आर्थिक दशा है, उसमें शायद हमें इतनी जल्दी कामयाबी नहीं मिल सकती। मेरे विचार इस मामले में भी अलग हैं। क्योंकि अगर, यहां आयातित अनाज के लिए थोड़े अर्से में भण्डार गृह बन सकते हैं तो जो अन्न हम यहां पैदा करते हैं, उसके लिए क्यों नहीं बन सकते हैं? बहरहाल जैसी हालत है, उन सारी हालात को ध्यान में रखते हुए, मैने अपने संशोधन के नोटिस में केवल 15 से 18 तक कहा है। वह इसलिये कि खेती के काम के लिए तीन किस्म का वित्त चाहिये। एक थोड़े अर्से के लिये, एक बीच के अर्से के लिए और एक ज्यादा अर्से के लिये। अभी कुछ दिन हुए रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंक को एक हिदायत भेजी है कि ऋण कुओं के लिये दिया जाये। पहले तो मेरा विचार था कि शायद सहकारी बैंक ऋण देने से इन्कार इसलिये करता है कि वह बैंक का खर्चा पूरा नहीं करता। लेकिन, ज्यादा ध्यान से पढ़ने से ऐसा मालूम दिखाई देता है कि सहकारी बैंक को अपने मुनाफे में घाटा मालूम पड़ता है। काम का खर्च उन्हें ज्यादा मालूम पड़ता है और

मुनाफा कम। यह एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि कुंए का जो कर्ज है, उसे एक छोटा काश्तकार 15 महीने के अन्दर नहीं अदा कर सकता। खेती के बारे में जो हमारे बहुत से इस सदन के सदस्य हैं, पहले तकरीबन सारे भाई इस बात को कहा करते थे कि भू–राजस्व का बोझ देश की खेती और काश्तकार को दबाने वाली है। खेती ऐसा पेशा नहीं है, जिसके अन्दर कुछ बचता हो। लेकिन, आज कुछ भाई हैं, जो शायद इस चीज में मेरे से सहमत नहीं हैं। लेकिन, मुझे आज भी कोई शक नहीं महसूस नहीं होता कि खेती की पैदावार बहुत कम है। लेकिन, जब तक यह लाभकारी पेशा, या ज्यादा मुनाफा वाला पेशा न होगा, तब तक उन्नति होना कठिन है। यहां जैसी काश्तकारों की आदत है, वह कोई बही–खाता नहीं रखते, कोई हिसाब नहीं रखते। उसका न कोई मजदूरी का खाता है। वह खुद रात दिन मजदूरी करता है। कोई मुआवजे वगैरह का विचार नहीं है। आज उसका जो जीवन स्तर है, वह भी कुछ थोड़ा नीचा है। उसमें तब्दीली नहीं आई हैं। इसके विरोध में शायद यह कहा जायेगा कि उसको भी मुनाफा होने लगा है। लेकिन, मैं यह समझता हूँ कि अगर एक काश्तकार कुंए के लिए कर्ज ले तो वह उस लोन को 15 महीने में भी दे नहीं सकता है। हालांकि, मैंने 15 से 18 महीनें की मांग की है। लेकिन, 18 महीनों से मसला हल नहीं होता। मेरा विचार है कि और ज्यादा समय रखा जाता, दो साल से भी ज्यादा। लेकिन, मैं जानता हूँ कि 15 से 18 करना ही मुश्किल होगा। 12 से 15 करने में ही मंत्री महोदय की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने मान लिया। हालांकि वह भी जरा मुश्किल से माना। इसलिये, उससे ज्यादा अर्सा बढ़ाना कोई आसान नहीं है। मैंने 18 महीने कराने की कोशिश की और वह इसलिये कि उनका विचार था कि कुछ फसलें ऐसी हैं जो एक साल के अन्दर आती है। मैनें तो इसीलिए उन्हें 18 महीने बढ़ाने का नोटिस दिया है। इसके साथ मैं उनको दूसरा सुझाव देता हूँ और वह इसलिये कि आम तौर से हमारे देश के अन्दर छः महीने में एक फसल आ जाती है। इस तरह से 18 महीने के अन्दर तीन फसलें काश्तकार उठा

सकता हैं। यह ठीक है कि अगर वह कुआं बनवाने के लिये कर्ज लेता है तो वह उसे एक दिन में नहीं बना सकता है। परन्तु, उसे तो सहकारी बैंक से कर्ज लेना है और बैंक दो तीन महिने के पश्चात् सहयोगी बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज की मांग करेगा। इसलिये, उसके बाद उसे 18 महीने की अवधि मिल रही है। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब है कि तीन फसलों के उगाने का उसे मौका मिलेगा। तीन फसलों को पैदा करके अगर वह दे सकता है तो, दे देगा। मेरा तो यह कहना है कि जैसी आज हालत है, हम शीघ्र भण्डार गृह नहीं बना सकते हैं, न ही हम भूमि बन्धक बैंक बना सकते हैं। ऐसी हालत में इस संशोधन का मंजूर करना बहुत जरूरी है। दूसरे, यह भी जरूरी है, जैसाकि मैंने पहले कहा कि पैदावार का बढ़ाना आज केवल काश्तकार के लिये ही जरूरी नहीं है, बल्कि, इस सारे देश के लिये, सारे लोगों के लिये, चाहे वह खेत में काम करने वाले हों या खेत के मालिक हों, या शहर वाले हों, उन सबके लिये जरूरी हो गया है। वास्तव में तो काश्तकार ही हमारे देश की 70–75 फीसदी आबादी है। इसलिये, उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हिन्दुस्तान के वित्त में होना चाहिये। लेकिन, इस बात को अगर आप न भी मानें, उसको इस ढ़ंग से न भी सोचें, क्योंकि शहर के आदमियों का इस राज्य पर ज्यादा दबाव है या इस राज्य के अन्दर जिनका ज्यादा दखल है, उनका ही ख्याल रखिये और काश्तकार की मांग अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो जो आपके सोचने का ढ़ंग है, उसके अन्दर क्रान्ति लाईये।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मंत्री महोदय, वित्त के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और मेरी हर एक बात को जानकार न मानते हुए हंसी में टाल देते हैं। यह ठीक हो सकता है कि मैं उन जैसा विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन, मेरा यह दावा जरूर है कि जो हिन्दुस्तान में अपने को विशेषज्ञ कहते हैं, वह शायद किसी औद्योगिक राज्य के लिए विशेषज्ञ हों। लेकिन, हमारे देश के लिये वह कहां तक विशेषज्ञ हैं, इसमें मुझे शक है।

अन्तरिम संसद

वीरवार, 15 मार्च, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 15 मार्च, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

भूमि अर्जन (सत्ता की निरंतरता) संशोधन विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री ने स्वयं माना है, अभी तक हालात ऐसे नहीं हैं कि वह ज्यादा मकान बना सकें और सरकारी मकान बनाने की वजह से उसकी जमीन को छोड़ सकें। इसलिए, पहले तो मैं यह समझता हूँ कि आने वाले काफी दिन तक मकानों की जो समस्या है, वह बनी रहेगी। मेरी समझ में यह आता है कि बजाय, इस कानून की साल दर साल मंजूरी ली जाये, इसको एक पक्का कानून बना दें। अगर कभी रद्द करने की आवश्यकता हो तो उस कानून को फिर उठा दें। इसके साथ–साथ दूसरा पहलू जो मैं कहना चाहता हूँ और जिसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने भी अपने भाषण में जिक्र किया है, वह भू–अधिग्रहण का है। जहां तक इमारत के अधिग्रहण का संबंध है और कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं है, उसके बारे में मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है। लेकिन

** संसदीय बहस, पुस्तक संख्या 8, भाग 2, 15 मार्च, 1951, पृष्ठ 4662–4665*

कृषि भूमि के अधिग्रहण के बारे में जरूर कहना है। दिल्ली और अजमेर में काफी कृषि भूमि मुख्तलिफ जरूरतों के लिए ली जा रही है। कृषि भूमि का जो अधिग्रहण है जैसा कि पहले सरकार करती थी, वह तो इसलिए था, चूंकि वह लोगों के प्रति जिम्मेदार नहीं थी और उसका रवैया किसी हद तक समझा जा सकता था। लेकिन, यह अफसोस की बात है कि किसी हद तक वैसा व्यवहार आज भी मालूम दिखाई देता है। कृषि भूमि के लिए 77 लाख में से जिसका जिक्र किया है, कितना मुआवजा देते हैं? मुझे इसका पता नहीं है। लेकिन, बहरहाल कुछ लाखों का सवाल है और लाखों से एक आदमी का पेशा नहीं बन सकता है और एक आदमी जो खेती करता है, उसका कोई दूसरे पेशे में शामिल होना या उसके अन्दर प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। पेशा अख्तियार करना एक आदमी का अपने व्यवहार पर निर्भर करता है। एक बहुत अच्छा व्यवसायी होगा और घाटे वाला व्यवसायी होगा, अगर वह कारखाने की तरफ या दूसरी तरफ अपना ध्यान लगायेगा तो यह बहुत संभव है कि एक बहुत अच्छा और सफल काश्तकार उन कामों में लग कर असफल हो जाये। मैं इस बात को मानता हूँ कि देश की जरूरत के लिए हमें यह जरूरत रहेगी कि कृषि भूमि भी हम अधिगृहित करते रहें। उसके साथ–साथ, मैं इस बात पर मंत्री महोदय को जोर देकर कहना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कृषि भूमि अव्वल में जहां तक हो सके, उसको छोड़ दें। क्योंकि, वहां काफी अन्न पैदा होता है। उसके बदले, जहां तक हो सके परती भूमि में से जमीन लें और उपजाऊ जमीन को छोड़ दें। परती जमीन पर जो सरकारी चीज बनाना हो वहां बनायें। अगर, किसी जरूरत के लिए वह समझें कि वे उस उपजाऊ कृषि भूमि को नहीं छोड़ सकते, तभी वे ऐसी जमीन पर अपना हाथ रखें या डालें, अन्यथा नहीं। लेकिन, उसके साथ–साथ, जैसाकि अधिग्रहण कानून में दर्ज है, बहुत मामूली सा मुआवजा देकर काश्तकार से अपना पल्ला छुटाना कोई अच्छी नीति नहीं है। पहले समय में जबकि हाउस के सामने सरकार जिम्मेदार नहीं थी, यह चीज अगर होती तो आश्चर्य न था। लेकिन, अब तो

स्थिति बदल गई है। आज की सरकार इस सदन के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी है। सरकार मेरे विचार में ऐसे आदमियों को, जिनको कि वह शरणार्थी बना रही है, उनको जब तक वह पेशा न दे, उस वक्त तक मेरी समझ में सरकार का कोई हक नहीं रहता कि उनको विस्थापित कर दे। देश के अन्दर थोड़ी नहीं काफी परती भूमि है और अगर सरकार को उस भूमि को लेना आवश्यक ही हो, जिस पर कि काश्त की जा रही थी, या हो, तो बजाय इसके कि वह उस जमीन के एवज में काश्तकार को रूपया दें, वह परती भूमि को विकसित कर दें या जमीन देकर उतना मुआविजा और दे जिससे कि वह आसानी से उसको विकसित कर सके।

मेरा सदन से और मंत्री महोदय से निवेदन है कि मुझे तो कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती, अगर यह स्थायी कानून बना दिया जाये और जैसा कि मैंने कृषि भूमि अधिग्रहण के बारे में कहा है, वे उसके ऊपर ध्यान दें।

अन्तरिम संसद

सोमवार, 2 अप्रैल, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 2 अप्रैल, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

आम बजट

चौधरी रणबीर सिंह : हमारे उद्योग विभाग के मंत्री देश के चन्द रत्नों में से एक रत्न हैं। लेकिन, उनका मुकाबला देश के तमाम उद्योगपतियों और देश के अन्दर जितने आदमी मोटरों में चलने वाले हैं और सफेद कपड़े पहनने वाले हैं, उन सबसे है। वे सब ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं और इनको देश की ओर ध्यान देना है। चूंकि वक्त भी कम है, मैं इसलिये अधिक न कहते हुए कपास बोने वाले लोगों की तरफ से मंत्री महोदय से एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ। उन लोगों को समझाने के लिए उनके पास क्या जवाब है, जो हमारे यहां के कपास बोने वाले हैं, और छोटा रेशा पैदा करते हैं? उनकी कपास को आप 600 रूपये कैंडी के हिसाब से खरीदवा देते हैं। वही कपास अमरीका के अन्दर 1960 रूपये फी केंडी के हिसाब से बिकती है। उस पर सरकार भी आठ सौ रूपये प्रति कैंडी का टैक्स लेती है, इसके बाद व्यापारी, जिन्होंने न कहीं पानी देने की तकलीफ

**संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), कार्यालय रिपोर्ट, पुस्तक संख्या 8, भाग 2, 2 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 5738–5739*

उठाई, न कहीं जमीन को जोता या गोडा है, वह भी 560 रूपये का मुनाफा उसमें से बटा ले जाता है। उसके बाद, दूसरे जो भाई लोग रेशा या मध्यम रेशे की कपास पैदा करते हैं, उनकी कपास मंत्री महोदय 850 रूपये प्रति कैंडी के हिसाब से खरीदवा देते हैं। जबकि, पाकिस्तान के अन्दर इस इस किस्म की कपास की कीमत उनको 1700 या 1800 रूपया देनी पड़ती। मेरे लायक दोस्त गोयनका जी ने बहस के दौरान में बताया कि धोती के जोड़े की कीमत 21 रूपया है। यह जो कीमत है, वह दिल्ली या मद्रास में हो सकती है, कपास को पैदा करने वाला जो देहात के अन्दर बैठा है, उसकी तकलीफ आपको मालूम नहीं है, उसको तो यह 30 या 35 रूपये में धोती जोड़ा मिलता है।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस समय जो धोती का जोड़ा है, उसको आम तौरपर विद्युत करघे वाले बनाया करते हैं। उनको आपने इतनी रियायत दे रखी है कि उनको आप कोटा नियन्त्रित कीमत पर देते हैं। लेकिन, उन लोगों की धोती जो पैदा की हुई है, उसके लिए कोई कन्ट्रोल नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको नियन्त्रण करना है तो उनसे कहें कि वह भी नियन्त्रित भाव से बेचे। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल उद्योग सम्बन्धी जितनी कमेटियां बनती हैं, उनके अन्दर व्यापारी और कारखाने की रूचि को प्रतिनिधित्व किया जाता है। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि जो उद्योग हैं, उनके ही लोगों को आप प्रतिनिधित्व न दें, बल्कि जो कपास पैदा करते हैं, उनको भी उसमें हिस्सा दें और आप जो समितियां बनायें उनके अन्दर उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

अन्तरिम संसद

शनिवार, 7 अप्रैल, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 7 अप्रैल, 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

आम बजट–मांग सूची

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिन–जिन सदस्यों को आपने बोलने का मौका दिया, उन्होंने पहले आपका शुक्रिया अदा किया, लेकिन, मुझे तो शिकायत जाहिर करनी है। इसलिये नहीं कि आपने मुझे समय दिया, बल्कि उसके लिये तो मैं आपका आभारी हूँ। अफसोस तो मुझे आपसे और मुख्य आदेश के प्रति है कि जिस रोज से रेलवे बजट पर और जनरल बजट पर, या प्रस्ताव घटाने पर बहस शुरू हुई, बावजूद मेरे निरन्तर रोजाना उठक–बैठक करने के मुझे एक दिन भी समय नहीं मिल सका कि मैं भी अपने विचार आपके सामने रख सकूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है और मुझे इस गुस्ताखी के लिये क्षमा करें, अगर मैं यह कहूं कि देश के अन्दर आज अनाज ज्यादा पैदा करने का काम उन आदमियों के

**संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), कार्यालय रिपोर्ट, पुस्तक संख्या 8, भाग 2, 7 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 6273–6278*

जिम्मे होता है, जो यह नहीं जानते कि गेहूं का पेड़ कितना बड़ा होता है और चने का पेड़ कितना बड़ा होता है? सभापति जी, मुझे आपसे भी गिला है कि आपने, मुझे क्षमा करें, ऐसे दोस्तों को यहां पर बोलने का समय दिया है, जिन्हें शायद यह भी पता नहीं है कि गेहूं का पेड़ कितना बड़ा होता है और चने का पेड़ कितना बड़ा होता है? उन लोगों को जिनके पूर्वज खेती करते आये हैं और आज भी वह खेती करते हैं और जो खेती के बारे में आपको कुछ सुझाव दे सकते थे, उनको समय नहीं दिया। मैं इससे ज्यादा और गिला नहीं करना चाहता।

सांय 4 बजे।

अब आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं उन सदस्यों में से नहीं हूँ, जो यह मानते हैं कि देश के अन्दर अनाज की कमी नहीं है और मैं उन सदस्यों में से भी नहीं हूँ जो यह समझते हैं कि नियन्त्रण या विनियन्त्रण करने से अनाज का मसला हल हो सकता है। मैं समझता हूँ कि अनाज का मसला, ज्यादा अन्न उपजाने से ही तय हो सकता है, अंकुश उठाने या और नियन्त्रण करने मात्र से यह मसला तय नहीं हो सकता। इसी तरह से कई दोस्त हैं, जिनका विचार यह है कि फसल योजना से अनाज की समस्या हल हो सकती है। उनको पता नहीं है कि गेहूं को पैदा करने के लिये कितना पानी चाहिये और दूसरी चीजों जैसे तिलहन आदि के लिये कम पानी आवश्यक है या ज्यादा। एक जमीन जिसके अन्दर से मक्का या दूसरे अनाज पैदा हुए हैं, उसके अन्दर अगर आपने गेहूं या कोई दूसरी चीज बोई तो उसमें बिल्कुल पैदा नहीं होगा। लेकिन, तिलहन बोया जा सकता है। क्योंकि, वह जमीन को ताकत देता है, कमजोर नहीं करता। इसलिये मुझे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि उन लोगों की बात सुनी जाती है, जिन्हें स्वयं खेती का कोई ज्ञान नहीं है और इसका नतीजा यह होने वाला है कि देश की जो नीति बनेगी, वह देश की भलाई के लिये नहीं होगी, बल्कि, देश के नुकसान के लिये होगी। आज जैसा मेरे लायक दोस्त सरदार रणजीत सिंह जी ने गन्ने की समस्या को हल करने के लिये सुझाव दिया, उससे ही यह मसला हल होने वाला है।

आज कभी आप लोग यह कहते हैं कि फलां मुसीबत हम पर आई, इस कारण हम लोग ज्यादा अनाज पैदा नहीं कर पाये। मैं ऐसा कहने वाले अपने दोस्तों को बतलाना चाहता हूँ कि इस देश के अन्दर 17.1 प्रतिशत खेती ऐसी है, जिसमें पैदावार करने में इंसान का हाथ होता है। लेकिन, बाकी 82 प्रतिशत जमीन ऐसी है, जिसमें गन्ने की पैदावार होना, खुदा, भगवान या उसको कुदरत कहिये, उसकी इच्छा पर निर्भर रहती है। हमारे माननीय मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने यह ऐलान किया है कि वे युद्ध स्तर पर अनाज की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि 25 करोड़ रूपया देकर आप किस मुंह से यह कह सकते हैं कि हम युद्ध स्तर पर पर अनाज की पैदावार बढ़ाने में तरक्की करना चाहते हैं। युद्ध स्तर पर बढ़ाने के लिये मैं समझता हूँ कि उन्हें तीन सौ करोड़ रूपया इसके लिये मंजूर करना चाहिये था। मैं उन दोस्तों को, जो यह समझते हैं कि खेती की तरक्की के लिये जो रूपया दिया गया, वह बेकार गया, बतलाना चाहता हूँ कि वे गलती पर हैं। पिछले साल के आंकड़े दिये गये हैं, उनके मुताबिक 23 करोड़ से दस लाख कुंए बने और एक कुंए से बीस मन फालतू अनाज पैदा हुआ और मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप साठ लाख कुंए इस देश के अन्दर बना दें तो देश में अनाज की कमी के आंकड़े शून्य हो सकते है। इसलिये, अगर पच्चीस करोड़ में दस लाख कुंए बनाये गये, तो ज्यादा से ज्यादा 150 करोड़ रूपये चाहियें, साठ लाख कुंओं को बनाने के लिये। इसके साथ–साथ आप सीमेंट, ईंटें और रूपया काश्तकार को दें। हिन्दुस्तान काफी जमीन ऐसी पड़ी है, जहां कुंए बनाए जा सकते हैं। मेरा विश्वास है कि हम अपने अनाज की कमी को पूरा करने के वायदे को पूरा कर सकते हैं बशर्ते, कि हम अपना जरा दिल खोलें और काश्तकार को पैसा दें और उससे कहें कि वह कुंए बनाकर हिन्दुस्तान की पैदावार को बढ़ायें। चन्द महीनों के अन्दर काफी तादाद में कुंए बन सकते हैं। मैं अपने उन भाइयों को जिनको इस सुझाव के बारे में कोई सन्देह है, उनसे कहना चहता हूँ

कि आप चाहे कितने कानून कायदे इसके लिये बना दीजिये, लेकिन कोई लाभ नहीं होगा, महज आपका कागज ही खराब होगा। जरूरत इस बात की है कि आप काश्तकारों का सहयोग हासिल करें। अगर कानून ही बनाना है तो आप एक ऐसा कानून बनायें, जिससे जो आदमी कुंआ नहीं बनायेगा, उससे ड्योढ़ा रूपया लिया जायेगा और उसके लिये आप कोई सजा भी निर्धारित कर सकते हैं या आप यह आदेश निकाल दें कि जो काश्तकार कुंओं का पैदावार के बढ़ाने के लिये इस्तेमाल नहीं करता है, उसको जेल भेजा जाये या और कोई दंड उसको दें।

मेरा निवेदन यह है कि आप रूपया और ज्यादा दीजिये, अगर आप अनाज की कमी को पूरा करना चाहते हैं और जितने रूपयों का आप अनाज बाहर से मंगाते हैं, उसको कम करके वह रूपया आप काश्तकारों को कुओं के बनाने के लिये दे दीजिये।

इसके अलावा मुझे एक शिकवा माननीय मंत्री जी से यह है कि सारा देश इस बात को जानता है कि माननीय मंत्री देश के बहुत मशहूर वकीलों में से हैं। लेकिन, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि उस मुवक्किल का क्या हाल होगा, जिसका वकील बजाय उसकी वकालत करने के दूसरे का वकील बन बैठे।

मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहता हूँ कि वह मेरी बात ध्यान से सुनें। मैं उनसे कहता हूँ कि वह बड़े होशियार वकील हैं। लेकिन, उस मुवक्किल का क्या हाल होने वाला है, जिसकी पैरवी करने के बजाय आप दूसरे के लिये वकालत करें? आप काश्तकारों के वकील नहीं बने। आपकी इस फन में होशियारी है, उसका फायदा किसानों को नहीं, कारखाने वालों को दिलाना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी वकालत का फायदा हमें पहुंचायें और अगर आप ऐसा करें तो मैं कहता हूँ कि आप की शोहरत में चार चांद लग जाएंगे।

मैं आपसे एक दो बात और कहना चाहता हूँ। मिसाल के तौरपर कपास को लीजिये। देश के अन्दर जितनी सस्ती कपास

बिकती है, दुनियां में कहीं नहीं बिकती है। कई भाई हैं, जो कहते हैं कि कपास हम पाकिस्तान, मिश्र, या अमरीका से लें। जो कपास आप यहां घर में 600 रूपये में खरीदते हैं, उस कपास का भाव अमरीक में 1950 रूपये का है। यह थोड़ी ज्यादती नहीं है। इसके बाद कपड़े का ही सवाल नहीं है। जो कपास पैदा करते हैं, जो आपको अनाज देते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या मुंह है कि आप उससे सारा अनाज मांगे और आप उसको धोती तक न दें?

मुझे आपसे निवेदन तो कई करने थे। लेकिन, मैं चाहता हूँ कि मेरे लायक दोस्त सरदार भूपेन्द्र सिंह मान, जो मेरी तरह से ही काश्तकार हैं, खेतिहर हैं और जिनके दोस्त और रिश्तेदार खुद भी आज खेती करते हैं, उन्हें भी बोलने का समय मिले, इसलिये अपने निवेदन को समाप्त करता हूँ।

अन्तरिम संसद

बुधवार, 11 अप्रैल, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 11 अप्रैल, 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

वित्त विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि बावजूद मेरा नाम सूची में होने के कम से कम आखिर में पांच मिनट के लिए आपने मुझे बुलाया है।

इसके बाद में माननीय मंत्री महोदय का शुक्रिया अदा किए बगैर नहीं रह सकता कि उन्होंने एक मुहिम की तरफ कदम उठाया है, जिसमें वे कामयाब होते हैं तो देश आर्थिक तौरपर आजाद हो जायेगा। अभी तक देश को दूसरे की हुकूमत से ही आजाद कराया गया है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो नये टैक्स लगाने की कोशिश की है, वह इसलिये नहीं कि उन्हें बजट में आम खर्चे के अन्दर कमी मालूम देती थी, बल्कि, इसलिये कि वह देश की तरक्की चाहते हैं और देश को दूसरे देशों से आर्थिक तौरपर आजाद कराना चाहते हैं। इसके

**संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), कार्यालय रिपोर्ट, पुस्तक संख्या 8, भाग 2, 11 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 6652–6654*

लिए मैं उन्हें धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता। लेकिन, इसके साथ–साथ मुझे उनसे कुछ गिला भी है। मैं अपना वह गिला जाहिर किये बगैर नहीं रह सकता। यही नहीं, अगर आने वाली संसद में भी वही वित्तमंत्री बने तो उस समय जो आपत्तियां उनके सामने आने वाली हैं, उनकी तरफ मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज जो टैक्स लगाने के तरीके में भेदभाव बरता जाता है, वह बहुत दिन तक नहीं रह सकता। कानून मंत्री साहब यहां मौजूद नहीं हैं, इसलिये मैं आपके माध्यम से अपनी आवाज उन तक पहुंचाना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी तकलीफ उठाई इस चीज के लिए कि उस कानून को यानी भू–राजस्व अधिनियम, 1900 को गैर कानूनी और संविधान के विरूद्ध करार दिलवा दें, जिससे कि पंजाब के लाखों काश्तकारों का भला हुआ। मैं आज उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या वह इस बात के लिए भी तकलीफ उठाएंगे कि देश के अन्दर टैक्सों के लगाने में जो भेदभाव का तरीका है, उसको भी वह मिटाने की कोशिश करेंगे? मैं समझता हूँ कि इसके लिए वह सुस्त रहेंगे, क्योंकि छोटे–छोटे काश्तकार हैं, जिनके ऊपर कि भू–राजस्व अधिनियम, लागू होता है और जो उसके शिकार हैं। वे सुप्रीम कोर्ट तक जा नहीं सकते। वे उस कानून को विभेदकारी करार नहीं दिलवा सकते। इसीलिये, मैं उनका ध्यान विशेषतया इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि आयकर कानून के तहत जिसकी आमदनी पांच हजार से कम है, उसके ऊपर कोई कर नहीं लगता। लेकिन, एक काश्तकार, चाहे वह घाटे में ही रहता हो, लेकिन, अगर वह एक बीघा भी काश्त करता है तो उसको भूमिकर अदा करना पड़ता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या यह विभेदकारी नहीं है? शायद मेरे कुछ भाई यह सुझाव दें कि यह भू–राजस्व का किस्सा तो राज्य विधानसभाओं का किस्सा है। हम इसके जवाबदेह नहीं हैं, क्योंकि हिन्दुस्तान के अन्दर 10 ऐसे प्रान्त हैं, जिन्हें केन्द्रीय प्रशासनिक क्षेत्र कहा जाता है और जिनका भूमि कर इस हाउस की जिम्मेदारी है। आप दिल्ली प्रान्त को ही ले लीजिये। दिल्ली के अन्दर भू–राजस्व की जो व्यवस्था है वह आपके आयकर के तरीके के मुताबिक नहीं है।

अन्तरिम संसद

शनिवार, 14 अप्रैल, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 14 अप्रैल, 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

वित्त विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : 11 तारीख को जब संसद इस बात के ऊपर विचार कर रही थी, उस समय मैं कर नीति के अन्दर जो भेदभाव बरता जाता है, उसके बारे में अपना नम्र निवेदन रख रहा था। मुझे खुशी है कि हमारे देश और हमारे सदन के माननीय नेता भी इस समय यहां मौजूद हैं, जिससे, मैं अपना नम्र निवेदन उनके सामने रख सकूंगा। हिन्दुस्तान में जैसा कि आपको मालूम ही है, हमने पंचायती विधान को लागू करना मंजूर किया था। ऐसी दशा में हमें सोचना होगा और देखना होगा कि कर की जो नीति रही है, वह ठीक है या उसमें कुछ तब्दीली की आवश्यकता है। सीधे करों का जहां तक वास्ता है, इसमें दो विशेषकर हैं, एक भू–राजस्व कर है और दूसरा आयकर। आयकर के लिये तो यह जरूरी है कि कर लगने वाले की कम से कम 5 हजार

**संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), कार्यालय रिपोर्ट, पुस्तक संख्या 8, भाग 2, 14 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 6738–6742*

की आमदनी हो, जबकि भू–राजस्व कर के लिये ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि उसे इसमें फायदा है या घाटा है। एक बीघा भी अगर एक काश्तकार बोता है तो उसको कर देना पड़ता है। इसलिये मैंने पिछली दफा माननीय मंत्री महोदय को इसके ऊपर गौर करने के लिये कहा था कि देश के अन्दर आने वाले सदन के सामने कई एक आपत्तियां आएंगी और उनमें यह कर लगाने की नीति एक बड़ी आपत्ति होगी। इसमें काफी झगड़ा पैदा होगा। अब की दफा तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई तबदीली नहीं हो सकती। लेकिन, आने वाले साल के अन्दर जो केन्द्रीय प्रशासनिक क्षेत्र हैं, उनके बारे में जो कर की नीति है, उसके बारे में मुझे पूर्ण आशा है कि मैंने जो बातें कहीं हैं, उनका विचार रखकर अपनी कर नीति बनाएंगे।

दोपहर 12:00 बजे

इसके साथ–साथ, अध्यक्ष महोदय, यह मुद्रास्फीती और अस्फीती की जो नीति है उसके बारे में भी मुझे कुछ निवेदन करना है। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर कोई भाई जो मिल के अन्दर मजदूरी करता है या खेत के अन्दर मजदूरी करता है, अगर वह अपनी मजदूरी की, जिसका उसे पूरा हक है, मांग करे तो उससे देश के अन्दर मुद्रास्फीती बढ़ना नहीं समझा जाता, या उससे यह नहीं माना जाता कि देश के अन्दर मुद्रास्फीती बढ़ेगी। लेकिन, वह भाई जो खेत के अन्दर खून और पसीना एक करके अपनी आमदनी करता है, सर्दी और गर्मी के मौसम में कड़ी से कड़ी सर्दी और गरमी के अन्दर काम करता है और उससे अपनी रोटी कमाता है और उसके ऊपर जो मेहनत करता है, उसकी मांग करे तो देश के अन्दर जो पढ़े लिखे आदमी हैं, वह ऐसा क्यों मान लेते हैं कि इससे देश में मुद्रास्फीती आएगी। मेरे विचार से यह नीति और विचार है, वह इसलिये है कि देश के अन्दर चाहे जनता के मत का सवाल हो या किसी और का, जो पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्हीं का प्रभाव है और जिस चीज को वह दुरूस्त समझते हैं, वह दुरूस्त मान ली जाती हैं। वह देश के लिये दुरूस्त है या नहीं, उसके ऊपर कोई गौर नहीं करता। मैं ऐसा मानता हूँ कि सब

से बढ़िया नीति वह है जो देष की 80 फीसदी आबादी को उसकी मजदूरी का ठीक हक दिया जाए तो वह चीज मुद्रास्फीती या देश के लिये हानिकारक नहीं हो सकती। इसके अलावा, सभापति महोदय, जो पैदावार की मूल्य नीति देश के अन्दर बरती जाती है, वह भी कुछ समझ में नहीं आती। एक खेती की पैदावार के लिये जिसका सम्बन्ध कारखाने वालो से है, जो मूल्य की नीति बनाई जाती है, वह अलग हैं। मेरा मतलब चीनी से है। चीनी को एक तरफ तो विनियन्त्रित किया जाता है और कहा जाता है कि कुछ तादाद से फालतू चीनी देश में पैदा की गई तो उसको किसी भाव से देश में बेच सकते हैं, चाहे वह भाव उनके लिये कितने ही मुनाफे वाला हो। दूसरी तरफ, गुड़ जिसको लाखों काश्तकार पैदा करते हैं और अपनी मेहनत से उसे पकाते हैं, उस पर नियन्त्रण लगाया जाता है, हालांकि उसका राशनिंग पर कोई असर नहीं होता। यह भी पता नहीं है कि जिसके पास यह आखिरकार पहुंचने वाला है या जो इस्तेमाल करने वाला है, उस तक पहुंचने पर यह ठीक भाव से पहुंचेगा या नहीं। ऐसी हालत में भी काश्तकार को मजबूर किया जाता है कि वह गुड़ नियन्त्रित भाव से बेचे। यही गुड़ वाली हालत रबड़ की है। यही हालत कपास की भी है। देश में काश्तकार से उम्मीद की जाती है कि वह देश में कपास की कमी को पूरा करे। लेकिन, हिन्दुस्तान में पैदा हुई कपास सबसे सस्ती बिकवाई जाती है।

इसी प्रकार अब देश में जो बड़ी बड़ी नहरें बनाई जा रही हैं, उसके सम्बन्ध में हमारे मंत्री महोदय त्यागी जी जब पहले सदन में इधर बैठते थे तो उन्होंने एक सवाल उठाया था और उसके ऊपर आधे घंटे की बहस भी चलाई थी। मुझे समझ नहीं आया कि मंत्री पद हासिल होने के बाद उस तरफ उनके विचार कुछ बदल गये या नहीं। मेरे कहने का मतलब भूमि विकास उपकर से है। मेरी समझ में नहीं आता कि वह सरकार एक तानाशाह सरकार थी, जो लोगों के प्रति जिम्मेवार नहीं थी, वह भी ऐसा कर लगाने की हिम्मत नहीं कर सकी। लेकिन, आज हमारे माननीय नेता इस किस्म की बात क्यों सोचते हैं,

मुझे इस सम्बन्ध में सिवाय अफसोस जाहिर करने के और कुछ नहीं कहना है।

इसके अलावा एक दो बातें मैं राशनिंग के बारे में कहना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि देहात के अन्दर राशनिंग की जिम्मेवारी हम नहीं उठा सकते और यह नामुमकिन है। मेरा संसद से यह निवेदन है कि इस देश के अन्दर सबसे कम जिनकी आमदनी है, वे लोग देहात के हरिजन और देहात में खेतों के मजदूर हैं। जिन लोगों को अनाज खरीदना पड़ता है, उनमें जो शहर का मजदूर है, उसका तो वेतन भी फालतू होता है और उसको मंहगाई भत्ता वगैरह भी मिलता है, सारी चीजें उसको मिलती हैं। अब उसको तो अनाज नियन्त्रित भाव पर दिया जाता है। इसके विपरीत, जो देहात का हरिजन या मजदूर है उसके लिये कुछ सोचा ही नहीं जाता, जिसकी कि खरीद शक्ति सबसे कम है। मुझे यह निवेदन करना है कि आपको देश के अन्दर नियन्त्रण रखना है तो सबसे पहले आपको चाहिये कि आप नियन्त्रण की चीजें उन लोगों को दें जिनकी खरीद शक्ति सबसे कम है, और वे हैं खेत के मजदूर और देहात में रहने वाले हरिजन।

अन्तरिम संसद

मंगलवार, 17 अप्रैल, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 17 अप्रैल, 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : बिल का समर्थन करते हुए मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि मंत्री महोदय ने जो समय सीमा तय नहीं की है, इससे उन्होंने मजदूरों और देश की सेवा नहीं की है। मैं यह भी कहता हूँ कि इससे एक तरह से उन्होंने संसद के कुछ अधिकारों को भी छीनने की कोशिश की है। क्योंकि, अगर इसमें एक साल या दो साल की सीमा होती तो अगर सीमा बढ़ाने की जरूरत होती तो संसद को उस पर अपने विचार प्रकट करने का मौका मिलता। जहां मैं यह जरूरी समझता हूँ कि इसकी अवधि तय की जाय। मैं उन राज्य सरकारों के साथ भी अन्याय नहीं कर सकता जोकि इस मसले की अहमियत को समझती हैं। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि देश के अन्दर सबसे गरीब तबका खेत मजदूर और देहात के मजदूर का है। लेकिन,

** संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 8, भाग 2, 17 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 6942–6946*

इसको भी मानने से कोई इन्कार नहीं कर सकता, जैसा कि मेरे लायक दोस्त रथनास्वामी ने कहा कि आज अगर एक मिनट के लिए यह मान भी लिया जाता कि एकदम से बड़े–2 सरकारी अफसरों का वेतन सौ रूपये कर दिया जाये तो भी यह मुमकिन नहीं कि यह समस्या हल हो जाय। मैं नहीं समझता कि यह समस्या तेजी से हल की जा सकेगी। यह समस्या बहुत बड़ी है और यह उस समय तक हल नहीं हो सकती, जब तक कि देश की पैदावार न बढ़े। मैं इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं हूँ कि राज्य सरकारें क्यों अभी तक इस मसले को हल नहीं कर पायी हैं। एक बहुत बड़ा मसला छिपा हुआ है। वह यह है कि बड़े–बड़े कारखानों के मालिक चन्द बड़े आदमी हैं। उनकी आमदनी भी बहुत बड़ी होती है। लेकिन, खेत के मालिकों का जहां तक ताल्लुक है, उनमें से बहुत से तो ऐसे आदमी हैं जो खेत मजदूर की तरह ही गरीब हैं। हो सकता है कि कुछ बड़े–बड़े जमींदार हों। लेकिन, जमींदारी उन्मूलन के साथ उनका तो खात्मा हो रहा हैं। इसके बाद छोटे–छोटे और खेत के गरीब मालिकों और खेत के मजदूरों का मसला रहता है। मेरा निवेदन है कि यह ठीक है कि खेत के मजदूर के साथ न्याय हो, और यह बहुत जरूरी भी है। उसकी मदद की निहायत जरूरत है। इसीलिये, पिछली दफा जब हाउस के सामने एक और मसला था तो मैंने उस वक्त कहा था कि अगर राशन किसी के लिए होना चाहिये तो वह खेत के मजदूर के लिए होना चाहिये। क्योंकि, वह सब से गरीब है और उसके अन्दर इतनी ताकत नहीं है कि वह खुले बाजार में चीजों को खरीद सके। मेरे एक भाई ने बतलाया कि इन मजदूरों की संख्या सात करोड़ है। दूसरे ने बताया कि 15 करोड़ है। मेरा दावा है कि जिन लोगों से इनका वास्ता पड़ता है, उनकी संख्या भी 15 करोड़ है। जहां आपको इन सात या 15 करोड़ के लिए सोचना है, वहां आप दूसरे 15 करोड़ के लिए भी सोचना बन्द नहीं कर सकते। यह बड़ा ही टेढ़ा मसला है। अगर आपको उनकी मजदूरी तय करनी है तो आपको यह भी तय करना होगा और देखना होगा कि खेत के अन्दर जो पैदावार होती है, जिसे खेत का मालिक खेत के मजदूर की मदद से पैदावार करता है, उसको क्या मिलता है

और उसी के मुताबिक आपको हर एक चीज का भाव तय करना होगा। आप ऐसा करने से इन्कार नहीं कर सकते। आज अपने देश में दुनिया के सब देशों से सस्ती कपास नहीं बिक सकती, जितनी कि आज बिक रही है। फिर, आप उद्योग के लिए सस्ता माल नहीं ले सकेंगे, जैसे कि आप आज शूगर फैक्टरी के लिए सस्ता गन्ना लेते हैं। जो लोग खेत के मालिक हैं, आज न कोई उनकी आवाज है और न उनकी तरफ से मजदूरी नियमित का कोई विरोध है। मै भी थोड़ी सी जमीन का मालिक हूँ। मेरा यह विचार है और मैं सबसे पहले इस बात की वकालत करता हूँ कि सरकार के लिये अक्लमंदी यह है कि एक साल तो दूर रहा, वह इस चुनाव के पहले ही, उनकी कम से कम मजदूरी तय कर दे। वह उसको पूरा कर सकेगी या नहीं, यह बाद में देखा जायेगा। इससे चुनाव में काफी फर्क पड़ने वाला है। मैं आपको ऐसे कई कायदे और कानून गिना सकता हूँ, जिनको संसद ने पास कर दिया है, पर आज तक उन पर अमल नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि अगर हम उस कानून को भी पूरा न कर सके तो कम से कम देश को एक रास्ता दिखाने में जरूर कामयाब होंगे। हो सकता है कि हमारी कोशिश एक साल नहीं तो डेढ़ साल के अन्दर कामयाब हो जाय। यही नहीं, मैं तो इसलिये भी चाहता हूँ कि अगर खेत के मजदूर की मजदूरी तय हुई तो कोई सरकार इस बात से इन्कार नहीं कर सकेगी कि पैदावार के भी भाव तय करे, ताकि इससे काश्तकार को कुछ बच सके। जहां देश की नीति बनाने में देश के मजदूर का हाथ होगा, वहां देश की नीति बनाने में उन आदमियों का भी जरूर हाथ होगा, जो मुश्किल से पांच एकड़, दो एकड़ या तीन एकड़ अथवा सात एकड़ के मालिक हैं। मैं यह अवश्य मानता हूँ कि जो खेत के मजदूर की हालात उनसे कमजोर है, जिनके पास चाहे दो एकड़ या तीन एकड़ जमीन है। दो एकड़ और तीन एकड़ जमीन वाले की अवस्था उनके मुकाबले में अच्छी है। जैसा मेरे लायक दोस्त रथनास्वामी ने कहा कि देश के अन्दर लोगों के जीवन स्तर में बहुत फर्क है।

देहात में एक काश्तकार की जिन्दगी के स्तर और यहां सचिवालय के बड़े अफसर के स्तर में, जो 4 हजार तक तनख्वाह लेते

हैं, कितना फर्क है? इसका आप खुद अन्दाजा लगा सकते हैं। मैं इसलिये भी यह चाहता हूँ कि जल्दी न्यूनतम मजदूरी तय हो।

इसके साथ ही, जब खेत के मजदूर की मजदूरी तय हो तो आपको इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा कि खेत की पैदावार के लिये भी ऐसा भाव तय करें कि जिससे उसके लिये वह फायदेमन्द हो।

अब मैं हाउस का ज्यादा समय न लेते हुए आखिर में फिर दोबारा यह नम्र निवेदन करता हूँ कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इसको 53 नहीं, सन् 52 से ही तय करें और अगर हो सके तो जैसा डाक्टर राम सुभाग सिंह जी कहते हैं, चुनाव के पहले ही कोई तारीख तय की जाय, वह शायद और भी अच्छा हो।

श्री गाडगिल : फिर जमींदार वोट नहीं देंगे।

चौधरी रणबीर सिंह : काश्तकार की कौन सुनता है? फिर भी इसके साथ–साथ वह इस बात पर भी गौर करें कि जो दिन रात मेहनत करते हैं और मुश्किल से जरा सी, थोड़ी बहुत, खेत के मजदूर की सहायता लेते हैं, क्योंकि जब काटने का वक्त होता है तो वह काट नहीं सकते, तो जिसने बोया और जिसने दिन रात मेहनत की और रखवली की, उसको भी पूरी मजदूरी मिलती है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करते हैं अथवा विरोध?

चौधरी रणबीर सिंह : मैं कुछ संशोधनों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री मीरा (मद्रास) : काफी सोच विचार के बाद और भी उपयुक्त हो।

चौधरी रणबीर सिंह : जैसा मेरे लायक दोस्त ने कहा, मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में कोई रिजर्वेशन नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरी भी उतनी ही जोर की ख्वाहिश है, जितनी कि शायद उनकी हो। मेरी तो ख्वाहिश है कि दो साल नहीं, एक साल नहीं, 4 महीने में ही मजदूरी तय कर दी जाय। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि यह करना कोई मुश्किल नहीं है। आप हर एक सूबे में एक–एक गाँव का एक महीने के अन्दर अन्दाजा लगा सकते हैं। दूसरे गांवों में जो हालत है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। उस हालत का पता लगाना, अगर सरकार चाहे, तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मेरे दिमाग में कोई रिजर्वेशन नहीं है। मैं इसका समर्थन करता हूँ और मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करता हूँ कि अगर वह 53 नहीं, तो 52 मान लें और ज्यादा कृपा करें तो 51 की ही कोई तारीख रख लें और इसको मंजूर करें तो अधिक अच्छा हो।

अन्तरिम संसद

वीरवार, 19 अप्रैल, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 19 अप्रैल, 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, मैं डा. अम्बेडकर साहब का शुक्रिया अदा किये बगैर नहीं रह सकता कि उन्होंने दिल्ली और दूसरे इलाकों के पिछड़े हुए आदमियों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। इसके साथ साथ मेरा उनसे एक निवेदन दिल्ली के मसले पर है। दिल्ली के अन्दर चार सीटें हैं। चार सीटों में से मुश्किल से एक सीट देहात को जाती है। अगर देहात की सीट भी शहर की सीट के साथ दुगना कर दी गई और वह आरक्षित हुई तो इसका मतलब यह होगा कि एक ओर जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी सीट दूसरे पिछड़े हुए लोगों को दे दी जायेगी। मैं समझता हूँ कि दिल्ली के जो बड़े–बड़े होशियार लोग हैं और नई दिल्ली में जो बड़े–बड़े अफसर व आदमी

** संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 8, भाग 2, 19 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7115–7117*

रहते हैं, उनके मुकाबले में दिल्ली के देहात के आदमियों को या तो अनुसूचित जाति में आना चाहिये और अगर हमारे मंत्री महोदय, इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि वह अछूत नहीं हैं तो मैं कहूंगा कि उनको अनुसूचित जनजाति में रख लिया जाय। वहां रखकर मंत्री महोदय को चाहिये था कि वह उन्हें एक सीट दिलाने की कोशिश करते। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह होना बड़ा मुश्किल है। मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि जैसे एक आम सिद्धान्त रखा गया है कि जहां तक मुमकिन हो, उन सीटों को दुगना किया जाय या इकट्ठा किया जाय, जहां पर अनुसूचित जाति का ज्यादा प्रतिशत हो। इस सिद्धान्त के साथ कुछ और भी बातें रखी गई हैं। मुझे पता लगा है कि एक ही प्रान्त में नहीं, कई प्रान्तो में ऐसे मौके आये जहां पर उन सिद्धान्तों पर कमेटियां नहीं चलीं। मेरा मतलब यह नहीं है कि वह बिल्कुल नहीं चलीं, अपवाद तो सभी बातों में होते हैं। इसलिए अपवाद यहां चलाने में काफी हद तक दुरूस्त होगा। वजह यह है कि दिल्ली के देहात वाले और शहर वाले भाईयों में आपस में काफी ज्यादा फर्क है। इसके अलावा यह भी है कि जो भाई अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, उनका प्रतिनिधित्व देहात के साथ हुआ तो उसको काफी दिक्कत उठानी पड़ेगी। दिल्ली शहर की सीट में से अगर किन्ही दो सीटों को दोगुना किया गया तो जिन गरीब आदमियों को हम प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, उनका सही तौरपर प्रतिनिधित्व होगा और अगर देहात की सीट को मिलाया गया तो मैं समझता हूँ कि उन बेचारों को कोई इनाम नहीं मिलेगा, बल्कि उनके लिए तो यह सजा होगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वह चुनाव आयोग को यह हिदायत भेजें कि जहां तक दोगुना करने का संबंध है, जो दिल्ली शहर की तीन सीटें हैं, उनमें से किसी भी सीट को मिलाकर दोगुना कर दिया जाय और ग्रामीण क्षेत्र की जो सीट है, उसको एकाकी ही रखा जाय, ताकि पिछड़े हुए लोगों को जो अनुसूचित ही की तरह हमदर्दी के हकदार हैं, उनके साथ न्याय हो सके।

अन्तरिम संसद

शुक्रवार, 27 अप्रैल, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 27 अप्रैल, 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मेरे संशोधन का जवाब दिया था। मैंने उसमें एक बात कही कि शायद मैं उनको किसी दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ , यानी ऋण माध्यम की तरफ। मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उस वक्त भी और पहले भी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं उनको मध्यम या लंबी अवधि ऋण की तरफ ले जाऊं। मुझे मालूम था कि यह अल्पावधि ऋण विधेयक के लिये है। उन्होंने इस बीच में कहा कि मैंने कुंओं का जिक्र किया। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि अगर अल्पावधि ऋण में कोई आदमी रूपये को लेकर कुंए बनाता है, तो यह कैसे मध्यम अवधि ऋण बन जाता है, या लंबी अवधि ऋण बन जाता है? यह मेरी समझ में नहीं आता। उन्होंनें आपत्ति प्रकट की और यह

**संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 11, भाग 2, 27 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7656–7657*

समझाने की कोशिश की कि बिल के तहत 15 महीने की अवधि 21 महीने बन जाते हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि कूंआ तो दूर रहा, अगर आप आज, जैसी कि देश की जरूरत है, बंजर जमीन को चालू करें, तो उसके लिये भी यह बहुत जरूरी था कि इस अवधि को 15 के बजाय 18 महीने किया जाता। क्योंकि, जब शुरू की दो फसलें बोई जाती हैं तो उससे जो पैदावार उसमें होती है, वह बिल्कुल न के बराबर होती है और तीसरी फसल की पैदावार को बाजार में पहुंचाने और उससे पैसे हासिल करने में कम से कम 24 महीने का क्रैडिट बन जाता। इसमें मैं नहीं समझता कि यह किसी तरह मध्यम अवधि ऋण बन जाता या लंबी अवधि ऋण हो जाता।

इसलिये, मै सदन का ज्यादा समय न लेते हुए यही उनसे कहना चाहता था कि थोड़े समय के लिये ऋण लेने से अगर कोई आदमी कूंआ बना देता है, तो सिर्फ कूंआ बना देने से वह माध्यम या लंबी अवधि ऋण नहीं बन सकता है।

अन्तरिम संसद

शनिवार, 28 अप्रैल, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 28 अप्रैल, 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

राज्य वित्तीय नियम विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : मैं इस बिल का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि इस बिल के तहत निगम के स्थापित होने की बड़ी आवश्यकता है और वह इसलिये कि देश के अलग–अलग हिस्सों में अब पन बिजली योजनाएं बन रही हैं और आने वाले चन्द सालों के अन्दर देश के अन्दर बड़े बड़े कारखानों का इतना महत्व नहीं होगा, जितना कि छोटे–छोटे कारखानों का होगा। क्योंकि गांव–गांव के अन्दर और छोटे–बड़े देहातों के अन्दर बिजली से छोटे–छोटे कारखाने चल सकेंगे। उन कारखानों को चलाने के लिए रूपये की जरूरत होगी। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि औद्योगिक वित्त निगम शायद इस मतलब को पूरा न कर सकता हो। मेरा यह विचार है कि चूंकि इसके अन्दर बड़े बड़े कारखाने वालों का प्रभुत्व है,

---

**संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 11, भाग 2, 28 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 7701–7707*

शायद वह इसको पसन्द ही न करते कि देश के अन्दर जो छोटे छोटे घरेलू धन्धे हैं, उनकी बढ़ौतरी हो। अगर, यह कारपोरेशन कायम नहीं होगा तो उनमें काफी रूकावट होगी। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही साथ मुझे माननीय मंत्री महोदय से कुछ शिकायत भी है। वह यह कि जैसे इस देश के अन्दर कुछ लोग हरिजनों को अछूत समझते हैं, उसी तरह हिन्दुस्तान की आर्थिक दुनिया में काश्तकार और जितने आदमी काश्तकारी करते हैं, उनको अछूत समझते हैं।

हमारी संसद ने औद्योगिक वित्त निगम पास किया। इसके बाद अब छोटे उद्योगों के लिये हम राज्य वित्त निगम का बिल पास कर रहे हैं। यहीं नहीं, उन्होंने पुनर्वास वित्त निगम भी बनाया। लेकिन, जो इस देश के मालिक हैं, जिनके इस देश के अन्दर ज्यादा प्रभुत्व होना चाहिये, उनकी तरक्की के लिये देश में कोई कृषि वित्त निगम या ऐसी कोई संस्था बनाने की कोशिश नहीं की। मैं भी यह समझता हूँ कि मैं तो कई बार सदन के अन्दर यह गिला जाहिर कर चुका हूँ और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यह कहा जाता है कि रूपया मध्य वर्ग से निकल कर काश्तकारों की तरफ जा रहा है। मैं उनके इस कहने में उनके साथ सहमत तो नहीं हूँ , लेकिन, फिर भी यह कहता हूँ कि अगर इस बात को आप मान लें तो भी आप चाहते हैं कि इनके पास से पैसा आपके पास आये तो उसके लिये आपको उनके दिल से लगती अपील करनी चाहिये थी और वह अपील यही थी कि आप उनके लिये कृषि वित्त निगम बनाते और और लोगों को बताते कि आज हम जो बड़े बड़े बांध और दूसरी चीजें हैं जैसे कि जमीन को चालू करने की कठिनाईयां और सिंचाई की छोटी योजनाओं को चालू करने में कठिनाईयां हैं, उन सबको दूर करने के लिए आप ऐसी वित्त निगम बनाते तो मेरा यह दावा है कि उनसे रूपया कर्ज लेने में बहुत आसानी हो जाती। पंजाब में भाखड़ा बांध बन रहा है। अगर पंजाब के काश्तकारों से साफ तौर पर यह अपील करते और उनको बताते कि अगर वे इसके लिये पैसा देंगे तो सारा रूपया भाखड़ा बांध में लगाया

जायेगा तो मैं नहीं समझता कि पंजाब वाले बाकी हिन्दुस्तान से किसी तरह पीछे रहते। मेरा विचार है कि जो करोड़ों रूपये यहां से लगाये जा रहे हैं, यह सब पंजाब से ही हासिल हो सकते थे। यह तभी हो सकता है, जबकि अपील सीधे उनके दिल को लगती हुई करें। जिस प्रकार आप उद्योग के लिए औद्योगिक वित्त निगम स्थापित करके और पुनर्वास के लिये कायम करके उनके दिल को अपील करते हैं तो काश्तकार के भी दिल को आप अपील करें तो मुझे आशा है कि यह सब कठिनाईयां दूर हो जायेंगी। मैं आशा करता हूँ कि दूसरा सदन आने से पहले आप इस किस्म का बिल लाएंगे जिस कृषि वित्त निगम कायम हो सके।

इसके साथ साथ मुझे इस बिल के अन्दर भी सुझावों के बारे में कुछ कहना है। इसमें निगम निकाय को रखा है। मैं यह चाहता हूँ कि छोटी बड़ी सभी तरह की सहकारी समितियां इसके हिस्से खरीद सकें। माननीय मंत्री महोदय इसको साफ कर दें कि देहात में जो छोटी–छोटी सहकारी समितियां हैं वह भी इसके अन्दर शामिल कर सकेंगी। यही नहीं, उनका जो निदेशकों का कोटा निर्धारित किया गया है, उसमें इन सहकारी समितियों का भी काफी हिस्सा होना चाहिये। यह देहात के छोटे–छोटे घरेलू उद्योग धन्धों की जो सहकारी समितियां हैं, उनको मदद मिलनी चाहिये। हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी, जो आजकल राज कर रही है, उसने यह प्रस्ताव स्वीकार किया है कि हम देश में सहकारी समाज और उस तरह की आर्थिक व्यवस्था पर देश को बनाना चाहते हैं। इसके लिये यह जरूरी है कि अगर उनका प्रभुत्व, यानी निदेशकों में उनका बहुमत न हो, तो कम से कम दो निदेशक जितनी सहकारी समिति वित्त करें, उनमें से चुने जायें। इसके लिए उनको बढ़ा भी देना चाहिए। इस तरह से सही अर्थों में वह इसको हल कर सकेंगे।

इसके अलावा मेरे कुछ और निवेदन हैं। इन्होंने कम से कम सीमा 50 लाख की रखी है और ज्यादा से ज्यादा दो करोड़ की सीमा रखी है। जैसा हमारा देश है, उसके अन्दर छोटी बड़ी सभी किस्म की

रियासतें हैं। हमारे देश में आज 27 रियासतें हैं जिनमें एक तरफ मणीपुर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली जैसी छोटी छोटी रियासतें हैं तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और मद्रास, बिहार और बंगाल जैसी बड़ी बड़ी रियासतें भी हैं।

श्री ऐ0 सी0 गुहाः बंगाल बहुत छोटी है।

चौधरी रणबीर सिंह : जरूरत के लिहाज से भी केन्द्र के लिये काफी बड़ी है। सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि इस देश के अन्दर काफी छोटी बड़ी रियासतें हैं। शायद कुछ ऐसी छोटी बड़ी रियासतों के लिए जैसे कि मणीपुर है, या दिल्ली है, या अजमेर है, उनके लिये यह 50 लाख का स्वप्न ही बनकर न रह जाये। इसलिये पचास लाख की सीमा है यह लचीली होनी चाहिये। इसके साथ उत्तर प्रदेश जैसी रियासतों के लिये तो मैं समझता हूँ कि.....और शायद पंजाब भी उसमें आ जाये अगर लोगों के दिल को अपील की जाय और जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि कृषि वित्त निगम बनाने के लिये अपील की जाये...तो दो करोड़ की सीमा बहुत कम हो जाये। अगर आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि इस रूपये से खेती में भी तरक्की हो सकेगी तो मैं समझता हूँ कि पंजाब भी शायद इसमें आ जाय और वहां भी देहात से शायद दो करोड़ की हद ठीक नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए तो दो करोड़ कुछ मायने ही नहीं रखता। जहां 52 या 53 जिले हैं और कई एक जिले तो ऐसे हैं, जो आपके अजमेर या मणीपुर जैसी रियासतों के दुगुने और तिगुने हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि जो सीमाएं विधियों में रखनी है तो इनको कम और ज्यादा कर दें या इनको लचीली बना दें।

इसके अलावा मेरा दूसरा निवेदन यह है कि आपने इसके तहत सलाहकार मण्डल बनाने का प्रबन्ध किया है। सलाहकार मण्डल के बारे में मेरा उनसे कहना है कि जितने भी राज्य वित्त निगम हैं इनके ऊपर जो ज्यादा प्रभुत्व रहेगा, वह राज्य सरकार का होगा और उसमें राज्य का हाथ होगा। जैसा हमने इस विधान को मंजूर किया है, उसके अनुसार राज्य के प्रतिनिधि या सदस्य आम लोगों द्वारा चुनकर आएंगे, उसी तरह इस सदन के सदस्य आएंगे, वह भी आम चुनाव से आएंगे। वह भी आम जनता के प्रति उसी प्रकार जिम्मेवार होंगे, जैसे राज्यों के सदस्य। तो उस इलाके के संसद के सदस्य होंगे उनका भी उतना ही रूझान होगा, जितना कि अन्य सदस्यों का। इसलिये, जब सलाहकार समिति गठित की जाये तो उस समय उस इलाके के सांसद का खास ध्यान रखा जाय। अगर हो सके तो इसके अनदर यह गुंजायश रख दी जाय कि उन सलाहकार समितियों में एक, दो या तीन उस इलाके के जो सदस्य हों, वह इस सलाहकार मण्डल के सदस्य चुने जायें

अन्तरिम संसद

मंगलवार, 15 मई, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 15 मई, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

जन प्रतिनिधित्व विधेयक (क्र. 2)

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बावजूद इस बात के कि माननीय मंत्री महोदय ने अपनी स्वीकृति नहीं दिखाई कि वह इस संशोधन को मंजूर करने जा रहे हैं, फिर भी मैं समझता हूँ और दिल से मानता हूँ कि इस संशोधन को मंजूर करना चाहिए। मेरा ऐसा विचार है कि जितनी आपत्तियां इसके रास्ते में जिन दोस्तों ने बताई हैं, वे शायद गलत फहमी में हैं। मैं इस बात को जानता हूँ और इस सदन के सामने जितने भी भाई बोले, माननीय मंत्री महोदय या दूसरे सदस्य, सबने इस संशोधन के आदर्शों को माना। लेकिन, किस तरह से वह निभाया जाय और किस तरह से नहीं निभाया जाय, इस पर आपत्ति जाहिर की है। मैं नहीं समझता कि इसके अन्दर कोई आपत्ति लायक बात है। क्योंकि अगर अफसरों के ऊपर यानी सरकार में जितने

** संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 12, भाग 2, 15 मई, 1951, पृष्ठ 8757–8761*

आदमी चुनाव कराने पर लगेंगे, उनके ऊपर ऐतबार नहीं करेंगे तो चुनाव कैसे हो सकता है? उनके ऊपर भरोसा नहीं किया तो कोई चुनाव भी नहीं होने वाला है। एक तरह से हम उनके ऊपर चाहे वह भरोसे के लायक है या नहीं है, भरोसा करने पर मजबूर हैं। मेरा यह भी विचार है कि इसमें कोई बहुत बड़ा दांव भी नहीं है कि हम भरोसा करें या न करें, यह सवाल पैदा हो। यह तो सिर्फ राष्ट्रपति साहब के, प्रधानमंत्री जी के सन्देश को पढ़ने का सवाल है। इसमें एक अफसर कहां तक कितनी क्या शरारत या कोई किसी खास आदमी को खुश करने के लिये क्या कर सकता है, मेरी समझ में नहीं आता। इसलिये मैं समझता हूँ कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

जहां तक प्रधान के चुनाव के बारे में जो बातें कहीं गई हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। राष्ट्रपति जी, चुनाव के अन्दर आते नहीं। जो कुछ भी वह अपना सन्देश दे रहे हैं, वह सन्देश ऐसा सन्देश है, जो हिन्दुस्तान के विधान में मंजूर किया गया है। थोड़ी सी आपत्ति जो जाहिर की गई है, वह 'उचित' शब्द के ऊपर है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कोई आदमी, जो चुनाव के लिये खड़ा होने वाला है, क्या वह कहेगा कि मैं उचित आदमी नहीं हूँ। कोई आदमी चुनाव के अन्दर खड़ा होने जा रहा है, वह यह कहेगा कि सबसे अच्छा आदमी, सबसे ठीक चुनने के लायक मैं ही हूँ और मुझे ही देश के फायदे के लिए वोट दो और चुनो। फिर उचित शब्द पर कहां आपत्ति आ जाती है, यह भी मेरी समझ में नहीं आता।

माननीय मंत्री महोदय ने और दूसरे दोस्तों ने भी एक आपत्ति यह जाहिर की है कि शायद यह अव्यवहारिक हो और शायद इसके ऊपर चला न जा सके। मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि हम इस देश के अन्दर चुनाव के लिये कहीं से मशीनरी पैदा करेंगे। तो फिर सन्देश को पहुंचाने के लिये कौन सी आपत्ति है।

सन्देश के बारे में मेरा नम्र निवेदन है कि, जैसा कुछ भाईयों का ख्याल है कि रेडियो के द्वारा भी यह सन्देश पहुंचाया जा सकता

है। उसमें आपत्ति यह है कि रेडियो सब तक नहीं पहुंचता। अखबार सब तक नहीं पहुंचते। इसके अलावा भी इसमें एक भारी आपत्ति है कि जिस जबान में वह पहुंचाये जाते हैं, वह सबकी जबान नहीं है। यह जबान चन्द आदमियों की जबान है। वह चन्द पढ़े लिखे आदमियों की जबान है। अगर आप इसको अंग्रेजी में पहुंचायें तो शायद आप पन्द्रह फीसदी आदमियों तक ही पहुंचा सकते हैं। अगर हिन्दी में पहुंचाएंगे तो जिस तरह की हिन्दी आजकल प्रचलित है, वह शायद तीस फीसदी तक पहुंचेगी। देहात में जैसी हिन्दी यहां बोली जाती है, हालांकि हम लोग हिन्दी बोलने वाले इलाके के कहे जाते हैं, फिर भी देहात में बहुत से भाई ऐसे हैं, जो इस हिन्दी को नहीं समझ सकते। मैं समझता हूँ कि उस सन्देश को पहुंचाने के लिए यह जरूरी है कि हर देहात में पहुंचा जाय और उस जबान में नहीं, जो इस सचिवालय की जबान हो, बल्कि वह उस इलाके की जबान हो। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय इस बात पर फिर दोबारा गौर करेंगे। इसके अन्दर जैसी आपत्ति लोगों ने जाहिर की है, वह मेरी समझ में कोई आपत्ति नहीं है और न इसमें अध्यक्ष साहब के ऊपर कोई कलंक आने की बात है।

जहां तक इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात का सवाल है, वह तो एक ऐसी बात है कि जिसके ऊपर मुझे एक मिसाल याद आती है। एक बाप और बेटा एक घोड़ा लिये हुए जा रहे थे। पहले बाप घोड़े पर सवार था और बेटा पैदल चल रहा था। कुछ आदमी मिले। उन्होंने कहा देखो, इस बुड्ढ़े की अकल मारी गई है। बेटा बेचारा पैदल भागता है और यह बुड्ढ़ा घोड़े पर सवार है। बाप ने समझा कि यह तो कोई बड़ी भारी गलती है। उसने बेटे को घोड़े पर सवार कर दिया। जब कुछ चन्द कदम चले, तो कुछ और दोस्त मिले। वे उस जवान बेटे से कहने लगे तूझे शर्म नहीं आती, तेरा बाप जो बूढ़ा है, वह पैदल चल रहा है और तू घोड़े पर सवार है। इसके बाद उन्होंने सोचा कि यह भी गलत है। बूढ़े का पैदल चलना सही नहीं है। सोचा कि शायद यह अच्छा हो और लोग इस बात से सहमत होंगे कि हम

दोनों इसके ऊपर सवार हो जायें। इसलिये वह दोनों उस पर सवार हो गये और आगे चले। लेकिन, फिर लोगों ने इस पर भी आपत्ति की।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस कहानी को अपने स्कूल के दिनों में पढ़ चुके हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं ज्यादा से ज्यादा एक मिनट और लूंगा। वे बेचारे दोनों उस पर से उतर गये और आगे चले। उस पर भी लोगों ने आपत्ति की कि देखो कैसे आदमी हैं कि घोड़ा है और फिर भी पैदल जा रहे हैं। इनके जैसा बेवकूफ कौन होगा? जहां तक किसी भी चीज की भलाई और बुराई का सवाल है, आप कितना अध्यक्ष जी को दूर रखिये, अफसरों को कितना ही दूर रखिए, उनके ऊपर जिन लोगों को कुछ कीचड़ फेंकनी है, वह तो कीचड़ फेंकेंगे। इस डर से कि कोई कीचड़ न फेंके, हम अपने फर्ज को भी पूरा करना छोड़ दें, इससे मैं सहमत नहीं हूँ।

अन्तरिम संसद

मंगलवार, 15 मई, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 15 मई, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

जन प्रतिनिधित्व (क्र. 2) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरदार हुक्म सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है, मैं उसके हक में नहीं हूँ। इसके अलावा जब प्रोफेसर रंगा जी बोल रहे थे, उन्होंने विचार जाहिर किया था कि प्रदेश के अफसरों को निर्वाचन अधिकारी न लगाया जाय, उनके संशोधन के पीछे तथा रंगा जी ने जो कहा, उसके पीछे जो भावना है, उन्हें डर है कि सरकारी अधिकारी कहीं मंत्रियों से डर कर या उनको खुश करने के लिये ठीक ठीक ढ़ंग से न चलें। इसके लिये मेरी समझ में एक बीच का रास्ता आता है। सरकारी अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी लगाया जाये, लेकिन वह सरकारी अधिकारी सामान्य नागरिक नहीं हों, बल्कि सेना के हों, सेना के अधिकारियों को निर्वाचन अधिकारी लगाया जाये और अगर उनको इस काम के लिये लिया जायेगा तो चुनाव ठीक ढ़ंग

** संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 12, भाग 2, 15 मई, 1951, पृष्ठ 8767–8768*

से हो, इसकी ज्यादा संभावनाएं होंगीं, क्योंकि फौज के अन्दर उनको मर्यादा या अनुशासन के अन्दर चलना सिखाया जाता है। उन लोगों की अनुशासन के अन्दर रहकर काम करने की आदत हो जाती है। कायदे–कानून से बाहर जाते हुए वह बहुत घबराते हैं। भले मतदान अधिकारी चाहे सिविल के ले लें, लेकिन पीठासीन अधिकारी सेना के ही होने चाहियें।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मतदान अधिकारी और पीठासीन अधिकारी पर सिपाही लगा दिये जायें।

चौधरी रणबीर सिंह : सिपाही नहीं, उसके लिये आपके पास भारतीय कमीशन अधिकारी हैं। मेजर हैं, कर्नल हैं, लैफ्टिनेंट कर्नल हैं। इनकी देश के अन्दर कोई कमी नहीं है, उनको आप निर्वाचन अधिकारी लगायें।

उपाध्याय महोदय : वह जरूर आयेंगे। उम्मीदवारों में जब आपस में लड़ाई शुरू होगी, तब वह जरूर आयेंगे।

चौधरी रणबीर सिंह : उसके लिये फौज के दूसरे अफसर भी आ सकते हैं। लेकिन निर्वाचन अधिकारी का काम, जहां तक मेरा विचार है, वह ज्यादा ईमानदारी और अच्छे ढ़ंग से चला सकते हैं और सेना के अधिकारियों पर किसी भी पार्टी को कोई शक नहीं होगा।

अन्तरिम संसद

मंगलवार, 15 मई, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 15 मई, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

जन प्रतिनिधित्व (क्र. 2) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन दिया था, उसके पीछे जो अनुभव और सोच थी, वह थी कि सन् 1937 में चुनाव के अंदर हमारे हल्के से जो उम्मीदवार था, उसने अधिकारियों से साजिश करके एक ऐसा मतदान केन्द्र बनवाया, जहां दो दिन मतदान हुआ। एक दिन तो उस इलाके का जहां मतदान केन्द्र था और दूसरे दिन दूसरे इलाके का, जिसका कोई मतदाता उस गांव में नहीं था। यह अधिकारियों के नजरिये से भी फायदेमन्द है और खास उम्मीदवार के लिये भी। मान लीजिये कि ऐसा होता है कि किसी उम्मीदवार को यह मालूम है कि फलां गांव से उसका विरोध होगा, तो वह उस गांव के लिये पांच या तीन मील दूरी पर मतदान केन्द्र बनवाये, जहां एक भी मतदाता वोट डालने नहीं जाये। इस तरह उसका विरोध बच जायेगा और दूसरे उम्मीदवार को जो वोट मिलने थे, वह नहीं मिलेंगे।

** संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 12, भाग 2, 15 मई, 1951, पृष्ठ 8794–8798*

मेरा संशोधन यही है कि किसी उम्मीदवार के फायदे के लिये मतदान केन्द्र न बनाये जायें। मतदान केन्द्र वहीं बनाए जायें, जहां ज्यादा सुविधाएं हों और ज्यादा वोटें हों। अगर किसी इलाके में 900 वोटें हैं, तो यह उम्मीदवारों के फायदे में भी होगा कि 500 वोटों वाले गांव में मतदान केन्द्र बनाया जाये।

जहां पर जिस गांव में ज्यादा से ज्यादा राय हो, वहां पर मतदान केन्द्र हों और जो छोटे छोटे गांव हों, वह बड़े गांव मत डालने के लिये आएं। इसके अलावा जैसा मैनन साहब ने कहा मैं उससे सहमत हूँ कि यह चिट्ठी डालने का तरीका मेरी समझ में कामयाब नहीं हो सकता। डाकखाने का जैसा महकमा है और उसके अन्दर जितना काम है, चिट्ठी बांटने वाले जो हैं, उनके पास काम है, वह उसको ही पूरा नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी जो चिट्ठियां होती हैं, उनको वह फाड़ डालते हैं, उनको ठिकाने तक पहुचाते ही नहीं हैं। ऐसी हालत में हर आदमी को जिस वक्त चिट्ठी पहुंचानी होगी, वह नामुमकिन हो जायेगा, क्योंकि एक नाम के कई आदमी होते हैं। नम्बर का किसी गांव में किसी को पता नहीं कि यह कौन से आदमी का नम्बर है और किसका नहीं है। उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जायेगा। इसलिये जो कपूर साहब का सुझाव पोस्टकार्ड का है, वह ठीक नहीं है।

श्री जे. आर. कपूर : मैंने तो पोस्टकार्ड नहीं कहा था। उन्हें भेजना चाहिये, यह कहा था। यह नहीं कहा था कि डाक के जरिये से भेजना चाहिये। न मालूम कैसे माननीय दोस्त ने समझ लिया है कि डाक के जरिये से भेजना है। जो तरीका आसान होगा, वह अपना लिया जायेगा। एक तरीका हो सकता है कि पटवारी या चौकीदार के जरिये से भेज दी जायें। इसी तरह शहरों में भेज दें या शहरों में डाक के द्वारा भी भेज दें। अब शहरों के लिये डाकिये फाड़ कर फेंक देंगे, मुझे तो ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। लेकिन सम्भव है कि पंजाब प्रान्त में ऐसा

होता हो। वहां बड़ी बड़ी बातें हुआ करती है और खासकर जिस जिले से मेरे मित्र आते हैं, वहां नई–नई बातें हुआ करती हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय दोस्त को शायद यह पता नहीं है कि पटवारी कितनी बड़ी बड़ी शरारत करने की ताकत रखता है? अगर उसके हाथ में दे दिया जाये तो बड़ी गलती होगी। क्योंकि शायद डाकिया तो शरारत न भी करता, लेकिन पटवारी का तो बहुत सारे सदस्यों को मालूम ही है कि वह दाखिल खारिज में कितनी शरारतें करता है? वह ऐसी हालत पैदा कर सकता है कि दूसरी पार्टी को पता भी न लगे और एक पार्टी वाले को मरा दिखा दे या जिन्दा दिखा दे, हालांकि सबूत उसके खिलाफ हों। पटवारी के हाथ भेजने का कोई अच्छा सुझाव नहीं है। मैं उसका भी विरोध किये बिना नहीं रह सकता।

यह उम्मीदवारों के लिये ही छोड़िये कि वे अपने मतदाताओं तक पहुंचायें। यह काम हर कोई उम्मीदवार कर सकता है। अगर कोई नहीं कर सकता तो वह उम्मीदवार खड़ा होने के लायक ही नहीं है।

अब जहां तक सूचियों का सवाल है, यह दुरूस्त है कि हमारे समाज में जो हरिजन भाई हैं, वे आर्थिक तौरपर काफी गरीब हैं। लेकिन, छूट देने की भी कोई हद होती है। सूची के अन्दर भी उन्हें छूट मिले, यह मेरी समझ में नहीं आता। जमानत के अन्दर भी छूट मिले। हर बात में जो छूट देने का भेदभाव है, यह बहुत अच्छा नहीं है। पक्षपात हमारे विधान के खिलाफ है। यह पक्षपात रखना है, तो उसे कम से कम रखिये और हर एक उम्मीदवार को एक या दो कापी जरूर दीजिये। बाकी कापियां, जैसे मेरे लायक दोस्त डाक्टर देशमुख जी ने कहा है, ऐसे मूल्य पर दिलाइये कि जिन पर उम्मीदवार खरीद सकें। यही अच्छा होगा।

अन्तरिम संसद

शुक्रवार, 18 मई, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 18 मई, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

संविधान (प्रथम संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वकील नहीं हूँ। लेकिन जो बातें मैंने सुनी हैं, उनसे मैं कह सकता हूँ कि यह प्रश्न, संक्षेप में, एक तरफ शोषकों व शोषितों का सवाल है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आने वाले चुनावों में जो लोग सदस्य बनकर आयेंगे, उनके ऊपर विश्वास या अविश्वास का सवाल है। कहा जा सकता है कि यह सवाल आगे बढ़ी हुई जातियों का और पिछड़ी हुई जातियों का है। कुछ दोस्तों ने कहा है कि यह एक राजनीतिक सवाल है। मैं कहता हूँ कि यह राजनीतिक सवाल नहीं है, बल्कि आर्थिक सवाल है। मैंने जो अभी सदन में निवेदन किया है, उसकी व्याख्या करना चाहता हूँ।

कई दोस्तों ने कहा है कि जनता की राय लेनी चाहिये। मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका राय से क्या अर्थ है? अगर वह अवाम की

** संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 1, भाग 2, 18 मई, 1951, पृष्ठ 9049–9053*

राय जानना चाहते हैं तो यह राय लोगों ने उसी समय बता दी थी जब उन्होंने कांग्रेस को राय दी थी। कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा था तो उसमें दो बड़ी बड़ी बातें थीं। एक यह कि हम हिन्दुस्तान को आजाद करायेंगे और दूसरी यह कि भूमि को जोतने वाले और सरकार के बीच में जो बिचौलिये या शोषक हैं, उसको खत्म करेंगे। इन प्रश्नों पर लोगों ने कांग्रेस को राय दी थी। अगर कोई आदमी अब भी लोगों की राय जानना चाहता है तो यह बात मेरी समझ में नही आती है।

दूसरा सवाल बोलने की आजादी और लिखने की आजादी का है। मैं कहता हूँ कि यह आजादी भी एक शब्द है। यह असीमित शब्द नहीं है। जो एक शोषक के लिए आजादी है, वह शोषित के लिए गुलामी है। जो भाई यह कहते हैं कि लिखने की और बोलने की आजादी हो, वह एक खास वर्ग की यानी शोषक वर्ग की आजादी है। इस बारे में वह शोषितों से पूछना चाहते हैं तो उनकी राय साफ है और अगर शोषकों से पूछना चाहते हैं तो उनकी भी राय साफ है।

एक अन्य बात कही गई है। डाक्टर अम्बेडकर साहब माने हुए वकील हैं, उन्होंने इस बात को कुछ दूसरे ढ़ंग से कहा है। दूसरे देशों के संबंधों के बारे में है। आप इंग्लैण्ड का इतिहास ले लीजिए। वहां घरेलू मामलात में चाहे जो भी मतभेद रहा हो, पर, जहां तक दूसर देशों के सम्बन्ध का ताल्लुक है, उसमें चाहे वह लेबर पार्टी हो या कंजरवेटिव पार्टी हो, वह हमेशा एक रहे हैं। लेकिन, दुनिया में कोई ऐसा देश है कि जहां पंचायती राज्य हो और जहां पर विदेशी मामलात में भी मतभेद पाया जाता है तो वह हमारा ही देश है। वरना, दूसरे देशों में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, विदेशी मामलात में एक रहे हैं। इसलिये मेरी समझ में यह आता है कि जो बहुत बड़ा सवाल है वह किसी हद तक दुरूस्त नहीं है।

एक बात की मुझे बाबू ठाकुर दास जी से शिकायत है। वह हमारे इलाके के माने हुए बड़े होशियार वकील हैं। जैसा हमारे माननीय नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने बतलाया और कुछ

दूसरे सदस्यों ने भी कहा है कि यह संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग बन गया है। बाबू ठाकुर दास अब भी इस कोशिश में हैं कि वह एक शब्द से वकीलों के लिए स्वर्ग पैदा कर दें। वह चाहते हैं कि सीमा के पहले उचित या उपयुकत शब्द लगा दिया जाए। वह समझते हैं कि यह शब्द न लगाये गये तो पुराने जितने राजद्रोह कृत्य हैं, वह जिन्दा हो जाएंगे।

जिस समय वह बोल रहे थे, उस समय भी मैंने कहा था और डाक्टर अम्बेडकर साहब बोल रहे थे, उस समय भी मैंने कहा था : लोगों के प्रतिनिधि यह नहीं चाहते कि इस तरह के नियम और कायदे कानूनी ढ़ंग पर अदालतों में खींचे जायें। इसलिए मुझे डर है कि इसके पहले अगर ''उचित'' या ''उपयुक्त'' शब्द लगा दिया गया तो बहुत खींचातानी होगी। यह डर क्यों है? देखिये, हम क्यों जरूरत महसूस कर रहे हैं कि संविधान को, विधान में तब्दील किया जाये। वह इसलिये कि विधान का जो इंटरप्रिटेशन जजों ने मुख्तलिफ ढ़ंग से किया वह विधान सभा का आशय नहीं था। अगर यह उचित और उपयुक्त शब्द आ गये तो फिर वही झगड़ा हो जायेगा। यह बहुत मामूली शब्द है और कई सदस्य यह भी कहते हैं कि यह बिल्कुल मासूम शब्द हैं। लेकिन, मैं समझता हूँ कि यह मासूम नहीं हैं, इसके असली तह का पता लगाईये। इस शब्द से वह फिर दोबारा पिछले दरवाजे से अदालतों को लाना चाहते हैं। वह इस सदन के और देश के जो प्रतिनिधि हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं पर जजों को और सुप्रीम कोर्ट को थोपना चाहते हैं। इसलिये मेरा सदन से यह निवेदन है कि हर एक सदस्य इस पर अच्छी तरह विचार करे, जैसे कि प्रोफेसर रंगा ने किया। प्रोफेसर रंगा कांग्रेस पार्टी से जुदा होने का अपना इरादा जाहिर कर चुके हैं या वह जुदा हो जाएंगे और एक तरह से आज उन्हें विरोधी पार्टी का सदस्य कहा जा सकता है। लेकिन, चूंकि वह शोषित वर्ग से आते हैं, इसलिये वह शोषित वर्ग और शोषित लोगों की भलाई के लिये सोचते है। इसीलिये, पार्टी से अलग होने के बावजूद, उन्होंने इससे इत्तिफाक किया।

मेरे लायक दोस्त सारंगधर दासजी ने इस तरह की बात कही कि न मैं इसका विरोध करता हूं और न मैं इसके हक में हूँ, बल्कि, एक बीच की सी बात उन्हीं ने कही। हमारे माननीय नेता ने कहा जैसे कि बजट पर जिस ढ़ंग से बहस करते हैं वैसी बहस उन्होंने की। लेकिन, उनके दिल से अगर पूछा जाय तो मैं समझता हूँ कि वह कभी इसकी मुखालफत नहीं कर सकते और जो लोग आज लूटे जा रहे हैं, उनकी भलाई जो कोई आगे रखते हैं, वह कभी इसकी मुखालफत नहीं कर सकते।

अन्तरिम संसद

शनिवार, 19 मई, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 19 मई, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

जन प्रतिनिधित्व (क्र. 2) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, इस संशोधन का समर्थन करते हुए मुझे कुछ तो झिझक होती है और कुछ शक भी होता है। क्योंकि मुमकिन है कि कोई आदमी किसी का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ले आए और उसमें जो उम्र दर्ज हो, सम्भव है सर्टिफिकेट में उम्र 25 साल हो और मतदाता सूची में 36 या 39 हो। ऐसी हालत में यह सवाल पैदा हो सकता है कि उसका नामांकन पत्र बहाल रखा जाय या रद्द कर दिया जाये। मैं समझता हूँ कि अच्छा होता यदि यह संशोधन दूसरे ढ़ंग से ड्राफ्ट किया गया होता और इसमें 25 साल का सवाल न रखा गया होता। मैं समझता हूँ कि अगर इसके बिना यह संशोधन आता तो ज्यादा बेहतर होता। उम्र 25 साल रखी जायेगी तो सवाल पैदा होगा कि जिसकी उम्र 25 साल से कम लिख दी गई है,

**संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 1, भाग 2, 19 मई, 1951, पृष्ठ 9125–9127*

उसका नामांकन पत्र रद्द किया जाये। यह बात तो सही है, लेकिन जब एक आदमी चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है तो वह चुनाव में चुना जाने के लिए ज्यादा उत्सुक होता है, बजाय इसके कि वह अपने आपको यह साबित कराये कि मैं नौजवान हूँ, बिल्कुल बच्चा नहीं हूँ इसलिये, मैं समझता हूँ कि जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने किसी तरह स्वीकार करना है तो उसमें से यह शब्द हटाकर फिर एक्सेप्ट करें कि उम्र में अगर कोई खराबी है तो वह इससे छिपाव हो सके। यदि किसी की उम्र गलत लिख दी गई है तो वह उसमें ठीक हो सके। इसलिये यह शब्द इसमें से हटा लीजिये।

अन्तरिम संसद

शनिवार, 19 मई, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 19 मई, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

जन प्रतिनिधित्व (क्र. 2) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, मुझे एक शक है, वह मैं साफ कराना चाहता हूँ। इसमें यह प्रावधान है कि :

"Provided also that where any person having held any office referred to in clause (f) of sub-section (1) of section 7 has been dismissed and the period of five years…."

मेरे विचार से जो आजाद हिन्द फौज के जवान थे या अफसर थे, वह इसमें तो नहीं आते होंगे, यह मैं जानना चाहता हूँ। यह प्रावधान कहीं उनको तो खारिज नहीं करता है। उनको खारिज करता है तो उनके लिए भी कोई प्रावधान ऐसा होना चाहिए, जिससे उन लोगों को चुनाव में हिस्सा लेने का हक हो।

**संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 12, भाग 2, 19 मई, 1951, पृष्ठ 9130*

अन्तरिम संसद

शनिवार, 19 मई, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 19 मई, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

जन प्रतिनिधित्व (क्र. 2) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, मैं संशोधन का समर्थन करने में कुछ रूकावट अनुभव करता हूँ। मुझे यह आपत्ति है कि धारा के अन्दर जमानत के सिलसिले में एक भेदभाव किया गया है। उसमें संसद के लिए पांच सौ है और राज्य विधानसभा के लिए ढ़ाई सौ है। इसके लिए माननीय दास जी ने जो अपना संशोधन रखा उसके अन्दर भी ढ़ाई सौ और सवा सौ रखकर इस भेदभाव को बहाल रखा है। यह भेदभाव जमानत के अन्दर रखा गया है, वह मेरी समझ में नहीं आया। हो सकता है कि शायद माननीय मंत्री महोदय के या जिन्होंने धारा को ड्राफ्ट किया है, उनके विचार में यह रहा हो कि संसद के लिए बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसलिए उसकी जमानत ज्यादा होनी चाहिये या शायद वह इसलिये भी हक में हो कि संसद या राज्य विधानसभा के अन्दर जो सदस्यों को भत्ता मिलता है, उसके अन्दर फर्क होता है। इस फर्क की बिना पर जमानत में भेदभाव रखना ठीक है। मैं इन दोनों हालतों से अपने आपको सहमत नहीं पाता। यह इसलिये कि जहां तक खर्चे का वास्ता है, खर्च केवल दुगना नहीं होगा। अगर खर्च की मद उसमें रखी जाती तो मेरे विचार में जमानत का जो फर्क है, वह सात गुना या आठ गुना होना चाहिये था। इसके अलावा एक और भी बात है, जहां तक खर्च का वास्ता है, अनुसूचित जाति का जो उम्मीदवार होगा, चाहे राज्य विधानसभा का या संसद का उसके लिये दुगने मत पेटियों की आवश्यकता होगी, और उसका खर्च जो है, वह दुगना होगा, इसके मुकाबले में उसकी जमानत आधी रखी गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो भेदभाव रखा गया है, वह कोई खर्च की बिना पर है। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि इस भेद को दूर करने के लिए माननीय मंत्री जी ही कोई सुझाव रखें। चूंकि, हमारा संविधान ही भेदभाव नहीं मानता है। इसलिए, किसी चीज में भेदभाव रखना अच्छा नहीं है।

** संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 12, भाग 2, 19 मई, 1951, पृष्ठ 9138–9140*

अन्तरिम संसद

शनिवार, 19 मई, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 19 मई, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

जन प्रतिनिधित्व (क्र. 2) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, मैं डाक्टर देशमुख के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, जैसा आपको पता है कि हमने अपने विधान के अन्दर पिछड़ी हुई जातियों में से जिनको हमने अनुसूचित जनजाति कहा है, उनको कई एक संरक्षण दिये हैं। हमने उनके लिए संसद में और विधानसभाओं में भी सीटें सुरक्षित की हैं। लेकिन, उनके अलावा जो दूसरे पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए हमने कुछ भी संरक्षण नहीं दिया है। हालांकि वह राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और तालीमी तौर पर, किसी भी तरह उनसे आगे बढ़े हुए नहीं हैं। जितने वह लोग पिछड़े हुये हैं, उतने ही यह भी पिछड़े हुए हैं, सिवा चंद बातों के कि उनको अछूत नहीं माना जाता। लेकिन, आर्थिक दुनिया में और राजनीतिक दुनिया में

** संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 12, भाग 2, 19 मई, 1951, पृष्ठ 9143–9144*

उनके साथ जो बर्ताव होता है, वह अछूतों से कम नहीं है। मेरी माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि जो जमानत का सवाल है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। अगर आप इस सवाल के अन्दर कुछ थोड़ी सी रियायत कर देंगे तो वह कोई बहुत बड़ी रियायत नहीं होगी। बल्कि, मेरा तो विचार यह है कि आपकी मानसिकता का एक तरह से सबूत होगा और उन लोगों को भी यह ख्याल होगा कि हाऊस में कोई हमारे लिए भी प्रेम रखता है या कोई हमारे ऊपर थोड़ा बहुत रहम करना चाहता है और उनकी तरक्की के लिए ठीक दिशा में एक कदम आगे बढ़ाना होगा। इसलिए, मैं डाक्टर साहब के संशोधन का समर्थन करता हूँ।

अन्तरिम संसद

शनिवार, 19 मई, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 19 मई, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

जन प्रतिनिधित्व (क्र. 2) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : I big to move :

In part (a) of the Proviso to sub clause (1) of clause 32, add the words "if he stands for recovered seat only at the end.

सभापति महोदय, इस संशोधन के पीछे जो भावना है, वह यह है कि अगर आप धारा 62 उपधारा 2 को पढ़ेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि इसकी आवश्यकता है। धारा 62 (2) के अन्दर ऐसा लिखा हैः

"if an elector gives more than one vote to any one candidate in contravention of the provisions of sub-section (1), then, at the time of counting of votes given by him to such candidate shall be taken into account and all the other votes given by him to such

*संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 12, भाग 2, 19 मई, 1951, पृष्ठ 9150–9152

candidate shall be rejected as void."

इसकी व्याख्या में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप मिसाल के तौर पर एक हल्के को लें, जिस हलके के अन्दर एक जनरल सीट है और एक आरक्षित सीट है। अब, कल्पना कीजिये, उस आरक्षित सीट के लिए....

परिवहन व रेलवे राज्य मंत्री (श्री संथानम) : मेरा सोचना है कि यह संशोधन आदेश के बाहर है। कोई भी व्यक्ति आरक्षित सीट पर खड़ा हो सकता है। वह व्यक्ति खड़ा होने का हकदार हो जाएगा, जहां निर्वाचन क्षेत्र में एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है।

चौधरी रणबीर सिंह : यह अध्यक्ष महोदय को तय करना है। अगर मेरे संशोधन को नहीं माना गया तो इससे हम समाज के अन्दर चुनाव के द्वारा एक और जहर को दाखिल करेंगे। आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो मालूम होगा कि चुनाव के वक्त जहां आरक्षित सीटें है, वहां चुनाव क्या असली सूरत अख्तियार करेगा। आपको पता लगेगा कि कोई गैर–हरिजन को राय देना पसन्द नहीं करेंगे, क्योंकि वह दोनों सीटों से कामयाब हो सकता है। वैसे मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर समाज के अन्दर फूट के जहर को दाखिल करके कुछ सज्जन आते हैं तो इसमें मुझे आपत्ति मालूम होती है। अगर मेरा संशोधन मंजूर नहीं किया गया तो इसका नतीजा यह होगा कि जो जनरल मतदाता हैं, उनके दिमाग में यह डर दाखिल हो जायेगा कि उन्होंने अपना वोट हरिजन उम्मीदवार को दिया तो हो सकता है कि दोनों हरिजन उम्मीदवार ही कामयाब हों। वह यह चाहेंगे कि उनका कोई गैर–हरिजन उम्मीदवार भी कामयाब हो सके। इसलिए वह हरिजन उम्मीदवार के हक में वोट देना नही चाहेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हुआ, तो जिन्होंने संविधान बनाया है और विधान बनाने

वालों की जो उनको संरक्षण देने की भावना थी, यह उसके विरूद्ध होगा। यदि मेरा संशोधन मान लिया गया तो फिर उनके दिमाग में ऐसा कोई शक नहीं रहेगा और जैसा विधान में उन्हें हक दिया गया है, वह जनरल सीटों के लिए भी मुकाबला कर सकते हैं, तो हर एक वोटर जो होगा वह समझकर अपनी राय देगा। अगर वोटर चाहता है कि वह दोनों उम्मीदवार जो पिछड़ी हुई जातियों से आते हैं या अनुसूचित जाति के ही कामयाब हों तो वह इन दोनों को वोट देगा। लेकिन, यदि यह संशोधन नहीं माना जाता है तो मुमकिन हो सकता है कि वह गलत–फहमी से शायद वह आदमी जो प्रसिद्ध भी न हो, इस वजह से कामयाब हो जाय और इससे मुझे डर है कि कोई गैर हरिजन, हरिजन उम्मीदवार को वोट देना पसन्द नहीं करेगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि देश के अन्दर जातपात का जहर और ज्यादा दाखिल न हो, इसलिए, यह बेहतर है कि आरक्षित सीटों के अलावा जो हरिजन भाई जनरल सीटों से खड़ा होना चाहें वह पूरी जमानत देकर साधारण तरीके से, दूसरे जनरल उम्मीदवार की तरह खड़े हों और मतदाता अगर चाहेंगे तो उनको वहां भी कामयाब बना देंगे और अगर वह वहां से कामयाब होते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

अन्तरिम संसद

बुधवार, 23 मई, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 23 मई, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

जन प्रतिनिधित्व (क्र. 2) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भट्ट और बाबू ठाकुर दास साहब ने जो विचार प्रकट किया है, उससे सहमत हूँ। जैसे मेरे लायक दोस्त श्री सिधवा ने कहा, मैं यह मानता हूँ कि यह जरूरत दो केसों में ही पैदा होगी। एक तो उस समय जबकि एक उम्मीदवार लोगों में इतना प्रसिद्ध हो कि वह हिन्दुस्तान से बाहर हो और किसी दूसरी जगह बैठा हो तो भी एक से ज्यादा सीटों पर कामयाब हो जाय। उस हालत में यह मुमकिन हो सकता है कि दस दिन में उस तक शायद यह खबर न पहुंच सके या वक्त रहते वह अपनी चिट्ठी चुनाव आयुक्त के पास न भेज सके। दूसरा मामला वह हो सकता है कि कोई आदमी बहुत उत्सुक हो और बहुत लड़ाकू हो और अपनी होशियारी से एक से ज्यादा हलकों में कामयाब हो जाय। उस हालत

**संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 12–13, भाग 2, 23 मई, 1951, पृष्ठ 9255–9257*

में, जैसा कि सिधवा साहब ने कहा है, वह आदमी जो उत्सुक है, उसको जरूर मालूम होना चाहिये कि वह किस–किस हलके में कामयाब हुआ है? लेकिन, कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी का दिमाग जिसने कि बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा खुशी या रंज की वजह से दुरूस्त नहीं रहता। आजकल के हालात में अगर कोई आदमी एक से ज्यादा हलकों में कामयाब हो तो इसमें शक नहीं कि यह उसके लिए बहुत बड़ी खुशी का मुकाम होगा और यह मुमकिन हो सकता है कि कुछ दिन के लिए उसका दिमाग दुरूस्त न रहे। ऐसा हो और भगवान की उस पर नाराजगी हो जाय तो हो सकता है कि वह किसी भी हलके से न आ पाये।

तीसरा और एक मामला हो सकता है। मैं समझता हूँ कि भविष्य में यह प्रश्न बहुत होंगे। इसलिये, भी कि चूंकि संसद का जब चुनाव होगा, उन्हीं दिनों, उन्हीं तारीखों में राज्य विधानसभा का चुनाव भी होगा तो हो सकता है कि सदन के कई दोस्त ऐसे हों जो संसद के लिये भी खड़े हों और राज्य विधानसभा के लिये भी खड़े हों। उनको लोग भी यह समझ कर राय दें कि यह राज्य विधानसभा में रहकर अपने मतदाताओं की ज्यादा सेवा कर सकता है या ज्यादा फायदेमन्द हो सकता है और पार्लियामेंट में जाकर भी। अगर आपने इसके लिये दस दिन की अवधि रखी तो वह न यह फैसला कर सकता है कि राज्य विधानसभा में रह कर ज्यादा फायदेमन्द हो सकता है, न यह तय कर सकता है कि संसद में रह कर मतदाताओं की ज्यादा सेवा कर सकता है। क्योंकि, पहले सदन में बैठने की इजाजत दे दी जाय तो हो सकता है कि वहां वह मुख्यमंत्री बन सके या मिनिस्टर बन सके। इसलिये, वह संसद का सदस्य बनने के बजाय मुख्यमंत्री या मंत्री बनकर ज्यादा सेवा कर सकता हैं। दूसरे, यह भी हो सकता है कि शायद उसे वहां पर मौका न दिखाई दे और संसद में सीट रखे तो उपमंत्री या राज्यमंत्री या मतदाताओं के साथ भी न्याय नहीं होगा।

अन्तरिम संसद

सोमवार, 28 मई, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 28 मई, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

जन प्रतिनिधित्व (नं.2) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : I beg to move:

In the explanation to part (8) of clause 122 omit the the words "chaukidar , dafedar, lambardar, zaildar."

अध्यक्ष महोदय, यहां हमारे लायक दोस्त श्री ठाकुर दास बैठे हुए हैं। यह पंजाब के नम्बरदार हैं। यह सदस्यता के लिये तो खड़े हो सकेंगे, लेकिन अगर इन्होंने मेरे इलाके में जाकर मेरे लिये कुछ कह दिया तो मैं अयोग्य हो जाऊंगा। यही नहीं, पंजाब के अन्दर कई मिनिस्टर आज भी हैं, जो पदासीन सदस्य हैं और नम्बरदार हैं। जहां तक पंजाब विधानसभा का ताल्लुक है, उसके काफी ऐसे सदस्य हैं जो नम्बरदार हैं। मेरा दावा है कि नम्बरदार को किसी तरह से भी सरकारी मुलाजिमों के खाते में दाखिल नहीं किया जा सकता। जो कुछ उनको

** संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 12–13, भाग 2, 28 मई, 1951, पृष्ठ 9591–9592*

मिलता है वह तो कमीशन के तौरपर मिलता है। बहुत से और भी आदमी हैं, जो गवर्नमेंट से कमीशन के तौरपर कुछ पाते हैं, पर उनको अयोग्य नहीं किया जाता है। इस हालात में मेरा निवेदन है कि इन शब्दों को निकाला जाए।

अन्तरिम संसद

सोमवार, 28 मई, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 28 मई, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

जन प्रतिनिधित्व (नं.2) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (पंजाब) : मैंने भी एक संशोधन दिया था।

सभापति : क्या नोटिस एक घंटा पहले दिया गया था? मेरे पास सदस्यों द्वारा अन्तिम घड़ी में किसी तरह के संशोधन नहीं पहुंचे हैं। इसका अर्थ होगा कि जब तक चर्चा चलेगी संशोधन आते रहेंगे।

चौधरी रणबीर सिंह : मेरा संशोधन तो पुराना था।

सभापति : संशोधन पेश है :

''धारा 7 की उपधारा (1) के भाग (f) के अलावा ये नये भाग जोड़ें : (g) यदि भारत सरकार किसी राज्य सरकार द्वारा फीस दिये जाने पर, किसी अदालत अथवा प्राधिकरण के सम्मुख पेश होता है,

---

**(संसदीय वाद–विवाद खण्ड 1, (भाग 11, कार्यवाही–शासकीय रिपोर्ट) खण्ड :12–13, भाग 11, 28 मई, 1951, पृष्ठ 9511–9557)*

(h) यदि ब्लैक करने या मुनाफाखोरी के आरोप के अतिरिक्त अपराधिक मामले में किसी व्यक्ति के बचाव को छोड़कर वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के विरूद्ध किसी अदालत में पेश होता है।''

चौधरी रणबीर सिंह : मैं पुनर्लिखित कंसोलिडेटेड सूचि संख्या 1 धारा 7 की उपधारा (1) के पुनःश्च के भाग ;पपपद्ध में निम्न नया भाग (क) और उसके सम्बंन्धित भाग में

''(क) सहकारिता समिति अधिनियम, 1912 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी का पदाधिकारी अथवा शेयरधारक होने से जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ठेकदार लिए हुए हैं।''

सभापति : माननीय सदस्य ने अपने संशोधन से दो शब्दों को छोड़ दिया है।

चौधरी रणबीर सिंह : हां, जनाब। मैंने लाइसेंस व परमिट इन दो शब्दों को छोड़ा है। यह मैनें डा. अम्बेदकर द्वारा पेश धारा 7 में पेश संशोधन के साथ ताल बैठाने के उद्देश्य से किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा संशोधन निम्न तरीके से पढ़ा जाए :

''धारा 7 । की उपधारा (f) में पब्लिक कम्पनी और कम्पनी के अधीन शब्दों के बाद ''सहकारिता सोसाइटी'' शब्द जोड़ दिए जाएं। ''

सभापति : क्या मैं जान सकता हूँ कि सदस्य कहां से पढ़ रहे हैं? क्या यह नया संशोधन है?

चौधरी रणबीर सिंह : मैनें संशोधन का पुनर्लेखन कर दिया है।

सभापति : क्या उन्होंने संशोधन दे दिया है?

चौधरी रणबीर सिंह : मेरा पहले संशोधन का पुनर्लेखन कर दिया जाए या इस तरह से पढ़ा जाए।

सभापति : क्या लाइसेंस व परमिट शब्दों को संशोधन से हटा लेने से माननीय सदस्य का काम चल जाएगा?

चौधरी रणबीर सिंह : हाँ, महोदय। चल जाएगा।

सभापति : ये धारायें अभी सदन के सामने हैं। माननीय सदस्य लाइसेंस व परमिट शब्दों को छोड़कर अपना संशोधन पेश कर सकते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं माननीय डा. अम्बेदकर का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि वे हालांकि सोचते हैं कि साधारण व्यक्ति को न सुना जाए, चर्चाओं में देखने को आता है कि अनेक बार साधारण व्यक्ति सही है। मैं नहीं जानता कि उन्हांने सहकारिता समितियों को बाहर क्यों छोड़ दिया है। मैं जानता हूँ कि वे सहकारिता समितियों के बड़े हमदर्द हैं। आप जानते हैं कि इस सदन में उस पार्टी से अधिक सदस्य हैं, जिसने जयपुर अधिवेशन में एक सहकारी कामनवेल्थ राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया था। उस प्रस्ताव के अधीन जब हम सहकारी कामनवेल्थ बनाने के लिए अग्रसर हैं, तब सहकारिता समिति को इस बिल से क्यों छोड़ दिया गया, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में एक सार्वजनिक कम्पनी का हिस्सेदार चुनाव लड़ने का हकदार है, यदि वह निदेशक होने के नाते कुछ धन नहीं पाता है। किन्तु, किसी सहकारिता समिति ने यदि कोई सरकारी ठेका ले रखा है, उसका कोई शेयर धारक भी, किसी विधायी सभा के लिए चुनाव में खड़ा होने के लायक नहीं रहेगा। मैं सहकारिता समिति और एक सार्वजनिक कम्पनी में ऐसे भेदभाव करने का कोई कारण नहीं समझ पा रहा हूँ।

मैं जानना चाहता हूँ कि सार्वजनिक कम्पनी में सहकारिता समिति अधिनियम के अधीन समिति के शेयरधारकों की तरह मुनाफा बांटना सीमित है। तब भी हम सहकारिता समिति के शेयरधारकों को संसद अथवा विधान सभा के लिए चुनाव में खड़ा होने की मनाही कर रहे हैं, यदि उनके पास सरकारी ठेका है। महोदय, मेरे कुछ मित्र इस भ्रम में हो सकते हैं कि सहकारिता समितियों को पब्लिक कम्पनी एक्ट के अधीन लाया जा सकता है। जब हम पब्लिक कम्पनियों के शेयरधारकों व निदेशकों को हम देने को अग्रसर है। मैं कोई कारण नहीं समझता कि इस कानून के पदाधिकारियों को इस हक से वंचित किया जाए। वे इन समितियों में कोई लाभ का पद नहीं ले सकते हैं।

श्री सिधवा : यह कोई लाभ का पद नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : उन्हें चुनाव में खड़ा होने की मनाही है।

श्री श्यामनन्दन सहायक : आप कैसे कह रहे हैं कि मनाही है?

चौधरी रणबीर सिंह : यदि किसी सहकारिता समिति ने किसी सरकार के अधीन ठेका लिया है तो उसके शेयरधारक चुनाव में खड़ा होने के लायक नहीं हैं।

श्री सिधवा : ठेका अलग चीज है?

चौधरी रणबीर सिंह : मिसाल के तौर पर यदि किसी सहकारिता समिति ने सरकार को अनाज आपूर्ति का ठेका लिया हुआ है। तब उसकी पूरी सदस्य संख्या चुनाव में खड़ा नहीं हो सकेगी। मेरे माननीय मित्र कह रहे हैं कि यह ठेके का सवाल है। मैं कहना चाहता हूँ कि पब्लिक कम्पनियों के लिए भले ठेका शब्द आया है, उसके शेयरधारकों को चुनाव में खड़ा होने की आज्ञा है। इन परिस्थितियों में, मैं विधिमन्त्री की जगह काम कर रहे माननीय विधि राज्य मन्त्री से

निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे बोलने के बीच में विधि मन्त्री उठकर बाहर चले गए हैं, इस प्रश्न पर विचार करें। मेरी विधि राज्य मन्त्री से बड़ी आशा है, क्योंकि वे उस पार्टी से हैं, जिसने देश में सहकारी कामनवेल्थ बनाने का निश्चय किया है।

इसके अतिरिक्त भी एक दलील है। एक कम्युनिस्ट पार्टी की तरह लोग कहते हैं और विश्वास करते हैं कि यहां वर्ग–विहीन समाज बने और सोचते हैं कि केवल वर्ग संघर्ष के द्वारा ही वर्गहीन समाज बन सकता है। इसके उलट भी रास्ता है। यदि मेरे माननीय मित्र समझते हैं कि सहकारी कामनवेल्थ बनाने के लिए सहकारिता समितियों के शेयरधारकों को चुनाव में खड़ा होने से वंचित करके यह काम किया जा सकता है। तब यह सदन इस हिंसा को घड़ने में दिलचस्पी नहीं रखता। यह सदन अहिंसा में दिलचस्पी रखता है। ताकि समाज अहिंसक तरीके से विकास करे। मैं माननीय मन्त्री से कहूंगा कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें।

सभापति : संशोधन पेश है :

''(क) सहकारिता समिति अधिनियम के अधीन पंजकृत ऐसी किसी सहकारिता समिति का पदाधिकारी अथवा शेयरधारक होने से जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ठेका लिए हुए हो।''

श्री श्यामनन्दन सहाय : महोदय, मैं सोचता हूँ कि इस मामले पर एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। प्रश्न पर ध्यान दिया जाना चाहिए। खेद है कि माननीय विधि मन्त्री हाजिर नहीं हैं। क्या सहकारिता समिति को यह माना जाएगा कि ये सार्वजनिक कम्पनी की परिभाषा में आती है, जैसा कि माननीय मित्र चौधरी रणबीर सिंह कहते हैं तो इस पर विचार होना चाहिए।

सभापति : माननीय सदस्य को यह पता करना होगा कि सहकारिता समिति भी एक सार्वजनिक कम्पनी है या नहीं?

चौधरी रणबीर सिंह : नहीं।

सभापति : यदि यह सार्वजनिक कम्पनी है तो इस पर वही धारा लागू होगी।

श्री श्यामनन्दन सहाय : यह बिन्दु है, जिस पर मैं विधि मन्त्री से स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मेरे माननीय मित्र द्वारा प्राप्त जानकारी भिन्न है।

सभापति : ईय्युन्ती।

श्री ईय्युन्ती (त्रावण–कोचीन) : मैं धारा 132–। पर संशोधन पेश कर रहा हूँ। मेरा धारा 7 से लेना देना नहीं है।

अन्तरिम संसद

शनिवार, 2 जून, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 2 जून, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

संविधान विधेयक (प्रथम संशोधन)

चौधरी रणबीर सिंह : मैंने इस धारा के हरा देने का संशोधन दिया था जो मैंने इस सभा के सामने पेश नहीं किया। उस संशोधन को देने का मेरा आशय था कि सरकार न दो साल के अन्दर एक कानून समाप्त किया और वह ऐसा कानून था, जिसे मेरे विचार में समाप्त नहीं किया जाना चाहिये था। मैं इस बारे में पंडित ठाकुर दास जी भार्गव से सहमत नहीं कि लोग इसका समाप्त किया जाना अच्छा समझेंगे। मैं नहीं समझता कि जिन लोगों के बारे में उन्होंने कहा, उनका परिचय क्या है? अगर उनकी जनता की तारीफ पंजाब के पच्चीस फीसदी लोगों से है जो शहरों में रहते हैं तो ठीक है। फिर तो, जनता भी चाहती है, पंजाब के आदमी भी चाहते हैं। लेकिन, हमारे पंजाब के 75 फीसदी आदमी देहात के अन्दर रहते हैं। उनकी बहुत बड़ी संख्या

**संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 12–13, भाग 2, 2 जून, 1951, पृष्ठ 10001–10005*

काश्तकार और किसान हैं। आज पंजाब की आबादी का पचपन या साठ फीसदी तबका किसानों का है। यही नहीं, जिस समय यह कानून समाप्त किया गया था, उस समय पंजाब के हरिजनों को भी और हर पिछड़े हुए भाई को भी कृषि श्रेणी में शामिल कर लिया गया था। मैं नहीं समझता कि इस तबके के लोग इसको ठीक समझेंगे। मैं तो कहता हूं कि जिस समय इस कानून को समाप्त किया गया था, उस समय भगवान की बड़ी दया थी कि वक्त कुछ अच्छा था। वरना बहुत बड़ी खराबी हमारे बीच में पैदा हो जाती। वह समय ऐसा था जिस वक्त लोगों की आर्थिक हालत थोड़ी बहुत अच्छी थी, और उनकी जमीनें दूसरे लोगों के पास नहीं जा सकती थीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी उत्सुकता को समझता हूँ और इसमें और ज्यादा नहीं जाऊंगा। मेरी मंशा है, कि यह जो निषिद्ध करने की बात लाई गई, वह ठीक तरह इस्तेमाल नहीं हुई। इसके अन्दर अगर कोई बात खराब थी ,जिसको माननीय मंत्री महोदय ठीक नहीं समझते थे तो वह संशोधित की जा सकती थी। यही नहीं, मैं मानता हूँ कि आज जो बिल हम पास करेंगे, उस बिल के तहत कुछ ऐसे कानून हैं, जिनकी तरह का कानून हमारे मंत्री महोदय ने निषिद्ध किया है। बंबई के अन्दर तो उसे पास किया जा रहा है। वहां जो कानून बना है, उसके अन्दर यह दर्ज है कि काश्तकार अपनी जमीन सिर्फ काश्तकारों को ही बेच सकेगा। मैं पूछता हूँ कि भूमि अलगाव कानून में क्या था?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : काश्तकार का सवाल नहीं था, उनकी खास जाति का सवाल था।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं अपने लायक दोस्त से कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के अन्दर जैसी हालत है, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आज खास किस्म की जाति के आदमी, कोई खास

पेशा अपनाते हैं। क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जितने महाजन लोग हैं, वह आम तौरपर सब व्यापारी हैं और दूसरी कुछ जातियों के लोग काश्तकार हैं। आज हम इस बिल के अन्दर मान रहे हैं कि जो पिछड़े लोग हैं, उनके संरक्षण के लिये कायदे और कानून बनाये जा सकते हैं। इसके लिए भेदभाव रखा जायेगा। उसको इसके तहत जिन्दा रखने की इजाजत दी जा सकती थी। लेकिन, जिस तरह से वह इसको मानते हैं, अगर उसको भी ठीक मान लें तो मैं समझता हूँ, इसको निषिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थीं। इसको संशोधित करने की आवश्यकता थी। मैंने सदन का जो समय लिया, वह केवल इसलिए कि संशोधित या रिपील करने की जो ताकत है वह बहुत बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी ताकत को बहुत ज्यादा दिन तक देना ठीक नहीं है। यह ताकत या तो किसी विधायिका के हाथ में होनी चाहिए या अदालतों के हाथ में होनी चाहिये। छः महीने के अन्दर सारे हिन्दुस्तान में नई विधानसभाएं आयेंगी, नई संसद आयेगी, यह उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिये। यह अवधि बढ़ानी नहीं चाहिए थी। जैसा मैंने कहा कि आम तौर पर लोकतंत्र के अन्दर माना जाता है कि एक राज कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन वह गलती कर सकता है। इसलिये, लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है, ताकि ज्यादा आदमी होंगे तो वह ज्यादा सोच विचार कर चलेंगे और उनसे कम से कम गलती की उम्मीदें की जा सकती है। इसीलिये, मैंने जैसे पहले कहा, जिस कानून को निषिद्ध किया गया, उससे मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ न्याय नहीं किया गया, न ही संविधान के मुताबिक चला गया।

डिप्टी स्पीकर : यह प्रांतीय विधायिका को ग्रहण करने अथवा संशोधन करने से नहीं रोकता है। यह केवल राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिए योग्य बनाता है।

डा. देशमुख : वे इस अधिकार को दिये जाने अथवा बढ़ाने के परिणाम को इंगित कर रहे हैं।

डिप्टी स्पीकर : यह प्रान्तीय विधायियों को अन्य कानून बनाने के रास्ते में रूकावट नहीं है। वे ऐसा कर सकती हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं जो निवेदन कर रहा था, उसमें या तो मैं अपने आपको ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सका या आप उसको समझ नहीं सके। मैंने कहा कि इस तरह से खालीपन पैदा हो जाता है। उसका क्या बने? यह तो हमारी खुशकिस्मती थी कि उस समय हमारी हालत अच्छी थी वरना, पंजाब की क्या हालत होती? पंजाब की सारी जमीन उन लोगों के हाथ में चली जाती, जिनसे जमीन का कोई ताल्लुक नहीं था।

डिप्टी स्पीकर : इसमें कुछ खालीपन नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : जो समय पांच छः महीने कायदा कानून बनाने के लिये लगता है तो विधान लाया जाय तो उसके बीच के समय के लिये क्या होना चाहिए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो भूमि अलगाव कानून बना तबसे और जब जायज करार दिया गया, उस बीच में उन आदमियों ने जो नई जमीन चलाना चाहते हैं, यू.पी. के बड़े बड़े जमींदारों को लाखों रूपया दिया। इसलिये मैं कहता हूँ कि इस खालीपन से काफी गड़बड़ी बढ़ सकती है और मैं समझता हूँ कि आप भी मेरे इस विचार के विरूद्ध नहीं होंगे।

अन्तरिम संसद

वीरवार, 7 जून, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 7 जून, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

निर्यात के कपड़े पर पुर्नसंकल्प

चौधरी रणबीर सिंह : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुये यह कहे बिना नहीं रह सकता कि एक दिन मेरे लायक दोस्त श्री अमोलक चन्द जी ने यह प्रश्न उठाया था कि जो लोग कपड़े के व्यापारी हैं और जो पहले एक्सपोर्ट किया करते थे, उनके दिल में जलन पैदा हो रही है कि उन्हें लाइसेंस नहीं दिये जाते और मिल वालों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं। मिल वालों को व्यापारियों की होड़ में आने का कारण विदेश में हमारा महंगा कपड़ा बिकना है। चूंकि उसके अन्दर उन्हें बहुत ज्यादा फायदा है, इसलिये हर कोई आदमी उस होड़ में आना चाहता है। व्यापारी भी और मिल मालिक भी। मुझे तो व्यक्तिगत तौरपर इसमें कोई गिला नहीं होगा, अगर मिल वालों को लाइसेंस दे दिया जाये, क्योंकि इस तरह एक बिचौलिया खत्म होता है। हम जमीन के ऊपर से बिचौलिया खत्म करते हैं तो दूसरी जगहों पर भी

**संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 12–13, भाग 2, 7 जून, 1951, पृष्ठ 10426–10430*

बिचौलिया क्यों रहने दें? बिचौलिया को रखना मैं ठीक नहीं मानता। कोई भी प्रणाली हो उसमें जितने ज्यादा बिचौलिए होंगे, उतनी ही ज्यादा खराबी होगी।

इसके साथ साथ में यह बात भी कहे बगैर नहीं रह सकता, जैसा मेरे लायक दोस्त डाक्टर पंजाब राव देशमुख ने बताया, कि एक तरफ तो वह आदमी है जो कपास को पैदा करता है, धूप, गरमी ओर सरदी को सहता है, सारी तकलीफ उठाता है, ऐड़ी से चोटी तक पसीना बहाता है। एक तरफ वह आदमी है जो खेत में मुश्किल से कपास पैदा करके पैसा चाहता है, दूसरी तरफ मेरे लायक दोस्त ने अभी बताया कि कपास के बचे–खुचे कचरे पर 50 प्रतिशत निर्यात शुल्क देकर भी लाभ में रहता है। लेकिन, इसके बावजूद क्या वह इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि जितनी कीमत कपास के पैदा करने वाले को सरकार देती है, उतनी कीमत तो कम से कम हर सूरत में व्यापारी कपास के बचे–खुचे कचरे बाहर भेज कर हासिल कर लेता है। तो, क्या जो कपास का पैदा करने वाला है, उसकी कपास की कीमत कपास के बचे–खुचे कचरे के बराबर लगाई जायेगी? क्या यही आपकी सरकार से न्याय की उम्मीद की जा सकती है? यही नहीं, हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री हरेकृष्ण महताब जी से धोती के बारे में कई बार सवाल उठाया गया। उन्होंने कई बार सदन में आश्वासन दिया कि धोती की पैदावार बढ़ाई जा रही है और फलां महीने में ज्यादा पैदा हो रही है। अब फैक्टरियों को हुक्म दे दिया गया है। लेकिन, जब यह सदन बैठा और हम यहां आये थे तो धोती की कीमत देहाती क्षेत्र में ब्लैक में 22 रूपये थी। किन्तु आज 22 से बढ़कर वह 32 रूपये हो गई है। वह तो कहते हैं कि धोती की पैदावार बढ़ाई जा रही है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बाजार में धोती की कीमत बढ़ती जा रही है। इसका क्या कारण है? इसका किस तरह इन्तजाम करना है, आपकी जिम्मेवारी है।

मैं कहता हूँ कि कपड़े का जहां तक संबंध है, आप जब सन् 1947 में सता में आये तब से लेकर अब तक हालात का आप

अवलोकन कर लें। इस पर गौर करें, तो आपको मालूम होगा कि यह एक अजीब कहानी है। सन् 1947 के अन्दर कपड़े का नियन्त्रण था। लोगों ने कहा कि हमारे कारखानों में कपड़ा सड़ रहा है, कपड़े को विनियन्त्रित किया जाये। गवर्नमेंट ने उनकी आवाज को माना और उनकी आवाज के असर में आकर विनियन्त्रित कर दिया। लेकिन, विनियन्त्रण के कुछ दिन बाद ही कपड़े की कीमत जब नियन्त्रण में थी, उससे दुगनी और दुगुनी से भी ज्यादा तिगुनी कीमत पर लोगों को मिलने लगा। फिर, सरकार इस बात पर मजबूर हुई कि नियन्त्रण करे और राशन करे। नियन्त्रण जारी किया गया। लेकिन, वह नियन्त्रण पहली कीमत पर नहीं हुआ, बल्कि उसके मुकाबले में मेरे ख्याल में कम से कम शायद 20 फीसदी के करीब ज्यादा कीमत पर नियन्त्रण हुआ। इसके बाद, फिर एक ऐसा वक्त आया कि कारखाने वालों ने कहा कि कपड़ा हमारे पास बहुत फालतू है, हमारा कपड़ा सड़ रहा है। उसके बाद फिर नियन्त्रण को ढ़ीला किया गया, राशनिंग को हटाया गया और फिर एक तरह से कपड़ा बाजार में तकरीबन विनियन्त्रण के हिसाब से बिकने लगा। लेकिन, उसके बाद हम आज क्या हालत देखते हैं? आज फिर वही कहानी है कि कोई भी कपड़ा हो, चाहे वह कोर्स हो, चाहे फाइन हो, कपड़ा नियन्त्रण के भाव से बाजार के अन्दर नहीं मिलता। यही नहीं, वह धोती जिसकी कीमत 12 रूपये नियन्त्रण के हिसाब से है, उसका भाव आज बाजार में 32 रूपया है।

दूसरी तरफ, मेरे लायक दोस्त ने कहा कि कपास की कीमत इसलिए नहीं बढ़ाई जा सकती कि उसकी कीमत का असर अनाज की कीमत पर पड़ेगा और फिर अनाज की कीमत बढ़ जायेगी और इस तरह कीमतों को बढ़ाने की तरफ रूझान होगा। मैं उनसे और माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वह बतलाये कि पाकिस्तान के अन्दर कपास की क्या कीमत है और अनाज की क्या कीमत है? अगर आपकी बात में दम है तो पाकिस्तान में उसका दम क्यों नहीं है। हिन्दुस्तान के अन्दर ही इस बात का असर क्यों होता है? वहां कपास हमारे यहां से तिगुनी कीमत पर बिकती है। अनाज वहां पर हमारे यहां

से आधी कीमत पर बिकता है। कई मेरे लायक दोस्त समझते हैं कि हर जमीन में जहां कपास पैदा की जा सकती है, वहां गेहूं या धान पैदा हो सकता है। जिस जमीन में हम छोटे रेशे की कपास पैदा करते हैं, उसमें लंबे रेशे की कपास पैदा नहीं हो सकती, उसके अन्दर धान नहीं पैदा हो सकता है। जिस जमीन में धान पैदा हो सकता है, उसमें गेहूं पैदा नहीं होता। यह कोई जरूरी नहीं कि जिसके अन्दर ज्वार पैदा हो उसमें दूसरी चीजें भी पैदा हों। हर एक चीज के लिये पानी की मात्रा अलग चाहिये। जमीन की किस्म अलग चाहिये। एक जमीन जिसमें कपास पैदा करने में ज्यादा फायदा हो, उसमें अगर अनाज उगाया जाये तो शायद इतना फायदेमन्द न रहे। मेरे लायक दोस्त ने कहा कि कपास की कीमत को बढ़ाने की कोई बहुत अच्छी नीति नहीं होगी। मैं एक बात कहता हूँ, या तो आप कपड़े का इन्तजाम कीजिये, जिस तरह आप नियन्त्रण के भाव पर कपास लेते हैं, या फिर आप कपास को भी विनियन्त्रण के भाव पर बिकने दीजिये। इस तरह अन्याय न होने दीजिये कि आज व्यापारियों की जो कपास आधारित है, उसके बराबर भी वह कपास न बेच सकें। मेरा इतना ही निवेदन है।

मैं समझता हूँ कि 25 फीसदी कोई ज्यादा नहीं है। यदि इसको 100 फीसदी रख दिया जाये तो भी शायद अन्याय न हो। क्योंकि पिछले साल उन्होंने करोड़ों रूपये भेजकर हासिल किया है। दूसरा सबसे अच्छा ढ़ंग यही हो सकता है कि आप राज्य व्यापार निगम बनाइये। यह जो झगड़ा, कभी कहते हैं कि कम हो गया, कभी कहते हैं नियन्त्रण हो, कभी कहते हैं विनियन्त्रण हो। लाखों और करोड़ों रूपया लोग बनाते हैं और उसके आयकर के लिये जांच आयुक्त बनाते हैं। यह सब झगड़े आपके सामने नहीं होगे। इससे यह सारे मसले हल हो जाएंगे। अगर आप राज्य व्यापार निगम बनाएंगे और उससे जूट व दूसरी चीजें का, दूसरे देशों से व्यापार करेंगे।

अन्तरिम संसद

वीरवार, 9 अगस्त, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 9 अगस्त, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदया पदासीन हुए।

पंजाब में संवैधानिक मशीनरी की उद्घोषणा पर संकल्प व पुर्न–उद्घोषणा

चौधरी रणबीर सिंह : सभानेत्री महोदया, मुझे यह फैसला करना पड़ा कि मैं हिन्दी में ही बोलूं, क्योंकि मेरे बहुत से साथी ऐसा चाहते हैं। अच्छा होता कि मैं अंग्रेजी में बोलता क्योंकि, आदरणीय मंत्री साहब शायद हिन्दी को इतने अच्छे ढ़ंग से नहीं समझते हों। बहरहाल, मैं हिन्दी में ही बोलने का फैसला करता हूँ। जहां तक संविधान का संबंध है, मैं समझता हूँ कि अनुच्छेद 356, जिसका हवाला दिया गया है, इस संविधान के अन्दर एक सुरक्षित रास्ता है। जहां तक इस मामले का वास्ता है, डाक्टर पंजाबराव देशमुख जी ने जो कई बातें कहीं हैं, मैं उनसे कुछ सहमत हूँ। लेकिन, मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जहां तक केन्द्रीय सरकार ने फैसला किया, वह कानून के नजरिये

** संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 12–13, भाग 2, 9 अगस्त, 1951, पृष्ठ 215–223*

से देखा जाय तो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा था कि इस बात में नहीं जाना चाहते कि इसके पीछे क्या चीज थी, क्या कारण थे? इसके अन्दर नहीं जाया जाय तो इसमें जरा भी शक नहीं है कि संविधान के नजरिये से जो कुछ हुआ है, वह सही है। लेकिन, इसके साथ जिस सूबे का यहां जिक्र है, मैं उस सूबे का रहने वाला हूँ। उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में जिक्र किया है कि 77 सदस्यों में से 70 सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे। इसके आगे चलकर उन्होंने जो बातें कहीं और उन्होंने जो विचार जाहिर किया मैं समझता हूँ कि यह अच्छा होता कि वह उसको जाहिर नहीं करते, क्योंकि मुझे याद है कि जब बंगलौर में कांग्रेस सेशन था उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने एक वकतव्य निकाला था। उसके अन्दर जो कहा था कि वह बिल्कुल अलग था।

सभापति महोदया : क्या माननीय सदस्य बयान जारी रखना चाहते हैं?

चौधरी रणबीर सिंहः जी हां।

***सभापति महोदया** : तब सदन अपराहन 2:30 बजे तक स्थगित है।*

सदन तब भोजन अवकाश के लिए अपराहन 2:30 बजे तक के लिए उठ गया।

(डिप्टी स्पीकर ने अध्यक्षता संभाली)

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह कह रहा था कि संविधान के नजरिये से जो कार्यवाही हुई है, उसमें तो जरा भी शक नहीं है कि वह बिल्कुल दुरूस्त थी और विधान में जो सुरक्षित रास्ता रखा गया था, उसका ठीक तौर से इस्तेमाल हुआ। लेकिन, इसके

साथ–साथ कई दोस्तों ने और माननीय मंत्री महोदय ने जो टेढ़े तरीके से अपने बयानों में जाहिर करने की कोशिश की कि पंजाब के अन्दर यह इसलिये किया गया कि वहां पर एक स्थिर मंत्रालय नहीं बन सका। मैं ऐसा समझता हूँ कि यह कारण है, वह कोई बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। पंजाब सूबे की ही अकेली बदकिस्मती नहीं है कि जहां पर एक से अधिक बार मंत्रालय बदले हों और वजारत में उथल–पुथल हुई हो। मद्रास में, आपके सूबे में, मेरे विचार में, तीन बार मंत्रालय बदले हैं। इसी तरह से बंगाल के अन्दर भी कोई तीन बार मंत्रालय बदला है। त्रावनकोर–कोचीन के अन्दर चार पांच मर्तबा वजारतों में उथल–पुथल हुई हैं। आपस के लड़ाई झगडे का जहां तक ताल्लुक है, उसमें भी पंजाब कोई एक अकेला सूबा ही ऐसा नहीं है, जहां सिर्फ लड़ाई होती हो। मैसूर में अदम एतमाद (अविश्वास प्रस्ताव) में मुश्किल से वहां की वजारत ने एक राय से जीता, हो सकता है कि चार से जीता हो। बहरहाल, यह जो मंत्रालय की स्थिरता का सवाल है, वह सिर्फ पंजाब का ही सवाल नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता कि यह सिर्फ पंजाब में ही थी और जिस कारण ऐसी कार्यवाही की गई हो।

दूसरी बात, जो मुझे अर्ज करनी थी, वह सिधवा साहब के संशोधन के सन्दर्भ में थी, जिसको कि कार्यवाही करने का उन्होंने नोटिस दिया था। उन्होंने उसको चालू नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि वह सरासर गलत है। पंजाब की लड़ाई, जो आपस की राजनीतिक पार्टी प्रतिद्वन्द्वता है, वह हर प्रान्त में है। मैं यह कोई कारण नहीं समझता कि जिसकी वजह से वजारत को जो कांस्टीट्यूशन पंजाब में था, उसको निलंबित किया गया हो। बल्कि, इसके विपरीत मैं ऐसा मानता हूँ कि पंजाब के अन्दर जैसा कि कई दोस्तों और भाईयों ने कहा है और सरदार हुक्म सिंह जब बोल रहे थे तो उन्होंने भी बतलाया कि पंजाबियों के अन्दर कई गुण हैं। लेकिन, वह लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। हो सकता है कि वे किसी हद तक दुरूस्त हों और उनमें लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो। लेकिन, जहां तक अनुशासन का संबंध है, मैं यह

साफ बतला देना चाहता हूँ कि पंजाब इसमें सबसे आगे है। आज दूसरे सूबों में हम क्या देख रहे हैं, कि आये दिन लोग वजारत छोड़कर भाग रहे हैं। इस डर से कि शायद कांग्रेस आगामी चुनाव में कामयाब न हो। लेकिन, यह पंजाब का ही सूबा है कि जहां वजारत हटा दी गई, विधानसभा को तोड़ दिया गया और कल क्या होगा, यह पता नहीं। तिस पर भी वहां एक भी आदमी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। अनुशासन का इससे बढ़कर और क्या सबूत मिल सकता है?

पंजाब का आदमी अनुशासित है और यह साबित भी हो चुका है कि वह अच्छे काम के लिये अच्छा लड़ाकू भी है। लेकिन, जैसा माननीय मंत्री ने कहा कि 77 में से 70 आदमी कांग्रेसी थे तो भी क्यों नहीं वे वहां पर हुकूमत चला सके? मैं ऐसा मानता हूँ और जैसा मैंने पहले कहा था माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बंगलौर सेशन के समय में एक वकतव्य दिया था। मैं समझता हूँ कि वह ठीक वकतव्य और सच्चा बयान है और वही कारण है, जिसकी वजह से कांग्रेस संसदीय मण्डल इस बात पर मजबूर हुआ कि वह पंजाब की विधानसभा पार्टी के नेता को यह सलाह दे कि वह अपना इस्तीफा दे दें। कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला बहुत दिन से किया हुआ है कि जो मिट्टी के टिलर (जमीन जोतते) हैं, उसका शोषण बन्द हो। लेकिन, पंजाब सरकार बावजूद इसके कि उसके दोनों नेताओं डाक्टर गोपी चन्द भार्गव और लाला भीमसेन सच्चर ने यह ऐलान किया कि वह जमींदारों के अत्याचारों को बन्द करेंगे और मिट्टी के टिलर के शोषण को बन्द करेंगे और उसके लिये जरूरी कायदे कानून बनाऐंगे। अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। सच्चर साहब ने इसके लिये कवायद बनाने की कोशिश की तो उसके बाद टिक सकी। इसमें कोई शक नहीं है कि डाक्टर गोपीचन्द भार्गव एक अध्यादेश बनवा सके थे और एक ऐक्ट भी, जिसे सुरक्षा अधिनियम कहते हैं, बना सके। लेकिन, उन्होंने जो कानून बनाया, वह इस किस्म का अधूरा कानून था कि जो लोग बीसियों साल से जमीन की काश्त करते आ रहे थे, उनको भी आज

बेदखली का नोटिस दिया जा रहा है। जो भाई पंजाब के नहीं हैं, मैं उन्हें बतलाना चाहता हूँ कि असल में जो परेशानी है, वह जमीन जोतने वालों के शोषण की है। यह एक बुनियादी सिद्धान्त था, जिसकी वजह से कांग्रेस संसदीय मण्डल इस बात पर मजबूर हुआ कि उन्होंने यह सलाह दी। कई एक दोस्तों ने कहा और मान साहब ने अभी कहा कि कुछ लोगों का विचार है या उनको यह खतरा है कि ऐसी कोशिश करते हैं कि आपसी भेदभाव मिटकर वजारत बना दी जाय। मेरा तो विश्वास है कि यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। हां, अगर सिद्धान्त का आपस में कोई समझौता हो सकता है, तो मैं नहीं समझता कि किसी तरीके से कोई बुराई होगी। पंजाब के अन्दर वजारत दुबारा बना दी जाय। उसके लिये मैं समझता हूँ कि उसमें जैसा तय किया हुआ है कि जमीन जोतने वालों का शोषण बन्द हो। अगर, कोई सरकार इस शोषण को बन्द कर सकती है, तो ऐसी वजारत के बनने में कोई कठिनाई और रोड़ा नहीं आना चाहिये। मेरा विचार है कि हमारे सरदार हुक्म सिंह साहब जो यहां बैठे हुये हैं, वह अकाली पार्टी के प्रधान हैं। वह भी इसके बनाने का विरोध नहीं करेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस पार्टी का भी इसमें कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं हैं। इसके साथ–साथ अभी जो कई दोस्तों ने कहा कि लोग त्रिवेदी का राज्य होने से खुशी मना रहे हैं। खुशी कोई त्रिवेदी के राज्य में नहीं हैं। मुझे तो ताज्जूब होता है, जब यहां संसद के कुछ सदस्य इसे राज्यपाल का शासन कहते हैं। यह तो राष्ट्रपति का शासन है और राष्ट्रपति शासन दूसरे शब्दों में संसद का शासन है। इस शासन को, जो आज पंजाब में चल रहा है, अलोकतांत्रिक शासन नहीं कहा जा सकता है। लेकिन, मुझे डर है कि इस रूल पर जो आज खुशी है, वह संभव है कि दुश्मनी में तबदील हो जाय। क्योंकि, जो लोग आज खुशी मना रहे हैं, उनको यह आशा है कि यह जो जमीन जोतने वालों का शोषण है, उसको हिन्दुस्तान की सरकार शायद बन्द कर देने में सफल होगी। लेकिन, जैसा हमने अभी तक देखा कि काफी

अरसा हो गया। आसानी से एक अध्यादेश के जरिए उसके अन्दर तब्दीली हो सकती थी और बीस–बीस साल व पचास–पचास साल तक बोने वाले मुजाहरों की बेदखली बन्द हो सकती थी। आज तक इस किस्म के किसी आर्डिनेंस या ऐक्ट में कोई इस तरह की तब्दीली करने की कोशिश नहीं की गई। मुझे डर है कि अगर यह कोशिश नहीं हुई तो इसमें जरा भी शक नहीं कि जो खुशी आज है, वह बहुत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है।

हमारे पंजाब के अन्दर एक प्रणाली थी, जिसे जैलदारी प्रणाली कहते थे। जैलदारी प्रणाली में वह आदमी जैलदार हुआ करते थे, जो आमतौर पर जायज और नाजायज सभी कामों में अंगेजी साम्राज्य की मदद किया करते थे।

पहले अगर कोई देशभक्त गांव में अपनी बात कहने आता था तो उसके खिलाफ अगर कोई गवाही देता था तो वह जैलदार होता था। पंजाब सरकार ने अपने जाने से कुछ दिन पहले यह फैसला किया था कि पंजाब के अन्दर जैलदारी प्रणाली को पुर्नगठित किया जाये। एक तरफ तो पंजाब की वजारत और सदस्यों को घर भेज दिया गया, दूसरी तरफ पंजाब राज्य कांग्रेस के उस प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस ने जहां अपने किरायेदारी कार्य में तबदीली करने का प्रस्ताव किया था, वहां जैलदारी को दुबारा रिवाइव न किया जाय, यह भी पास किया था। आज गर्वनर इस बात की कोशिश में है कि तमाम पंजाब के अन्दर 15 अगस्त से पहले–पहले, जैलदार बना दिये जायें। पहले जो कैबिनेट थी, उसने जैलदारी पुर्नजीवित करने के आदेश दिये थे। लेकिन, उसके अन्दर एक मुख्तलिफ सिद्धान्त था। मैं आज अपने जिले के बारे में कह सकता हूँ कि जितने आदमियों को दुबारा जैलदार बनाया गया है, उनके लिये किसी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि वह रचनात्मक ढ़ंग से सरकार के साथ सहयोग करने वाले हैं। बल्कि, जो पुराने ढ़र्रे के आदमी हैं, उन्हीं को जैलदार बनाया गया है।

शिक्षामंत्री (मौलाना आजाद) : पंजाब के राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया है। यह प्रस्ताव पहले से ही पिछले मंत्रालय द्वारा दिया गया था।

चौधरी रणबीर सिंह : महोदय जैसाकि मैं पहले निवेदन कर रहा था, जो पंजाब सरकार थी, उसने प्रस्ताव पास किया था। लेकिन, इसमें एक सिद्धान्त तय किया गया था कि जो आदमी रचनात्मक गतिविधियों में सरकार को मदद करेगा, उसको जैलदार बनाया जायेगा। आज हमारे जिले में जो जैलदार बनाये जा रहे हैं, वे वही आदमी हैं जो कांग्रेस विरोधी हैं। मैं मौलाना साहब को बतलाना चाहता हूँ कि हमारे जिले के अन्दर एक अफसर ने एक कांग्रेस वाले सज्जन से जो जैलदार बनना चाहते थे, पूछा कि आपको अगर जैलदार बना दिया गया.....

सरदार बी.एस. मान : क्या सचमुच किसी व्यक्ति के लिए कांग्रेस विरोधी होना इसीलिए अपराध है कि वे जैलदार को नियुक्त नहीं कर सकते हैं? क्या केवल कांग्रेसी ही नियुक्त कर सकता है?

चौधरी रणबीर सिंह : मेरे लायक दोस्त मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने कहा कि मैं खुद हर प्रणाली के पुर्नगठन होने के खिलाफ हूँ। लेकिन, मैं बताता हूँ कि जिस तरह कांग्रेस विरोधी होना पाप नहीं है, उसी तरह कांग्रेस का आदमी होना भी पाप नहीं है।

बाबू रामनारायण सिंह : अब तो पाप हो गया है।

चौधरी रणबीर सिंह : आपका यह विचार हो सकता है, क्योंकि आप कांग्रेस को छोड़कर भागे हैं। लेकिन, मैं ऐसा नहीं मानता।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मेरे लायक दोस्त मान साहब ने चुनाव के बारे में अभी कहा कि चुनाव होने तक मंत्रालय न बन जाय, जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके। मुझे इस बात का डर नहीं, मुझे इस बात की उत्सुकता भी नहीं कि मंत्रीमण्डल जल्द बन जाय। एक महीने में बने या दो महीने में बने। लेकिन, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जो निष्पक्ष चुनाव की बात कहते हैं, मैं उनसे यह पूछता हूँ कि क्या यह बात सच नहीं है कि पंजाब राज्य के जितने मुलाजिम हैं, वे या तो उस ढ़र्रे में पले हैं, जो साम्पदायिकता का ढ़र्रा है, या उस ढ़र्रे के हैं, जिसके अन्दर जातपात के भेदभाव की नीयत रग–रग में घुसी हुई है। उनके नीचे निष्पक्ष चुनाव होगा, यह मैं नहीं समझ सकता।

अन्तरिम संसद

सोमवार, 13 अगस्त, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 13 अगस्त, 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

मुंगफली, तिलहन और सब्जीयुक्त तेल का पुर्नसंकल्प

चौधरी रणबीर सिंह : सरकार का निर्यात शुल्क बढ़ाने का केस कोई बहुत मजबूत केस नहीं है, जैसा कि मेरे लायक दोस्त सरवते जी ने बताया है। मैं यह समझता हूँ कि जिस तरह से पहले जूट की ड्यूटी के बारे में प्रशुल्क अधिनियम को संशोधित करके सरकार को ताकत देनी पड़ी थी, अगर इस किस्म के हालात तिलहन में भी होते और बाजार में रोजाना कुछ ऊंचा और नीचा भाव होता रहता तो हो सकता था कि जिस तरह से पटसन के अन्दर जरूरत समझी गई उसी तरह तिलहन के अन्दर भी जरूरत समझी जाती। लेकिन, ऐसा मालूम होता है, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया, कि उन्हें तो यही पता नहीं कि विदेशों के अन्दर तिलहन का क्या भाव है। जो केस जूट का था, वह केस तिलहन का नहीं है।दूसरा सवाल यह

** संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 12–13, भाग 2, 13 अगस्त, 1951, पृष्ठ 530–533*

है कि अगर विदेशों के भावों के बारे में कोई पता नहीं है तो फिर शुल्क बढ़ाना दुरूस्त हो सकता है या नहीं? मेरे लायक दोस्त सिधवा साहब ने यह फरमाया कि अगर उपभोक्ताओं के लिये या उद्योग के लिये यह जरूरत हो कि शुल्क बढ़ा दिया जाय तो बढ़ाया जाना कोई खराब नहीं है। यह बात किसी हद तक सही हो सकती है। लेकिन, मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि उद्योग और उपभोक्ता का ही दृष्टिकोण सारे देश का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। देश के अन्दर तीसरे ढ़ंग के भी आदमी हैं, जो तिलहन पैदा करते हैं, मेहनत और मजदूरी करते हैं, खून और पसीना एक करते हैं, उनका भी कोई दृष्टिकोण होता है। उनका भी दृष्टिकोण है और वह इस देश के अन्दर बहुत ताकतवर दृष्टिकोण समझा जाना चाहिये। मेरे लायक दोस्त सिधवा साहब ने कहा कि इससे काश्तकारों को कौन सा नुकसान हो सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आया। मेरे दोस्त यहां पर नहीं हैं। लेकिन, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार ने इस केस को पेश किया है, उसका इसके सिवा और कोई अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि सरकार काश्तकारों पर एक टेढ़ा टैक्स लगाना चाहती है। इन हालात में आप या वह कहने के कहां तक हकदार हैं कि काश्तकारों को असर करेगा या नहीं करेगा? यह मैं नहीं समझ पाया। बाहर के भावों का आपको पता नहीं है। ऐसी हालत में जितना भी आप फालतू कर बढ़ायेंगे, उतना ही व्यापारी काश्तकार की पैदावार का भाव कम कर देगा।

काका भगवन्त राय : बाहर भाव बहुत ज्यादा है।

चौधरी रणबीर सिंह : यह तो आप कह सकते हैं, पर सरकारी तौर पर यह नहीं कहा गया है। ऐसी हालत में इसका और कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता कि सरकार काश्तकारों पर एक अप्रत्यक्ष कर लाना चाहती है। हम यह मान सकते हैं कि अगर ऐसे हालात पैदा हो जायें कि काश्तकारों पर कर बहुत थोड़ा है, इसलिये उन पर कर बढ़ाया

जाय, तो शायद अप्रत्यक्ष कर बढ़ाने के हक में भी यह सदन हो सकता है। लेकिन, मेरी समझ में कुछ ऐसा आता है कि सरकार के बिल में कारखानेदारों के लिये एक दरियादिली है। कारखानेदारों के पास अखबार है, जिनसे वह अपना केस अच्छे ढ़ंग से सरकार के सामने पेश कर सकते हैं और सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। आप गन्ने को लीजिये। एक तरफ गुड़ है जिसको लाखों और करोड़ों काश्तकार पैदा करते हैं और जो लाखों और करोड़ों आदमियों को बगैर राशन के बांटा जाता था। दूसरी तरफ चीनी है, जिसे बड़े बड़े कारखाने पैदा करते हैं। एक तरफ गुड़ को तो नियन्त्रित कर दिया गया है, पर चीनी को आंशिक नियन्त्रित कर दिया गया है।

इसी तरह से आप कपास को लीजिये। उससे बनी हुई चीज कपड़े को लीजिये। जो चीज निर्यात की जाती है, उसके भाव की तो छूट कर दी गई है और उसके ऊपर अगर आप शुल्क बढ़ाते हैं तो वह समझ में आ सकती थी। लेकिन, तिलहन के ऊपर शुल्क का बढ़ाना दूसरी बात है। सरवते साहब ने आंकड़ों से यह साबित करने की कोशिश की है कि तिलहन की पैदावार ज्यादा नहीं हो रही है, या पहले के मुकाबले में काश्त नहीं बढ़ रही है। लेकिन, शायद कई दोस्त इस विचार के हैं कि तिलहन की पैदावार में और कमी कर दी जाय और अनाज की पैदावार बढ़ा दी जाए। बात तो बहुत अच्छी है, क्योंकि देश के अन्दर अनाज सबसे जरूरी चीज है। लेकिन, इस प्रश्न पर बड़ी शान्ति के साथ विचार करने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि जिस जमीन में तिलहन पैदा किया जाता है या हो सकता है, या उसमें इतना ही पानी उपलब्ध हो सकता है, जिसमें तिलहन पैदा हो सकते हों, पर अनाज पैदा न हो सकता हो। दूसरी बात यह है कि जितने तिलहन के पौधे हैं, वह कुदरत से नाइट्रोजन लेते हैं और इस तरह जमीन की पैदावार की ताकत को बढ़ाते हैं। इसलिये भी काश्तकार के लिये जरूरी हो जाता है कि जिस जमीन में वह अनाज की फसल पैदा करता है, उसके अन्दर दूसरी फसल के अन्दर या गाहे–बगाहे

तिलहन पैदा करे। इन हालात में अगर काश्तकार तिलहन पैदा न करे और अनाज ही पैदा करे तो शायद अनाज तो नहीं बढ़ेगा, बल्कि तिलहन जिसे बेचकर हम विदेशी रूपया कमाते हैं और देश के भूखे आदमियों के लिये अनाज खरीद कर लाते हैं, वह भी हाथ से जाता रहेगा और समस्या अधिक उलझ जायेगी। इसके सिवा इसका और कोई नतीजा नहीं हो सकता। इसलिये, मैं सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इस शुल्क के बढ़ाने के बारे में काफी गौर करे और इस कदम को उठाने के पहले देख ले कि इसका असर किस पर पड़ने वाला है और कर अर्जित पर होगा या अनुपार्जित पर?

अन्तरिम संसद

मंगलवार, 14 अगस्त, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 14 अगस्त, 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

पंजाब राज्य विधायिका (प्रतिनिधिमण्डल की शक्ति) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा डाक्टर मुखर्जी ने कहा, मैं यह मानता हूँ कि जो पहला प्रस्ताव हमने पास किया था कि हमें जो कानून बनाने की ताकत है, वह राज्यपाल को दे देंगे। आपको मालूम ही है कि जब वह प्रस्ताव सदन के सामने पेश हुआ था तो मैंने उसका समर्थन किया था। लेकिन, वह किस लिये किया था? जो सन्दर्भ डाक्टर मुखर्जी ने गृह मंत्रालय के भाषण का दिया है, उसकी वजह से किया था। चूंकि उन्होंने हमें बतलाया था कि अनुच्छेद 93, नियम 35 और विधान की धारा 356 के अन्दर बहुत फर्क है। मैंने यह समझ कर उसका समर्थन किया था कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर पंजाब विधानसभा के सदस्य पंजाब के लिये

**संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 12–13, भाग 2, 14 अगस्त, 1951, पृष्ठ 651–656*

कानून बनायें या हिन्दुस्तान की संसद के सदस्य पंजाब के बारे में कानून बनायें। लेकिन, आज जब यह बिल हमारे सामने है, जिसका मैंने पहले समर्थन किया था, उसके बारे में मुझे दिल में कुछ कुढ़न होती है। मैं समझता हूँ, जैसा मेरे लायक दोस्त सोंधी साहब कहते हैं कि शायद मैंने गलती की है। लेकिन,जैसा लाला अचिन्त राम ने कहा, मुझे खुशी है कि आज शायद गलती से हमारे लिए कोई कोड़ा (विहप) नहीं भेजा और हमें छूट है कि हम जिस तरह से चाहें अपने विचार पेश कर सकते हैं।

मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि मैं इस बिल का विरोध करता हूँ और वह इसलिये कि जैसा कि कल कई बार बीच में हस्तक्षेप करके माननीय गृहमंत्री साहब ने जाहिर करने की कोशिश की थी कि यह उसका प्रभाव है जो हमने पहले पास किया थ। मैं मानता हूँ कि यह उसका कोई दायित्व नहीं है या कोई प्रभाव नहीं है कि हम अपनी कानून बनाने की ताकत राज्यपाल को दें या राष्ट्रपति साहब को सौंपा करें। यह खुशी की बात है कि हम उसे दें या न दें। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ।

अभी बाबू ठाकुरदास जी ने अपनी तकरीर में एक और वजह बताई, जिससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। इधर जो बातें बाद में पंजाब में हुई हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए मुझे पूरा हक है और जिस तरह से पंजाब के गवर्नर जनरल ने या उसकी मशीनरी ने पंजाब के अन्दर जिस ढंग से लागू करने की कोशिश की है, उसके बारे में अपने विचार प्रकट कर सकूं, क्योंकि आज हमसे कहा जाता है कि हम उन्हें और ताकत दें। मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि उस प्रस्ताव का समर्थन यहां ही नहीं किया बल्कि, जब प्रेजिडेंट साहब ने यह ऐलान जारी किया था, उस वक्त भी अपने मतदाताओं के सामने बिल्कुल खुले तौर पर और दिल खोल कर औचित्य साबित किया था और समर्थन किया था। जिस वक्त मैं अपने मतदाताओं के सामने औचित्य दे रहा था उस समय भी मैंने कहा था कि पंजाब के बहुत से अफसर यह समझते हैं कि उनको

निष्कंटक राज्य पंजाब के अन्दर दी गई है। लेकिन, उनका यह विचार गलत है। आज जो ऐलान जारी हुआ है, उसका मतलब इसके सिवा और कुछ नहीं है कि पंजाब विधानसभा को निलंबित कर दिया गया और पंजाब विधानसभा के अधिकार को छीन कर संसद के सदस्यों को अधिकार दिये गये हैं। यह जो ऐलान हुआ है और संसद की इस बैठक के बीच राज्यपाल की मशीनरी ने जो काम किया है, उसमें कुछ काम अच्छा भी कहा जा सकता है। लेकिन, कुछ बातों की मैं निन्दा किये बगैर नहीं रह सकता। एक तो उन्होंने जनता को खुलेआम विचार देने की कोशिश की है कि राजतंत्र लोकतांत्रिक से बहुत अच्छी चीज है। अगर पंजाब के लोकतंत्र में कोई अवगुण आ गये थे तो मैं उनको दूर करना कोई बुरी चीज नहीं समझता। लेकिन, मैं बात की निन्दा किये बगैर नहीं रह सकता कि हिन्दुस्तान के अन्दर कोई आदमी इस बात को जाहिर करने की कोशिश करे कि लोकतंत्र के मुकाबले में राजतंत्र अच्छी चीज है। आखिर हिन्दुस्तान के लाखों और करोड़ों रूपये लगाकर जो संविधान तैयार किया उसके अन्दर यह माना गया है कि लोकतांत्रिक प्रणाली राजतंत्र से अच्छी है। कोई आदमी या कोई शासन आज यह कहने की कोशिश करता है कि लोकतंत्र से राजतंत्रीय शासन अच्छा है तो मैं समझता हूँ कि वह संविधान की बेइज्जती करता है। इसके समर्थन में मैं आपको दो या तीन उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने अपने जिले के हाकिम से भी कहा था कि पंजाब विधानसभा के सदस्य आज निलंबित हो गये हैं। लेकिन, आज इस विधान के तहत हमारी प्रतिनिधित्व क्षमता कायम है। किसी ने मेरी प्रतिनिधित्व क्षमता को छीना नहीं है। लेकिन, इसके बावजूद भी मैंने अपने जिले में यह देखा कि पंजाब के कई बड़े बड़े अफसर आये और एक अफसर ने तो कम से कम चार सौ या पांच सौ आदमियों को बुलवाया। कहा जाता है कि उनके एक अजीज संसद के चुनाव के लिये खड़े होना चाहते हैं। मैं रोहतक में मौजूद था। मैं यह समझ सकता हूँ कि यह पंजाब कांग्रेस पार्टी का शासन नहीं था और यह

प्रशासनिक शासन था। अगर रोहतक जिला की कांग्रेस पार्टी को या पंजाब विधानसभा के सदस्यों को न बुलाया जाता तो मैं बहुत ज्यादा शिकायत न करता। लेकिन, जिस समय राष्ट्रपति साहब का शासन हो या संसद का शासन हो, उस समय कोई अफसर संसद के सदस्य के बुलाने की जरूरत न समझे, मैं इसके खिलाफ विरोध किये बगैर नहीं रह सकता। इसके पहले उनको ऐसा करने में झिझक मालूम देती थी। अब तो कानून बनाने का अधिकार भी उनको दिया जा रहा है। यह दो तीन बातें थीं कि जो मैंने आपके सामने रख दीं। इनके अलावा मैं दो चार और बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ।

अगर मेरे लायक दोस्त ज्ञानी जी पहले प्रस्ताव पर बोले होते तो मैं 16 आने उनका समर्थन करता। लेकिन, आज मेरा वैसा विचार नहीं है। इसकी वजह मैं आदरणीय गृहमंत्री साहब को बतलाना चाहता हूँ। हमारे यहां जैलदारी की प्रणाली को बहाल करने की जिम्मेदारी पंजाब कैबिनेट पर थी। लेकिन, उन्होंने यह शर्त लगाई थी कि वही जैलदार बनाये जायें जो सरकार की किसी रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लें। इस प्रथा के टूटने से पहले का हमारा यह अनुभव है कि जब एक जैलदार टूटा करता था तो उसकी जगह दूसरा जैलदार बनाने में एक साल का समय लगता था। लेकिन, अब राज्यपाल साहब का आदेश है कि पंजाब के अन्दर एक महीने के अन्दर सारे जैलदार बना दिये जायें। संभव है कि उनके दिल में यह शंका हो कि शायद हिन्दुस्तान की संसद जैलदारी के वापस लाने के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास कर दे। इस दिक्कत को दूर करने के लिये उन्होंने इस किस्म का हुक्म दिया। फिर दूसरी बात यह है कि जिस मिनिस्ट्री के कन्धे पर रख कर यह बन्दूक चलाई जा रही है, उसके निर्देशों के बिल्कुल खिलाफ चला जा रहा है। मुझे अपने जिले के हालात का पता है। मेरे जिले में तीन आदमियों को जैलदार बनाया गया है। यह ऐसे आदमी हैं जिन्होंने सरकार की रचनात्मक गतिविधियों में रत्ती भर भी हिस्सा नहीं लिया है। बल्कि कुछ ऐसे

आदमी भी जैलदार बनाये गये हैं, जिन्होंने सन् 1947 के बाद से सरकार से कोई संबंध ही नहीं रखा। क्या मैं गृहमंत्री साहब से पूछ सकता हूँ कि जो राज्यपाल इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको हम इस विधान के जरिये यह अधिकार कैसे दे सकते हैं?

एक और बात है जिसके बारे में मैं कुछ सन्दर्भ देना चाहता हूँ। वह यह है कि गवर्नर साहब ने यह हुक्म जारी किया है कि जिन आदमियों को सन् 1947 के बाद आर्म लाइसेन्स दिये गये हैं, उनकी पड़ताल की जाये। आप अन्दाजा कर सकते हैं कि सन् 1947 के बाद पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। उस आदेश में एक चीज यह भी लिखी है कि उन लोगों के पास जायदाद कितनी है, इसका भी पता लगाया जाय। कांग्रेस जनता की पार्टी थी। हो सकता है कि उसके समर्थक और मदद करने वाले गरीब और मामूली आदमी हों, उनके पास शायद जायदाद भी न हो। मेरे पास पंजाब में एक बीघा भी जमीन नहीं है। मेरे जैसे और भी लायक दोस्त हो सकते हैं, जिनके पास कोई जायदाद न हो। अब उनके लाइसेंस छीनने की कोशिश की जा रही है। जब कांग्रेस की सरकार आई जोकि जनता की सरकार थी तो उसने निहित स्वार्थ की हुकूमत को हटाना चाहा। उसने सोचा कि वह एक दम निहित स्वार्थ की सरकार को हटा सकती थी। लेकिन, उसको धीरे धीरे हटाया जाये। इसलिये उसने उनके हथियारों को तो नहीं छीना, जिनके दम पर वह किसानों पर जुल्म करते थे। लेकिन, उन लोगों को भी हथियार दे दिये जिनके पास जायदाद नहीं थी। आज जो हिदायत दी गई हैं, उनके तहत उन आदमियों के लाइसेंस निलंबित किये जा सकते हैं। उन लोगों को ए.बी.सी. श्रेणी में रखा जा रहा है। जबकि उनके सालाना नवीनीकरण करने का वक्त आये तो हो सकता है कि उनको निलंबित कर दिया जाय। यह भी एक खासी गंभीर बात है।

अन्तरिम संसद

मंगलवार, 28 अगस्त, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 28 अगस्त, 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

सरकार के 'सी' श्रेणी राज्यों के विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, मैं सिधवा जी के संशोधन का समर्थन करता हूँ। लेकिन, समर्थन करने के साथ–साथ मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि उन्होंने जो भेदभाव रखा है, वह बहुत अच्छा नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि.....

श्री सिधवा : मैं भी कुर्ग में संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। वहां पहले से ही एक प्रभावशाली संशोधन मौजूद है।

चौधरी रणबीर सिंह : शायद जैसा आपको मालूम ही है कि मेरा कोई बहुत ज्यादा वास्ता कुर्ग से नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आप दिल्ली को उस संशोधन में शामिल करें और उसके लिये मेरा बहुत

** संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 12–13, भाग 2, 28 अगस्त, 1951, पृष्ठ 1511–1518*

उचित कारण है। संविधान सभा में जिस समय अनुच्छेद 239 के ऊपर बहस हो रही थी, उस समय बहुत सारे दोस्तों ने अपने अपने विचार जाहिर किये थे। उस समय भी बहुत ज्यादा दोस्तों की जो अलग–अलग प्रदेशों से आये थे, यह राय थी कि नई दिल्ली को छोड़कर बाकी दिल्ली और दिल्ली के देहात को पंजाब के साथ मिला दिया जाये।

श्री देशबन्धु गुप्ता : मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस समय दिल्ली चर्चा में शामिल नहीं है, क्योंकि खण्ड 2 से 10 तक दिल्ली का उल्लेख नहीं है। यही कारण है कि मैं चुप रहा। अब यह उचित नहीं होगा कि इस प्रश्न का उल्लेख किया जाए। जब खण्ड 26 तक पहुंच जाए, तब इस प्रश्न को लिया जा सकता है।

चौधरी रणबीर सिंह : मेरा विचार है कि देशबन्धु जी का ऐतराज ठीक नहीं है। इसलिये कि दिल्ली का नाम धारा 3 में है। यह दूसरी बात है कि देशबन्धु जी की राय में दिल्ली के बारे में इस समय बोलना ठीक नहीं है। लेकिन, मैं समझता हूँ कि मुझे पूरा हक है कि मैं अपने विचारों को प्रकट करूं। यह बात ठीक है कि दिल्ली को एक राज्य सरकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता। क्योंकि यह केन्द्रीय सरकार की सीट है। कई एक ऐसे मामलात हो सकते हैं कि जिनमें मतभेद हो सकता है और जो कि आगे चलकर काफी दुःखदायी हो सकते हैं। इसलिये मैंने अपने सुझाव में रखा है कि नई दिल्ली जहां कि हिन्दुस्तान की सरकार की सीटी है, उसको अलहदा रखकर बाकी इलाके को पंजाब के साथ मिला दिया जाय। इसकी एक और वजह भी है और वह यह है कि आज की बात और है। पर, जिस समय वहां से सदस्य चुने जायेंगे और मंत्री बनेंगे, उस समय वह मंत्री लोग इस बात की कोशिश करेंगे और सदस्य भी यह कोशिश करेंगे कि प्रान्त ऐसा का ऐसा बना रहे। क्योंकि, अगर वह किसी दूसरे इलाके में मिला दिया गया तो न तो उस वक्त इतने सदस्य बन सकेंगे और न ही उनमें

से इतने मंत्री बन सकेंगे। अगर दिल्ली शहर का या दिल्ली देहात का कोई वजीर बनाया भी जायेगा तो वह मुश्किल से एक हो सकता है। अगर यह प्रान्त अलग रहा तो तीन चार मंत्री तो आसानी से बन सकते हैं। 48 सदस्य बनेंगे और तीन या चार मंत्री होंगे। उन सबका हित इसी में होगा कि यह प्रान्त अलग रहे। अगर आज दिल्ली के लोगों से पूछा जाय तो मेरा यकीन है कि वह पंजाब के साथ मिलना पसन्द करंगे। क्योंकि, दिल्ली शहर के आधे से ज्यादा आदमी पंजाब के रहने वाले हैं, जिनकी बोली पंजाबी है और जिनको पंजाब के साथ प्रेम है। इसी तरह से देहात का जहां तक वास्ता है, देहात के लोगों का रोहतक, हिसार और गुड़गांव से मेल खाता हैं। उनका दूसरे भागों से इतना ज्यादा मेल नहीं है। वह भी यही चाहते हैं कि हम अपने भाईयों के साथ मिलें, क्योंकि, उनके जो प्रश्न हैं, वह वही हैं जो कि रोहतक और हिसार के देहात वालों के हैं।

मैं उनका समर्थन कर रहा था। वह इसलिये कि उनकी मंशा यह है कि देश के अन्दर यह छोटे–छोटे हिस्से न रहें, बल्कि किसी न किसी बड़े हिस्से में उनको मिला दिया जाए। इस काम के लिये आज चुनाव से पहले बहुत अच्छा समय है। चुनाव के बाद शायद इतना अच्छा समय नहीं रहेगा। उसके कई एक कारण हैं। एक कारण यह है कि आज सदन में जितना बहुमत है, पता नहीं कि आगे इतना बहुमत आने वाला है या नहीं।

श्री द्विवेदी : इस बिन्दू पर सूचना। मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग ईस्ट बंगाल से पश्चिम बंगाल में आये हैं या जो पश्चिम पंजाब से विन्ध्य प्रदेश या और दूसरी जगहों पर गये, क्या उन जगहों को भी आप अपने में मिला लेना चाहते हैं?

चौधरी रणबीर सिंह : मैं तो चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में एक ही असेम्बली हो। लेकिन, मेरी इच्छा से क्या बनता है? देश का संविधान हमने बना दिया है। इसलिये हमारे जो भाई उधर जा बसे हैं, वह

अपना रास्ता खुद बनायेंगे। उनकी फिक्र मुझे नहीं करनी चाहिये। आपसे यह कह रहा था कि अगर आपकी इच्छा है कि आप इन इलाकों को दूसरे बड़े इलाकों में मिलाना चाहते हैं तो इसके लिये जितना अच्छा समय इन छह महीनों में है, उतना अच्छा समय फिर बाद में नहीं आने वाला है। सवाल यह है कि आखिर आज इनके मिलाने में आपको परेशानी क्या है, सिवा एक भोपाल के जहां कि आपको वहां के नवाब की इच्छा की जरूरत है? मेरी समझ में नहीं आता कि और किसी इलाके के बारे में आज आपके सामने कोई कठिनाईयां हैं। विन्ध्य प्रदेश को भी अगर यह सदन आज चाहे तो मिलाने में कोई मुश्किल नहीं हो सकती है।

श्री द्विवेदी : पंजाब को भी मिला सकते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं तो पंजाब को हिन्दुस्तान का एक हिस्सा नहीं, बल्कि सारे देश की एक ही इकाई देखना चाहता हूँ। लेकिन, मेरी इच्छा से तो कोई फायदा नहीं है। मेरे भाई द्विवेदी जी को तकलीफ होती होगी। शायद वे चाहते हैं कि लोगों से पूछा जाय। मैं पूछता हूँ कि हिन्दूस्तान की इतनी बड़ी रियासत जैसा की बड़ौदा को बम्बई के साथ मिला दिया गया। क्या उस समय किसी से पूछा गया था? मेरे यहां एक रियासत फरीदकोट थी। उस रियासत की जितनी अच्छी सड़कें थीं और जितना अच्छा शिक्षा का इन्तजाम था, इतना न पंजाब में है और न पटियाला में। लेकिन, उसको पटियाला के साथ मिला दिया गया। क्या वहां के लोगों से किसी ने पूछा था?

श्री द्विवेदी : वहां के लोगों से पूछिये कि अब उनकी क्या हालत है?

चौधरी रणबीर सिंह : अगर आप उनसे पूछना चाहते हैं तो पूछिये। यह तो लोगों के सामने विचार पेश करने का सवाल है। जहां तक

असलियत का सवाल है, वह तो यह है कि यह उनकी भलाई के लिये है। देश की भलाई के लिये है। हमारे भाई द्विवेदी जी को मालूम है कि हम यहां कानून बनाने में लगे हुए हैं और दूसरे लोग जिनको तोड़फोड़ का काम है, वह लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि उनको आज लोगों के सामने कुछ गलत विचार पेश करने में कामयाबी हासिल हो जाय। जो लोगों से पूछने वाली बात है, यह तो एक ख्याल है। मैं मानता हूँ कि इसमें उनकी भलाई है और देश की भी भलाई है। यह तो सवाल को देखने का सवाल है। कुछ समय पहले हमारे भाई मुकुट बिहारी लाल जी बहुत ज्यादा इसके हक में थे कि अजमेर को राजस्थान के साथ मिला दिया जाय। आज उनकी इच्छाएं पहले के मुकाबले में कुछ कम मालूम देती है। इसके कारण हैं। आज अगर अनुसूचित जाति से पूछा जाय कि क्या वह योग्यता तोड़ने के लिये तैयार है तो वे इन्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें राजनीतिक फायदे हैं। अजमेर की सात लाख की आबादी है। मेरे विचार में शायद संसद में उनके यहां से दो मेम्बर आयेंगे। इसी तरह से और भी दूसरे प्रान्त हैं, उनका हाल है। कुर्ग की डेढ़ या दो लाख की आबादी है। वहां से भी कम से कम एक सदस्य सदन में आयेगा। यह राजनीतिक फायदे हैं, इनको कौन छोड़ना चाहेगा? यहां जो मेरे दोस्त सदस्य और मंत्री बनेंगे, वह तमाम इसके हक में होंगे कि इन इलाकों को अलग रखा जाय।

श्री राजगोपालाचार्य जी ने अपनी बड़ी नेक इच्छा सदन के सामने बताई। लेकिन, उनकी नेक इच्छा का क्या बनेगा? क्योंकि, वह इच्छा, इच्छा ही बनकर रह जाएगी। उसके खिलाफ लड़ने वाले इतने होंगे कि हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। मैं तो समझता हूँ कि उसका सबूत हमें हमारी संसद में मिलता है। आखिर कुर्ग की छोटी आबादी थी, उसकी डेढ़ या दो लाख आबादी थी। उसके लिये संसद के अन्दर हमको एक धारा रखनी पड़ी। उसके लिये एक अनुच्छेद रखा गया। जबकि, बड़ौदा जैसी रियासत के लिये किसी ने कुछ नहीं पूछा कि

कितना अच्छा इन्तजाम है या क्या बात है? अगर आप यह चाहते हैं और आपका अगर यह विचार है कि चुनाव के बाद इनको इक्कठे करने में आप कामयाब होंगे तो मैं समझता हूँ कि वह बिल्कुल गलत है। अगर आप चाहते हैं कि उनको हिन्दुस्तान के बड़े हिस्सों में मिला दिया जाय तो उसके लिये जितना अच्छा मौजूदा समय छह महीने के अन्दर है, वह समय फिर उसके बाद नहीं आने वाला है। इन छः महीनों के लिये मैं तो उन भाईयों से कि श्रेणी सी राज्यों से आते हैं, उनसे कहूंगा कि आप छह महीने के लिये जरा और सब्र करें। उन्होंने साढ़े तीन साल तक सब्र किया है, छह महीने कोई बड़ी चीज नहीं है।

दिल्ली राज्य के बारे में, जैसा मैंने पहले कहा था, मैं समझता हूँ कि दिल्ली को अलग दर्जा देना एक गलती होगी। इस सरकार में और दिल्ली राज्य की सरकार के बीच में हमेशा झगड़ा पैदा करेंगे।

श्री देशबन्धु गुप्ता : क्या आदरणीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि दिल्ली को पंजाब में मिलाकर सी से डी बना दिया जाय?

चौधरी रणबीर सिंह : अगर आदरणीय श्री देशबन्धु गुप्ता यह समझते हैं कि हम डी में हैं तो मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि हमारा डी बुरा नहीं है। हमारा डी आपको एकदम ए में ले जायेगा और आपको एकदम सी. बी. तक भी नहीं चलेगा। आप डी. में आते हुए मत घबराईये। मैं तो एक बात और भी कहता हूँ। हमारे दोस्त पुनाचा जी ने कहा था कि हम सब इक्कठा हो जायेंगे। इस सिलसिले में दिल्ली के लिये कहता हूँ कि अभी वह मुख्य आयुक्त से शासित होते हैं और हम राज्यपाल से शासित होते हैं। हमारे और उनके अधिकार इस समय एक से बना दिये गये हैं। आज जितना अच्छा समय है कि हम आपस में मिलकर बैठें और सब इलाका एक बन जाय, इतना अच्छा समय फिर कभी आने वाला नहीं है।

अन्तरिम संसद

मंगलवार, 4 सितम्बर, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 4 सितम्बर, 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

औद्योगिक (विकास और नियन्त्रण) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वह इसलिए कि मैं समझता हूँ कि एक बोर्ड जो तीन आदमियों का या तीन से ज्यादा का भी हो सकता था, उसके मुकाबले विकास परिषद जो हैं, वह उद्योगों के साथ भी ज्यादा न्याय कर सकेंगी। जितनी औद्योगिक इकाईयां आ जाती हैं और देश की औद्योगिक नीति का एक अहम हिस्सा होगा। हो सकता था कि इस बोर्ड के पास शायद इतना समय न होता कि वह हर एक उद्योग के साथ न्याय कर सके। इसलिये मैं यह समझता हूँ कि जो विकास परिषद हैं, जैसी कि सरकार की नीति है यानी सरकार चाहती है कि आद्योगिक बोर्ड के बजाय विकास परिषद बने, हर एक उद्योग के लिये। यह उद्योग के लिये भी ज्यादा अच्छा होगा और देश के साथ भी ज्यादा न्याय होगा।

** संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 12–13, भाग 2, 4 सितम्बर, 1951, पृष्ठ 1906–1907*

एक बात और इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मंत्री साहब ने हमें बताया कि विकास परिषद के ऊपर जो प्रतिनिधित्व मिलेगा, वह श्रम और उद्योग को मिलेगा। अगर आप यह चाहते हैं कि यह नियोजित अर्थव्यवस्था के अन्दर पूरी तरह से जुड़े, इसके लिए जरूरी है कि उपभोक्ताओं का इस बोर्ड के ऊपर प्रतिनिधित्व हो। इसके साथ साथ जो कच्चा माल उत्पादित करते हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व इस बोर्ड पर हो। मिसाल के तौर पर, कपड़े का उद्योग है। उसके अन्दर जो कपास के पैदा करने वाले हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी उतना ही जरूरी है, जितना कारखाने वालों का। जैसे चीनी का उद्योग है या कोई और दूसरी उद्योगिक इकाई है, जिनके अन्दर काश्तकार उनका माल का उत्पादन करते हैं, उनका भी इस बोर्ड पर होना उतना ही जरूरी है। जैसा कि आज डा. पंजाब राव देशमुख ने एक काम रोको प्रस्ताव के जरिये सदन को यह बताना चाहा कि जितने आपस के हित हैं, उन हितों में कितनी टक्कर है, तो यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि सच्ची बात है। मैं नहीं जानता कि सरकार का क्या इरादा है? इन दोनों को यानी उपभोक्ताओं और कच्चे उत्पाद के उत्पादक को भी प्रतिनिधित्व दिया जाये तो, उसको ऐसा करना चाहिये। जो प्रवर समिति पुर्नगठित की जा रही है, उससे भी मेरी यह प्रार्थना है कि वह इस चीज पर ध्यान दे।

अन्तरिम संसद

शुक्रवार, 7 सितम्बर, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 7 सितम्बर, 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

भारतीय कंपनियां (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल को पास करने का समर्थन करने में बड़ी खुशी है और वह इसलिये कि हमारी कांग्रेस पार्टी खास तौर पर इस बात के लिये वचनबद्ध है कि वह देश के अन्दर एक सरकारी राष्ट्रमण्डल प्रणाली को कायम करे। यह जो पब्लिक लिमिटेड हैं, उनके अन्दर कुछ थोड़ा बहुत सरकारी दखल देने की तरफ यह पहला कदम है। मैं इसको आखिरी कदम नहीं मानता। कई भाई हैं जो इससे डरते हैं। लेकिन, मैं तो समझता हूँ कि हमें अभी और ज्यादा आगे कदम बढ़ाना है। पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां हैं उनको भी हमें उस ढ़ंग पर, उस तरीके पर ले जाना है, जहां पर कि सहकारी समितियां या दूसरी सहयोगी संस्थायें हैं। जिस तरह के सहयोगी संस्थाओं में हिस्सेदार होते हैं, उनको यह यकीन होता है

** संसदीय बहस, (भाग–दो, कार्यवाहियां व प्रश्नोत्तर), पुस्तक संख्या 12–13, भाग 2, 7 सितम्बर, 1951, पृष्ठ 2252–2254*

और अगर उसमें कोई गड़बढ़ होती है तो सरकार भी उसके लिये जिम्मेदार होती है।

डा. देशमुख : सहकारी समितियों में भी बहुत बड़ी गड़बड़ होती है।

चौधरी रणबीर सिंहः यह ठीक है कि वहां भी गड़बड़ होती है, क्योंकि यह तो इन्सान की फितरत में है। गड़बड़ बिल्कुल न हो, इसका इन्तजाम तो हम पूरी तौर पर तभी कर सकेंगे, जब हम अपने बच्चों को यह समझा पायेंगे कि अपना स्वार्थ छोटी चीज है। इसके मुकाबले देश का स्वार्थ या संसार का स्वार्थ बड़ी चीज है। डा. देशमुख जी को मैं जानता हूँ वह सहकारिता के बड़े हामी रहे हैं। जब उनके स्थान में सहकारी समिति बनाई गई थी तो खुद उसके पहले अध्यक्ष रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि सहकारी समितियां बनाने के वह बड़े हिमायती रहे हैं। इसमें कुछ खराबियां भी हैं। लेकिन, वे हमें उस दिशा की ओर बढ़ने से रोकेंगी नहीं। हमें उन खराबियों का इन्तजाम करते हुए आगे बढ़ना है। इसके साथ–साथ यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है कि हमारे देश के जो बड़े–बड़े उद्योगपति हैं, या बड़ी–बड़ी कम्पनियों वाले हैं, प्रबन्धन एजेन्ट हैं, वह प्रबन्धन शाखाओं के द्वारा ही हो सकता है। कुछ समय तक यह चीज काफी फायदेमंद रही। लेकिन, इसके साथ साथ इस बात से भी हमारे देश के आम आदमी जानकार नहीं हैं कि जो बड़े–बड़े उद्योगपति हैं, वह भी इसमें अपनी तसल्ली नहीं कर पाते कि उद्योग से उन्हें कुछ फायदा मिल जाये। बल्कि, वह और आगे बढ़कर व्यापारी बनना चाहते हैं। व्यापारी नहीं, बल्कि चोर बाजारी करना चाहते हैं। उनकी यह वृत्ति है। उसको रोकने के लिए खासे कायदे कानून को और तगड़े और मजबूत बनाने की नहीं, बल्कि मैं यह समझता हूँ कि आज जो सरकार की एजेन्सी है, उसमें खासे ईमानदार आदमियों की जरूरत है। क्योंकि, जो प्रबन्धन एजेन्ट होता है, उसके पास काफी बड़ी रकम रहती हैं। वह

किसी भी एक अफसर से जो हजार, पांच सौ, छह सौ, दो सौ या ढ़ाई सौ रूपया तनख्वाह लेता है, उसको खुश करने के लिये उसके पास काफी पूंजी है, काफी ताकत है। वह अपने ढ़ंग की रिपोर्ट उससे करा सकता है। इसलिये, सरकार को इस बात की तरफ खासा ध्यान और तवज्जह रखनी पड़ेगी कि कोई भी हो, वह सरकारी आदमी हो, चाहे वह मैनेंजिंग एजेन्ट हो, या निदेशक हो, जो गड़बड़ी करना चाहता है और जो हिस्सेदारों की खून पसीने की कमाई को नाजायज ढ़ंग से उड़ाना चाहते हैं, उनको नाजायज ढ़ंग से उड़ाने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

अन्तरिम संसद

शनिवार, 22 सितम्बर, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 22 सितम्बर, 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

हिन्दू कोड

चौधरी रणबीर सिंह : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन नम्बर 420 और भट्ट जी के संशोधन नंबर 288 का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। भट्ट जी का अपने संशोधन से आशय है कि जो रीति या रिवाज हैं, वह अगर कहीं आपके इस हिन्दू कोड बिल से टक्कर खाते हैं, तो उस टक्कर को एक दम से यह नहीं मान लेना चाहिये कि रिवाज खत्म हुआ, बल्कि दस साल तक उसे जीवन दे दिया जाये और दस साल के बाद उसे खत्म मान लेना चाहिये। पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन नम्बर 420 का यह आशय है कि जितने भी रिवाज हों, जो हिन्दू कोड बिल के मुताबिक हों, उनको खत्म मान लेना चाहिये और जो रिवाज उनके अलावा बाकी रहते हैं, उनकी ताकत को या उनकी कानूनी ताकत को जिन्दा रहने दिया जाये। मेरे लायक दोस्त

**संसदीय बहस, (भाग–एक, प्रश्नोत्तर), आधिकारिक रिपोर्ट, पुस्तक संख्या 12–13, भाग 2, 22 सितम्बर, 1951, पृष्ठ 3129–3142*

पांडे जी ने जिस तरह से कहा, मैं मानता हूँ यह बात सही है और वह बड़ी संतोष दिलाने वाली बात है कि हिन्दू कोड बिल का जो असली आशय था, वह समझा जाता था कि यह हिन्दू कोड बिल देश के अन्दर कुछ सुधार करने के लिये या सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये, उनमें तबदीली करने के लिये, लाया जाता रहा है। इस बिल का असर कितने आदमियों के ऊपर पड़े, यह सोचने वाली बात है। जैसा कि उन्होंने कहा, मैं तो इसे अनाधिकार चेष्टा मानता हूँ कि इस तरह पिछले दरवाजे से इस देश के उन आदमियों पर जिन पर हिन्दू कोड बिल अभी तक लागू नहीं है, उनको जबरदस्ती इसमें फांसा जा रहा है।

श्री ए.सी.शुक्ला : अगर वह न चाहें, तब भी लें।

चौधरी रणबीर सिंह : शुक्ला जी, मेरे जबरदस्ती कहने का मतलब नहीं समझे। या उन्होंने सुना नहीं। अगर यह कहते कि जबरदस्ती मैं जो कहता हूँ, वह गलत है, तो मैं उनको शायद जवाब देता कि वह कोई सबूत दें कि पंजाब के किसी भाई ने आज तक चाहे वह हिन्दू जाति का रहा हो, सिक्ख जाति का रहा हो, या मुसलमान जाति का रहा हो, एक आदमी ने भी कभी इस आवाज को बुलन्द किया हो कि हमारे कस्टमरी कानून है, उसको हटा दिया जाय। उसकी जगह हमें मनु का कानून, या याज्ञवल्क्य या और किसी का कानून हमें दीजिये?

श्री ए.सी.शुक्ला : पढ़ लिख जायेंगे तो उसके लिये मांग करेंगे।

चौधरी रणबीर सिंह : हमारे माननीय शुक्ला जी को मालूम नहीं है कि हमारे पंजाब प्रान्त में कैसे गतिशील आदमी हुए हैं, जिन्होंने देश की ताकत को चैलेंज किया है, जोकि मैं उनका समर्थक नहीं हूँ। लेकिन, यह इतिहास की सच्चाई है कि पिछले सालों के अन्दर हिन्दू

बहुल क्षेत्र के अन्दर कोई कांग्रेस के आदमी को हरा नहीं सका। लेकिन, पंजाब का ऐसा इलाका था हरियाणा का जो हिन्दू बहुल क्षेत्र था, वहां चौधरी छोटूराम ने कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा दिया था।

डा. अम्बेडकर : चौधरी छोटू राम हिन्दुओं के बहुत बड़े मित्र थे।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं डाक्टर साहब से उनका अगर कोई लेख हो, उनकी कोई बात उनके सबूत में हो, तो मैं मानने के लिये तैयार हूँ। बाकी जहां तक उनके आशय का वास्ता है, उसके मैं विरूद्ध नही हूँ। मैं एकल पत्नी का समर्थक हूँ और चाहता हूँ कि किन्ही विशेष परिस्थितियों में तलाक की व्यवस्था भी अवश्य रहनी चाहिये, ताकि जब स्त्री, पुरूष दोनों तरह एक साथ रहने से तकलीफ होती है, तो उन्हें उस तकलीफ से बचाने के लिये कोई न कोई ढ़ंग या रास्ता निकालना चाहिये। लेकिन, इसके साथ–साथ मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि यह चेष्टा अनाधिकार चेष्टा है। क्योंकि, हिन्दू कोड बिल से हमारा आशय होना चाहिये था कि हिन्दू कोड बिल से जो संचालित होते हैं, उन्हीं पर यह लागू किया जाये।

यह मेरी बदकिस्मती है कि जब से यह हिन्दू कोड बिल का सवाल आया, कई महीनों चला और कई दिन इसके ऊपर लगाये गये। मैंने उस वक्त बहुत कोशिश की कि मुझे पांच मिनट मिलें तो कुछ उस पर अपने विचार प्रकट करूं। लेकिन, मौका नहीं मिला। यह बदकिस्मती की बात है कि हमारे मान साहब बोले तो वह सिक्ख धर्म में फंस गये। बजाये इसके कि सही बात पर आते। लेकिन, उन्होंने शायद ऐसा समझा कि इस तरह उनकी बात जोरदार हो जाय या और कोई कारण रहा होगा। बहरहाल मैं समझता हूँ कि यह सिक्ख धर्म का प्रश्न नहीं है। यह पंजाब प्रान्त भर के कस्टमरी कानून का प्रश्न है। डाक्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के अन्दर ऐसे समय में जबकि ब्राह्मनिक कायदे कानूनों ने सारे देश और समाज के रहन–सहन

और रीति रिवाजों को अपने पंजे में बांध रखा था कि सोमवार को नहीं जा सकते, मंगलवार को नहीं जा सकते, और शनिवार को नहीं जा सकत। ऐसे समय में मैं डाक्टर साहब को बतलाना चाहता हूँ कि पंजाब की मार्शल जाट जाति ने, जिस जाति से मैं और सरदार बलदेव सिंह, ताल्लुक रखते हैं, उस जाट जाति ने आज तक उस ब्रह्मनिक रूल के सामने सिर नहीं झुकाया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी जो यह दो चीजें एकल पत्नी और तलाक हैं, उनके लिये वास्तव में हमारे समाज में कोई ज्यादा विरोध नहीं है। मेरा भी इन दोनों से कोई विरोध नहीं है। लेकिन, जो आपका यह ढ़ंग और तरीका है, उससे जरूर विरोध है। आज जिस तरीके से जिस बैक डोर से यह बढ़ा है, वह कोई बहुत अच्छा ढ़ंग नहीं है। यह बात नहीं है कि मैं अपने आपको गैर हिन्दू मानता हूँ। यह जरूर मानता हूँ और यह सच बात है कि हम लोग कभी हिन्दू कोड से संचालित नहीं हुए। वह हमारे ऊपर कभी लागू नहीं हुआ। आपका यह विचार कि जिन लोगों को आप अभी तक दिमागी तौर पर गुलाम नहीं कर पाये थे, उनको आप यह समझते हैं कि पिछले दरवाजे से गुलाम कर लेंगे तो मुझे इसमें पूरा शक है। यह जो आप शादी–विच्छेद के बारे में रीति–रिवाज के ऊपर कायदे कानून बनाने जा रहे हैं, इसमें भी हमें बहुत कुछ मतभेद हैं। इस सिलसिले में मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के हिन्दू समाज के अन्दर विधवा के प्रति दर्द के नाम पर बहुत सारे समाज सुधारकों ने उस दिशा में बड़ी उन्नतियां की हैं। लेकिन, बदकिस्मती से हमारे समाज के अन्दर सदा से नौजवान विधवा अज्ञात रही हैं। हमारे समाज के अन्दर नौजवान विधवा का नाम नहीं होता।

हमारे यहां यह रिवाज है कि जिस समय किसी बहिन का पति मर जाता है तो उसके पति के मरने के एक साल बाद, दोनों तरफ के भाई, जो उस बहन के परिजन और भाई होते हैं, वह भी इक्ठ्ठा होते हैं और जो भाई मर जाता है, उसकी तरफ के लोग भी यानी उनके परिजन और भाई भी इक्ठ्ठा होते हैं। वहां पर यह फैसला किया जाता

है कि चाहे उस बहन को थोड़ी बहुत शर्म आती हो, जैसा हिन्दू समाज में सारी जगहों पर होता है, वैसे ही हमारे यहां भी थोड़ी शर्म होती है। अगर वह इन्कार कर दे और कह दे कि जो दुःख भगवान ने मुझे दिया है, वह दुःख मैं ही काटूंगी। लेकिन, उसकी बनावटी इच्छा के विरूद्ध भी उसे मजबूर किया जाना यह मुमकिन नहीं है। यह कहा जा सकता है कि उसका आदर्श अच्छा है। लेकिन, कितने आदमी हैं जो इतने ऊंचे आदर्श पर चल सकते हैं। इसके ऊपर हमारे समाज में शक है कि आप इस समाज के अन्दर यह बहुत ऊंचा आदर्श कायम करने जा रहे हैं, इससे हमारे समाज में कहीं खराबी न पैदा हो, इसलिये इस तकलीफ को, आप इसे तकलीफ मानें या जो भी मानें। इस बात को मान लिया जाये कि जो कपड़ा हम डालते हैं, यानी हम किसी के सुपुर्द करते हैं, विवाह करते हैं, आसान तरीके से, उसका नाश न किया जाय। इसलिये मैं भट्ट साहब की बात की ताईद करना चाहता था। अब मैं इसके कारण की तरफ आ रहा हूँ।

एक तरफ तो जहां आपका कायदा कानून है, कि बहनों की परेशानियों को हल्का किया जाये। जिन्हें बहुत हद तक हल्का किया भी। वहां हमारी बहनों की परेशानियों को और तकलीफ देह बनाया गया है। वह इसलिये कि आपने उनको एक तरफ से हक दे दिया कि वह जहां चाहें शादी कर लें। वैसे भी यह होगा कि अगर कोई गड़बड़ी न हो तो आसानी से रिवाज पड़ जायेगा कि वह दूसरी जगह शादी कर सके। लेकिन, आप इसको क्यों डालते हैं? जो लोग द्विविवाह होते हैं तो उनकी मर्जी से नहीं होता, बल्कि दबाव में मजबूरी से होता है। जो भाई मर जाता है, उसके दूसरे भाई को अपनी इच्छा के विरूद्ध भी द्विविवाह के रिवाज को मानना पड़ता है।

श्रीमती दीक्षित : मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या यह चीज सही है कि एक स्त्री है, उसके चार–छह बच्चे हैं, उसकी भावज है, उसके चार–छह बच्चे हैं, उन सबको इक्कठा कर दिया जाय और

सौतपन रहता है, उससे उनमें संघर्ष नहीं होता? क्या यह सिद्धान्त अन्याय नहीं है कि एक स्त्री को उसकी इच्छा के विरूद्ध भी मजबूर किया जाय कि वह दूसरे आदमी से शादी करे?

सरदार हुक्म सिंह : भगवान की इच्छा से।

चौधरी रणबीर सिंह : पुर्नविवाह से आपका मतलब है तो मैं कहूंगा कि नहीं। पुर्नविवाह भी तभी हो सकता है, जिसे जाब्ते में समाज करे। लेकिन, बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं जो इसे जाहिर नहीं कर सकतीं। स्त्री को मरे जहां 13 या 14 दिन हुए, आदमी यह जाहिर कर देता है। लेकिन, बहनें ऐसा नहीं कर सकतीं। क्योंकि जैसा हमारा समाज बना है, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे बदलने के लिए काफी समय चाहिये था। लेकिन, अगर उनकी मंशा यह थी कि एक भाई है, उसके दो तीन बच्चे हैं, एक उसकी बीवी है, दूसरा भाई मरने वाला है, उसके भी दो तीन बच्चे हैं, बीवी है। अगर उन लोगों को इक्कठा कर दिया जायेगा तो उससे मुश्किल होगी, दिक्कत होगी। अगर, वह यह पूछना चाहती हैं तो मैं इसकी तरफ भी आ रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि कोई आदमी राजी से दूसरा विवाह नहीं करता, एक बहन भी मजबूर होती है। क्योंकि, एक तरफ तो उसे बच्चों का प्यार है, वह उनको छोड़ नहीं सकती। दो–तीन बच्चे हैं, आखिर कहां जायें? वह यह भी नहीं कह सकती कि मेरी पुर्नविवाह करने की इच्छा है। घर के दूसरे लोग भी उन बच्चों को छोड़ नहीं सकते। सवाल यह पैदा होता है कि वह अपने बच्चों को अपने साथ ले जाये। लेकिन, यह हमारे समाज का रिवाज है। मेरी समझ में आप कोई भी कानून बनायें, आप इसे नहीं बदल सकते। यह कोई दिल्लगी की चीज नहीं है। वह स्वयं इसको बदल सकते हैं। लेकिन, आप खुद आज इसको नहीं बदल सकते।

हमारे यहां एक और प्रथा है। यह अपना विश्वास है कि एक खानदान जिसके बच्चे हैं, उसका नालायक से नालायक आदमी भी

अपने बच्चों को दूसरे खानदान में नहीं जाने देता है। इसके विपरीत कोई आदमी इसकी चेष्टा भी करे तो उसकी सजा हमारे यहां बड़ी कड़ी है, आज भी। चाहे आप कह लीजिये कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। उसका सुधारना भी बड़ी दिक्कत का काम है। लेकिन, इस तरह की बात का नतीजा हमारे यहां अब भी कत्ल है। अगर आप यह चाहते हैं कि हमारे समाज के अन्दर कत्ल व गारत की तादाद ज्यादा बढ़े। पहले से ही पंजाब कत्ल व गारत के लिये ज्यादा बदनाम है। वहां काफी आदमी इस तरह के कत्ल के सिलसिले में फांसी चढ़ते हैं। तो, अगर आप उनकी तादाद बढ़ाना चाहते हैं तो बेशक एक दम से जो कायदा कानून चाहे लागू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कत्ल व गारत और फांसी की सजाओं में कुछ कमी हो तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भट्ट साहब या भार्गव जी का जो संशोधन है, उसको मान लें।

मैं यह बता रहा था कि इसके अन्दर क्या है कि वह बहन या तो इस बात पर मजबूर होगी कि तमाम उम्र विधवा बनी रहे, जैसा कि उसके समाज में अब से पहले कभी नहीं था। अगर उसे अपने बच्चों से प्यार है। अगर बच्चों से प्यार नहीं है तो अपने बच्चों को चोरी छिपाकर रात को उठाकर कहीं ले जाये। अगर कोई हिम्मत वाला इंसान मिल गया और उसने कहा कि चलो मेरे साथ मैं देख लूंगा दूसरों को, तो उसका नतीजा क्या होगा? वह दुबारा विधवा होगी, या उसका मर्द फांसी पर चढ़ेगा। किसी सूरत में उसका सौभाग्य कायम नहीं रह सकता। यह वैसे तो काफी बड़ी बात है और डरावनी बात है। लेकिन, एक सच्ची बात है।

इसके बाद सगोत्र विवाह की बात है। कितने भाई हैं और कितनी बहने हैं, जो शहरों में रहती हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा इस हिन्दू कोड बिल पर क्या प्रतिक्रिया है? इस सदन के अन्दर तो बहुत से भाई हैं, उनमें से बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो शहरों में रहते हैं। जो शहरों में जन्में, शहरों में पले और शहरों के कायदे

कानून और तरीकों तक ही उनके विचार सीमित हैं। उनके ख्याल से शहर की जिन्दगी में और देहात की जिन्दगी में कोई अन्तर नहीं है। इसका उन्हें कोई अन्दाजा नहीं हैं। मैं तो एक मामूली सी मिसाल देता हूँ। एक शहर को लीजिये, वहां अगर कोई बहन शादी नहीं करना चाहती तो कोई आपत्ति उसके ऊपर नहीं है कि तुम शादी क्यों नहीं करती? लेकिन, अगर देहात में कोई लड़की 16 साल के ऊपर चली जाती है तो जहां उसके माता–पिता पर विपत्ति आ जाती है, वहां उस बहन पर भी आपत्ति आ जाती है। पूछता है कि तू इस लड़की को बाहर क्यों नही भेजता? उस लड़की की कितनी ही इच्छा क्यों न हो कि वह शादी न करे, लेकिन, वह शादी कराये बगैर नहीं रह सकती। उसको मजबूर किया जाता है। यह थ्योरी भी अच्छी हो सकती है। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि शहर की शिक्षा–दीक्षा और देहात की शिक्षा–दीक्षा के अन्दर कितना फर्क है? दोनों के लिये आप एक कायदा और कानून बनाना चाहते हैं। मेरे लायक दोस्त जांगड़े साहब बड़े जोर से बोले। उन्होंने दूसरों के लिये कहा। मैं कहता हूँ कि मुझे शक है कि जांगड़े साहब शहर वाले बन गये हैं। उनकी तरफ चले गये हैं। अब शहर की बात समझने लगे हैं। वह अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी जगह वालों की नहीं। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जब तरबियत में इतना फर्क है, उनकी सामाजिक नीति में आपस में इतना मतभेद है, उनके लिये एक कायदा और कानून बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि उनके रीति रिवाजों में कोई अन्तर रखना कोई मायने नहीं रखता, यह उनके साथ बड़ा भारी अन्याय है।

एक बात और इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ, वह है सगोत्र विवाह के बारे में। हमारी बहुत सारी बहनों की दिल्ली के दिल्ली में ही शादी होती है। एक गली से दूसरी गली में उनका विवाह हो जाता है। छोटे–छोटे शहरों में जिनकी आबादी दस हजार की होती है, उनमें भी उनका विवाह एक घर से दूसरे घर में हो जाता है। उनको यह पता नहीं है कि हमारे यहां शादी का कायदा क्या है? हमारे यहां

शादी के लिये कम से कम 15, 20, 50 और सौ मील का फर्क होता हैं। अगर अपनी जाति में मैं अपने लड़के की शादी करना चाहूं तो अपने समाज के आज के रिवाज के मुताबिक मैं अपनी उपजाति में, जोकि 24 गांवों में और 10 मील के रेडियस में रहती है, उसकी शादी नहीं कर सकता। मैं उन 24 गांवों में से किसी गांव में अपने लड़के की शादी नहीं कर सकता। यही नहीं। उसके बाद फिर उसकी जो माँ है, उसकी उपजाति के जो तीस चालीस गाँव हैं, उनमें भी उसकी शादी नहीं हो सकती। उसके बाद आप आगे चलिये जो मेरी माँ है, उनकी उपजाति के जो तीस चालीस गाँव हैं, उनमें भी उसकी शादी नहीं हो सकती। इस तरह से आसपास के कोई पचास गाँवों में हम शादी नहीं कर सकते।

श्री ए.सी.शुक्ला : यह अच्छी बात है या खराब बात है?

चौधरी रणबीर सिंह : मैंने यह दावा नहीं किया। मैं आपको नाराज भी नहीं करना चाहता। जैसा कि डाक्टर साहब ने कर दिया। मेरी यहां डाक्टर साहब की सी हिम्मत नहीं हैं कि मैं कड़वी बात सुना सकूं। वह बड़े हैं और मैं तो एक छोटा सा सदस्य हूँ।

श्री राधेलाल व्यास : आप भी तो जाट हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं जाट तो हूँ। लेकिन, मैं सरदार भूपेन्द्र सिंह मान जैसा, सिख जाट नहीं हूँ। मैं आपको कड़वी बातें नहीं सुनाना चाहता और इसीलिये, मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरा रिवाज अच्छा या आपका अच्छा या कानून अच्छा। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वह आज के हालात हैं और वही मैं आपको बता रहा था कि सौ या 120 गांव छोड़कर मुझे अपने बच्चे की शादी करनी होगी। उन बहनों को जो छोटे छोटे कस्बों या बड़े शहरों में रहती हैं और जिनका

विवाह एक गली से दूसरी गली में हो जाता है, उनको क्या मालूम कि हमारे सामने क्या मसले हैं?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस मामले में हिन्दू लॉ मे और आपके लॉ में कोई फर्क नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : फर्क न हो, लेकिन विकास में अन्तर है। आज भी, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, हम इतने गोत्र छोड़कर शादी करते हैं और आज किसी की हिम्मत नहीं है कि इसके विरूद्ध कर सके। कोई नालायक से नालायक आदमी, जिसे आज के समाज के अनुसार नालायक ही कहेंगे, हो सकता है कि कल के मुताबिक उसे उन्नत कहा जाय, वो भी ऐसा नहीं कर सकता। किसी की ऐसा करने की हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन, आप उसे इस कानून में अधिकार देते हैं।

श्री ए.सी.शुक्ला : आप क्या चाहते हैं?

चौधरी रणबीर सिंह : मैं शुक्ला जी को यह बतलाना नहीं चाहता कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं तो यह बतलाना चाहता हूँ कि हालात क्या हैं? इसीलिये, मैं कहता हूँ कि भट्ट साहब का संशोधन मान लीजिये और हमको दस साल का मौका बदलने के लिये दे दीजिये। अगर हमारी बात ठीक होगी तो आप बदल जायेंगे और आपकी बात ठीक होगी तो हम बदल जायेंगे। इसीलिये, मैं उनकी संशोधन की ताईद करता हूँ।

मैं आपसे कह रहा था कि सगोत्र विवाह आज भी हमारे समाज में नहीं हो रहे हैं। लेकिन, कायदे और कानून की बड़ी ताकत होती है। शायद कोई हिम्मतवर निकले और इस कानून का सहारा लेकर अगर उसी गांव में ही शादी करना चाहे तो उसका क्या नतीजा

होगा? उसका भी वही नतीजा होगा जोकि मैंने पहले बताया। मैं इस बात को बहुत बढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन, मैं आपको यह सच्चाई बतलाना चाहता हूँ कि आज के हमारे समाज में यह हालत है कि अगर मेरे खानदान में किसी ने ऐसी शादी कर ली तो यह कोई नहीं पूछेगा कि मेरे क्या विचार हैं? अगर मेरा भाई कोई इस किस्म की गलती करता है तो हो सकता है कि यह उसका भाई है, चाहे मेरे विचार उसके विरोध में हों या उसके पक्ष में। इस बात को कोई नहीं पूछेगा। हमारे समाज की यही हालत है। वहां तो यह देखा जाता है कि एक भाई क्या करता है और समझ लिया जाता है कि दूसरा भाई भी उसके साथ है। यहां पर एक भाई कम्युनिस्ट हो सकता है, दूसरा सोशलिस्ट हो सकता है और तीसरा कांग्रेसाईट हो सकता है। एक लड़का किसी का भारतीय जन संघ का मैम्बर हो सकता है और उसका का दूसरा भाई दूसरी पार्टी का हो सकता है और धर्म में भी अदल बदल हो सकती है। लेकिन, हमारे यहां यह बात बनी हुई है कि अगर किसी खानदान में एक आदमी कांग्रेसी हो गया तो वह सारा कुनबा कांग्रेसी समझा जायेगा, चाहे वह हो या नहीं। इस किस्म की हमारे समाज में हालत है। आप उसे जो कुछ कहें, उन्नति कहें या जहालत कहें। इन हालात में, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मैं इस बात के हक में हूँ कि एकल विवाह समाज के लिए बहुत अच्छी बात है और हिन्दुस्तान जैसे देश में और खास तौरपर जिस बिरादरी का मैं हूँ, उसके लिये अर्थात जाटों के लिये तो यह वैसे भी जरूरी हैं, क्योंकि हमारे यहां लड़कियां थोड़ी हैं और लड़के ज्यादा हैं। तो अगर कोई भाई दो विवाह कर लेगा तो किसी का हिस्सा कम हो जायेगा। अगर एकल विवाह प्रथा रहेगी तो कुछ ज्यादा भाईयों की शादी हो जायेगी। शायद इस देश में कुछ हिस्से ऐसे हों, जहां भाईयों से बहनें कुछ ज्यादा हों।

सरदार बी.एस. मान : मद्रास में।

चौधरी रणबीर सिंह : तो हमारे यहां का हिन्दू जाट तो इतना उन्नत नहीं है कि वह मद्रास पहुंच जाये, सिख जाट भले ही पहुंच जायें। इसलिये मैं तो मोनोगैमी को ठीक समझता हूँ। लेकिन, हमारा समाज इतनी उन्नति नहीं कर पाया है या इतनी हालत नहीं कर पाया है कि हम मान जायें कि यह सगोत्र विवाह ठीक है। इसको आप दस साल के लिये अपनी किताब में जमा रखें। दस साल बाद उस पर फिर गौर कर लिया जाएगा। अगर ठीक होगा तो मान लेंगे और अगर उस समय तक समाज की उतनी तरक्की नहीं हुई तो वह कायदा किताब में ही रहेगा। जिसे हम जबरदस्ती विवाह कहते हैं, उसे हम अच्छी चीज नहीं मानते हैं। लेकिन, हमारे यहां उसकी बहुत ज्यादा संख्या नहीं है। इसके लिये आप हमको दस साल का वक्त दे दीजिये।

अन्त में मैं फिर दोबारा डाक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं डाक्टर साहब की सब बातों का पूरे तौरपर हामी हूँ, लेकिन, मैं उनसे यह प्रार्थना करता हूँ कि वह या तो भट्ट जी के संशोधन को मान लें या भार्गव जी के 420 नम्बर के संशोधन को मंजूर कर लें।

अन्तरिम संसद

सोमवार, 15 अक्तूबर, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 15 अक्तूबर, 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

अखिल भारतीय सेवा विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सिलसिले में एक निवेदन करना चाहता हूँ। जहां तक मौखिक परीक्षा का जिक्र है, कई सज्जन बहुत अच्छे लिखारी होने के नाते ज्यादा अच्छे नम्बर हासिल कर सकते हैं। लेकिन, वह पुलिस का अफसर बनता है तो अच्छा लिखारी होने से ही वह एक कामयाब अफसर साबित नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस के अन्दर आदमी को कई दफा केवल लिखकर ही जवाब नहीं देना पड़ता, बल्कि गोली के जवाब में भी हिम्मत दिखानी पड़ती है। इसी तरह से प्रशासनिक सेवाओं का भी यही हाल है। एक समय था, जब कि आराम से बैठकर आदमी फाइलों पर पढ़कर अपने आदेश सादर फरमाया करते थे। अब, जैसा कि हमने सन् 1947 के अन्दर देखा, वह अफसर जिनके अन्दर कुछ हिम्मत थी, और जो मेरे

**संसदीय बहस, (भाग–एक, प्रश्नोत्तर), आधिकारिक रिपोर्ट, पुस्तक संख्या 10, भाग 1, 15 अक्तूबर, 1951, पृष्ठ 4955–4959*

विचार में कोई अच्छे लिखारी नहीं थे, वही ज्यादा अच्छे ढ़ंग से कामयाब साबित हुए। इसलिये, सिर्फ यह मान लेना कि लिखारी होना या किसी लिखित परीक्षा में अच्छे नम्बर पा लेना ही कोई योग्यता है, मैं समझता हूँ कि यह खयाल दुरूस्त नहीं है। इसके अलावा बहुत सी और बातें भी हैं। जैसे कि हमारे समाज के अन्दर एक बच्चा है, जो अच्छे खानदान में, बहुत खाते पीते खानदान में पैदा होता है, बचपन से ही वह अपने घर में टेलीफोन देखता है, तो उसकी शिक्षा–दीक्षा पहले बच्चे के मुताबिक नहीं हो सकती। अगर उन पिछड़े हुए बच्चे को यह समझ कर कि लिखित परीक्षा में वह उस स्तर तक नहीं आये तो मैं नहीं समझता कि उनके साथ आप न्याय करेंगे। यह इसलिये कि अगर सबको एक सी सुविधाएं मिलतीं और उसके बाद वह कुछ कमजोर रहते तब तो हम इस बात को समझ सकते थे कि किसी के साथ कुछ रियायत करने की जरूरत नहीं हैं। एक तो समाज ने उनको पहले ही रियायत दी है कि वह ऐसी हालत में पलते हैं कि उनके सामने अखबार, रेडियो, टेलीफोन, सब तरह की सुविधाएं बचपन से मौजूद हैं। इसलिए, उनकी शिक्षा–दीक्षा ऐसी होती है कि वह औरों के मुकाबले में जीत सकते हैं। इस तरह एक रियायत तो पहले ही उनको समाज ने दी है। फिर, दूसरे यह रियायत भी आज दें कि जो लिखारी हों, वहीं अच्छे कामयाब हों। यह मेरी समझ में दुरूस्त नहीं हैं हम यह आपसे कोई रियायत नहीं मांगते हैं।

इसके अलावा एक कामयाब अफसर साबित होने के लिये लिखारी होना ही काफी नहीं हैं, उसके अन्दर हिम्मत और भागने दौड़ने की शक्ति की भी जरूरत है।

श्री कामतः भागने की?

चौधरी रणबीर सिंह : जी हां, भागने–दौड़ने की। फर्ज कीजिये कि एक पुलिस का अफसर है। वह एक भगौड़े का पीछा कर रहा है और रास्ते

में उसकी गाड़ी फेल हो गई है तो, वहां उसको भागने की जरूरत है। जो अफसर भाग सकता है, गोली अच्छी तरह चला सकता है और उसका मुकाबला कर सकता है, वह ज्यादा अच्छा अफसर साबित होगा। यदि कोई फाईलों पर अच्छा लिख सकता है, वह अच्छा लिखारी है, तो यहां पर ऐसा आदमी अच्छा साबित नहीं हो सकता, उसकी यहां कोई जरूरत नहीं है। उससे कोई फायदा नहीं होगा।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। यहां की मंत्री परिषद को लीजिये या सूबों की वजारत को लीजिए। वजीरों के तनख्वाहें सूबों के अन्दर तो डेढ़ हजार ही हैं और यहां ढ़ाई हजार या साढ़े तीन हजार हैं। लेकिन, उनके सचिवों का वेतन कहीं पांच हजार है, कहीं तीन हजार है। मंत्रियों से उनकी डेढ़ी और दुगने तक वेतन हैं। पहले के जो आई.सी.एस. अधिकारी हैं, उनका वेतन तो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में हमने इसका संरक्षण दे दिया है। लेकिन, बदकिस्मती है कि बावजूद इसके कि हम अपनी सेवाएं दुबारा संगठित कर रहे हैं, फिर भी उनकी तनख्वाहों के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। जो फाईलों के अन्दर नोट डालने वाला है, उसका नजरिया, उसका जीवन स्तर एक ऊंचे ढ़ंग का स्तर है। वह इस बात को भूल जाता है कि यह देश एक गरीबों का देश है। इसके अन्दर बड़ी बड़ी तनख्वाहों वाले और इतने ऊंचे काडर वाले लोग बहुत हद तक इस देश में रखना देश के लिये फायदेमन्द नहीं होगा। इसलिये, मेरा यह निवेदन है कि अब जो वेतन तय हुए हैं, वह हालांकि पहले के मुकाबले में कम जरूर हैं, लेकिन अगर उनका मुकाबला मंत्रियों के वेतनों से किया जाये, जैसे कि कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह साहब ने कहा था कि वहां का मुख्यमंत्री तो 500 रूपये तनख्वाह लेता था और सचिव की ढ़ाई या तीन हजार वेतन था। इन अफसरों का वेतन बहुत ज्यादा है। फिर, यही बात नहीं है। मंत्री कोई चार साल या पांच साल रहे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वह अफसर तो पैन्शन भी लेते हैं। उनके लिये तो सेवाओं की भी गारंटी है और पेन्शन की भी गारंटी हैं। मंत्रियों वगैरह के लिये तो पांच

साल की सदस्यता भी काफी मंहगी हैं। पच्चीस हजार रूपये यहां संसद चुनाव के लिये जायज खर्चे माने गये हैं। इस सदन का जो सदस्य बनकर आएगा, पहले वह पच्चीस हजार रूपये खर्च करके आएगा और दूसरे सदनों में भी कहीं छह हजार और कहीं आठ हजार रूपये खर्च करके आएगा। फिर पांच साल के बाद दूसरा चुनाव होगा तो उस समय भी उसके लिये मुश्किल होगी। फिर उसको वह रूपया खर्च करना है। इन सब बातों के बावजूद भी मंत्री का वेतन तो डेढ़ हजार हो और सचिव का वेतन तीन हजार हो और पांच हजार हो जिसके लिये कि सेवा की गारंटी है, पेन्शन की गारंटी है, यह मेरे विचार में जैसी कि हमारे समाज की हालत है, मुनासिब नहीं है। इसलिये जो कानून बनाये जायें, उसमें इसका ध्यान रखा जाये। वेतनमान पैमाने इतने ज्यादा नहीं होने चाहियें जो कि देश के स्तर के हिसाब से बहुत ज्यादा ऊंचे हों।

अन्तरिम संसद

मंगलवार, 16 अक्तूबर, 1951 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 16 अक्तूबर, सन् 1951 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।

पुर्नपंचवर्षीय योजना प्रस्ताव

चौधरी रणबीर सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पांच साला योजना का स्वागत करते हुए, यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि यह योजना जिस समय पूरी हो जायेगी, हिन्दुस्तान के देहात का नक्शा बदल देगी। यही नहीं, बल्कि यह कह दिया जाय कि राम राज्य की तरफ एक काफी आगे की ओर कदम होगा तो कोई ताज्जूब की बात नहीं है।

वैसे तो मेरी इच्छा थी कि मैं सदन का कुछ समय लेता और कुछ और बातें भी कहता लेकिन, चूंकि समय बहुत थोड़ा दिया जा रहा है, इसलिये अब योजना आयोग के सदस्यों को मुबारकबाद देते हुए मैं जो समय मुझे मिला है, उसमें निवेदन करना चाहता हूँ। इसमें खुशहाली टैक्स का एक नया सिलसिला निकाला जा रहा है। मैं

**संसदीय बहस, (भाग–एक, प्रश्नोत्तर), आधिकारिक रिपोर्ट, पुस्तक संख्या 10, भाग 2, 16 अक्तूबर, 1951, पृष्ठ 5202–5206*

समझता हूँ कि अगर यह खुशहाली टैक्स खरीद के उपर होती तो उसके कुछ मायने थे। क्योंकि, उससे जमीन की कीमत बढ़ती थी। जो आदमी बिना मेहनत का धन, उससे कमाता उसमें सरकार को भी, देश को भी, हक था कि उसमें कुछ हिस्सा ले। लेकिन, एक तरफ तो आपका नहर के पानी का इस्तेमाल करने के लिये जो टैक्स है, वह रहेगा और दूसरी तरफ यह खुशहाली टैक्स भी होगा। यह ठीक नहीं मालूम देता। इसके दो तीन कारण हैं। एक तो यह कि देश के अन्दर दो किस्म की जायदादें हैं। एक तो शहरों की जायदाद है और दूसरी जायदाद है, कृषि भूमि की। यहां पर शहरों में जब सड़कें वगैरह का टैक्स नहीं लिया जाता। लेकिन, चूंकि देहात के अन्दर नहरें भी इसलिये नहीं निकाली जा रही हैं, जैसे कि बहुत से लोगों का विचार था कि देहात के लोगों के स्तर को ऊंचा किया जाय, बल्कि जो मजबूरियां हैं, उनके कारण आप ऐसा कह रहे हैं। हिन्दुस्तान की जो आर्थिक हालत है, वह यह है कि जब तक खेत की पैदावार देश में नहीं बढ़ेगी, उस समय तक देश की आर्थिक अवस्था नहीं सुधर सकती। ऐसी हालत में लोगों को तो शिकायत है कि जो योजनाएं अब बन रही हैं और जो रूपया अब खर्च करने का सरकार का विचार है, वह इससे पहली ही होनी चाहियें थीं। इससे ज्यादा रूपया खर्च होना चाहिये थ। अबसे बहुत पहले ही काफी ज्यादा रूपया वह शहरों की तरक्की के लिये और शहर के रहने वाले आदमियों के आराम के लिये खर्च कर चुके हैं। जब देहात वालों का स्तर उतना ऊंचा नहीं कर दिया जाता, जितना कि शहर वालों का है, इस किस्म की खुशहाली टैक्स लगाना कोई जायज नहीं है।

एक बात मुझे और अर्ज करनी है, वह यह है कि जैसा कि बाबू ठाकुर दास जी ने जिक्र किया था कि हिन्दुस्तान की हरियाणा पशु नस्ल खतरे में हैं। हरियाणा पशु नस्ल हिन्दुस्तान की बेहतरीन नस्लों में से है।

सरदार सुचेत सिंह : आदमियों की है या जानवरों की?

चौधरी रणबीर सिंह : जानवरों की मवेशी में बेहतरीन नस्ल हैं आदमियों की नस्ल से तो बेहतर है।

एक माननीय सदस्य : वह तो आप नमूना है।

चौधरी रणबीर सिंह : हरियाणा पशु नस्ल हिन्दुस्तान की बेहतरीन नस्लों में से है। मैं श्री नन्दा जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वह बम्बई में भी मंत्री रहे हैं और वह देखें कि कलकत्ते में क्या होता है? हमारे इलाके की बहुत अच्छी–अच्छी भैंसे और गायें वहां जाती हैं और जिस वक्त उनका दूध सूख जाता है तो उनको मार दिया जाता है, जिब्हे कर दिया जाता है। आपको जो योजना बनानी है तो कम से कम इस तरफ भी आपको ध्यान देना है कि जो मवेशियों की बढ़िया नस्ल है, उसको बचाने के लिये आप कोई कायदा कानून बनायें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : 28 वर्ष से ध्यान दे रहे हैं, पर अब तक कुछ नहीं कर सके।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं नहीं मानता कि सरकार के अन्दर ऐसी शक्ति नहीं है, या यह काम इतना मुश्किल है कि काबू न पाया जा सके। बाबू जी भी ऐसा ही मानते हैं, पर उन्हें नाराजगी है, और इस नाराजगी की वजह से वह अपना ऐसा विचार जाहिर करते हैं, वरना इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। उन पशुओं को अगर पंजाब में वापस भेज दिया जाय तो भी देश की काफी अच्छी नस्ल की रक्षा हो सकती है।

इन दो चीजों के अलावा मैं एक और बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर कराधान का जो तरीका है,

वह एक–सा होना चाहिये। आज खेती के अलावा जितनी भी आमदनी होती है, उस पर आप आयकर लगाकर टैक्स वसूल करते हैं। इसके अन्दर काफी हद तक, कई हजार तक की आमदनी को आप छूट देते हैं। जहां आपने देश की बहुत सारी बातों को योजनाबद्ध करने के लिये योजना के अन्दर ध्यान दिया, वहां इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। देश के अन्दर भूमिकर का तरीका ऐसा होना चाहिये कि काश्तकार खून और पसीने की कमाई से जो अपनी रोटी कमाता है, उसमें कम से कम दो हजार या ढ़ाई हजार, या तीन हजार की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिये।

श्री फिरोज गांधी : अगली बार आना तब कराना, अब तो बहुत देर हो गई।

चौधरी रणबीर सिंह : अब मै ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अब आप यह स्कीम दोबारा विस्तृत योजना सदन के सामने लाएं तो उसमें खास तौर पर इन दो तीन चीजों का ध्यान रखें। एक तो यह कि देश की जो अच्छी मवेशी नस्ल हैं, खास तौर पर हरियाणा की नस्ल इसकी रक्षा हो। क्योंकि हम कलकत्ते को दूध देना चाहते हैं, इसलिये वहां पर हमारी भैंसों को या गायों को मरवाना नहीं चाहिये। दूसरी बात यह है कि, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, कराधान का जो तरीका है, वह एक–सा किया जाना चाहिये।

1952

अन्तरिम संसद

बुधवार, 5 मार्च, 1952 ई.*

अन्तरिम संसद की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 5 मार्च, 1952 को हुई। प्रातःकाल 10 बजे माननीय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।

वित्त विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक का स्वागत करते हुए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आज कृषि अर्थव्यवस्था के अन्दर एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। जैसा उन्होंने कल बताया था, सन् 1931 से लेकर सन् 1939 के बाद से फिर कुछ समय बदला और कृषि अर्थव्यवस्था के अन्दर एक तब्दीली आयी, जिसमें कि किसान को कुछ राहत मिली। लेकिन इस साल से कुछ दूसरे हालात शुरू हुए। यहां हमारे कुछ भाई एक बात के बारे में बहस करते हैं कि अनाज इतना महंगा हो गया है। इससे इन्डेक्स नम्बर इतने प्वाइंट हो गया। लेकिन, मैं उन्हें बतलाना चाहता हूँ कि वह एक साल का ही समय लें। आपने पिछले साल गुड़ का भाव 21 रूपये मन रख था नियन्त्रण में। लेकिन आज गुड़ के भाव की क्या

**संसदीय बहस, (भाग–एक, प्रश्नोत्तर), आधिकारिक रिपोर्ट, पुस्तक संख्या 11, भाग 2, 5 मार्च, 1952, पृष्ठ 2026–2033*

हालत है? वह आज छह या सात रूपये मन बिक रहा है। कुछ अन्दाजा लगाईये, एक तरफ आप मानकों की गिनती करते हैं और मानकों की गिनती के ऊपर देश के अन्दर आर्थिक क्रान्ति की बातें करते हैं। दूसरी तरफ, आप गुड़ वालों को देखिये। आखिर वह भी तो आप ही के देशवासी हैं। उनका भी इस देश के ऊपर कुछ असर पड़ेगा। उनकी बिक्री की दर एकदम से 21 से 6 रूपया मन आ जाय, यह कोई बात है? दूसरी तरफ हिन्दुस्तान के ही अन्दर नहीं, बल्कि दुनिया के अन्दर निर्धारित अर्थव्यवस्था का बोलबाला है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या यही आपकी निर्धारित अर्थव्यवस्था है? एक तरफ तो आप कानून पास करते हैं कि एक खास किस्म की कपास बोई जा सकती है। लोगों को यकीन दिलाते हैं कि इससे इतने नीचे या इतने भाव पर सरकार आपसे यह कपास खरीदेगी। लेकिन आज क्या हालत है? कुछ दिन हुए बाबू ठाकुर दास जी ने अपने जिले के बारे में कुछ बातें बतलाईं थीं। उस इलाके के किसान वहां के फार्म वाले यहां भी आये और उद्योग और व्यापार मंत्री से मिलने की हिम्मत भी की थी। आज देश के अन्दर क्या हालात है? जो सबसे अच्छी लम्बे रेशे वाली कपास है, वह हांसी इलाके में और करनाल व मेरे जिले में बोई जाती है। आज उसे कोई भी किसी भाव पर बोने के लिए तैयार नहीं है। वैसी ही कपास आप अमरीका से, जिसका भाव तकरीबन तीन सौ रूपया पड़ता है, या इससे भी ज्यादा लेते हैं। लेकिन आप अपने देश की कपास पचास रूपया मन भी लेने को तैयार नहीं है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि यह कैसी निर्धारित अर्थव्यवस्था है? इस निर्धारित अर्थव्यवस्था के अन्दर हिन्दुस्तान बढ़िया किस ढ़ंग से तरक्की करने वाला है, यह आप सोचें। अगर आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान बढ़िया कपास में आत्मनिर्भर हो जाय, तो आप कोई भी कपास दूसरे देशों से न मंगायें और अपने रूपये को दूसरे देशों में न खर्च करें इसके लिये। बल्कि, अपनी बढ़ोतरी के लिये आप विनिमय को इस्तेमाल करें। इसके लिए भी आपको तमाम बातें सोचनी पडेंगी। हमारे यहां ऐसी

कपास होती है, जिसका नाम नरमा कपास है। वह जैसा उसका नाम है, वैसी ही नर्म भी है। कुछ समय बाद वह बिल्कुल नर्म हो जाती है।

पंडित ठाकुद दास भार्गव : 16 मार्च के बाद रंग फीका होना आरम्भ हो जायेगा।

चौधरी रणबीर सिंह : 16 मार्च के बाद उस कपास की कोई कीमत काश्तकार के लिए नहीं रहने वाली है। अगर आप 16 मार्च के पहले उस कपास को नहीं उठवाते हैं तो, आप अन्दाजा कीजिये कि उसका क्या नतीजा होगा? आप आइन्दा कोई कायदा, कोई कानून बनायें, लोग इस बात को बेहतर समझेंगे कि अपनी जमीन को बंजर ही पड़ी रहने दें, बजाय इसके कि वह इसको बोंयें या इसके लिए वह मेहनत करें। मेहनत किसान करते हैं अपने जिन्दगी का खर्च कमाने के लिये। अगर, उनको उल्टा घाटा पड़े और कोई इसकी परवाह न करे तो उसे क्या जरूरत है घाटा उठाकर हल चलाने की और मेहनत करने की। अगर आप चाहते हैं कि कपास अच्छी तरह पैदा की जाय तो आप यह बात याद रखिये कि इन पिछले दस सालों में आपके नियन्त्रण की क्या कहानी है? यह नियन्त्रण क्या चीज थी? इस नियन्त्रण के जरिये सरकार ने काश्तकारों से जो रूपया उनके पास था वह ले लिया, उसको उनसे छीन लिया और समाज के दूसरे विभाग को उस नियन्त्रण के भाव पर चीजें खरीद कर पहुंचाई। आज जब दूसरा समय शुरू होने वाला है तो आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप उनकी रक्षा करें। आपको उस जिम्मेदारी को हिम्मत से संभालना चाहिये। जब कुछ मंहगा था तब आपने पूरी ताकत लगाई, पिछले साल कोल्हुओं पर लाइसेन्स आपने लगाया और आपने गुड़ को सस्ता करने के लिये तरह तरह की तरकीबें इस्तेमाल कीं। मैं खाद्य मंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि आपने क्या अधिकार किये हैं जिससे गुड़ का भाव कहीं तो जाकर टिके। अगर आप इसके लिये कुछ नहीं करते हैं तो क्या मैं पूछ

सकता हूँ कि आप खाद्य मंत्री हैं या उद्योग मंत्री हैं? अगर आप खाद्य और कृषि के मंत्री हैं तो आपका फर्ज है कि कोई योजना, कोई विधेयक, कोई जरिया देश के सामने ऐसा लायें जिससे जिन आदमियों ने देश की मदद करने के लिये ज्यादा ईख बोई और मेहनत की, उसके लिये गर्मी और सर्दी में एड़ी से चोटी तक का पसीना बहाया, उनकी मेहनत का सिला उनको मिले। अगर नहीं मिलता है तो जो मुश्किलात आपको आज अनाज की दिखाई देती हैं वह कठिनाईयां आपके सामने फिर आने वाली हैं। कल तक कपास न मिलने की वजह से हमारे कारखाने बन्द होते थे। क्या आप समझते हैं कि वह हालत दुबारा नहीं आ सकती है? वह जरूर आयेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पंचवर्षीय योजना तरक्की करे तो इसके लिए यह निहायत जरूरी है कि इसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाय। कई दोस्त समझते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर खाद्य छूट जरूर दी जाय, अगर नहीं दी जाती है तो इन्डेक्स नम्बर ऊंचा हो जायेगा। लेकिन, जब देहात के मजदूरों की बात आती है तो इस बात को भूल जाते हैं। कहते हैं उनको तो काश्त में साझा मिलता है। कैसा साझा? अगर, एक इंसान को पांच मन या चार मन अनाज मिलता है तो उसके अन्दर उसका जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है। कहा जाता है देहात के आदमियों की आमदनी में बहुत फर्क पड़ गया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि आज कल सबसे कम आर्थिक स्तर या कम से कम आमदनी किसी वर्ग की है तो वह खेतीहर मजदूर की हैं और अगर आप चाहते हैं कि खाद्य रियायत दी जाती तो अगर इसके लिए मूल्य में सबसे पहले किसी का हक है तो वह खेतीहर मजदूर का है। अगर उनको आप मिटाना चाहते हैं तो मिटाइये। जहां और वर्ग को तकलीफ होगी, वहां उनको भी तकलीफ होगी। कई भाइयों को डर है अशांति का। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एशिया के इतिहास को पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि किसी का अनरेस्ट (बेचैनी) यहां तीव्र हुआ है तो वह देहात का है। आप बतलाईये कि आपके सामने मद्रास, या

बम्बई या कलकत्ता का सवाल है या तेलंगाना का सवाल है। आज जो हमारे प्रशंसक हैं, उनको तेलंगाना की बातें देखकर नींद नहीं आती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वह औद्योगिक मजदूर हैं? हिन्दुस्तान के लिये अगर कोई क्रान्ति आने वाली है तो वह देहात से आने वाली है।

अगर, आजादी आई है तो वह हिन्दूस्तान के देहात के सिपाहियों की लड़ाई की वजह से है जोकि तकरीरें देना नहीं जानते थे और अखबारों में खबरें नहीं भेज सकते थे। उन्हीं लोगों की वजह से दूसरी क्रान्ति आने वाली हैं। हिन्दुस्तान में औद्योगिक श्रम बीस पच्चीस साल तक तो बहुत प्रभावी नहीं हो सकता। इसलिये आप अपनी आर्थिक नीति बनाते वक्त उनकी तकलीफों को सामने रखने की कोशिश करें। अगर डर से नहीं तो वैसे भी इस देश में देहात का हिस्सा सबसे अधिक है। अजीब बात है कि एक कृषि प्रधान देश हो और उसकी नीति तब बनती है तो देहात की न गिनती होती है, न सुनवाई होती है, न कोई पूछ होती है, न ताछ होती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जरा कराधान आयकर वसूल करते हैं। हमारे बाबू ठाकूर दास संयुक्त परिवार का बड़ी गीत गाते रहते हैं। वह कहते हैं कि संयुक्त परिवार में चार, पांच हजार या छह हजार तक माफ कर दिया जाय। दूसरी तरफ, देहात में कराधान का क्या हाल है? अगर एक आदमी एक बीघा भी बोता है और चाहे उसको घाटा ही क्यों न हो उसको कर देना होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि वह अंग्रेज वाली कहानी आज भी क्या कोई कहने की हिम्मत कर सकता है कि जमीन सरकार की मालकियत है और दूसरी चीजें सरकार की मालकियत नहीं है। लगान भी एक कर है। आयकर भी एक कर है। तो देश में एक के लिये कर का एक सिद्धान्त है और दूसरे के लिए दूसरा सिद्धान्त है।

श्री श्यामनंदन सहाय : उनको क्या देना पड़ता है?

चौधरी रणबीर सिंह : ईख के लिये एक एकड़ पर 15 रूपया पड़ता है और दूसरे के लिए ढ़ाई रूपया देना पड़ता है।

पंडित ठाकूर दास भार्गव : पानी शुल्क वगैरह है। राजस्व इतना नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। यह अजीब बात है कि दिल्ली बन रही है और चण्डीगढ़ बन रहा है। वहां सड़कें बन रही हैं। वहां लोगों के लिये तरह तरह के आराम के इंतजाम किये जा रहे हैं। इसके लिये वहां वालों से क्या लिया जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के ऊपर कितना खर्च हुआ है और इसमें से दिल्ली वालों का कितना हिस्सा है? लेकिन, देहात के लिये यह बात है कि अगर कहीं नहर निकलती है तो उसको सारा खर्च देहात वालों से लिया जाता है। उसके बाद भी उसके लिये उनको कर देना पड़ता है। आप बताइये कि यह आपके वित्त की कौन सी निष्पक्षता है? क्या आपके वित्त का यही न्याय है कि जो कानून बनाया जाता है वह देहात के लिये एक तरह का होता है और शहर वालों के लिये दूसरी तरह का होता है?

मध्यम श्रेणी के आदमियों की तकलीफों का बड़ा जिक्र किया जाता है। क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जब तक अंग्रेज रहे और उनके बाद सन् 1939 तक हिन्दुस्तान के मध्यम श्रेणी वालों ने न केवल अपने हक का ही खाया है, बल्कि दूसरों के हक का भी खाया है? अब अगर दस सालों से उनको अपना ही हक मिल रहा है तो इसमें कौन सा अन्याय है? आज भी अगर हम हिन्दुस्तान की सोसाइटी का मुकाबला करें तो आपको मानना होगा कि मध्यम श्रेणी वाले दूसरों के मुकाबले में आज भी जीत में हैं। आप मध्यम श्रेणी वालों के लिये इतना नरम रवैया रखें और दूसरों के लिये न रखें, यह कहां तक ठीक है और कहां तक यह बात चलने वाली है, खास तौर पर ऐसे देश में जहां कि बालिग मताधिकार हों और जहां बालिग मताधिकार पर राज्य बनता और बिगड़ता हो?

इसलिये अगर आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में स्थिर सरकार हो और योजनाबद्ध ढ़ंग पर तरक्की हो तो उसके लिये आपको सोचना होगा, समझना होगा और अपनी वित्तीय नीतियों को बदलना होगा।

चौधरी रणबीर सिंह : संक्षिप्त जीवन घटनाक्रम

पिताश्री : चौधरी मातूराम

माताश्री : श्रीमती मामकौर

दादा जी : चौधरी बख्तावर सिंह

दादी जी : श्रीमती धन्नो

भाई–बहन :

1. डा. बलबीर सिंह
2. सुश्री चन्द्रावती
3. चौधरी फतेह सिंह

वर्ष	विवरण
1914 (26 नवम्बर)	: जन्म (रोहतक जिले के सांघी गाँव में)
1920	: प्राथमिक शिक्षा हेतु गाँव के स्कूल में प्रवेश।
1924	: प्राथमिक शिक्षा पूर्ण
1929	: लाहौर अधिवेशन में बड़े भाई के साथ शिरकत।
1933	: मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण
1937	: बी.ए. उत्तीर्ण
1937	: गृहस्थ जीवन में प्रवेश
1941	: सक्रिय राजनीति में प्रवेश
1941 (5 अप्रैल)	: प्रथम जेल यात्रा (व्यक्तिगत सत्याग्रह)
1941 (24–25 मई)	: जेल से रिहा
1941	: दूसरी जेल यात्रा (एकता आन्दोलन)
1941 (24 दिसम्बर)	: जेल से रिहा
1942 (14 जुलाई)	: पिताश्री का देहांत
1942 (24 सितम्बर)	: तीसरी जेल यात्रा (भारत छोड़ो आन्दोलन)।
1943 (25 अप्रैल)	: मुल्तान से लाहौर जेल में
1944 (24 जुलाई)	: जेल से रिहा
1944 (28 सितम्बर)	: चौथी जेल यात्रा (नजरबंदी उल्लंघन)
1944 (7 अक्तूबर)	: रोहतक जेल से अम्बाला जेल में
1945 (14 फरवरी)	: जेल से रिहा
1945	: पुनः गिरफ्तारी।
1945 (18 दिसम्बर)	: जेल से रिहाई।
1947 (10 जुलाई)	: संविधान सभा सदस्य निर्वाचित
1947 (14 जुलाई)	: संविधान सभा सदस्यता ग्रहण
1948 (6 नवम्बर)	: संविधान सभा में प्रथम भाषण
1952	: रोहतक लोकसभा सीट से विजयी
1957	: दूसरी बार हुए विजयी,
1962	: पंजाब विधान सभा में कलानौर से विजयी
1962	: पंजाब में बिजली व सिंचाई मंत्री
1966 (1 नवम्बर)	: हरियाणा–गठन।
	: मंत्री पद पर नियुक्त
1968 (12–14 मई)	: मध्यावधि चुनाव। पुनः विजयी
1972 (अप्रैल)	: राज्यसभा के लिए चुने गए
1977	: हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने
1978	: राज्यसभा में कार्यकाल सम्पन्न
1980	: हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कार्यकाल सम्पन्न
2009 (1 फरवरी)	: स्वर्गवास
2009 (2 फरवरी)	: रोहतक में 'संविधान–स्थल' पर अंत्येष्टि

सन्दर्भ सूचिका

अनुदान : 48,51,98 ।

अर्थव्यवस्था : 93,94,95,217,243,244 ।

अर्थशास्त्री : 12,36,60 ।

अधिकारी : 41,51,65,156,157,235 ।

अनुसंधान : 49,52,53 ।

अनुच्छेद : 84,193,205,211,214 ।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति : 101,102,103,144,169,170, 173,174,214 ।

अनाज / खाद्यान्न : 39,40,41,56,62,63,64,65,69,71,79,80,88,96,97, 113,114,118,119,127,128,129,130,131,137,182,191,192,203, 204,243,246 ।

अंग्रेजी : 43,44,46,154,193 ।

अधिनियम / कानून : 42,45,60,68,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,97, 106,111,112,113,114,115,117,122,123,124,130,133,140, 157,163,182,183,185,186,187,188,193,196,205,201,206,208, 214,219,221,223,224,225,226 ।

अमरीका : 51,125,131,144 ।

आई.एन.ए. : 47 ।

आरक्षण / रिजर्वेशन : 68,92,93,96,103,113,142,182 ।

आपूर्ति : 68,92,93,96,113,182 ।

आबादी : 101,102,103,105,106,121,136,186,214,228 ।

औद्योगिक : 75,121,147,148,149,216,246,247 ।

उत्पादन : 52,54,55,62,65,66,79,80,94,217 ।

उद्योग / कारखाने : 41,49,54,55,74,75,76,77,94,95,96,113,118,123, 125,126,130,136,140,147,148,149,191,202,203,216, 217, 219,244,246 ।

कमीशन : 44,45,157,178 ।

कपड़ा : 71,81,189,191,225 ।

कपास : 50,51,77,125,126,130,136,140,190,191,192,203,217, 244,245,246 ।

कन्ट्रोल / नियन्त्रण : 63,64,65,81,93,94,95,96,113,126,128,136, 137,191,192,216,243,245 ।

कर्ज / ऋण : 40,41,75,76,77,78,79,80,81,118,119,120,121, 145,146,148 ।

कर्मचारी : 116 ।

कांग्रेस : 46,149,162,163,194,196,197,199,207,208,209,218,223,231 ।

कारखाने : 49,74,75,76,77,95,96,113,123,126,130,136,147, 191,203,217,246 ।

कालाबाजारी : 111,112,113,114 ।

काश्त / काश्तकार : 41,42,62,63,75,76,77,78,81,83,118,120,121, 123,124,129,130,131,133,135,136,140,141,148,149,186,187, 196,202,203,204,217,240,245,246 ।

कीमत : 40,41,50,51,55,56,64,65,66,92,93,94,95,118,126, 190,191,192,238,245 ।

कुंआ / कुंए : 65,94,120,129,130,145 ।

कृषि उपज / कृषि उत्पाद : 50,52,,66,67,104,123,128 ।

कृषि वित्त निगम : 40,41,55,148,149,150
खेत / खेती : 40,41,50,51,52,62,71,74,75,89,93,117,118,119,120,
121,123,128,129,131,135,136,137,138,139,140,141,150,
190,238,240,246 ।
खेतिहर : 131 ।
गन्ना : 48,49,140 ।
ग्रामीण : 65,72,75,77,78,80,144 ।
गुड़ : 51,66,95,136,203,212,243,244,245 ।
गरीब : 97,106,138,139,144,160,209,235 ।
गेहूँ : 56,64,68,128,192 ।
भैंस : 69,86,87,239,240 ।
गाय : 87,88,89,90,239,240 ।
गांव : 80,81,107,142,147,158,159,198,229,230 ।
गौशाला : 88,89 ।
घरेलू धन्धे : 148 ।
चने : 64,65,68,128 ।
चीनी : 51,81,136,203,217 ।
चुनाव : 47,59,72,82,83,105,106,107,108,109,140,141,144,151,153,
156,158,161,162,166,167,173,175,176,181,182,183,
196,200,207,212,215,236 ।
जमीन : 41,42,54,55,57,62,63,76,78,79,83,116,118,122,123,
124,126,128,129,140,146,148,186,188,189,192,196,197,
203,209,238,245,247 ।
जमाखोर : 64 ।

जमींदार / जमींदारा : 62,63,77,139,141,188,196 ।
जातपात : 174,200 ।
जाट : 43,44,224,229,231,232 ।
जैलदार : 198,199,208,209 ।
टैक्स : 57,58,89,125,132,133,202,237,238,240 ।
ट्रैक्टर : 63,65,66,75,78,80,94,96 ।
डाकघर : 72,73 ।
तेल : 81,94,201,247 ।
तिलहन : 119,128,201,202,203,204 ।
दूध : 86,87,88,89,239,240 ।
देहात : 40,42,75,76,80,81,96,98,99,100,103,106,107,126,137,138
140,143,144,147,149,150,154,185,190,211,212,228,237,238,
246,247,248 ।
देश : 1,2,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15,17,19,21,22,23,24,25,26,36,
37,38,39,40,41,42,43,45,47,49,50,51,52,55,57,61,
64,73,74,75,76,79,80,81,82,83,85,87,89,90,
91,92,94,95,96,97,98,99,100,101,102,108,109,
110,111,112,115,119,124,125,136,145,164,165,166,174,
175,176,178,180,181,184,185,193,197,198,200,
201,202,206,208,209,210 ।
धान : 192 ।
नम्बरदार : 177 ।
न्याय : 71,139,144,176,187,190,216,234,248 ।
न्यूनतम मजदूरी : 138,141 ।
न्यूनतम मूल्य : 56 ।

निर्वाचन : 101,102,103,104,105,156,157,173 |
निर्वाचन क्षेत्र : 101,102,103,104,105,173 |
नीति : 63,64,65,95,123,128,134,135,136,140,192,216,228,247,249 |
पटसन : 77,119,201 |
पल्टन : 43,44 |
पशु / डंगर / मवेशी : 51,69,84,85,86,87,88,89,90,238,239,240 |
प्रशासनिक : 60,115,116,133,135,208,233 |
प्रतिनिधि / प्रतिनिधित्व : 49,59,101,102,103,107,126,143,144,151,
152,156,158,163,165,167,168,170,172,175,
177,179,207,217 |
पंजाब : 41,42,54,55,56,62,63,64,68,69,70,75,76,86,96,104,105,
112,114,133,148,149,150,159,177,185,186,188,190,
193,195,196,197,198199,200,205,206,207,208,209,
211,212,213,215,217,222,223,224,227,239 |
पानी : 41,54,96,125,128,192,203,238,248 |
पूंजी : 41,220 |
पेन्शन : 47,235,236 |
पैदावार : 39,40,41,49,50,51,52,79,80,89,93,94,118,119,120,121,
129,130,139,140,141,146,190,202,203,238 |
पिछड़े : 143,144,170,186,187,234 |
पोलिंग : 106,107 |
फसल : 69,76,78,79,118,120,121,128,146,203,222 |
फौज : 43,44,45,46,157,167 |
बचत : 57,98,120 |
बजट : 82,83,125,127,132,164 |
ब्याज : 40,49,55,75,77,78 |
बैंक : 74,75,77,78,80,81,98,117,119,121,145 |
बिजली : 94,147 |
बिल : 43,47,63,68,69,84,85,90,91,93,114,117,138,146,147,148,149,
181,186,187,203,206,218,221,222,223,227 |
भाखड़ा बांध : 41,115,116,148 |
भुगतान : 52 |
भूमि / भूमि बन्धक : 62,63,66,119,121,122,123,124,133,136,162,
186,188,238,240 |
भूमि अधिग्रहण : 124 |
भेदभाव : 71,96,97,133,134,160,168,169,181,187,197,200,210 |
मजदूर : 42,120,135,136,137,138,139,140,141,142,202,246,247 |
मजदूरी : 120,135,136,138,139,140,141,142,202 |
मंडी : 66,67 |
मतदाता : 69,70,101,104,105,106,107,108,158,160,165,173 |
मतदान : 105,107,108,157,158,159 |
मताधिकार : 249
मशीनरी : 75,153,193,206,207 |
मुद्रास्फीती : 41,135,136 |
मेहनत : 69,71,89,135,136,141,176,202,238,245,246 |
मांस : 88 |
मुनाफाखोरी : 111,113,180 |
योग्यता : 59,60,82,83,214,234 |

योजना : 50,52,72,128,147,148,237,238,239,240,249 ।
रकम : 28,78,181 ।
राजनीति / राजनीतिक : 41,161,170,195,214 ।
राजस्व : 54,55,120,133,134,135,248 ।
रियायत : 54,69,75,126,171,234,246 ।
रीति–रिवाज :183,185,186,190 ।
रूपया : 41,48,49,50,51,75,76,77,78,79,80,91,9,114,115,118,
119,124,126,129,130,148,188,191,192,204,220,
236,238,244,245,248 ।
रोहतक : 207,208,212
लाइसेंस : 113,180,181,189,209 ।
लोहा : 95,96 ।
व्यापारी : 40,96,125,126,187,189,190,202,219 ।
विकास : 136,183,216,217,230 ।
विज्ञान : 40,50 ।
विवाह : 225,226,227,228,230,231,232 ।
विधानसभा : 82,103,133,168,169,170,176,177,187,196,205,207,208 ।
विधेयक : 43,45,84,85,90,91,92,96,101,104,111,115,122,132,134,
138,141,143,145,147,152,156,158,161,165,167,168,
170,172,175,177,179,185,205,210,216,218,233,243,246 ।
विरोध : 57,58,69,83,85,86,90,91,96,106,111,120,140,141,158,160,
163,164,197,199,206,208,224,231 ।
विशेषज्ञ : 74,117,121 ।
वोट : 106,107 ।
शहर : 113,121,137,143,144,159,185,212,227,228,229,238,248 ।
शिक्षा : 103,213,228,234 ।
शैक्षिक : 59,60,83 ।
शोध : 48,49,51,52,53 ।
शोषण : 63,196,197 ।
समितियां : 80,126,149,218,219 ।
संविधान : 63,102,103,133,161,163,169,173,185,187,193,194,
207,211,212,235 ।
संशोधन : 40,41,57,58,59,74,77,91,96,111,114,117,118,119,121,
122,138,141,143,145,152,156,158,159,161,165,166,
168,170,171,172,173,174,179,180,181,183,184,
185,187,195,210,218,221,227,230,232 ।
सहकारी बैंक : 77,119,121 ।
साम्प्रदायिकता : 200 ।
सिंचाई : 156,148 ।
सुझाव : 53,58,64,65,67,84,99,103,120,128,129,133,
149,159,160,211 ।
हरिजन : 137,148,160,173,174,186 ।
हरियाणा : 87,223,238,239,240 ।
हिन्दी : 39,60,154,193 ।
हिन्दू : 57,213,221,222,223,224,225,227,230,232,247 ।
हिन्दू लॉ : 230 ।